राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का चौथा दिवस [संख्या : 4

गुरुवार;

27 फरवरी, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्षजी का स्वास्थ्य ठीक है साहब?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : स्वास्थ्य तो ठीक है न?

पेयजल योजनाओं पर व्यय राशि

37. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1998-99 से 2002-2003 तक राज्य सरकार को केन्द्र सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, अन्तर्गत पेयजल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की और कितनी राशि व्यय हुई तथा कितनी राशि शेष है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत चार वर्षों में राज्य में ग्रामीण व शहरों में विभिन्न पेयजल योजना कितनी राशि की राज्य के बजट से स्वीकृत की गई व कितनी राशि व्यय की गई तथा कितने गांव व शहरों को लाभान्वित किया गया?

(3) वर्ष 2001-2002 व 2002-2003 में राज्य सरकार ने कितनी राशि की आपात योजना बनाई व कितनी राशि आपात योजना अन्तर्गत व्यय की गई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) चूरू शहर व ग्रामीण क्षेत्र को आपणी योजना से कब लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य था और योजना की प्रगति को देखते हुए कब तक लाभान्वित किया जायेगा?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. सी. पी. जोशी) : (1) केन्द्र सरकार से वर्ष 1998-99 से 2002-2003 तक राज्य सरकार को ए.आर.पी. (सामान्य),

(डा. सी. पी जोशी)

ए.आर.पी. (मरुस्थल), प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, त्वरित शहरी पेयजल आपूर्ति योजना, चूरू बिसाऊ योजना, राइजेप, में प्राप्त राशि एवं व्यय तथा अधिशेष राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में केन्द्र सरकार द्वारा कोई धनराशि नहीं दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा ही इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें प्रावधान तथा खर्च का विवरण भी परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 1999-2000 से दिसम्बर, 2002 तक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुल 35895 योजनाएं 2736.84 करोड़ रुपये अनुमानित लागत पर स्वीकृत की गई। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2002-03 में 5 वृहद् योजनाएं 1415.00 करोड़ रुपये अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई। इस अवधि में शहरी क्षेत्र में कुल 303.17 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1228.42 करोड़ रुपये व्यय किया गया। इस अवधि में 89 नये मुख्य गांव, 4356 नयी चिन्हित ढाणी तथा 30268 ग्राम/ढाणियों (पूर्व में आंशिक रूप से लाभान्वित) को पूर्ण रूप से लाभान्वित किया गया। प्रान्त के सभी शहर पहले से ही लाभान्वित है। करवाए गए कार्य मुख्यतया संवर्द्धन से सम्बन्धित हैं।

(3) वर्ष 2001-2002 तथा वर्ष 2002-03 (दिसम्बर, 2002) में आपात योजनाओं के लिए जिलेवार राशि का प्रावधान का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। आपात योजनाओं पर खर्च विभिन्न मदों में उपलब्ध धन में से ही किया जाता है तथा इसका अलग से लेखा नहीं रखा जाता है। विभिन्न मदों में खर्च का विवरण प्रश्न के भाग 1 में दिया गया है। वर्ष 2002-2003 में केन्द्र सरकार से सी.आर.एफ. मद में 20 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ जिसके तहत दिसम्बर, 2002 तक 10.72 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है।

(4) आपणी योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत चूरू ग्रामीण क्षेत्र में 253 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य मार्च, 2003 तक का रखा गया था। इनमें से दिसम्बर, 2002 तक 150 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। शेष ग्रामों को मार्च, 2004 तक पेयजल उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। चूरू शहर तक पेयजल लाना चूरू बिसाऊ योजना में अगस्त, 2003 तक लक्षित था। अब संशोधित लक्ष्य दिसम्बर, 2003 तक प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह पेयजल योजना जिसमें शत प्रतिशत राशि भारत सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से मिलती है, जिनका उल्लेख क्या आपने परिशिष्ट ''अ'' में किया है, एक्सीलरेटेड रूरल वाटर प्रोजेक्ट, क्या यह सही है कि वर्तमान में दिसम्बर, 2002 तक आपके पास इस मद के अन्दर 113 करोड़ रुपये राशि, जिसका उपयोग आप नहीं कर सके, आपके पास शेष है? क्या यह सही है कि ए.आर.डब्ल्यू.पी., जो मैंने पहले कहा, उपाध्यक्ष महोदय, वह ए.आर.डब्ल्यू.पी. सामान्य की है। सरकार की कलई खुल रही है। ए.आर.डब्ल्यू.पी. (मरुस्थल), मरुस्थलीय इलाके के लिए केन्द्र सरकार जो पैसा देती है उसमें क्या यह सही है मंत्री महोदय कि आपके पास 14 करोड़ रुपये शेष है? क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस योजना के अन्तर्गत शत प्रतिशत राशि आपको केन्द्रीय सरकार से मिलती है, उसमें 14 करोड़ 12 लाख रुपये शेष हैं? क्या यह त्वरित शहरी जल आपूर्ति योजना के अन्दर 7 करोड़ 21 लाख रुपये आपके पास शेष हैं? बतायें।

क्या यह सही है कि आपको न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत, जो राज्य सरकार ने, जिस चीज की तुरन्त आवश्यकता समझी, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम समझा उसके अन्दर 70 करोड़ 50 लाख न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण) में आपके पास है और 4870 लाख मतलब 48 करोड़ रुपये आपके पास शहरी क्षेत्र में शेष हैं? क्या यह सही है कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लिए जो राशि सी.आर.एफ. में आपको 20 करोड़ रुपये की राशि मिली उसमें अब तक मात्र 10 करोड़ 72 लाख रुपये उपयोग कर सके हैं?

मंत्री महोदय क्या मुझे यह भी बताएंगे कि आपने जो योजना बनाई, जिस योजना का उल्लेख आपने पहले लम्बे-चौड़े, चार साल का सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ, बड़े-बड़े विज्ञापन देकर आपने कहा कि हमने 44 अरब की योजनाएं इस राजस्थान में बनाकर अद्वितीय काम किया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने जो 35895 योजनाएं बनाई और जिनमें अनुमानित लागत आपके बजट के अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि सरकार न केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा देय राशि खर्च कर रही है, अपने खुद के बजट में 2736 करोड़ रुपये की जो राशि इन्होंने स्वीकृत की, उसके अन्दर कुल मिलाकर 303 करोड़ तो शहरी क्षेत्र में और 1228 करोड़, यानि उस राशि में से 1631 करोड़ रुपये, कुल राशि की पचास प्रतिशत राशि, मंत्री महोदय, आपने खर्च की है। क्या यह आपके लिए शर्म की बात नहीं है? इसके अलावा जो आपने कहा कि आपने इस वर्ष 2002-03, यह समाप्ति की ओर है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 1415 करोड़ की जो हमारी राशि स्वीकृत की थी, उसमें से कितना व्यय किया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ है कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य इतने एक्साइटेड हैं, लाख को तो करोड़ में बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन सी, बताओ?

डा. सी. पी. जोशी : इन्होंने जो फिगर दिये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह ए.आर.पी. में पैसा उपलब्ध है, ऊपर लिख रखा है लाख में और यह बोल रहे हैं करोड़ में। तो करोड़...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं–नहीं, आपने 11359 लाख...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। आर्डर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. सी. पी. जोशी : यह जो बोले हैं वह रिकार्ड में है। रिकार्ड सुन लीजिये।

श्री सांवर लाल : आपको जानकारी नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : पूरी जानकारी है। आप आराम से बैठिये, पूरी जानकारी है, मैं मंत्री हूं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आप गलत तथ्य मत रखें।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, गलत नहीं रख रहा मैं, रिकार्ड में है। आप बोले हैं करोड़ में। रिकार्ड में है। रिकार्ड में है, बात तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय राजेन्द्र सिंहजी। एक मिनट, बिराजें।

डा. सी. पी. जोशी : आप इतने अच्छे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी, एक मिनट।

डा. सी. पी. जोशी : अब आप किसी चीज को इतना, आप जो लाख की अमाउंट है उसको करोड़ में बोल रहे हैं। आप जो फिगर बोले वह रिकार्ड में है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, प्लीज। आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, 11359 लाख रुपये हैं, मैंने इसको 113 करोड़ कह दिया तो क्या गुनाह कर दिया?

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजें, आप नीचे बिराजिये। आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसको मैंने करोड़ में बनाकर कह दिया तो क्या गुनाह कर दिया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। आपने एक प्रश्न किया है माननीय

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्य, आपने एक प्रश्न किया है, जो कुछ वह कह रहे हैं उसकी सुनिये। Why are you interfering? सुन लीजिये, आपको वापस मौका दे देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, गलत बात कैसे सुन लें। इसमें एक्साइटेड होने की तो बात ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे चलेगा थोड़े ही हाउस। नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल पूछने का अधिकार है। एक्साइटेड होने की क्या बात है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास उत्तर है, आप पढ़ लीजिये, क्या 113 करोड़ बोलना गलत है?

श्री उपाध्यक्ष : अधिकार नहीं है, मिसयूज कर रहे हैं अधिकार का, अधिकार नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : 11359 लाख को इन्होंने 113 करोड़ बोला है।

श्री उपाध्यक्ष : वो बोल देंगे न वापस। इसमें है कुछ नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : आपके पास है, आप देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह बिराजें तो हो जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : 11359 लाख को इन्होंने 113 करोड़ बोला है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए, बिराजिए। आप बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : आपके पास है और मंत्री महोदय असत्य बोल रहे हैं कि इन्होंने लाख को करोड़ में बोल दिया। आपके पास है, आप मुलाहिजा फरमा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए बिराजिए। आप बिराजें न। उत्तेजित क्यों हो रहे हैं आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष) : एक सैकण्ड, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि लाख को करोड़ बोल गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए न तो। अगर गलत है तो करेक्ट कर लेंगे। हो जाएगा लेकिन इनका जवाब तो सुन लो पहले आप।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, जवाब गलत कैसे सुन लें।

श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) : इन्होंने बीच में इंटरवीन करके...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनके पास तो है न मौजूद...

डा. सी. पी. जोशी : दिया कहां जवाब अभी। जवाब कहां दिया?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। आप बिराजिए। आर्डर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें विवाद का कोई सवाल है ही नहीं। यह विवाद का सवाल पता नहीं क्यों बन गया? आप स्वयं प्रश्न के जवाब को देख लें और जो सरकार ने अपनी तरफ से रिप्लाई दिया, उसमें जो आंकड़े दिये हैं, आपने उसको लाख में कहा, इन्होंने उसी को कन्वर्ट कर दिया करोड़ में। जैसे पहला फिगर है आपका। 11359.24 लाख। इसको इन्होंने 113.59 करोड़ कह दिया तो क्या गुनाह हुआ?

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, कोई गुनाह नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन्होंने जो फिगर बताये, यह 1482 है इसको इन्होंने 14 करोड़ 82 लाख कह दिया, कोई फर्क नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई डिसप्यूट का सवाल ही नहीं है। नो प्रोब्लम।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सारे आंकड़े वहीं हैं, उन्होंने कहा न कि आप यह गलत बता रहे हैं, यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन्होंने लाख को करोड़ में कन्वर्ट करके बोला है, इतना ही किया है इन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें प्लीज। करेक्ट कर लीजिये। बिराजें। इसमें इतनी बहस क्या है, करेक्ट कर लें।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : नहीं, बहस नहीं है, अगर इसको समझने की कोशिश करते...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। बिराजें प्लीज।

श्री सांवर लाल : लाखों को करोड़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री रोहिताश्व कुमार : ऐसा है, गणित की जरूरत है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी : बहुत अच्छा। और कोई बाकी हो सप्लीमेंटरी तो कर लें इसमें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। दोनों अपनी जगह सही हैं इन्होंने लाखों में बोला और आपने करोड़ों में बोला, What is the difference?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है–ठीक है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : (व्यवधान) ऐसा नहीं कह रहे हो आप उनको।

श्री अमराराम (धोद) : उनको करोड़ों में बता दिया, यह कहना असत्य है।

श्री रोहिताश्व कुमार : इनके सही बोलने को उन्होंने गलत समझ लिया।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप बताएं 1100 लाख कहें और 11 करोड़ कहें, क्या फर्क है? What is the problem?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक बात है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, यह बताएं कि पैसा खर्च क्यों नहीं किया?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। बिराजिए। बैठिए न आप।

श्री अमराराम (धोद) : अब लाखों को करोड़ों में बता दिया क्या...

श्री उपाध्यक्ष : आप अननैसेसरी डिसप्यूट कर रहे हो।

श्री अमराराम (धोद) : लोग तो प्यासे मर रहे हैं और ये पैसा दबाये बैठे हुए हैं।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य नाराज होंगे, इन्होंने स्वयं ने कहा कि ए.आर.डब्ल्यू.पी.एस. का पैसा हण्ड्रेड परसेंट भारत सरकार से मिलता है। मैं समझता हूं कि यह अपने आपको करेक्ट कर लें ए.आर.डब्ल्यू.पी.एस. का पैसा 50% भारत सरकार से मिलता है और 50% स्टेट गवर्नमेंट को मैच करना पड़ता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खर्च कितना किया, यह बताइये न।

डा. सी. पी. जोशी : आप कोई गलत बोले, कोई दूसरा बोले तो उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्या? आप कह रहे हैं कि हण्ड्रेड परसेंट पैसा मिल रहा है तो बात तो सुननी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने खर्च कितना किया वह बताइये न।

डा. सी. पी. जोशी : प्रश्न तो ये पूछ रहे हैं जवाब आपको क्यों दें? आप बैठिए। आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आपको उत्तर समझ में नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलालजी साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : (व्यवधान) आप हाउस को पूरी जानकारी दीजिए।

डा. सी. पी. जोशी : इन्होंने पूछा क्या है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे थोड़े कोई क्वेश्चन होगा, यह कोई डिबेट थोड़े ही हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने तो राशि का पूछा है, साहब।

डा. सी. पी. जोशी : आपने कहा है हण्ड्रेड परसेंट तो जवाब नहीं दूंगा क्या कि यह गलत बोल रहे हैं, मान लूं कि ए.आर.डब्ल्यू.पी.एस. में हण्ड्रेड परसेंट है। आप अपने आपको करेक्ट ही नहीं कर रहे हैं ऐसी स्थिति बनी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लीजिये न उनको। What is the problem?

डा. सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ए.आर.डब्ल्यू.पी.एस. नार्मल का पैसा 50% भारत सरकार से मिलता है और 50% स्टेट गवर्नमेंट को मैच करना पड़ता है। ए.आर.डब्ल्यू.पी.एस. जो डी.डी.पी. मरुस्थल का पैसा है वह हण्ड्रेड परसेंट भारत सरकार से मिलता है। इसलिए पहले तो मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जो ए.आर.डब्ल्यू.पी.एस. का पैसा है, जो राशि उपलब्ध है वो आज के दिन में 103 करोड़ रुपये उपलब्ध है, यह बात सही है। 103 करोड़ रुपया जो उपलब्ध है उस राशि से भारत सरकार का नियम है कि यदि आपका बैलेंस 15% बचता है तो उस राशि में से जो एक्सेस राशि है वो राशि को काट देते हैं। हमने पूरी व्यवस्था की है, जो आंकड़े दिये 103 करोड़ रुपये के वो दिसम्बर, 2002 के हैं। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक हम इस 103 करोड़ रुपये राशि का पूरा उपयोग कर लेंगे और 15% की जो हमार सीमा है उसके अन्तर्गत इस राशि का पैसा हम कटने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे और यही मैं कहना चाहता हूं कि 103 करोड़ रुपये का उपयोग करने की हमारी जो व्यवस्था है उसमें हमने पूरी निश्चित तौर पर तैयार कर ली और इसमें से कोई पैसा नहीं कटेगा यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय। बाकी जो इन्होंने बातें कही हैं उन पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। यह बात सही है कि भारत सरकार का जो पैसा मिला है वह पैसा हमारे पास उपलब्ध है। राजस्थान में इस बार पानी की भयंकर कमी है और पानी की कमी होने से एक तो सरफेस बेस्ड स्कीम बनाएं और एक अण्डरग्राउंड वाटर स्कीम बनाएं। अभी तात्कालिक समस्या का निदान करने के लिए जो व्यवस्था है उसमें अण्डरग्राउंड वाटर को हार्वेस्ट करने की आवश्यकता है–ट्यूबवैल खुदाएं, हैण्ड पम्प खुदाएं उनसे पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से व्यवस्था कर सकते हैं। भारत सरकार ने रेल से ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें फ्री अलाउ किया है। हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो पानी उपलब्ध है उसको बैस्ट उपयोग करके पानी की व्यवस्था करें।

(डा. सी. पी. जोशी)

कुछ योजनाएं जो हमने तत्कालीन योजनाएं बनायी हैं। वो योजनाएं, अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि योजना बनायी नहीं, तो यह सम्भव नहीं है। तो जो कुछ हमने योजनाएं बनायी हैं वो दीर्घकालीन योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आने वाले समय में मिलेगा। उनकी व्यवस्था करने का जो प्रोविजन है, इसके कारण जो आंकड़े आपको बताये हैं, वो योजना बनायी उसके आंकड़े हैं इसलिए हम पीने के पानी के सम्बन्ध में उन योजनाओं का, जिनका दीर्घकालीन लाभ लेना है, उनकी तैयारी भी कर रहे हैं और तात्कालिक पानी की जो व्यवस्था करनी है, जिसमें हैण्डपम्प हैं, ट्यूबवैल है और ट्रांसपोर्ट करना है उसकी व्यवस्था का काम भी कर रहे हैं। इसलिए जो भारत सरकार ने हमें पैसा दिया है, जो एम.एन.पी. का पैसा हमारे पास उपलब्ध है उन सबको मिलाकर हम पूरे पानी की व्यवस्था कर लेंगे यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और पैसा भी नहीं कटेगा यह भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। यह फिगर जो 103 करोड़ का है यह उपलब्ध है अभी दिसम्बर, 2002 तक मार्च, 2003 तक हम इस स्थिति में नहीं होंगे कि पैसा कोई कटे यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई पैसा नहीं कटेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इनका चूरू का भी जवाब दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं,नहीं, चूरू की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। मैंने पाइंटेड सवाल किया था, अलग-अलग योजनाओं का नाम लेकर सवाल किया था कि इनके पास इतनी बड़ी राशि, जिसको मैं पहले उल्लिखित कर चुका हूं, शेष पड़ी है। दूसरा इन्होंने कहा है मार्च तक ये पैसा उपयोग कर लेंगे। क्या मंत्री महोदय, आपने जो मुझे ये आंकड़े दिये हैं, वर्षवार दिये हैं इसमें कोई एक वर्ष बता सकते हो जिस वर्ष में आपने पूरी राशि खर्च की है? अब तीन महीने में आप क्या कर लेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सी.आर.एफ. का पैसा उपयोग नहीं कर सकते और इसके अलावा जितनी योजनाएं हैं उनका नहीं कर सके। आपने खुद ने जो योजनाएं बनायीं, वार्षिक योजना में जो बजट का प्रावधान किया उसमें से कितनी राशि का आपने उपयोग किया? नम्बर-1 नम्बर-2, मुझे यह बताएं कि आपके पास जिन-जिन चीजों का मैंने उल्लेख किया क्या यह पैसा आपके पास आज भी बचा पड़ा है? क्या यह सही है कि इस पैसे को आप को मार्च तक खर्च करना था और आपने खर्च नहीं किया? आप दूसरी तरफ कहते हैं कि पानी की समस्या है। पैसा जब पड़ा है, तो आप क्यों नहीं खर्च करते?

डा. सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खर्चा दिसम्बर, 2002 का

(डा. सी. पी. जोशी)

दिसम्बर, 2003 में जो पैसा उपलब्ध है उनको खर्च करेंगे और जो यह नियम बनायें हैं भारत सरकार ने यदि आपका ओपनिंग बैलेंस 15% से ज्यादा होता है, तो पैसा काट कर पैसा देते हैं तो पिछले साल में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखिए, उपाध्यक्ष महोदय, फिर मंत्री महोदय हाउस को मिसलीड कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई डिबेट नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, डिबेट की बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटी बात नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, क्या छोटी मोटी बात क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान की जनता प्यासी है और पैसा इनके पास पड़ा है, केन्द्र सरकार का पैसा पड़ा है।

डा. सी. पी. जोशी : किसने मना किया पैसा नहीं है? केन्द्र सरकार का पैसा है, किसने मना किया?

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट थोड़े ही है यह।

डा. सी. पी. जोशी : आप अपने मन से बोल रहे हो। दिसम्बर, 2000 का चल रहा है आप 2003 की बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : (व्यवधान) किसने मना किया है, आप मना भी नहीं कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : (व्यवधान) मार्च, 2003 तक माननीय सदस्य जो राशि हमारे पास उपलब्ध है जिसमें भारत सरकार का पैसा ए.आर.डब्ल्यू.पी.एस. 103 करोड़ रुपये है, जिसमें मरुस्थल का 5 करोड़ 42 लाख रुपये, ये मिलाकर 103 करोड़ रुपये के लगभग हमारे पास उपलब्ध हैं। उस राशि को हम मार्च, 2003 तक भारत सरकार की जो गाइड लाइंस है उन गाइड लाइंस में पैसा जितना कटने की सम्भावना होती है उसको नहीं कटने देंगे और पैसे के उपयोग करने की हमने व्यवस्था कर दी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, मार्च तो परसों लग गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है कि आप मार्च तक क्या कर देंगे, जो फिगर आपने दिये हैं वो हर साल के दिये हैं आपने 1998-99 में 21 करोड़ रुपये का बैलेंस रह गया, 1999-2000 में 54 करोड़ रुपये का बैलेंस रह गया, 2000-2001 में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

78 करोड़ रुपये का बैलेंस रह गया, 2001-2002 में 62 करोड़ रुपये का बैलेंस रह गया। यह हर साल का बैलेंस जुड़ते-जुड़ते आ करके यह जो 113 करोड़ रुपये यह आपके ही फिगर से बोल रहा हूं मैं।

डा. सी. पी. जोशी : यह हर साल का नहीं है, प्रतिवर्ष का अलग-अलग है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां-हां।

डा. सी. पी. जोशी : आप कुमुलेटिव कर रहे हैं, कुमुलेटिव नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो आपका बैलेंस बचा उसको आपने इधर साइड में लिखा ओपनिंग बैलेंस, पुराना बचा हुआ जो 21 करोड़ रुपये है वो फिर आकर 1999 में इधर जुड़ा, फिर आपके पास 2000 में जुड़ा वो 54 करोड़ इधर जुड़ा, फिर उसके बाद 78 करोड़ इधर जुड़ा यह सारा मिला करके जो बैलेंस आपका आज की तारीख में बचा है वो 113 करोड़ रुपये है। यह जो आपका कहना है कि हम मार्च में कर देंगे, तो आप जब पिछले चार सालों में नहीं कर सके और करोड़ों रुपये, 54 करोड़, 62 करोड़, 76 करोड़, 21 करोड़ रुपये का बैलेंस केवल आपके ए.आर.डब्ल्यू.पी. सामान्य में है, यह तो एक है। इसी तरह से ए.आर.डब्ल्यू.पी. मरुस्थल में इसी प्रकार से हर साल का आपका बैलेंस इन्होंने बताया। इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामोदय में जो 14 करोड़ बचा है वो हर साल बैलेंस इन्होंने बताया है, तो ये जो आपके पास करोड़ों रुपये जो बचे हुए हर साल रह रहे हैं, इस साल नहीं रह रहे हैं हर साल रह रहे हैं, यह क्यों रह रहे हैं? क्या समस्या आयी कि पैसा उपलब्ध होते हुए भी आपने राजस्थान की जनता के लिए उसको खर्च नहीं किया? यह बताएं।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय कटारिया साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 1992 से लगा कर अभी तक...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप छोड़ो न। आप अभी का बताओ न।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, आपको बात तो पूरी सुननी पड़ेगी। छोड़ो का क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, 1992 कहां से बीच में आ गया हम तो इन चार सालों की कह रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : (व्यवधान) बात को समझनी पड़ेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप मन में आये जो बोल दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड, आपके विषय को मैं सोचता हूं जो तथ्य आपने दिये...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसे तो क्वेश्चन आवर नहीं चल सकता। नहीं, मैं नहीं चलने दूंगा ऐसे। आप बोलने ही नहीं देना चाहते उनको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ये बोलने के लिए कोई लाएं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मिसगाइड कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अगला प्रश्न पूछ लूंगा। आप उनको कहें, सुनें। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा मैं नहीं अलाउ करूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : हम भी नहीं चलने देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : (व्यवधान) हाउस नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) इस तरह बात करते हैं। नहीं, उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, पीने के पानी के लिए पैसा पड़ा हुआ है राजस्थान सरकार खर्च नहीं कर रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर ये उत्तर क्यों नहीं देते? पाइंटेड सवाल का ये उत्तर क्यों नहीं देते हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप सुनना ही नहीं चाहते। बैठिए न आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। जवाब तो सुन लें। बैठिए।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। आप बैठिए प्लीज।

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठिए।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंहजी, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह जरूरी नहीं है कि मंत्रीजी बोलें उस पर आप सैटिसफाई हों। This is not the question. आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अरुण सिंह : ×××

श्री रोहिताश्व कुमार : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. सी. पी. जोशी : आप उत्तर तो पूरा सुनिए, उत्तर तो सुनते नहीं, अपनी बात बोलकर हल्ला करवाते हो।

श्री उपाध्यक्ष : यह एक मिनट नहीं बोलते उससे पहले तो यह खड़े हो जाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : How are you concerned?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपने सवाल पूछा उनका जवाब नहीं सुनोगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आई विल नाट अलाउ।

(अध्यक्षपीठ के द्वारा संकेत से अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री केसाराम चौधरी : ×××

डा. सी. पी. जोशी : हां, दूंगा अब, आप बैठिए।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने प्रश्न पूछ लिया वह चाहे 1992 से शुरू करें या 1998 से शुरू करें यह आपका लुक आउट है। आप उनको सुनिए।

श्री सांवर लाल : ×××

डा. सी. पी. जोशी : आप बैठिए, मैं दे रहा हूं, आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री केसाराम चौधरी : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय केसाराम जी, आप बैठिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर बिराजिए। आप बैठिए। खतम करो इसको, अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

अनेक माननीय सदस्य (प्रतिपक्ष) : नो नो।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लालजी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में आकर नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लालजी, श्री हरजीरामजी।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते। आप इनका जवाब नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं क्या करूं, सुनते ही नहीं आप सब खड़े हो गये, आप बैठो। बिराजिए, बिराजिए। मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बिराजो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए तो सही। एक मिनट आप बिराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप बिराजिए प्लीज। आप बिराजिए। नहीं, पहले आप बिराजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। आप पहले मेरी सुन लीजिए। आप बिराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। माननीय सदस्य आपका आ गया।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या फायदा है इससे, आप हाउस में बैठे हो?

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे यह निवेदन फिर कर रहा हूं अगर

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

इस क्वेश्चन आवर को चलाना है, तो इसके तरीके से चलाना पड़ेगा। आपने प्रश्न पूछ लिया... (व्यवधान) आप बैठिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने प्रश्न पूछ लिया, उनका जवाब आप सुनना चाहते नहीं आप बीच बीच में खड़े हो जाते हो। (व्यवधान) आप बैठिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोल लेना।

डा. सी. पी. जोशी : आप सुनना ही नहीं चाहते, आप सुनिए तो सही पहले।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. सी. पी. जोशी : आप सुनिए तो सही पहले, बाद में बात करिए, सुनना चाहते नहीं और गुस्सा कर रहे हैं। सुनना तो पड़ेगा आपको, आप सुनिए पहले।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. सी. पी. जोशी : आप सुनना ही नहीं चाहते और गुस्सा कर रहे हैं, आप बात तो सुनो पहले फिर गुस्सा करना।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि एवं न्याय मंत्री) : आप विपक्ष के नेता हैं धैर्य से सुनिए तो सही। इनको मौका दीजिए, सुनिए उसके बाद में अगर कोई बात रह जाए, तो पूछ लीजिए। आप जवाब सुनिए तो सही।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाहते हैं आप?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, तो वह बता दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अभी 12 बज जायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : xxx

डा. सी. पी. जोशी : आप सुनो तो सही फिर कहना रेलेवेंट है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : xxx

डा. सी. पी. जोशी : आपने सुना क्या उत्तर? आपने सुना ही नहीं और कह रहे हैं रेलेवेंट। आपने उत्तर सुना ही नहीं और रेलेवेंट का फैसला कर रहे हो। उत्तर सुनने के बाद फैसला करना।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने सीनियर मैम्बर हैं You cannot put your words into his mouth. आप उनका जवाब तो सुनिए फिर पूछ लेना आप। ऐसा थोड़े ही होता है (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): यह आपके जमाने की कुछ बातें बताना चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बैठिए। आप बैठिए, मैं उसी को कर रहा हूं। आप बिराजिए, माननीय सदस्य। आप बिराजिए, प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान) मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप मंत्री महोदय का जवाब सुनना चाह रहे हैं, तो मैं जवाब दिला रहा हूं। (व्यवधान) प्लीज, आप सुनिए पहले। वह कहां से शुरू करें, कहां अन्त करें इट इज नोट योअर लुक आउट। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं हो सकता, आपको सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आपको सुनना पड़ेगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

डा. सी. पी. जोशी : आप बात तो सुन लें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : xxx

श्री रोहिताश्व कुमार : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

डा. सी. पी. जोशी : आप बात तो सुनिए, अपनी कहने लग जाते हैं। (व्यवधान)

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : एक मिनट बात तो सुन लीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो ही मत। (व्यवधान) लैट दैम सिट डाउन।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

डा. सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता ने कहा मैं उन्हीं आंकड़ों पर जा रहा हूं, हमने आपको लिख कर दिया है 1998-99 में 21 करोड़ 42 लाख का बैलेंस है, आप फिगर चैक कर लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौनसी योजना में? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप बात तो सुनें, बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी। प्लीज, बहुत हो गया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं बताऊं...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, ए.आर.डब्ल्यू.पी. में हमने आपको जवाब में दिया है 1998-99 में 21 करोड़ 42 लाख का बैलेंस है, 1999-2000 में 54.93 करोड़ का बैलेंस, 2000-2001 में 78.95 करोड़ का बैलेंस, 2001-2002 में 62.15 करोड़ का बैलेंस, यह फिगर दे रहा हूं मैं। यह तो हमने कहीं छिपाया ही नहीं, हम खुद कह रहे हैं। मैंने इसलिए आपको बताया कि जो भारत सरकार का पैसा आता है वह कभी फरवरी में, कभी मार्च में आता है, उस पैसे के हिसाब से जो पैसा हमारे पास उपलब्ध है उस समय बैलेंस रहता है। यह बैलेंस कोई नया फिनोमिनन नहीं है। यह फिगर 1998 से दिया है, आप पास्ट में जाएंगे, तो भी यह फिगर है कि बैलेंस रहता है।

भारत सरकार का नियम यह है कि पहले 25 प्रतिशत था, फिर उन्होंने 20 प्रतिशत किया, ओपनिंग बैलेंस का यदि 15 प्रतिशत से ज्यादा पैसा खर्च होता है वह पैसा काटते हैं, यह भारत सरकार का नियम है। ए.आर.डब्ल्यू.पी. नार्मल में 50 प्रतिशत पैसा भारत सरकार देती हैं, 50 प्रतिशत राजस्थान सरकार खर्च करती है। जितना पैसा इन्होंने दिया उस पैसे का 50 प्रतिशत हम खर्च करते हैं। इसका मतलब जो फिगर हमारे पास उपलब्ध है उस फिगर में यदि हम जोड़ लें-1999 का 121 करोड़, 1999-2000

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. सी. पी. जोशी)

में 140 करोड़ रुपये, 2000-2001 में 218 करोड़ रुपये, 2001 में 228 करोड़ रुपये, यह पैसा आया है, इसका 50 प्रतिशत पैसा राजस्थान सरकार ने भी इस पर खर्च किया है। इस साल जो पैसा उपलब्ध है, हमने बताया कि 62 करोड़ रुपये हमारे पास बैलेंस है, तो यह बैलेंस कोई नया फिनोमिनन नहीं है कि हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब बैलेंस उपयोग करने में दिसम्बर तक का फिगर दिया है कि दिसम्बर तक 113 करोड़ रुपये बचे हुए हैं, यह फिगर हमने कम्पाइल किया, आज फरवरी का महीना चल रहा है, कम्पाइल करने में, सूचना में टाइम लगता है, इसलिए हमने इस फिगर को दिसम्बर को बेस बनाया है कि दिसम्बर तक हमारे पास 113 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। उसके बाद हमने जनवरी, फरवरी में भी आर्डर निकाले, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन निकाली है। उसकी हमारे पास सूचना भी उपलब्ध नहीं है, उस सब आंकड़े के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि 113 करोड़ रुपये जो ए.आर.डब्ल्यू.पी. में उपलब्ध हैं, या ए.आर.डब्ल्यू.पी. मरूस्थल में 14.42 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, इस पैसे का मार्च तक उपयोग कर लेंगे। चार तारीख को डिबेट है, मैं और फरवरी तक का फिगर आपको दे दूंगा। जो 15 प्रतिशत सीलिंग है उसके अन्तर्गत, यह बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए हम यह...(व्यवधान) मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैंने कहा आपको कि ए.आर.डब्ल्यू.पी. का पैसा...(व्यवधान) बात तो पूरी सुनेंगे पहले।

एक माननीय सदस्य : आप मार्च-मार्च कहते हैं इसलिए नहीं आई, आप 31 मार्च तक कह दीजिए। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : यह सच्ची बात सुन नहीं सकते। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं, हम आज के दिन पीने के पानी की व्यवस्था क्या करेंगे, पानी उपलब्ध होगा उससे करेंगे। या तो हम ट्यूबवैल खुदवा दें या हैण्ड पम्प खुदवा दें या पानी उपलब्ध है उसको ट्रांसपोर्ट करा दें, इसमें पैसा खर्च होगा। या जो हमारी स्कीम्स हैं, जो बड़ी स्कीम्स बनी हुई हैं उस स्कीम में पैसा, जो हमारा काम है, उसमें खर्च हो। हमने पूरी व्यवस्था की है कि पीने के पानी के सम्बन्ध में कंटिंजेंसी प्लान बनाये, हैण्ड पम्प खोदने के लिए पैसे की स्वीकृति दी, 59 करोड़ रुपये की हमने पहले कंटिंजेंसी प्लान मार्च, 2003 तक खर्च करने की व्यवस्था की, हमने पानी की व्यवस्था की और जो पैसा उपलब्ध है, पूरी व्यवस्था करके हम पूरे पैसे का

(डा. सी. पी. जोशी)

उपयोग करेंगे, भारत सरकार के पैसे को हम कटने नहीं देंगे। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहां कट रहा है, क्या हल्ला होगा, किस बात की बात है। खाली यह हल्ला खड़ा करना कि भारत सरकार का पैसा उपलब्ध है हम कुछ नहीं कर रहे, यह हल्ला करने की अलग बात है बाकी भारत सरकार ने पैसा दिया, पैसा हमारे पास है, पैसे का पूरा उपयोग करेंगे, राजस्थान में पीने के पानी की पूरी व्यवस्था करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक मिनट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : संयम लोढ़ा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : संयम लोढ़ा।

श्री सांवर लाल : यह परम्परा नहीं है। (व्यवधान) हम भी तो इस सदन में जीत कर आए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारा पाइंटेड सवाल है। (व्यवधान) आज की तारीख में विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं का कितना पैसा बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको उनको पूछने का अधिकार है क्या? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : प्रतिपक्ष के नेता खड़े हुए हैं, पहले इनको बोलने दो (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा : आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं, इनको बिठाओ। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपकी पालना कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय संयमजी, आप रुक जाओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि यह विवाद का विषय है ही नहीं। आप इसको जबरदस्ती विवाद का विषय बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी तरह से चलकर।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं प्रार्थना यह कर रहा हूं कि जो आंकड़े आपके पास उपलब्ध हैं, क्या 1998-99 में यह जो 113 करोड़ रुपये आप बैलेंस बता रहे हैं पुराना, इसका केवल एक करोड़ 86 लाख रुपये बैलेंस 1998-99 में था, जब हमने अक्टूबर-नवम्बर में सरकार छोड़ी थी। उसके बाद मार्च तक का कार्यकाल आपका था। यह जो 21 करोड़ की आप बात कह रहे हैं यह उसके बाद का फिगर है। उस समय का बैलेंस 1 करोड़ 86 लाख पुरानी सरकार का बैलेंस था इस पेटे में, ए.आर.डब्ल्यू.पी. सामान्य में, आपका हर साल। यह बैलेंस...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दे रखा है ना इन्होंने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दे रखा है इसीलिए तो, हर साल मार्च आता है, मार्च, 2003 कोई बहुत सुन्दरता लेकर नहीं आया, हर साल मार्च आता है, हर साल हमारा बैलेंस बढ़ता चला आ रहा है, 54 से 78, 78 करोड़ से इतना करोड़ और इतने करोड़ से इतने करोड़...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कह रहे न... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सरकार इसके बारे में जितनी संवदेनशील होनी चाहिए, जितनी चिंता करनी चाहिए, यह आपके फिगर हैं जो आपने बताएं, बैलेंस तो 1 करोड़ 86 लाख ही है। 113 में पुरानी गवर्नमेंट का तो 1 करोड़ 86 लाख ही बैलेंस था? यह तो आपकी सरकार आने के बाद 21 करोड़ रुपये हुआ। यह निरन्तर बैलेंस बढ़ता-बढ़ता...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई विवाद का विषय नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 113 करोड़ रुपये पहुंचा, आपके पास पैसा उपलब्ध होते हुए भी आप जनता की आवश्यकता की पूर्ति क्यों नहीं कर पाए, यह पूछना चाहता हूं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय संयम लोढ़ा।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय कटारियाजी...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मेरा साथ ही दे देना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो यह बता दीजिए कि पैसा कुल कितना बाकी है?

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता को निर्धारित मानदण्ड के आधार पर भारत सरकार से इस साल कितना धन प्राप्त होना था, उसके विपरीत कितना धन प्राप्त हुआ और कितने करोड़ रुपये की भारत सरकार के द्वारा इस साल में कटौती की गई? दूसरा, 1990 से लेकर 1998 तक कितनी बैलेंस राशि हर साल

(श्री संयम लोढ़ा)

में रही उसकी मैं जानकारी आपके माध्यम से चाहता हूं? तीसरा, पिछले साल की तुलना में इस साल पेयजल संकट ज्यादा गहरा है, ज्यादा कठिनाई है, इसके बावजूद सरकार ने जो कंटिंजेंसी प्लान बनाया है उस पर पांच हजार लाख रुपये की राशि का पिछले साल की तुलना में कम प्रावधान रखा, इसका क्या कारण है?

डा. सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने जो बात कही है मैं उसी से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने बैलेंस 1992 का कहा था आप सुनना नहीं चाहते, आपने 1998 का फिगर पकड़ लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि इफ पास्टिंग, मैं यह नहीं कहना चाहता, यह बात सही है यह फिगर 1998 का 186 करोड़ है, आप पीछे जाएंगे तो पीछे बहुज ज्यादा आएगा। इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैंने पूछा है आपसे, आप बताइये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : बात तो सुनिए। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : कितना रुपया खर्च हुआ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले कितना बाकी था? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) **:** यह तो हमेशा से बाकी रहता है, यह कोई बात थोड़े है कि केवल आपके टाइम में रहा है, जो भी पैसा बकाया है वह बताइये। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : हमने सारी योजनाओं का एक-एक रुपया खर्च किया है। साढ़े बारह हजार करोड़ रुपया राजस्थान के विकास पर खर्च कर दिया और बात करते हो...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष, एक मिनट...(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : आपकी तरह से नहीं है कि 10,000 करोड़ रुपया योजना नहीं बनाने के अभाव में लैप्स हो गया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप बैठिए।

श्री रोहिताश्व कुमार : योजना का आकार घटा दिया आपने, साढ़े सत्ताइस हजार करोड़ रुपया...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : कल बोल लेना।

श्री रोहिताश्व कुमार : यह +++ सरकार है

डा. सी. पी. जोशी : कल बोल लेना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सीनियर मैम्बर हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. सी.पी. जोशी)

डा. सी. पी. जोशी : कल बोल लेना, गवर्नर स्पीच में। मैं विपक्ष के नेता से निवेदन करना चाहता हूं यह बात सही है हम इसके फिगर में वेरिएशन में नहीं जाएं। चाहे 1.86 में जाएं, चाहे अभी 62 करोड़ में जाएं। यह इश्यू नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फ्लो फण्ड का परसेंटेज निकालें हम। जितना फ्लो फण्ड पिछले समय में बढ़ता जा रहा है, भारत सरकार का जो पैसा है, ए.आर.डब्ल्यू.पी.एफ.में यदि अमाउंट हम देखें तो अमाउंट बढ़ता जा रहा है। उसके कोरेस्पोडिंग जो एब्सोल्यूट फिगर है वह बढ़ता जा रहा है। परसेंटेज निकाले आप तो परसेंटेज में बी.जे.पी. के और कांग्रेस के फिगर्स में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। जितने परसेंटेज पर आपका बैलेंस था, कितने परसेंटेज पर हमारा बेलेन्स था वह एब्सोल्यूट फिगर में है। पर मैं इस इश्यू में नहीं जाना चाहता हूं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) आप मेरी एक बात सुन लें। इसलिये यह डिबेट ही नहीं कर रहा हूं मैं। आज दिन तक किसी की भी सरकार रही हो अमाउंट बैलेंस नहीं रहा, ऐसा कोई ईयर ही नहीं है और फिर फिगर में आएंगे, बात आ जाएगी। एवरी ईयर जो फ्लो फण्ड है–भारत सरकार कभी जनवरी में, कभी फरवरी में, कभी मार्च में देती है। यदि भारत सरकार ने पैसा मार्च में दिया तो उस पैसे को हम कैसे उपयोग में लेंगे, वह पैसा काट कर देगी। यदि आप इस फिगर में जाएं तो पहले यह भी करैक्ट कर लें अपने आपको...(व्यवधान) कि भारत सरकार ने पैसा नवम्बर में दिया है कि दिसम्बर में दिया है कि फरवरी में दिया है या मार्च में दिया है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए। आप बैठिए।

डा. सी. पी. जोशी : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं, आपकी चिन्ता...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : हमें आंकड़े नहीं सुनना है, हमें तो सुनना है कि पानी की क्या व्यवस्था करेंगे आप।

डा. सी. पी. जोशी : बात तो सुनें, बैठ जाइये न। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी चिन्ता से मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के पास जितना पैसा आता है उस पैसे का पूरा-पूरा उपयोग राजस्थान सरकार को करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और आप असफल रहे हैं, यह भी कह दो। (व्यवधान) आप असफल रहे हैं, यह भी कह दो आप।

डा. सी. पी. जोशी : बैठिए, आप राजेन्द्रजी, बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने पैसे का व्यय कम किया, यह भी कह दो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : हम असफल नहीं रहे, आप सुनिये न। (व्यवधान) आप सुनने का धैर्य रखें। (व्यवधान) न हम असफल हुए, हमने आपको दिसम्बर का...सफलता और असफलता का मापदण्ड करना मार्च, 2003 में, 1 मार्च, 2003 में... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आंकड़े कह रहे हैं...(व्यवधान) यह आंकड़े कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मार्च, 2002 में क्या हुआ, मार्च, 2001 में क्या हुआ? (व्यवधान) मार्च, 2001 में क्या हुआ? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : हां, बता रहा हूं न आपको। (व्यवधान) आप सुनिए तो सही, 2002 में यह हुआ कि पैसा फरवरी में आया। पैसा फरवरी में आया तो खर्च कैसे करें। जब आधी बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा।

श्री अमराराम (धोद) : जोशीजी, यह तो दिसम्बर में आ गया, 113 करोड़ दिसम्बर में आया...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अभी तो आंकड़ों की बात नहीं, आप तो पानी का क्या हुआ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अमरारामजी, नहीं आया है। आप समझ ही नहीं रहे हो इस बात को...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, 113 करोड़ रुपये जो आप बता रहे हो, दिसम्बर में नहीं हैं क्या, यह मार्च में आएगा क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करो इसको।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप तो पानी की क्या व्यवस्था कर रहे हो, वह बता दें आप तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की बात मंत्री महोदय कर रहे हैं यह तो...(व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पानी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 113 करोड़ रुपये कब आए? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठें, बैठें, आप बैठें।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम वित्त की पूरी व्यवस्था करेंगे, चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री भंवरलाल शर्मा। (व्यवधान) श्री भंवरलाल शर्मा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पानी की यह व्यवस्था...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री भंवरलाल शर्मा। आप बिराजिए।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे पैसे जोड़ें तो साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में इनके पास उपलब्ध हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। आपको और अवसर मिलेगा, और अवसर मिलेगा, आप बोल लेना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और इसका यूज नहीं कर पाए।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज का अवसर सबसे उपयुक्त है। यह पीने के पानी का संकट है। (व्यवधान) 133 करोड़ की न्यूनतम कार्यक्रम योजना में 70 करोड़ का घोटाला हुआ है।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री भंवरलाल शर्मा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, ये वाक आउट करेंगे, यह बाहर जाएंगे। (व्यवधान)

उपभोक्ता संघ द्वारा वसूल विक्रय कर की अदायगी

38. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ की दुकानों पर अधिकतम विक्रय मूल्य पर बिक्री कर वसूला जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उपभोक्ता संघ दवाइयों के थोक मूल्य पर बिक्री कर देता है? यदि हां, तो अधिकतम विक्रय मूल्य पर वसूले जाने वाला बिक्री कर क्या वाणिज्य कर विभाग में जमा करवाया जाता है? यदि नहीं, तो उक्त अनियमितता के लिये कौन कौन जिम्मेदार है एवं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री परसादी लाल) : (1)जी हां। केवल विशिष्ट श्रेणी की दवाओं और पेंशन कार्ड को छोड़कर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने पूछा ही नहीं अभी तक। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये सवाल कहां पूछ रहे हैं? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : (2) यह सही है कि उपभोक्ता संघ द्वारा थोक मूल्य पर 8 प्रतिशत आर.एस.टी. एवं आर.एस.टी.

(श्री परसादी लाल)

पर 15 प्रतिशत सरचार्ज कुल 9.2 प्रतिशत टैक्स दिया जाता है एवं आर.पी. पर 7 प्रतिशत टैक्स की गणना की जाती है जो थोक मूल्य पर चुकाये गये कर के बराबर अथवा कम रहता है। अत: वाणिज्य कर विभाग को अतिरिक्त कर जमा कराने एवं सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, ये बाहर जाएंगे। इनको बहाना मिल गया। ये बाहर जाएंगे। ये +++ हो गये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पानी से सम्बन्धित बात पूछ रही हूं। (व्यवधान) पानी से सम्बन्धित बात है। उसके विषय में बोलने के लिये कृपया मुझे समय दें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : कमलाजी, पानी के ऊपर बोलने के लिये टाइम दिया जाएगा। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, ये वाक आउट करेंगे। ये बाहर जाएंगे। हमको मालूम हो गया है, पहले ही मालूम था। इनको बहाना मिल गया है, ये बाहर जाएंगे। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री अरुणसिंह व श्री नन्दलाल बंशीवाल द्वारा सदन कूप में धरना)

श्रीमती कमला बृजलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : कायदे से आइये न आप। माननीय सदस्य, 3 तारीख और 4 तारीख को चर्चा है, आप 3 तारीख को बोलना न। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, लोग प्यासे मर रहे हैं, लोग फ्लोराइड का पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं, चर्चा से अर्थ क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी डिबेट है, फिर पूरी ग्राण्ट पड़ी है। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री अमराराम (धोद) द्वारा सदन-कूप में आगमन)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बाहर जाने का शौक है, ये बाहर जाएंगे। (व्यवधान) इनकी आदत यह पड़ी हुई है कि जब भी कोई इनका काम होता है तो बाहर जाते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के बिजनस में कई महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाबों में सरकार को लाखों रुपये खर्च करने पड़े हैं। अगर ये संतुष्ट नहीं हैं तो फिर कभी भी चर्चा करवा सकते हैं। आधे घंटे की चर्चा मांग सकते हैं। अगर ये संतुष्ट नहीं हैं मंत्रीजी के जवाब से। यह तरीका कोई ठीक नहीं है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी एवं सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : मतलब नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है, यह कोई जरूरी नहीं है कि आप इनके जवाब से संतुष्ट हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि...(व्यवधान) इस विषय की गम्भीरता ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम नहीं सुनेंगे, बिलकुल नहीं सुनेंगे, पहले यह सीट पर जाएं। (व्यवधान) सरकार... (व्यवधान) थोड़े ही पड़ेगी यहां पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खतम हो जाएगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : फिर आपने यह क्या बना रखा है। फिर प्रश्न के उत्तर को सुनें और फिर...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय की गम्भीरता को...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हम नहीं सुनेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इनका कोई तरीका नहीं है। हम नहीं सुनेंगे, बिलकुल नहीं सुनेंगे, यह कोई तरीका थोड़े ही है, हाउस को डिस्टर्ब कर अपनी बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय, आप ऐसे बोलेंगे, तो मैं नहीं बोलने दूंगा। आप यह चाहो कि ये यहां पर बैठे रहे और आप बोलना चाहो तो मैं नहीं बोलने दूंगा। आपको मालूम है, मैंने पहले भी विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन किया था कि इस तरह से हाउस में मैं नहीं बोलने दूंगा। आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप बोलना चाहते हैं, तो आप हाउस को आर्डर में लाइये, वरना मैं आपको नहीं बोलने दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ठीक है, मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है। अपने को बोलने का कोई शौक नहीं है। अपन बोलना ही नहीं है। अपन को नहीं बोलेंगे, अपने क्या है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आप बैठिए, बैठिए वहां, आपका अधिकार है। आपका अधिकार है बोलने का। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विपक्ष के लोगों के पास बोलने का मुद्दा नहीं है और यहां आकर बैठ गये, गुलाब चन्दजी कटारिया साहब के लोग कंट्रोल में नहीं हैं तो फिर कहां के नेता हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वहां जाकर बोलिए। क्या करें, क्या करें? जवाब तो दिया इन्होंने (व्यवधान) यह पैसा पड़ा है, कह दिया न उन्होंने पड़ा है, मना थोड़े ही किया है। बोले जाओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राजस्थान रो रहा है। पैसा पड़ा है दुनियाभर का। केन्द्र पैसा नहीं देता, पैसा नहीं देता, पैसा दिया उसका तो उपयोग होता नहीं है। पांच-पांच साल से पड़ा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या करें उसका? कह दिया न उन्होंने, उन्होंने कहा है न पड़ा है। उन्होंने कह दिया पड़ा है, मना किया क्या उन्होंने? कह दिया, उन्होंने कहा पड़ा है पैसा और क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बस पूरा समय करना है, समय सीमा खतम हो जाएगी फिर। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस में महत्वपूर्ण समय को इस तरह से जाया कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं, यह प्रतिपक्ष के सदस्य उस बात को रखने नहीं देते यहां पर। हमारे जनता के महत्वपूर्ण सवाल हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : अनुसूचित जाति के लोगों पर इनके शासनकाल में... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पचास-पचास किलोमीटर पाइप लाइन हमारे...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दूसरे माननीय सदस्यों के बहुत महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं और प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, वे हाउस को चलने नहीं देना चाहते हैं। यह पेयजल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी सुनने नहीं देते हैं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने यह सब... (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : यह महत्वपूर्ण सवाल है और हमारे महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं, इस हाउस में हम भी अपनी बात कहने के लिए यहां आते हैं और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हाउस को चलने नहीं देना चाहते हैं। यह सुनना ही नहीं चाहते हैं। सुनने ही नहीं देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : वहां पर पाइप लगाकर इन्होंने...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : यह पेयजल जैसी महत्वपूर्ण बात को भी सुनने नहीं देना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर, दूसरे माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं, आज के...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : प्रचार-प्रसार के यह...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : और यह प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी जारी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : पानी की सप्लाई की इन्होंने और... (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं और यह प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। पेयजल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह बात सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपकी हांडी तो कल हिमाचल में फूटेगी। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : और हिमाचल में आपके +++ फूटेगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : कल मालूम पड़ जाएगा आपको। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पेयजल के लिए भी... (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : फिर +++ करते फिरना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस के अन्दर हमारे महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं और यह हमारी बात को सुनना नहीं चाहते हैं और हाउस का कीमती समय इस तरह से जाया कर रहे हैं। (व्यवधान) जो सवाल लगे हुए हैं उनको सुनने नहीं देते।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं राजस्थान की गहलोत सरकार ने पानी के लिए टैंकरों की व्यवस्था की है। जानवरों के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था की है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप भी इनके साथ जा रहे हैं। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति/ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री संयम लोढ़ा : अमरारामजी, आप इन...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : चाहे माही डैम हो, चाहे अपनी अन्य महत्वपूर्ण योजना बनाकर पेयजल के लिए लाइन बिछाई गई है और आने वाली ग्रीष्म ऋतु के अन्दर भी महत्वपूर्ण योजनाएं हाथ में ली गई हैं और राजस्थान की गहलोत सरकार इन योजनाओं को पूर्ण करके काम कर रही है। जो फ्लोराइड युक्त क्षेत्र हैं उनको फ्लोराइड मुक्त गांव कराये गये हैं। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी माननीय सदस्यगण अपने अपने गांवों की समस्याएं लेकर आते हैं, अपने-अपने क्षेत्र की बात करने के लिए यहां पर आते हैं और यह प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण बात को सुनना नहीं चाहते हैं। पेयजल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी यह सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : इतनी पानी की किल्लत दूर कर दी है। यह राजस्थान की गहलोत सरकार की महत्वपूर्ण नीति है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की गहलोत सरकार ने डेढ़ किलोमीटर के अन्दर जहां पानी नहीं पहुंच सकता है वहां पानी टैंकरों के माध्यम से पहुंचाया है।

श्री संजीव कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं माननीय अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं और आप यह बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : पशुधन के लिए खेलियों के अन्दर भी...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय मंत्री महोदय यहां पर जवाब दे रहे हैं प्रश्न का लेकिन यह सुनने नहीं देते और कीमती समय इस तरह से हाउस का जाया कर रहे हैं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना जारी)

(भारी व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : पानी और अकाल पर बहस कर रहे हैं, दो रोज इतनी बड़ी बहस करा रहे हैं, फिर क्या बात हुई? पैसा पड़ा है, वह भी कह रहे हैं कि पैसा पड़ा है। मना किया क्या उन्होंने? पैसा पड़ा है। वह खर्च नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब क्या करें?

प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा नगर के विवेकानन्द सर्कल का सौन्दर्यकरण हेतु अवाप्त भूमि

52. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा नगर के विवेकानन्द सर्कल (बृज टाकिज चौराहा, नयापुरा) के सौन्दर्यकरण हेतु श्री चांदमल जैन की कितनी भूमि अवाप्त की गई है और अवाप्त भूमि की बाजार दर क्या है?

(2) क्या उक्त अवाप्त की गई भूमि के बदले किसी अन्य योजना में या सरकार द्वारा कोटा नगर में ही अन्य स्थान पर भूमि के बदले भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कहां पर तथा कितनी-कितनी भूमि आबंटित की गई और उसकी वर्तमान बाजार दर क्या है?

(3) क्या कोटा नगर में सरकार द्वारा उक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं की भूमि अवाप्त कर उनको भी भूमि के बदले भूमि दी गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गई? व्यक्ति/संस्थावार मय वर्तमान बाजार दर के विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) न्यास द्वारा विवेकानन्द चौराह, नयापुरा के सौन्दर्यकरण के समय सड़क चौड़ी करने हेतु श्री चांदमल पुत्र श्री गणेशी लाल की भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त नहीं की गई थी, परन्तु आपसी समझौते से श्री चांदमल की 189.87 वर्गफुट भूमि ली गई है। उक्त ली गई भूमि की बाजार दर उप पंजीयक एवं मुद्रांक कोटा के अनुसार रुपये 1210/- प्रति वर्गफुट है।

(2) प्रार्थी को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.7.2002 के अनुसार ली गई भूमि के बदले समतुल्य की भूमि अर्थात् 283 वर्गफुट भूमि भू खण्ड संख्या 311 एवं 312 बालाजी मार्केट योजना में दी गई है, जिसका क्षेत्रफल 290.52 वर्गफुट है। दी गई भूमि के समय न्यास की बाजार दर निर्धारित नहीं होने के कारण उप पंजीयक द्वारा निर्धारित दर रुपये 800/-प्रति वर्गफुट थी।

(3) जी नहीं।

जयपुर नगर निगम के कर्मचारियों हेतु भू-खण्ड आबंटन

53. श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा निगम आदि के कर्मचारियों को देय बोनस एवं एक्सग्रेसिया भुगतान पर गत 4 वर्ष से अघोषित रूप से रोक लगाई गई है?

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

यदि हां, तो किस सीमा तक व किन नियमों के तहत?

(2) क्या सरकार ऐसा निर्देश/आदेश पारित करके उनमें से आवासन मण्डल व जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मियों के लिए बोनस/एक्सग्रेसिया भुगतान हेतु निर्णय लिया गया जबकि जयपुर नगर निगम को इससे अलग रखा गया?

(3) क्या सरकार भविष्य में जयपुर नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी बोनस/एक्सग्रेसिया भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम के कुछ कर्मचारियों को गोलीमार गार्डन (आमेर) में मकान आबंटित किये जा चुके हैं? यदि हां, तो शेष बचे नगर निगम कर्मचारियों को सरकार का सीवरेज फार्म सोडाला में मकान आबंटित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि सीवरेज फार्म की भूमि नगर निगम कर्मचारियों के लिए आरक्षित है? क्या राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव भी विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त पर हुई अब तक की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा बोनस स्वीकृति के सम्बन्ध में वर्ष 1997-98 के लिए देय तदर्थ बोनस के आदेशों के उपरान्त बोनस के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(2) राज्य सरकार के स्तर से बोनस भुगतान के आदेश वर्ष 1997-98 में देय बोनस के अतिरिक्त प्रसारित नहीं किये गये हैं, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यकारी समिति बोनस/एक्सग्रेसिया के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु अधिकृत है। नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन, भत्ते तथा बोनस राज्य सेवा के कर्मचारियों के समान यथा संशोधन प्रभावशील है।

(3) नगर निगम/नगर परिषद्/पालिका के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति ही बोनस/एक्सग्रेसिया भुगतान किये जाने के आदेश पूर्व में ही प्रसारित है। (प्रति संलग्न है)

(4) गोलीमार गार्डन योजना (आमेर) में मकान आबंटित किये जा चुके हैं। शेष रहे कर्मचारियों को सीवरेज फार्म सोडाला में भू-खण्ड आबंटन हेतु प्रकरण नगर निगम के विचाराधीन हैं।

(5) जी नहीं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

शिवराम कालोनी, जगतपुरा, जयपुर में आवश्यक सुविधाएं

54. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शिवराम कालोनी, जगतपुरा, जयपुर में स्कीम नं. 9 लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा पट्टे जारी किये गये थे? क्या उक्त कालोनी में जयपुर विकास प्राधिकरण जोन–2 द्वारा कैम्प लगाकर दिनांक 8.3.2002 को नियमित करके पट्टे जारी किये गये थे?

(2) क्या उक्त कालोनी में उक्त दिनांक को नियमन करते समय मानदण्ड के अनुसार सुविधा क्षेत्र छोड़ा गया? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त छोड़े गये सुविधा क्षेत्र में उक्त कालोनी के निवासियों को क्या सरकार कोई सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कालोनी में नियमन के उपरान्त भी पक्की सड़कें, नालियां सामुदायिक केन्द्र, पार्क आदि की सुविधा अब तक नहीं बनाई गई है? यदि हां, तो क्यों और अब उक्त कार्य कब तक करा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 8.3.2002 को लक्ष्मी नगर योजना शिवराम कालोनी का कैम्प आयोजित कर पट्टे जारी किये गये थे।

(2) इस योजना में 58.8 प्रतिशत निर्मित भू–खण्ड होने के कारण मानदण्डानुसार 3465.69 वर्गगज सुविधा क्षेत्र एवं 16772.92 वर्गगज सड़क क्षेत्र छोड़ा गया है।

(3) इस योजना के नियमन के समय भू–खण्ड सं. 104, 105, 111 से 114 एवं 143 से 144 को भी सुविधा क्षेत्र में सम्मिलित किया गया एवं 672.92 वर्गगज पार्क को भी सुविधा क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। सुविधा क्षेत्र में लिये गए उपरोक्त भू–खण्डों में से कुछ भू–खण्डों पर मौके पर भू–खण्डधारियों की चारदीवारी एवं मकान निर्मित है। सुविधा क्षेत्र में सम्मिलित किये गये भू–खण्ड सं. 104, 105, 111 से 114 तक के भू–खण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने हेतु शिवराम कालोनी विकास समिति एवं भू–खण्डधारियों ने जविप्रा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त भू–खण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का निवेदन किया है, जो विचाराधीन है। जिस पर अंतिम निर्णय पश्चात् ही सुविधा क्षेत्र को विकसित करने के सम्बन्ध में विचार किया जाना सम्भव होगा।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(4) प्रथम चरण में डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है। डामर की सड़कों का निर्माण कार्य द्वितीय फेज में कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र में सैक्टर रोड के निर्माण के पश्चात् ही नालियों का निर्माण सम्भव होगा। पार्क व सामुदायिक केन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

सान पहाड़ जयपुर की सिवाय चक भूमि का विकास

55. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही हे कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 पर जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ही सान पहाड़ के पास पूर्व में ग्राम खोरा मीणा, कूकस, काकरेल, साईवाड़ व नटाटा तहसील जमवारामगढ़ व आमेर का ग्राम सीमा मिलन स्थल पर सैकड़ों बीघा सिवाय चक भूमि बेकार पड़ी हुई है तथा दूसरी ओर जयपुर विकास प्राधिकरण, रीको/आवासन मण्डल कृषि भूमि अवाप्त कर रहे हैं? उक्त खाली पड़ी सरकारी भूमि की जमाबन्दी तथा नक़्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण उक्त भूमि को रीको/आवासन मण्डल को उपयोग हेतु देना चाहता है या अब उक्त भूमि का स्वयं किसी योजना में विकास करना चाहता है? उक्त की प्रस्तावित योजना का ब्ल्यूप्रिंट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से 2 कि.मी. पर कोई सिवाय चक भूमि बेकार नही है बल्कि 5 किलोमीटर दूर खोरा मीणा, कूकस, कांकरेल, साईवाड़ व नटाटा तहसील जमवारामगढ़ व आमेर की सीमा मिलन पर स्थित भूमि गैर मुमकिन पहाड़ी एवं नदी नाले (उबड़-खाबड़) सिवाय चक भूमि है। ग्राम साईवाड़ में 169 बीघा 3 बिस्वा, ग्राम नटाटा में 209 बीघा 16 बिस्वा चरागाह एवं 413 बीघा पहाड़, ग्राम खोरा मीणा में 47.42 हैक्टेयर चरागाह एवं 172.88 हैक्टेयर पहाड़, ग्राम कांकरेल में 3.06 हैक्टेयर नाला, 5.65 गैर मुमकिन पहाड़ 62.40 हैक्टेयर चारागाह भूमि है। ग्राम कूकस में कोई खाली सिवाय चक/चारागाह भूमि नहीं है। इस क्षेत्र में अवाप्ति हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण का कोई प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं है। खाली भूमि सरकारी की जमाबन्दी व नक्शे की 20 प्रति संलग्न है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रीको/आवासन मण्डल की उपयोग हेतु देने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा भूमि उबड़-खाबड़ होने के कारण उक्त भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण किसी योजना का विकास नहीं कर रहा है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ईदगाह कच्ची बस्ती जयपुर में सीवर लाइन

56. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि निदेशक आर.यू.आई.डी.पी. जयपुर ने कार्यालय पत्र सं. 22763 दिनांक 9.10.2002 के द्वारा याकूब भाई टायर वाले अध्यक्ष, ईदगाह बस्ती जयपुर को लिखित में सूचना भेजी है कि ईदगाह कच्ची बस्ती में प्रोजेक्ट सीवर लाइन डालने हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है? यदि हां, तो कब व क्या स्थिति है?

(2) क्या निविदा आमंत्रित करने के बाद की प्रक्रिया में जानबूझ कर विलम्ब किया जा रहा है? यदि हां, तो कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) ईदगाह कच्ची बस्ती व बासबदनपुरा तथा आसपास की अन्य बस्तियों में सीवर लाइन डालने का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि निविदा उच्च दर के आये इसलिये दुबारा निविदा आमंत्रित किये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दरें अधिक होने के कारण उन्हें निरस्त कर पुनः निविदा दिनांक 12.12.2002 को आमंत्रित कर दिनांक 13.1.2003 को प्राप्त की गई है, जो मूल्यांकन प्रक्रिया में है।

(2) जी नहीं।

(3) निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त कार्यादेश जारी किया जाकर तथा कार्यादेश जारी होने के पश्चात 15 माह की अवधि में निविदा में वर्णित सम्पूर्ण क्षेत्र का कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। निविदा पैकेज संख्या जेएआई डब्ल्यू.डब्ल्यू/08/जो दिनांक 31.1.2002 को प्राप्त की गई थी, उसमें अनुमानित तखमीने रुपये. 971.31 लाख के विरुद्ध न्यूनतम निविदा मैसर्स बाई.वी. आर.सी.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर की रु. 1477.97 लाख की प्राप्त हुई थी, जिसकी दरों को उचित जमा से अत्यधिक ज्यादा होने के कारण एवं स्वस्थ्य प्रतियोगिता का अभाव होने के कारण राज्य सरकार एवं ए.डी.बी. द्वारा तद्नुसार निविदा निरस्त करने का निर्णय लिया था। अत: पुनः निविदा दिनांक 12.2.2002 को आमंत्रित कर दिनांक 31.1.2003 को प्राप्त की गई है, जो मूल्यांकन प्रक्रिया में है।

नगरपालिका क्षेत्र कानोड़ (उदयपुर) के व्यक्तियों को भू-परिवर्तन आदेश

57. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) "प्रशासन शहरों के संग" अभियान में नगरपालिका क्षेत्र कानोड़ जिला उदयपुर के कितने व्यक्तियों ने भूमि रूपान्तरण के लिये भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा करवाया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराने के पश्चात् कितने व्यक्तियों को भू-परिवर्तन आदेश जारी किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) "प्रशासन शहरों के संग" अभियान में नगरपालिका क्षेत्र कानोड़ के 57 व्यक्तियों ने भूमि रूपान्तरण के लिये भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा करवाया जिसकी सूची संलग्न है।

(2) भू-उपयोग शुल्क जमा कराने के पश्चात् 56 व्यक्तियों को भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये जा चुके हैं। केवल एक व्यक्ति श्री हीरादास पुत्र श्री धन्नादास वैष्णव की पत्रावली में प्राधिकृत अधिकारी (तहसीलदार, वल्लभनगर) के पास 90 (बी) की कार्यवाही विचाराधीन होने एवं नगरपालिका को प्राप्त नहीं होने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

प्रश्न संख्या-58

(स्थगित)

विवेक विहार कालोनी, आमेर का नियमितीकरण

59. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि भूमि पर बसी विवेक विहार कालोनी, श्याम मन्दिर के नीचे नांगल रोड आमेर को नियमित करने एवं उक्त रोड पर अन्य कालोनी बसाने/एन.ओ.सी. देने हेतु कास्तकारों/कालोनीवासियों के प्रार्थन्ना पत्र जयपुर विकास प्राधिकरण जयुपर में विचाराधीन है? यदि हां, तो किस-किस के कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब कब तक उक्त कालोनी का नियमन व उक्त रोड पर अन्य कालोनियों हेतु चाही एन.ओ.सी. दे दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त रोड पर प्रस्तावित हाथी गांव में उक्त कालोनी व कास्तकारों के किस-किस खसरा नम्बर की कितनी कितनी कृषि भूमि अवाप्ति में आ रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवेक विहार कालोनी, श्याम मन्दिर के नीचे नांगल रोड, जयपुर की पत्रावली नियमन हेतु जयपुर विकास

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

प्राधिकरण, जयपुर के सम्बन्धित जोन में प्रस्तुत नहीं हुई है। इस क्षेत्र से सम्बन्धित कोई प्रार्थना पत्र अन्य कालोनी बसाये जाने हेतु एन.ओ.सी. हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ है।

(2) उक्त कालोनी की पत्रावली नियमन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के सम्बन्धित जोन में प्रस्तुत नहीं हुई और ना ही इस क्षेत्र का कोई एन.ओ.सी. हेतु प्रार्थना पत्र जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत हुआ है।

(3) हाथी गांव योजना हेतु उक्त कालोनी व कास्तकारी की जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

संतोष नगर कालोनी (जयपुर) में अव्यवस्थाएं

60. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के वार्ड नम्बर 54 की संतोष नगर कालोनी में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि वार्ड नं 54 की उक्त कालोनी में गली नं. 2,3,4 में सीवर लाइनों में मलवा भरा रहता है जो प्रेशर ज्यादा होने पर घरों के सामने एवं सड़कों पर फैलता है?

(3) क्या उक्त कालोनी की सड़कों में जगह-जगह खड्डे हो जाने से मिट्टी, कचरा, वर्षा का पानी भर जाता है? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या उक्त कालोनी में नागरिकों द्वारा जगह-जगह अतिक्रमण किया हुआ है?

(5) क्या वार्ड के पार्षद द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को बार-बार सफाई व्यवस्था हेतु शिकायत के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जाता है? क्या दोषियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक उक्त समस्या का समाधान कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। आवश्यक मरम्मत करने हेतु सम्बन्धित निकाय को निर्देशित किया जा रहा है।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है।

ग्राम गेटोर (जयपुर) में सीवर लाईन सड़क, नाली व पार्कों का निर्माण

61. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम):** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या ग्राम गैटोर वार्ड नं. 28 जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में है? यदि हां, तो मास्टर प्लान में गैटोर ग्राम को दर्शाते हुए नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दस हजार की आबादी वाले उक्त ग्राम में आवश्यक नागरिक सुविधाएं यथा सीवर लाइन, सड़क, नाली व पार्कों का निर्माण आदि अभी तक भी नहीं कराया गया है? यदि हां, तो अब ग्राम गैटोर में उक्त आवश्यक निर्माण कार्य कब तक करा दिये जाएंगे?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम गैटोर जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में है। वार्ड संख्या 28 एवं ग्राम गैटोर की स्थिति मास्टर विकास योजना 2011 में दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न है।

(2) जी हां। सड़क, नाली आदि का कार्य प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर कराया जाएगा।

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मोती भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा पट्टेधारियों के साथ की गई अनियमितता

62. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू):** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या मोती भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा योजना संख्या 4 ई (ब्लाक-सी) मुरलीपुरा, जयपुर में आवासीय कालोनी के पट्टे जारी किये गये थे? यदि हां, तो किन-किन को? मानचित्र में छोड़ी गई सड़क की लम्बाई व चौड़ाई सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किये जाने बाबत कोई कैम्प रखा गया है? यदि हां, तो कब-कब? वर्तमान में उक्त की क्या स्थिति है? उक्त सोसाइटी द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत मानचित्र मय स्कीम के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पट्टे धारकों को सोसाइटी द्वारा मानचित्र प्लाट सं. 38 एवं 39 के साइड में सड़क की चौड़ाई 30 फीट दर्शाई गई थी और मौके पर 25 फीट ही है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सोसायटी ने प्लाट संख्या 39 के सामने 25 फीट चौड़ी एवं प्लाट संख्या 40 के सामने 30 फीट चौड़ी सड़क

(श्री बाबूलाल नागर)

मानचित्र में दर्शाई है? उक्त भिन्नता के क्या कारण हैं?

(5) क्या सरकार प्रश्न के भाग 3 एवं 4 के क्रम में सोसाइटी द्वारा पट्टेधारियों के साथ की गई अनियमितता की जांच करा कर उसके विरुद्ध कार्यवाही कर पट्टेधारियों को राहत दिलाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) अब सरकार गलत दर्शाये गये सड़क मार्ग के नुकसान की भरपाई हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक कुल अनुमोदित भूखण्डों 78 में से 62 भूखण्डों के पट्टे जारी कर दिए गए हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। भूखण्ड संख्या सी-1 से सी-23, सी-27 से सी-38, सी-49 से सी-54 के सामने की सड़क की चौड़ाई 35-0" लम्बाई 856-0" है। भूखण्ड संख्या सी-24 से सी-26, सी-26, सी-39 से सी-48, सी-55 से सी-69 के सामने सड़क की चौड़ाई 30-0" लम्बाई 843-0" है। भूखण्ड संख्या सी-1, सी-27, सी-38, सी-49 कोने के भूखण्ड होने के कारण एक तरफ सड़क 35-0" चौड़ाई एवं दूसरी तरफ 30-0" चौड़ी है। योजना मानचित्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त योजना का कैम्प दिनांक 3.8.2002 को रखा गया था एवं उसके उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने पर समय-समय पर नियमन की कार्यवाही की गई है। समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है इस योजना के अन्दर गृ.नि.स.स. ने उक्त भूखण्ड के पूर्व में सड़कों की चौड़ाई 25 फीट दर्शा रखी है। तथा भूखण्ड संख्या 38 के उत्तर में 35 फीट एवं भूखण्ड संख्या 39 के दक्षिण में 25 फीट दर्शा रखी है। उपरोक्त सड़के मौके पर भी समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है। भूखण्ड संख्या 39 के जो कि कार्नर भूखण्ड है के दक्षिण एवं पूर्व में समिति ने 25 फीट चौड़ी सड़क एवं भूखण्ड संख्या 40 के सामने (दक्षिण में) 25 फीट चौड़ी सड़क दर्शा रखी है।

(5) प्रश्न संख्या 3 व 4 के उत्तर से स्पष्ट है कि सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के साथ सड़क की चौड़ाई को लेकर कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। इस प्रकार के सदस्यों को राहत देने सम्बन्धी कोई प्रार्थना पत्र जोन कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है व न ही उपलब्ध रिकार्ड से ऐसा कोई प्रकरण जाहिर होता है।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(6) योजना के अनुमोदन के समय सड़क चौड़ाई निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करने के पश्चात ही योजना को अनुमोदित किया जाता है इस प्रक्रिया में भूखण्डों की साईज कम होती है तो इसका मुआवजा देने या गृ.नि.स.स. से मुआवजा वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बढारना, विद्याधर नगर एवं नारदपुरा (जयपुर) आवासीय योजनाओं में अनियमितता

63. श्री बाबूलाल नागर (दूदू)**:** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996 में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हेतु निलियम अपना घर योजना में निर्मित आवास गृहों के अन्तर्गत विद्याधर नगर, बढ़ारना एवं नारदपुरा के लिये पंजीकृत आवेदकों हेतु लाटरी निकाली गई थी? यदि हां, तो आबंटियों के नाम, आवास संख्या व योजना सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नारदपुरा स्कीम में आबंटितों को आबंटन पत्र वर्ष 1999 में जारी करने के बावजूद भी अभी तक कब्जा पत्र नहीं भेजे गये हैं? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक जारी कर दिये जाएंगे?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं में बढारना, विद्याधर नगर नारदपुरा में प्राधिकरण के मानदण्ड एवं प्रकाशित सुविधाओं का नितान्त अभाव है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त में वांछित सुविधाओं यथा फर्श, शौचालय, खिड़की के दरवाजे आदि उपलब्ध करवा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। जिन आबंटियों द्वारा नजराना राशि जमा करा दी है। उन सभी आबंटियों को कब्जा पत्र जारी कर दिए गए हैं।

(3) जी नहीं। बढ़ारना विद्याधर नगर में फर्श, शौचालय में फिटिंग तथा खिड़की, दरवाजे आबंटियों द्वारा ही लगाये जाने है। नारदपुरा में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु आवास गृहों में फर्श, शौचालय व खिड़की में सीमेन्ट की जाली उपलब्ध करवायी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना एस-4 में सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई

64. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू):** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में प्रस्तावित नई लोहामण्डी के पास 100 फीट सड़क आपणा गांव होटल के समीप मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना एस-4 का अभी नियमन किया गया है? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एस-4 में स्वीकृत अनुमोदित नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सहकारी समिति ने श्रीराम किराणा स्टोर के पास वाली सड़क को 40 फीट की रखी थी और अब जयपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त 40 फीट चौड़ी सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 60 फीट कर दी है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त सड़क की चौड़ाई बढ़ाये जाने पर कई भूखण्ड स्वामियों के निर्मित मकान/प्लाट के डण्डे/दुकान आ रही है? क्या सरकार उक्त भूखण्डधारियों को राहत देने के लिये उक्त सड़क की चौड़ाई वापस 40 फीट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त सड़क की चौड़ाई बढ़ाने पर आमादा है? यदि हां, तो क्यों?

(5) सड़क की चौड़ाई 60 फीट किये जाने पर जिन भूखण्ड धारियों के समिति द्वारा दिये गये भूखण्ड की भूमि आएगी क्या सरकार उनको भूमि के बदले मुआवजे की राशि उपलब्ध कराएगी? यदि हां, तो किस दर पर और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार अब सड़क की चौड़ाई वापस 40 फीट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अनुमोदित मानचित्र की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि श्रीराम किराणा स्टोर के पास वाली सड़क सैक्टर रोड़ होने के कारण 60 फीट अनुमोदित की गई है। समिति ने 40 फीट रोड़ की थी जो कि सैक्टर रोड़ होने के कारण 60 फीट की गई है।

(3) जी हां। यह सही है कि सड़क चौड़ी करने पर भूखण्ड स्वामियों के भूखण्ड आते हैं। सैक्टर रोड़ होने के कारण 60 फीट रोड़े अनुमोदित की गई है, इसे वापिस 40 फीट करने का

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(4) जी हां। क्योंकि उपरोक्त सड़क सैक्टर रोड़ है, जिसे कम किया जाना सुविधाजनक नहीं है।

(5) जी नहीं। अनुमोदित 60 फीट रोड़ में जो समिति की भूमि आएगी उस भूमि के बदले मुआवजा दिए जाने का प्रावधान नहीं है।

(6) उपरोक्त सड़क सैक्टर रोड़ होने के कारण 60 फीट से 40 फीट किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न संख्या-65

(स्थगित)

मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर में आवास आबंटन में अनियमितता

66. सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) एम.आई.जी.ए. और एम.आई. जी.बी. कैटेगिरी के मकान जयपुर की मानसरोवर आवासीय योजना में कितने वर्ग मीटर के भूखण्ड पर कितने वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के बनाने का मानदण्ड वर्ष 1995-96 में रखा गया तथा पूर्ण निर्मित एवं ढाचों की कितनी-कितनी कीमत रखी गई?

(2) वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक इनके भूखण्ड निर्मित क्षेत्र एवं कीमत पूर्ण निर्मित और ढांचों की अलग अलग में क्या कोई परिवर्तन किया गया? यदि हां, तो क्या-क्या? परिवर्तन की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सामान्य पंजीकरण योजना 1979 के तहत जिन प्रार्थियों ने 4600/- रुपये जमा करवाये थे उनमें से किस-किस प्रार्थी को वर्ष 1995-96, से 1999-2000 की अवधि में 90 वर्गमीटर के भूखण्ड पर एम.आई.जी. "ए" कैटेगरी का ही मकान आबंटित कर दिया, निम्न श्रेणी का कम वर्गमीटर पर निर्मित मकान क्यों आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जयपुर की मानसरोवर योजना में भूखण्ड 73/250 से 73/252 तक के आबंटित मकान किन किन वर्षों में किस किस व्यक्ति को कितनी कीमत पर आबंटित किये गये एवं पुनः कितनी कीमत पर आबंटित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रश्न के भाग-4 के आबंटियों में से किस प्रार्थी ने 4600/- रुपये जमा करवाये थे और एम.आई.जी. "बी" कैटेगरी का मकान चाहा था, इन्हें निम्न श्रेणी का मकान छोटे भूखण्ड पर निर्मित ढांचा क्यों दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आवासीय योजना मानसरोवर जयपुर में वर्ष 1995-96 में एम.आई.जी. ''ए'' एवं एम.आई.जी. ''बी'' कैटेगरी के आवासों के निर्माण हेतु निर्धारित मानदण्ड के अनुसार भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल, आवास का निर्मित क्षेत्रफल इत्यादि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' एवं इन आय वर्गों के पूर्ण निर्मित एवं ढांचों की कीमत का विवरण परिशिष्ट ''बी'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक एम.आई.जी. ''ए'' और और एम.आई.जी. ''बी'' कैटेगरी के निर्मित किये जाने वाले आवासों के भूखण्डों, निर्मित क्षेत्रफल का विवरण परिशिष्ट ''स'' पर तथा इन कैटेगरी के पूर्ण निर्मित एवं ढांचों आकृति के आवासों की लागत का विवरण परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है।

(3) सामान्य पंजीकरण योजना 1979 के तहत जिन प्रार्थियों ने पंजीकरण राशि रुपये 4600/- जमा करवाये थे उनमें से वर्ष 1995-96 से 1996-97 तक 90.00 व.मी. एवं 120.00 व.मी. के स्वतंत्र आवास तथा 90.00 व.मी. के डुप्लैक्स आवास एवं इसी समकक्ष माप के प्लैटस भी आबंटित किये गये थे। वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 की अवधि में एम.आई.जी. ''बी'' कैटेगरी के आवेदकों को 90.00 व.मी. एवं 120 व.मी. के स्वतंत्र आवास जबकि एम.आई.जी.ए. कैटेगरी के आवेदकों को 72.00 व.मी. के स्वतंत्र आवास ही आबंटित किये गये थे। वर्ष 1998 से एम.आई.जी. ''ए'' एवं एम.आई.जी. ''बी'' कैटेगरी के किसी भी आवेदक को फ्लैट्स/डुप्लैक्स आवास बिना विकल्प प्राप्त किये आबंटित नहीं किये गये थे। वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि में एम.आई.जी.ए एवं एम.आई.जी.''बी.'' कैटेगरी के आबंटित आवासों की लाटरी सूची परिशिष्ट ''य'' पर संलग्न है।

(4) जयपुर की मानसरोवर योजना में आवास संख्या 73/250 से 73/252 तक का आबंटन दिनांक 7.1.1994 की लाटरी द्वारा क्रमशः श्री नरेश कुमार गोयल, श्री अर्जुनलाल शर्मा एवं श्री राजेन्द्र कुमार को 1,78,032/- की कीमत पर किये गये थे। इन आवासों में से आवास संख्या 73/251 से 73/252 तक के फ्लैटों/आवास के आबंटन पत्र द्वारा मांग की गई राशि जमा करवाकर आवासों का कब्जा प्राप्त कर लिया गया था तथा आवास संख्या 73/252 के आबंटी श्री नरेश कुमार गोयल ने आबंटन पत्र की मांग राशि जमा नहीं करवाई थी जिसके फलस्वरूप श्री गोयल का आबंटन निरस्त कर आवास संख्या 73/250 का आबंटन दिनांक 15.10.1998 की लाटरी द्वारा अन्य आवेदक को कर दिया गया था जिसकी कीमत रुपये 327800/- थी।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(5) प्रश्न के भाग संख्या 4 में उल्लिखित आवास संख्या 73/250 से 73/252 तक का आबंटन दिनांक 7.1.1994 की लाटरी द्वारा क्रमशः श्री नरेश कुमार गोयल श्री अर्जुनलाल शर्मा एवं श्री राजेन्द्र कुमार को आबंटित किये गये थे। इन सभी आवेदकों ने एम.आई.जी. ''ए'' कैटेगरी के अन्तर्गत पंजीकरण राशि रुपये 3000/– ही जमा करवाई थी। इन आवेदकों में से किसी भी आवेदक ने पंजीकरण राशि रुपये 4600/– जमा नहीं करवाई थी। आवास संख्या 73/251 एवं 73/252 के आवेदकों ने आवास के आबंटन पत्र द्वारा मांग की गई राशि जमा करवाकर आवासों के कब्जा प्राप्त कर लिये थे तथा आवास संख्या 73/250 के आवेदक श्री नरेश कुमार गोयल ने आबंटन पत्र की मांग राशि जमा नहीं करवाई थी जिसके फलस्वरूप इनका पंजीकरण निरस्त कर आवास संख्या 73/250 का आबंटन दिनांक 15.10.1998 को अन्य आवेदक के कर दिया गया था। जिसकी पंजीकरण राशि 4600/– रुपये जमा थी। वर्ष 1997–98 से वर्ष 1999–2000 तक एम.आई.जी. ''ए'' कैटेगरी के आवेदकों को जिनकी कि पंजीकरण राशि रुपये 4600/– जमा थी उन आवेदकों को एम.आई.जी. ''बी'' कैटेगरी में 90.00 व.मी. एवं 120.00 व.मी. के आवास आबंटित किये गये थे। वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 की अवधि में सामान्यतया 90.00 वर्गमीटर के आवास एम.आई.जी. ''बी'' कैटेगरी के आवेदकों को ही आबंटित किये गये थे क्योंकि हुडको द्वारा निर्धारित लागत सीमा के अनुसार 90.00 व.मी. में निर्मित आवास एम.आई.जी. ''बी'' कैटेगरी की श्रेणी में आते थे एवं सभी आबंटियों को 90.00 व.मी. के आवासों का आबंटन किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत किया गया था।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कच्ची बस्ती टीबा नायकान (जयपुर) में सीवर लाइन

67. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य में स्थाई सीवरेज नीति है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में वर्ष 1999 से दिसम्बर, 2002 तक सीवरेज लाइन डालने, रख–रखाव परीक्षण करने, कनेक्शन देने, सीवर शुल्क वसूलने आदि कार्य पृथक–पृथक विभागों/संस्थाओं द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो क्यों एवं कौन सा कार्य किसके द्वारा कब से किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(3) क्या सरकार स्थाई सीवरेज नीति बनाकर उक्त कार्य किसी एक ही विभाग/संस्था देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या जयपुर शहर की घनी आबादी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में बुनियादी मूल सुविधा सीवर लाइन डाली गई है?

(5) क्या यह सही है कि कच्ची बस्ती टीबा नायकान घाट की गुणी के पश्चिम भाग में सीवर लाइन डालकर पावर हाउस के पीछे शेष भाग को भेदभावपूर्ण तरीके से सीवर लाइन से वंचित रख दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(6) अब सरकार कब तक शेष भाग में सीवर लाइन डाल देगी?

उत्तर

(1) राज्य में सीवरेज सम्बन्धित कार्य विभिन्न विभागों द्वारा जैसे जन.स्वा.अभि. विभाग आवासन मण्डल, शहरी स्थानीय विभाग, यू.आई.टी., जे.डी.ए. इत्यादि विभिन्न स्थानों की आवश्यकता के अनुसार करवाये जाते रहे हैं। फिलहाल इस बाबत कोई स्थायी सीवरेज नीति नहीं बनी है।

(2) जी हां। यह सही है कि जिला जयपुर में वर्ष 1999 से दिसम्बर, 2002 तक सीवरेज लाइन डालने परीक्षण करने का कार्य पृथक-पृथक विभागों/संस्थाओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में किया गया है। कनेक्शन देने का कार्य जयपुर नगर निगम एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किया जाता है। सीवर रख-रखाव का कार्य एक ही संस्था (जयपुर नगर निगम) द्वारा किया जाता है जिन उपभोक्ताओं के पेयजल सम्बन्ध है, उनसे सीवरेज शुल्क वसूलने का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। सरकार एक ही विभाग/संस्था को उपरोक्त सभी कार्य देने हेतु स्थायी सीवरेज नीति के तहत कोई विचार नहीं रखती है। सरकार सीवरेज कार्यों हेतु एक व्यवहारिक स्थाई सीवर नीति बनाने का विचार रखती है जिसके तहत विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा करवाये जाने वाले कार्यों तथा जिम्मेदारियों का निर्धारण करने का प्रावधान प्रस्तावित है।

(4) नगर निगम द्वारा घनी आबादी क्षेत्र में बसी कच्ची बस्तियों में लाईन डाली गई है किन्तु जयपुर विकास का प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र में नहीं डाली है।

(5) जी नहीं। टीबे का पश्चिम का जो भाग जवाहर नगर बाईपास के पश्चिम में है जहां सीवर डिस्पोजल की व्यवस्था थी वहां सीवर सुविधा उपलब्ध है तथा जो क्षेत्र जवाहर नगर बाईपास के पूर्व में है वहां डिस्पोजल हेतु मुख्य सीवर लाइन नहीं है, वहां सीवर लाइन नही है।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(6) वर्तमान में मुख्य सीवर लाइन डिस्पोजल हेतु उपलब्ध नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में सीवर हेतु कोई योजना नहीं है।

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बनाई गई सड़कों में अनियमितता

68. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बनाई गई सड़कों की फर्जी टैस्टिंग रिपोर्ट बनाकर ठेकेदारों को भुगतान किये जाने का मामला उजागर होने के बाद इसकी जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये व उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरणों में अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अपने स्तर पर उक्त प्रकरण में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467, 468, 471, 477 एवं 120 बी व पी.सी. एक्ट 1988 की धारा 13(1) डी व 13(2) के तहत कार्यवाही हेतु इतला रिपोर्ट सं. 86/2002 एवं 87/2002 दर्ज का प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत की है। प्राधिकरण स्तर पर भी जांच विचाराधीन है।

(2) जांच विचाराधीन है। अत: अभी ये स्पष्ट नहीं है कि दोषी कौन है?

(3) जांच पूर्ण होने पर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

परसराम नगर, ढहर का बालाजी जयपुर में ड्रेनेज सीवरलेन व सड़क निर्माण

69. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर रोड स्थित परसराम नगर, ढहर का बालाजी, जयपुर भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आवासीय बस्ती है? यदि हां, तो क्या उक्त कालोनी की स्कीम नम्बर 3 व 5. का नियमन हो चुका है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय बस्ती में सभी मूलभूत सुविधाओं यथा ड्रेनेज, सीवरलेन, सड़क आदि का पूर्णत: अभाव है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त आवासीय बस्ती हेतु कोई प्लान तैयार कर ड्रेनेज एवं सीवरेज की सुविधा दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या उक्त कार्य हेतु भवानी निकेतन संस्था से भूमि अवाप्त किये जाने की प्रक्रिया विचाराधीन थी? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही

(श्री रमेश खींची)

की जा चुकी है तथा क्या प्रस्तावित है जो कब तक पूर्ण करली जायेगी?

(5) क्या उक्त कार्य के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु कोई अधिसूचना जारी की गई है? यदि हां, तो कब, प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त भूमि कब तक अधिग्रहित कर ड्रेनेज व सीवरेज का कार्य शुरू कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) सीकर रोड स्थित परसराम नगर, ढहर का बालाजी की आवासीय बस्तियां जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर क्षेत्र में आती है। उक्त बस्तियों में विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवासीय कालोनियां बसायी गई है। परसराम नगर ढहर का बालाजी के नाम जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आवासीय बस्ती नही है। परन्तु ढहर का बालाजी स्थित कालोनियों में से मित्र गृ. नि. सहकारी समिति की ओर से स्कीम नं. 3 व 5 बसाई है जिनका जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन किया जा चुका है।

(2) जी नहीं। उक्त आवासीय बस्ती में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन के पश्चात् डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का निर्माण किया है। कुछ डामर की सड़कें व नाली का निर्माण नगर निगम द्वारा किया गया है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीवर लाइन के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। किन्तु वर्तमान में पानी के निकास हेतु भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण ड्रेनेज नहीं बनाई जा रही है। सीवर लाइन का प्लान तैयार किया जा चुका है। शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करवा दिया जावेगा।

(4) यह सही है कि भवानी निकेतन संस्था से भूमि अवाप्त करने की प्रक्रिया की गई जिसमें धारा 4(2) की अधिसूचना जारी हो चुकी है शेष कार्यवाही की जा रही है।

(5) दिनांक 27.12.2002 को राजस्थान राजपत्र में धारा 4(2) सूचना जारी हो चुकी है अधिसूचना की छाया प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(6) भवानी निकेतन संस्था की भूमि में सीवर लाइन के कुछ भाग का कार्य ही किया जाना है जो उक्त भूमि अधिग्रहण के पश्चात् ही किया जा सकेगा। अधिग्रहण की कार्यवाही जारी है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

मास्टर मीटर व घरेलू मीटरों हेतु प्रशिक्षण

70. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा वर्ष 1981 से 1988 के बीच विश्व बैंक से 200 करोड़ रुपये का ऋण लेकर 400 मास्टर मीटर और 40 हजार घरेलू

(श्री मदन दिलावर)

मीटरों की खरीदे की गई थी? यदि हां, तो क्या खरीदे गये सभी मीटर काम में आ चुके हैं, यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उपकरणों को काम में लेने का प्रशिक्षण दिलाने के लिए विभाग में कई अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण दिलाया गया था? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी को कब-कब प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा गया?

(3) क्या उक्त अधिकारियों को जिस उद्देश्य से प्रशिक्षण हेतु भेजा था वह उद्देश्य पूरा हो गया है और ये अधिकारी वास्तव में वही कार्य कर रहे हैं? क्या यह सही है कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उक्त अधिकारियों को दूसरे कामों में लगा दिया गया? यदि हां, तो फिर इसके लिए कौन दोषी है? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। इस कार्यक्रम में निम्नानुसार वाटर मीटर की खरीद के आदेश प्रसारित किए गए थे:-

साइज (मि.मी.)	संख्या
15	84678
20	411
25	304
50	276
80	35
100	20
150	22
200	6
250	6
300	18
450	1
450	2
500	1
600	2

ये मीटर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व कोटा हेतु थे। जयपुर, बीकानेर व कोटा में प्राप्त सभी मीटर काम में लिए जा चुके हैं। जोधपुर के सन्दर्भ में आदेश, प्राप्ति व प्रयोगिता के सन्दर्भ में विरोधाभास है, जिसकी जांच कर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

(2) लीक डिटेक्शन एण्ड वेस्ट वाटर कंन्ट्रोल के प्रशिक्षण हेतु निम्न अधिकारियों को 22.9.1986 से 25.11.1986 तक यू.के. भेजा गया था। इस पर खर्च ब्रिटिश कांउसिल यू.के. द्वारा वहन किया गया था।

1. श्री एस.के. कालरा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता
2. श्री जामीन हुसैन, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता

(3) प्रशिक्षण के तुरन्त बाद इनका पदस्थापन निम्नप्रकार हुआ:-

1. श्री एस.के. कालरा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता नगर खण्ड प्रथम, जयपुर।
2. श्री जामीन हुसैन, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता नगर खण्ड-तृतीय, कोटा।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

प्रशिक्षण के पश्चात् उपरोक्त पद स्थापन ऐसे स्थानों पर ही था जहां प्रशिक्षण का प्रयोग हो। वैसे भी प्रशिक्षण का विषय स्थान विशेष/योजना से सम्बन्धित न होकर पूरे पेयजल क्षेत्र के लिए था, जिसका कार्यक्षेत्र पूर्ण प्रान्त है।

कनिष्ठ अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता के पदों पर अनियमित पदोन्नति

71. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 से ही बिना नियमित नियुक्ति के कनिष्ठ अभियन्ताओं को कार्यकारी व्यवस्था के तहत सहायक अभियन्ता के पद पर लगाया गया है? यदि हां, तो ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं की संख्या कितनी है? नाम, पदस्थापन सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बिना पदोन्नत हुए 7 वर्ष से अधिक समय से लगातार कार्य करने की अनुमति देने के पीछे क्या कारण रहा?

(3) क्या उक्त अनियमित नियुक्ति को जारी करने के लिए समय-समय पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, वित्त व कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वर्ष 1994-95 के बाद आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों में उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के नामों पर विचार हुआ? यदि हां, तो इन्हें सहायक अभियन्ता पद के अयोग्य ठहराये जाने के क्या कारण रहे और पदोन्नति समिति द्वारा इन्हें अयोग्य ठहराये जाने के उपरान्त किन नियमों के तहत उन्हें सहायक अभियन्ता पद पर लगातार बने रहने की अनुमति दी गई?

(5) क्या सरकार उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को उनके वर्तमान पद से हटाने का विचार रखती है?

(6) क्या एड-हॉक, स्टाप गैप व्यवस्था या कार्यकारी व्यवस्था के तहत नियुक्तियों को लगातार जारी रखने पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है? यदि हां, तो प्रतिबन्ध के विरुद्ध विपरीत आचरण के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सहायक अभियन्ता का पद पेयजल व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सहायक अभियन्ता के स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभियन्ताओं के नियुक्ति लम्बे समय से नहीं हो पाने के कारण विभाग में 150 सहायक अभियन्ता के पद रिक्त चल रहे थे। इन पदों को खाली रखने से पेयजल की व्यवस्था में आ रही कठिनाई को ध्यान में रखकर प्रशासनिक स्तर पर निर्णय किया जाकर वर्ष 1994 से 124 कनिष्ठ अभियन्ता

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(डिग्रीधारी) को सहायक अभियन्ता के पदों के विरुद्ध लगाया गया था। इनमें से वर्ष 2000–2001 तक 84 कनिष्ठ अभियन्ताओं को विभागीय पदोन्नति समिति के सहायक अभियन्ता (डिग्रीधारी) के पदोन्नति के पदों पर नियमित चयन हो चुका है। पदस्थापित किये गये कनिष्ठ अभियन्ता में से 2 ने सहायक अभियन्ता के पद के विरुद्ध कार्य ग्रहण नहीं किया था, 3 ने विभाग छोड़ दिया है, 3 वर्तमान में निलम्बित है, 1 सेवा निवृत है तथा एक सेवा से पृथक किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान में मात्र 30 कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) सहायक अभियन्ता के सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध कार्यरत है। विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) प्रश्न के भाग 1 में वर्णित उत्तर के अनुसार पेयजल की व्यवस्था में आ रही कठिनाईयों को देखकर यह काम चलाने के लिए व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की पदोन्नति नहीं दी गई थी एवं यह पूर्णतया प्रशासनिक स्तर पर प्रबन्ध था।

(4) वर्ष 1994 से सहायक अभियन्ता की सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध लगाये गये 124 कनिष्ठ अभियन्ताओं में से 84 डी.पी.सी. में चयनित हो चुके है, जिसका नाम व वर्षवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। डी.पी.सी. में विभागीय पदोन्नति से सन्दर्भित पदों के बारे में विचार किया जाता है तथा सीनियरिटी कम मैरिट, मैरिट-कम सीनियरिटी, जोन आफ कंसीडरेशन आदि स्थापित नियमों को ध्यान में रखकर चयन किया जाता है। वर्ष विशेष के पदों के विरुद्ध जोन आफ कंसीडरेशन अथवा वरिष्ठता में उपर नाम नहीं होने के कारण यदि किसी का चयन नहीं हो पाता है तो इस बिन्दु को अयोग्यता नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान में बचे हुए से 30 मामलों में किसी को भी डी.पी.सी. द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(5) पेयजल सम्बन्धी कार्य चलाने के लिए भाग-1 में वर्णित कार्यवाही के आदेश में स्पष्ट अंकित है कि यह आदेश राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारी उपलब्ध कराने तक ही की जा रही है। प्रशासनिक आदेशों के अनुसार उक्त पदस्थापन राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धि तक ही प्रभावी है।

(6) प्रदेश में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु प्रश्न के बिन्दु एक में वर्णित परिस्थितियों में कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) को सहायक अभियन्ता की सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध पदस्थापन किया गया था एवं इन पदस्थापन आदेशों के विरुद्ध न्यायालय में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

72. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत चार वर्षों में राज्य में जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध अनियमितता की शिकायतों के कितने मामले दर्ज किये गये और उक्त में अब तक क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में वर्ष 1999 से 2002 की अवधि में जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध अनियमितता से सम्बन्धित कुल 342 अभियोग पंजीबद्ध हुये जिनमें से 84 अभियोगों में चालान, 178 अभियोगों में एफ.आर. दी गई एवं 80 अभियोगों का अनुसंधान जारी है।

ग्राम पातुसरी (झुंझुनूं) में चोरी की वारदातें

73. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं के ग्राम पातूसरी में गत ढाई वर्षों के दौरान 7 चोरियां हो चुकी हैं? उक्त चोरियां कुल कितनी राशि की थी?

(2) क्या उक्त चोरियों में अब तक एक चोरी का भी कोई सुराग नहीं मिला? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या गत 3 महिनों पूर्व श्री खेमचन्द पुत्र श्री तनसुखराम के घर में चोरी हुई जिसमें दो टेवटे सोने के, नकद तथा चांदी के जेवर शामिल थे? क्या पुलिस ने उक्त चोरी का पता लगा लिया? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक चोर पकड़ लिये जावेंगे?

उत्तर

(1) ग्राम पातूसरी में गत ढाई वर्षों के दौरान 6 चोरियां हुई हैं। उक्त चोरियों में नगद व सोने-चांदी के जेवरात माल की हुई है जिनकी अनुमानित कुल कीमत 142700/- रुपये की है।

(2) उक्त चोरियों में से अब तक दो चोरियों में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 44500/- रुपये का माल बरामद किया जा चुका है। एक प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट (असंज्ञेय) में दी गई है तथा दो प्रकरणों की अंतिम रिपोर्ट में अभियुक्तों व माल का पता नहीं लगा तथा एक प्रकरण में अभियोग अनुसंधानाधीन है।

(3) जी हां। पुलिस के प्रयासों के बावजूद उक्त चोरी का अब तक पता नहीं लगा है। पता लगाने के प्रयास अब भी जारी है।

ऋषभदेव, जिला उदयपुर के हरित पट्टी क्षेत्र में अवैध खनन

74. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्दलाल मीणा)

क्या उपवन संरक्षक के विरुद्ध ऋषभदेव, जिला उदयपुर के हरित पट्टी क्षेत्र में अवैध खनन की स्वीकृति बाबत मार्च, 1999 में नियम विरुद्ध अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

जी हां, श्री पी.के. मेरकप, उप वन संरक्षक उदयपुर (दक्षिण) के विरुद्ध ऋषभदेव जिला उदयपुर के हरित पट्टी क्षेत्र के अवैध खनन की स्वीकृति नियम विरुद्ध अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्राप्त होने पर प्राथमिक जांच सं.93/2000 पंजीबद्ध कर जांच करवाई गई। जांच के आरोप श्रीमती बबीता गुप्ता के खनन क्षेत्र की भूमि वन विभाग की न होना पाई गई। अतः अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जिला रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों की संख्या

75. डा. राम प्रताप (हनुमानगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के विभिन्न जिला रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों की संख्या कितनी है?

(2) उक्त बेरोजगारों में से 8वीं व 10वीं, सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी स्नातक व स्नातकोत्तर कितने हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में कितने बेरोजगारों को वर्ष 1998-99 से 2002 तक सरकारी कार्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध करवाया गया? वर्षवार, महावार एवं जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न जिला रोजगार कार्यालयों में 7,12,576 बेरोजगार पंजीकृत हैं।

(2) उक्त बेरोजगारों में से 8वीं, 10वीं, सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी, स्नातक व स्नातकोत्तर 6,46,700 बेरोजगार पंजीकृत है। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) उक्त में से 9183 बेरोजगारों को सरकारी एवं 1883 बेरोजगारों को स्वायत्तशासी संस्थाओं में वर्ष 1998-99 से वर्ष 2002 तक रोजगार उपलब्ध करवाया गया। वर्षवार सूची परिशिष्ठ "ब" पर तथा माहवार व जिलेवार सूची परिशिष्ट स-1 से स-5 पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ऊर्जा उत्पादन निगम में अनुभवी अभियन्ताओं की नियुक्ति

76. **श्री जगन्नाथ** (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ऊर्जा उत्पादन निगम को अपने विद्युत गृहों के संचालन, रख रखाव एवं निर्माण के लिए दीर्घ अनुभवी अभियन्ताओं की आवश्यकता है या नई तकनीकी क्रान्ति के अनुसार नई तकनीकी को समझने वाले प्रेस अभियन्ताओं की आवश्यकता है?

(2) क्या किसी अनुभवी अभियन्ता की सेवा सेवानिवृत्ति अवधि के बाद विस्तार करने हेतु राज्य सरकार से अनुमति चाही गई है या निकट भविष्य में ऐसा कोई विचार है?

(3) क्या ऊर्जा उत्पादन निगम में उनके समकक्ष अनुभव रखने वाले अन्य अभियन्ता उपलब्ध नहीं है? क्या नई तकनीकी को समझने हेतु प्रेस इन्जीनियरों को सीधी भर्ती द्वारा नौकरी दी गई है या नौकरी देने का विचार है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कौन-कौनसी नई विकसित तकनीक का ऊर्जा उत्पादन निगम के विद्युत गृहों में उपयोग हो रहा है या आगे किया जाना है?

उत्तर

(1) उत्पादन निगम को विद्युत गृहों के संचालन, रख-रखाव एवं निर्माण के लिए दीर्घ अनुभवी अभियन्ताओं और नई तकनीक को समझने वाले फ्रेश अभियन्ताओं दोनों की ही समान रूप से आवश्यकता है। अनुभवी अभियन्ताओं का उक्त कार्यों में लम्बा व्यवहारिक अनुभव जहां एक ओर निगम की विद्यमान परियोजनाओं के सफल संचालन एवं उचित रखरखाव के लिए अत्यन्त आवश्यक है वहीं नवीन निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पूर्व प्रारम्भ करने हेतु भी अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार तकनीकी क्षेत्र में होने वाले सतत बदलाव एवं तकनीकीय सामंजस्य बनाये रखने हेतु भी नये तकनीकी ज्ञान की सदैव आवश्यकता बनी रहती है।

(2) निगम के दो वरिष्ठ अभियन्ताओं (श्री ए.एस. कपूर, उप मुख्य अभियन्ता, दिनांक 31.10.2002 को सेवा निवृत एवं श्री जी.आर. मोदी, अधीक्षण अभियन्ता, दिनांक 31.1.2003 को सेवानिवृत) को विद्युत उत्पादन क्षेत्र में अपने विशिष्ट अनुभव के कारण रिटायरमेंन्ट अवधि के बाद सेवा विस्तार करने हेतु राज्य सरकार से अनुमति चाही गई है ताकि निगम की निर्माणाधीन योजनाओं को लक्ष्य अवधि में पूर्ण करने में बाधा न आवे।

(3) उपरोक्त 2 वरिष्ठ अभियन्ता सूरतगढ़ तापीय परियोजना के प्रारम्भ से ही परियोजना के निर्माण गतिविधि से जुड़े रहे थे तथा उन्हें सूरतगढ़ तापीय योजना की प्रथम से चतुर्थ इकाई के स्थापना का गहन अनुभव था अतएव पांचवीं इकाई

(ऊर्जा मंत्री)

के निर्माण को अधिक गति से पूर्ण करने हेतु उनको अनुभव अत्यन्त आवश्यक था। उत्पादन निगम में उनके समकक्ष सेवा अवधि वाले अन्य अभियन्ता उपलब्ध हैं किन्तु उक्त दो अभियन्ताओं को प्राप्त विशिष्ठ उच्चस्तरीय अनुभव कम ही अभियन्ताओं को प्राप्त है तथा ऐसे अभियन्ता वर्तमान में निगम के अन्य उत्पादन केन्द्रों पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उत्पादन निगम के तीन केन्द्रों–सूरतगढ़, कोटा एवं रामगढ़ पर एक साथ ही निर्माण कार्य प्रगति पर है जिन्हें इसी वर्ष पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, अतः समकक्ष अनुभव व योग्यता रखने वाले अन्य अभियन्ताओं की सेवाएं दूसरे उत्पादन केन्द्रों से हटाकर उक्त अभियन्ताओं के स्थान पर लिये जाने की स्थिति में नवीन निर्माणाधीन परियोजनाओं की कार्य प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उत्पादन निगम में फ्रेश अभियन्ताओं को सीधी भर्ती द्वारा नौकरी दिये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। सूरतगढ़ तापीय परियोजना में आधुनिक तकनीक पर आधारित 250 मेगावाट की इकाइयां लगाई गई है। इस प्रकार की इकाइयां देश में केवल दो और स्थानों (कोथागुडम, आन्ध्रप्रदेश एवं धानू, बी.एस.ई.एस. महाराष्ट्र) पर ही स्थापित की गई है।

काश्तकारों को सामान्य कृषि कनेक्शन की व्यवस्था

77. श्री रमजान खांन (पुष्कर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा 8 प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन कम होने के कारण कृषि कनेक्शन नम्बर पर आने के बावजूद भी नहीं देते हैं?

(2) क्या लम्बे अन्तराल के बाद काश्तकारों को मिलने वाले कृषि कनेक्शन पर बी.आर. की पूर्ति सरकार अपने स्तर पर कर कृषि कनेक्शन देने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से कम होने पर कृषि कनेक्शन जारी करने पर कोई रोक नहीं है परन्तु वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक होने पर कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाई हुई है।

(2) जी हां। अकाल व सूखे की स्थिति को ध्यान में रखकर किसानों को राहत प्रदान करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 तक "कट आफ डेट" में आने वाले सामान्य श्रेणी के आवेदकों, जिनमें पूर्व में लम्बित रखे गये आवेदक भी सम्मिलित हैं, के मांग पत्र, लाइन वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक होने पर भी जारी करने के आदेश माह अक्टूबर, 2002 में जारी किये जा चुके हैं और उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

ग्रामीण, शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

78. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विद्युत वितरण कम्पनी (डिस्काम) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घन्टे से अधिक (6 घन्टे III फेस व 4 घन्टे सिंगल फेस, शाम 6 बजे से 10 बजे तक) बिजली नहीं दिये जाने के आदेश दिये हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में 10 घन्टे से अधिक बिजली दी गई या पाई गई तो अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली कटौती नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) गत 6 माह से ग्रामीण/शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में कितनी मेगावाट बिजली दी जा रही है तथा इस समय तीनों क्षेत्रों में बकाया की क्या हालत है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर डिस्काम में विद्युत उपलब्धतानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 6 घन्टे के ब्लाक में तीन फेज तथा सायंकाल 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिंगल फेज सप्लाई दिये जाने के आदेश हैं। आदेशों का उल्लंघन कर ज्यादा सप्लाई देने वाले कर्मचारियों पर निगरानी रखकर कार्यवाही की जा रही है।

(2) जोधपुर डिस्काम के शहरी क्षेत्रों में दिन के समय ब्लाक व क्षेत्र के अनुसार 2 से 4 घंटों की नियमित कटौती की जा रही है। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों में कोई कटौती नहीं की जा रही है। विद्युत उपलब्धता कम होने पर औद्योगिक क्षेत्रों में भी कटौती की जा सकती है।

(3) जोधपुर डिस्काम के अन्तर्गत गत 6 माह से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 438 मेगावाट तथा शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 312 मेगावाट बिजली दी जा रही है। जोधपुर डिस्काम के अन्तर्गत आने वाले जिलों में बकाया की सूची प्रपत्र "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विद्युत कम्पनियों द्वारा विश्व बैंक से ऋण

79. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार व विद्युत कम्पनियों ने विश्व बैंक से ऋण लिया है? यदि हां, तो कितना-कितना, कब-कब, किस-किस कार्य के लिए तथा उक्त का किस-किस कम्पनी ने कितना-कितना उपयोग किया?

(2) क्या ऋण देने के पहले विश्व बैंक ने कोई शर्तें लगाई थीं? यदि हां,

(श्री हरजीराम बुरड़क)

तो क्या-क्या शर्तें थीं जिन की पालना सरकार ने किस सीमा तक की?

(3) क्या उक्त शर्तों में उपभोक्ताओं से वसूल करने वाली दरों के बारे में कोई शर्तें थीं? यदि हां, तो क्या-क्या और उक्त की पालना कहां तक की गई और किस प्रकार से कब तक और शर्तों की पालना करनी है?

उत्तर

(1) जी हां। विश्व बैंक से 18 करोड़ डालर (लगभग 850 करोड़ रुपये) के ऋण हेतु करार माह फरवरी 2001 को हुआ है। जिसे मुख्यत: प्रसारण एवं वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण, विद्युत हानियां कम करने, कैपेसिटर लगाने, मीटरिंग का सामान क्रय करने के लिए, सामान को लगाने के लिए सिविल व श्रमिक कार्य हेतु तथा तकनीकी सहायता हेतु दिया गया है। माह जनवरी, 2003 के अन्त तक परियोजना पर किये गये व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

विवरण	सामान क्रय	सिविल एवं श्रमिक कार्य	तकनीकी सहायता	योग
व्यय की गई राशि	143.07	1.54	7.23	151.84

कम्पनीवार व्यय स्थिति निम्न प्रकार से है:-

कम्पनी	प्रसारण	उत्पादन	जयपुर वितरण	अजमेर वितरण	जोधपुर वितरण	योग
व्यय	28.7	0.24	38.62	40.42	43.86	151.84

(2) विश्व बैंक से हुए ऋण समझौते की मुख्य शर्तें परिशिष्ट-क पर संलग्न है। इन शर्तों की पालना यथासम्भव की जा रही है।

(3) विश्व बैंक से किये गये ऋण के करार में वित्तीय पुनसंरचना योजना में वर्णित वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विद्युत दर याचिका नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, वैसे भी राजस्थान पावर सैक्टर सुधार अधिनियम, 1999 के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार वितरण कम्पनियों को प्रत्येक वर्ष नियामक आयोग के समक्ष वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं उसकी पूर्ति के दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का कानूनी प्रावधान है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों पर भर्ती

80. डा. राम प्रताप (हनुमानगढ़): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पशु चिकित्सकों के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं तथा उनमें कितने पद कहां-कहां पर कब-कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के स्वीकृत पदों की सूची ''क'' तथा उनमें रिक्त पदों की सूची ''ख'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। पदों को भरे जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

संचालक मण्डल के कार्यकाल वृद्धि पर रोक

81. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य के विभिन्न जिलों के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 4 फरवरी, 2003 को समाप्त हो गया? यदि हां, तो क्या सरकार ने दिनांक 10.2.2003 तक कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी किये? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या अध्यक्षों व संचालकों को प्राप्त सुविधा समाप्त कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त में कौन-कौन उत्तरदायी है और सरकार उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त के कार्यकाल बढ़ाने पर स्थगन आदेश जारी किया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के 10 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के निर्वाचित संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण हो गया। राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं। सहकारी अधिनियम, 2001 में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। संचालक मण्डल कार्यरत है, अतः सुविधाएं समाप्त नहीं की जा सकतीं।

(3) कोई उत्तरदायी नहीं है। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(राज्य मंत्री, डेयरी)

(4) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अजमेर के बारे में स्थगन आदेश दिये, प्रति संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला अजमेर के किसानों को चारा क्रय करने हेतु ऋण

82. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला अजमेर के किसानों को चारा क्रय करने हेतु ऋण उपलब्ध कराने की योजना इस वर्ष प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो क्या योजना व किस-किस नियम प्रक्रिया के अन्तर्गत किस बैंक के माध्यम से?

(2) उक्त जिले के किस-किस बैंक में उक्त हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कब-कब हुए एवं किस-किस को कब-कब, कितना-कितना ऋण उपलब्ध कराया गया और किस-किस को क्यों नहीं कराया गया?

(3) क्या उक्त में अनियमित तरीके से प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया? यदि नहीं, तो कैसे?

(4) क्या चारा सहकारी समिति द्वारा सदस्यों को मात्र 1000 रुपये के ऋण दिये गये? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। योजना व नियम प्रक्रिया के परिपत्रों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अजमेर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक अजमेर, भूमि विकास बैंक, अजमेर व केकड़ी के माध्यम से योजना प्रारम्भ की गई है।

(2) सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

(4) जी नहीं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पेंशनर्स को दवाइयों के बिलों का पुनर्भरण

83. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पेंशनर्स द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा अनुपलब्ध दवाइयों का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के आधार पर बाजार से खरीदी गई दवाइयों के बिलों का पुनर्भरण नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अब पेंशनर्स को तुरन्त दवाइयों के बिलों का पुनर्भरण करने

(श्री रमेश खींची)

एवं भविष्य में भी समय पर पुनर्भरण करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह सही है कि पेंशनर्स द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा अनुपलब्ध दवाइयों का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र के आधार पर बाजार से खरीदी गई दवाईयों के बिलों का पुनर्भरण किया जा रहा था, किन्तु वर्तमान पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजनान्तर्गत कोष उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में तथा बड़ी राशि इस कोष के विरुद्ध बकाया रहने के कारण अनुपब्धता प्रमाण पत्र के आधार पर बाजार से खरीदी गई दवाइयों के बिलों का पुनर्भरण सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(2) जी हां। पुनर्भरण की व्यवस्था एक सतत् प्रक्रिया का भाग है एवं पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजनान्तर्गत राशि उपलब्ध होते ही पुनर्भरण की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखने के पूरे प्रयास में है।

जिला डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भूरिया कमीशन रिपोर्ट का क्रियान्वयन

84. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला डूंगरपुर व बांसवाड़ा में जिलेवार सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के कितने-कितने पद हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में उक्त पदों पर कितने-कितने गैर आदिवासी व्यक्ति निर्वाचित हैं? नाम व जातिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पदों पर आदिवासी वर्ग के कितने-कितने व्यक्ति निर्वाचित हैं? नाम व जाति के पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) केन्द्र सरकार द्वारा गठित भूरिया कमीशन के रिपोर्ट की क्रियान्विती में कितना समय लगेगा? कमीशन की रिपोर्ट का सार क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त जिलों में आदिवासी व हरिजन का जिलेवार कुल जनसंख्या का कितना-कितना प्रतिशत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर व बांसवाडा जिलों में सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख के पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) बांसवाडा एवं डूंगरपुर जिलों में उक्त पदों पर कोई गैर आदिवासी व्यक्ति निर्वाचित नहीं है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) उक्त सभी पदों पर आदिवासी वर्ग के व्यक्ति निवाचित हैं। निर्वाचित व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) भारत सरकार द्वारा गठित भूरिया कमेटी की सिफारिश थी कि जनजातियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराऐं अन्य जातियों से भिन्न होती हैं इसलिये जनजाति क्षेत्रों की पंचायतों में समान प्रावधान लागू न होकर विभिन्न कानूनों में कैसे प्रावधान होने चाहिये कि जमीन, जंगल, एवं संसाधनों का प्रबन्ध एवं सुरक्षा ग्राम सभा के पास रहे। विवादों का निपटारा भी पारस्परिक रिति–रिवाजों के अनुसार होवें। भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित किया गया। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत प्रावधान लागू करने के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 लागू करते हुए अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आधिक से अधिक निर्णय लेने की शक्तियां प्रदत्त की गई है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभागों के अधिनियम एवं नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया जैरकार है।

(5) बांसवाडा एवं डूंगरपुर जिलों में आदिवासी एवं हरिजन का प्रतिशत निम्न प्रकार से है :-

जिला	आदिवासी	हरिजन
बांसवाड़ा	73.47%	वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 5% है। हरिजन के आंकड़ों का प्रतिशत अलग से उपलब्ध नहीं है।
डूंगरपुर	65.85%	1991 की जनगणना के आधार पर हरिजन (अ.जा.) की जनसंख्या 4.61% है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत अनौपपुरा (जयपुर) के अपूर्ण निर्माण कार्य

85. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अनौपपुरा पंचायत समिति आमेर जिला जयपुर में दिनांक 15.8.1999 व 2.10.1999 को ग्राम सभा का आयोजन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया गया था? यदि हां, तो दोनों ग्राम सभाओं के आयोजन की समस्त कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दोनों ग्राम सभाओं में निर्माण कार्य/विकास कार्य के प्रस्ताव लिये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से निर्माण कार्य व विकास कार्य के प्रस्ताव लिये हैं व उनमें से कितने निर्माण कार्य/विकास कार्य पूर्ण करवा लिये गये व कितने कार्य अपूर्ण हैं व कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपूर्ण व प्रस्तावित निर्माण कार्य/विकास कार्यों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दोनों ग्राम सभाओं की कार्यवाही विवरण की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'')

(2) जी हां। दिनांक 15 अगस्त, 1999 एवं 2 अक्टूबर, 1999 की ग्राम सभा में निर्माण एवं विकास कार्यों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव लिये गये हैं उनकी पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई।

(3) जी हां। विभाग द्वारा ग्राम सभा के आयोजन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों में यह हिदायत जारी की हुई है कि ग्राम सभाएं आबंटित बजट सिलिंग को ध्यान में रखते हुए ही विकास कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत करें, ताकि वे आबंटित धनराशि में ही कार्य पूर्ण करा सकें। उपरोक्त ग्राम सभाओं में लिये विकास कार्यों के प्रस्तावों की सूची जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर को भिजवाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत फतेहगढ़ (अजमेर) के सरपंच के निलम्बन की जांच

86. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत समिति अराई अजमेर की ग्राम पंचायत फतेहगढ़ की सरपंच को निलम्बित किया था? यदि हां, तो किस आदेश से?

(2) क्या उक्त सरपंच ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया? यदि हां, तो कब व क्या? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री सांवर लाल)

(3) क्या उक्त आदेश के बाद उक्त ग्राम पंचायत में कार्य सम्पादन हेतु कमेटी के गठन का आदेश जारी किया? यदि हां, तो किसके द्वारा व क्या?

(4) क्या न्यायालय के स्थगन के बाद उक्त आदेश जारी करना न्यायोचित है? यदि हां, तो कैसे?

(5) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के सरपंचों को परेशान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो उक्त आदेश का क्या औचित्य है?

उत्तर

(1) जी हां। सम्भागीय आयुक्त, अजमेर के आदेश क्रमांक प. 3/कोर्ट/जांच/सरपंच/115/2002/244 दिनांक 10.1.2003 से सरपंच, ग्राम पंचायत फतेहगढ़ पंचायत समिति, आराई को राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरान्त निलम्बित किया गया था। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 22.1.2003 में स्थगन आदेश को अप्रार्थी को तामील के बाद से प्रभावी माना है। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई।

(3) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की तामील दिनांक 27.1.2003 को होने के कारण जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 24.1.2003 के द्वारा पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 33(11) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के कार्य को सुव्यस्थित रूप से सम्पादित करने के लिये कमेटी का गठन किया गया। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। चूंकि जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 22.1.2003 में स्थगन आदेश को तामील के बाद से प्रभावी माना है। और स्थगन आदेश की तामील दिनांक 27.1.2003 को हुई, इससे पूर्व ही जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 24.1.2003 को कमेटी का गठन किया जा चुका था जिसे जिला कलक्टर द्वारा अब उक्त कमेटी का गठन निरस्त किया जा चुका है।

(5) जी नहीं। जिला कलक्टर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 33(11) के अन्तर्गत कमेटी के गठन करने के अधिकृत है, यदि उक्त नियम में वर्णित शर्तों की पालना सुचारू रूप से नहीं हो रही हो।

दिनांक 24.1.2003 का कमेटी का आदेश जिला कलक्टर द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत ऊंडसर (बीकानेर) द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच

87. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर तहसील नोखा की ग्राम पंचायत ऊंडसर के सरपंच ने जल होज निर्माण कुरजडी दिनांक 16 अगस्त, 2000 से 31 अगस्त, 2000 तक उपयोग में ली मस्टररोल संख्या 1021 में नियमित अध्ययनरत छात्र को कार्यरत बताकर अनियमितता करके भुगतान उठा लिया है? क्या उक्त सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है? यदि हां, तो कब किसके द्वारा? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच ने साजनवासी से जसरासर सड़क निर्माण के उपयोग में ली मस्टररोल संख्या 641025 में भी नियमित अध्ययनरत एक छात्र को कार्यरत बताकर अनियमितता करके भुगतान उठा लिया है? क्या उक्त सम्बन्ध में भी कोई जांच कराई गई है? यदि हां, तो कब किसके द्वारा? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सड़क निर्माण में उक्त सरपंच ने 200 मजदूरों को लगाना बताया था और वास्तव में 80 श्रमिक ही कार्य पर नियोजित किये थे? क्या उक्त सरपंच ने 120 मजदूरों का फर्जी भुगतान उठाया है? क्या उक्त प्रकरण की भी कोई जांच कराई गई है? यदि हां, तो कब किसके द्वारा? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सरपंच ग्राम पंचायत ऊंडसर के द्वारा की गई उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में पुलिस में धोखाधडी/फर्जी भुगतान उठाने का मामला दर्ज कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त सरपंच को अब चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) अब उक्त दोषी सरपंच को कब तक निलम्बित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त ग्राम पंचायत द्वारा जल होज निर्माण कुरजडा में उपयोग में लिये गये मस्टररोल संख्या 1021 के क्रमांक 10 पर श्री भगवानराम पुत्र श्री उम्मेदाराम निवासी साजनवासी उम्र 20 वर्ष का नाम अंकित किया गया था जबकि उक्त श्री भगवानाराम कक्षा 5 का नियमित छात्र है। इस सम्बन्ध में जांच अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीकानेर से करायी गयी थी। उनसे प्राप्त जांच प्रतिवेदन संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। उक्त सरपंच द्वारा साजनवासी से जसरासर सड़क निर्माण के उपयोग में लिये गये मस्टररोल संख्या 641025 में भी क्रम संख्या 12 पर श्री भगवानाराम का नाम दर्ज किया गया है जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय साजनवासी का नियमित छात्र है। इस तथ्य की जांच अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट प्रश्न के भाग संख्या-1 में संलग्न है।

(3) साजनवासी से जसरासर ग्रेवल सड़क की स्वीकृति दिनांक 21.4.2001 को जारी हुई थी जिसमें 80 श्रमिकों की स्वीकृति दी गयी थी जिसे बाद में संशोधित कर श्रमिक सीमा समय-समय पर बढायी गयी। उप खण्ड अधिकारी द्वारा की गयी जांच से यह पाया गया कि इस कार्य पर लगाये गये मजदूरों में से 15 मजदूर ऐसे पाये गये जिनकी उपस्थिति को साथी श्रमिकों एवं स्वयं मैट ने सत्यापित नहीं किया था। जबकि मस्टररोलों में इन सभी श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की गयी थी। उप खण्ड अधिकारी की यह रिपोर्ट संलग्न है।

(4) उक्त सरपंच द्वारा बरती गयी उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(5) प्रस्तावित विभागीय जांच पूर्ण होने के बाद प्रमाणित आरोपों का पूर्ण परीक्षण कर सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर ली जायेगी।

(6) प्रकरण का पूर्ण परीक्षण किया जाकर प्रामाणित आरोपों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(प्रतिवेदन विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पथ परिवहन निगम के चौमूं हाउस स्टोर में अनियमितता की जांच

88. श्री कुबेर सिंह (फलासिया): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न स्टोर में वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 में कहां-कहां अनियमितता के प्रकरण हुये और उक्त में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी थे? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरणों में थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई या विभागीय जांच की जाकर दोषियों को दण्डित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस को कब-कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर स्थित निगम के चौमूं हाउस स्टोर में चोरी होने का प्रकरण

(श्री कुबेर सिंह)

उजागर हुआ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण क्या था एवं कितनी राशि का था उसके लिये सरकार ने किस-किस कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की? क्या दोषियों के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई? रिपोर्ट की प्रति एवं दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निगम अब भी उक्त प्रकरण में दोषियों को दण्डित करने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न स्टोर्स में अनियमितता, गबन एवं चोरी के हुये प्रकरण एवं उक्त में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों का वर्षवार विवरण 2000-2001 से 2002-2003 का परिशिष्ट "1" "2" व "3" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त प्रकरणों में थानों में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट/निगम स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण खण्ड संख्या (1) के संलग्न परिशिष्ट "1" "2" व "3" में दर्शाया गया है।

(3) जी हां। निगम की केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर (चौमूं हाउस) के.आर. एण्ड.डी. स्टोर से दिनांक 25.11.2002 को वो आर.सी. क्राउन केज असेम्बलियां, गायब/चोरी हो गई जिनकी कीमत लगभग 16000/–रुपये से 17000/– रुपये थी। प्रकरण की निगम स्तर पर जांच की जाकर प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट "4" में दे दिया गया है।

प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दिनांक 29.11.2002 को थाना विधायकपुरी में दर्ज कराई गई। किसी भी कर्मचारी को रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया इसलिए नामजद रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई गई। दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "5" में संलग्न है।

(4) निगम उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध सम्बन्धित जांच के बाद कार्यवाही करने का विचार रखती है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकायल में रखी गयी)

जयपुर से अटेली (हरियाणा) बस संचालन

89. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से अटेली-हरियाणा (वाया बहरोड़, कान्हावास बेरीयल) व बहरोड़ (जिला अलवर) से वाया

(श्री मोहन लाल मोदी)

मांढण-कुण्ड-रेवाड़ी, बहरोड़ से अटेली, बहरोड़ से रेवाड़ी (वाया कुण्ड) आदि चलने वाली पथ परिवहन निगम की सभी बसें प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों के दवाब में बन्द कर दी गई? यदि हां, तो क्यों, उक्त रूट्स की बसों का विवरण मय समय सारणी के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रूट्स पर निगम बसें बन्द हो जाने व प्राइवेट बसों द्वारा गन्तव्य स्थल तक पहुंचाने में समय व किराया बहुत ज्यादा लिये जाने से ग्रामीणजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है? यदि हां, तो समाधान हेतु सरकार क्या कर रही है?

(3) क्या सरकार उक्त रूट्स पर पुनः निगम बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। संचालन के अनार्थिक होने के कारण सेवाओं का संचालन वर्ष 1988 से बन्द किया गया है।

(2) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी सरकार अपने स्तर पर सर्वेक्षण करवाकर यथोचित कार्यवाही करेगी।

(3) सर्वेक्षण के पश्चात इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

मुख्य प्रबन्धक आबूरोड के विरुद्ध जांच

90. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आबूरोड के पथ परिवहन निगम के मुख्य प्रबन्धक श्री एस.के. सिंह के विरुद्ध रोडवेज के सतर्कता विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? उक्त के विरुद्ध प्राप्त रिपोर्ट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि लोकायुक्त राजस्थान द्वारा उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में रोडवेज प्रशासन को प्रेषित पत्र का अब तक जवाब नहीं दिया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त के विरुद्ध जिन कर्मचारियों द्वारा शिकायत की गई थी उनका श्री सिंह द्वारा निगम प्रशासन को झूठी रिपोर्ट करके स्थानान्तरण व निलम्बन जैसी कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आबूरोड के मुख्य प्रबन्धक के विरुद्ध रोडवेज की सतर्कता शाखा द्वारा जांच की गई। श्री एस. के. सिंह ने इस

(यातायात मंत्री)

जांच पर ज्ञापन दिया है कि सतर्कता शाखा द्वारा की गई जांच में उसका पक्ष नहीं सुना गया, जांच एक तरफा व पक्षपातपूर्ण है, इसलिए उसे भी सुना जावे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने उच्च स्तर से जांच सम्पादित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में यह जांच कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) यह कथन सही नहीं है कि निगम द्वारा लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्र का जवाब नहीं दिया गया। बल्कि आबूरोड़ मुख्य प्रबन्धक श्री शिव कुमार सिंह के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर महाप्रबन्धक (संचालन-III) से जांच कराई गई तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट में आरोप तथ्यहीन पाये जाने पर तद्नुसार रिपोर्ट पत्र क्रमांक 746 दिनांक 29.7.2002 द्वारा सचिव लोकायुक्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

(3) यह सही नहीं है कि निगम प्रशासन द्वारा झूंठी रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्त्ताओं का स्थानान्तरण/निलम्बन किया गया है बल्कि प्रशासनिक कारणों से कुछ स्थानान्तरण किये गये हैं।

पथ परिवहन निगम से टैक्स के रूप में आय

91. श्री अमराराम (धोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत चार वर्षों में राज्य पथ परिवहन निगम से राज्य सरकार को टैक्स के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उक्त अवधि में प्राइवेट बस मालिकों ने कितना टैक्स राज्य सरकार को दिया?

(2) वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम राज्य के कितने प्रतिशत सड़क मार्गों पर चल रही है तथा कितने प्रतिशत सड़क मार्गों पर निजी बसें चल रही है?

(3) वर्तमान में कितने आगार हानि/लाभ में हैं? आगारवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में राज्य सरकार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं प्राइवेट बस मालिकों से स्पेशल रोड टैक्स के रूप में लगभग जो राशि प्राप्त हुई है, उसका विवरण निम्नानुसार है :–

प्राप्त राजस्व (रुपये लाखों में)

वर्ष	राज. राज्य पथ परिवहन निगम से	प्राइवेट बस मालिकों से प्राप्त स्पेशल रोड टैक्स
1998-1999	5543.00	5454.60
1999-2000	5038.28	7130.10
2000-2001	2599.96*	8003.90
2001-2002	1699.97*	6566.90

* निगम द्वारा वर्ष 2000-2001 में व 2001-2002 में क्रमशः विशेष पथकर की देय राशि रु. 5883.05 लाख रु. व 5666.47 लाख थी।

(यातायात मंत्री)

(2) वर्तमान में राजस्थान राज्य में कुल सड़क मार्गों की संख्या–5830 हैं, जिसमें से 53.92 प्रतिशत मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित है तथा 46.08 प्रतिशत मार्गों पर निजी बसें संचालित है।

(3) वर्ष 2002-2003 (अप्रेल, 2002 से जनवरी, 2003) में निगम के 48 आगारों में से 40 आगार हानि में एवं शेष 8 आगार लाभ की स्थिति में चल रहे हैं। आगारवार लाभ/हानि की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

सरकारी वाहन के बावजूद अनुबन्धित वाहन उपयोग पर रोक

92. श्री कन्हैया लाल (ब्रस्सी): क्या स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने विभागीय वाहन सुविधा होने के बावजूद भी अनुबन्ध पर टैक्सी कार/वाहन लेने की छूट दे रखी है? यदि हां, तो कब से? उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अनुबन्धित कार/वाहनों का सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निजी उपयोग करने के मामले सामने आये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी इसमें दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार अनुबन्धित वाहनों पर रोक लगाकर आर्थिक बचत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) लागू ही नहीं होता है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) डा. रतनलाल जाट, सदस्य की ओर से जिला भीलवाड़ा की पंचायत समिति जयपुर के विकास अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से जन कल्याण गोपाल गौशाला मारोठ, नागौर को भूमि का आबंटन करने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(3) श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा "लैण्ड फोर लैण्ड" समझौते के तहत किये गये भूमि आबंटन के सम्बन्ध में।

(4) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से श्रीकृष्ण गौशाला जालेड़ा, बारां की भूमि की खातेदारी श्रीकृष्ण गौशाला नगरपालिका के नाम परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं, अत: स्थगन प्रस्ताव के रूप में अनुमति देने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

नियम–295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से राज्य में अकाल राहत कार्यों में लगे व्यक्तियों का रोजगार नौ दिन से बढ़ाकर कम से कम बीस दिन करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री घनश्याम जैन, सदस्य की ओर से रावतभाटा स्थित अणुशक्ति परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य की ओर से तहसील जैतारण के ग्राम बाजाकुंडी के पास टूटी हुई रपट को ठीक करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से अलवर से अमृतसर के लिये सीधी बस सेवा चालू करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से पंचायत समिति चिड़ावा के ग्राम गिडाणिया के विद्यालय में बनाये गये हॉल में दरार पड़ जाने की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री नगराज मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से पुलिस पिटाई से एक फौजी की हुई मृत्यु की जांच सी.बी.आई. से करवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री नाथूलाल गुर्जर, सदस्य की ओर से बूंदी की जी.पी. सिवाल प्रोटींस एवं इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि. द्वारा पॉम आयल को सोया बताकर सप्लाई करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री संजीव बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा की सड़कों का डामरीकरण करवाने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री केसाराम चौधरी। (अनुपस्थित)। (व्यवधान)

श्री घनश्याम जैन। आप चाहते हो जैसे चलाएं। (व्यवधान) काइं के लिये एडजोर्न करें। (व्यवधान) श्री घनश्याम जैन, 295 पढ़िये।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

रावतभाटा स्थित अणुशक्ति परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रावतभाटा में राजस्थान अणुशक्ति परियोजना की चार इकाइयां कार्यरत हैं एवं पांचवीं व छठी इकाई का शिलान्यास आपके ही कर कमलों से होकर निर्माण कार्य हो रहा है। इसमें निर्माण कार्य अधिकांश बाहर की कम्पनियों द्वारा किया जाता है।

रावतभाटा तहसील में करीब दो-तीन हजार बेरोजगार हैं, मगर इन कम्पनियों द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार पर नहीं लगाया जा रहा है। इससे सभी युवा बेरोज़गार साथियों में भयंकर आक्रोश है। छोटे-छोटे कार्यों के लिये जैसे- सुधार, बेलदार आदि के लिये भी स्थानीय लोगों को कार्य पर नहीं लेने से आये दिन चक्का जाम, धरना व आन्दोलन चलता रहता है। पूर्व में भी स्थानीय लोगों के साथ ज्यादतियां की गई हैं।

अभी भी करीब सात रोज से बेरोजगार साथी धरने पर बैठे हैं एवं दिनांक 1.3.2003 से आमरण अनशन पर बैठने का नोटिस भी दे रहे हैं। बेरोजगारों की समस्याओं के निदान हेतु रावतभाटा, प्रवास के दौरान भी आपसे निवेदन किया था मगर भारत सरकार का उपक्रम होने से स्थानीय बेरोजगारों को प्रशासन तरजीह नहीं देता है एवं झूठे मुकदमे बनाकर गरीब बेरोजगारों को फंसाते रहते हैं।

चूंकि अब की बार बेरोजगार साथी ज्यादा ही परेशान हैं, अत: आपसे निवेदन है कि भारत सरकार को पत्र लिखकर स्थानीय बेरोजगारों को योग्यता अनुसार कार्य दिलाने हेतु बाध्य करावें अन्यथा सारे क्षेत्र में वातावरण पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। आशा है कि व्यक्तिगत रूप से ध्यान फरमाकर स्थानीय बेरोजगार साथियों को काम दिलाने हेतु अपने प्रभाव का फायदा दिलाने का श्रम फरमाएंगे। धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इस प्रकार का रवैया अपनाया है, हम इसके विरोध में, क्योंकि जनता प्यासी मर रही है, केन्द्र का पैसा आपके पास

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है, आप खर्च कर सकते नहीं, अयोग्यता अपनी जाहिर कर रहे हो। इसलिये हम बहिर्गमन करते हैं।

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल। (अनुपस्थित)। श्री ज्ञानदेव आहूजा। (अनुपस्थित)। श्री श्रवण कुमार।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो सरकार पैसा होते हुए भी पैसे का उपयोग नहीं कर सके, जनता को प्यासा मारे, इसके विरोध में हम भी सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): अगर मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो, तो आधा घण्टे की चर्चा की जा सकती है। तीन–चार तारीख को इस पर सदन में चर्चा है। आप बात का बंतगड़ क्यों बनाना चाहते हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : इनको चर्चा सुननी थोड़े है। यह जवाब सुन रहे थे, आपने पैसा खर्च नहीं किया, इन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, वह सुनना नहीं चाहते थे, इसलिये चले गये। यह जवाब सुनना चाहते ही नहीं थे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस पर आधा घण्टे की चर्चा करवा ली जाए।

श्री श्रवण कुमार : सुमित्रा जी, चर्चा करवा लेना, बाहर घूमकर आओ एक बार।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, माननीय सदस्या द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिड़ाणिया (झुंझुनूं) के हॉल में पड़ी दरार की जांच

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि ग्राम रा.उ.मा.वि. गिडाणिया पंचायत समिति चिड़ावा झुंझुनूं में पांच वर्ष पहले सांसद कोटे से एक हॉल बनाया गया था। दो वर्ष के भीतर ही वह फट गया और दरार पड़ी हुई है। इस प्रकार सरकार के पैसे का दुरूपयोग हुआ है। इसके लिये पूर्व विधान सभा में 295 के तहत बोला गया था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज पुनः इसके बारे में आपको अवगत करवाता हूं कि सरपंच व विकास अधिकारी, जे.ईएन. व एक्स.ईएन. के खिलाफ कार्यवाही करवाएं। इस प्रकार विधान सभा की कार्यवाही को अनसुना कर देना यह बहुत बड़ा धक्का है।

कृपया दोषियों के खिलाफ पैसे की रिकवरी और वसूली की कार्यवाही की जावे। उक्त हॉल छह लाख रुपये की लागत से बना हुआ है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नगराज मीणा।

विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री नगराज मीणा (लसाड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया, तहसील धरियावद के रा.उ.मा. विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की एवं प्राथमिक विद्यालयों में लम्बे समय से चले आ रहे रिक्त पदों को शीघ्रताशीघ्र भरा जाए। पद खाली रहने से आदिवासी छात्र-छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही माध्यमिक विद्यालय अग्गड़ में केवल एक पी.टी.आई. से विद्यालय चल रहा है, उसमें भी अध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति की जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

पुलिस पिटाई से हुई फौजी की मृत्यु की जांच

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि माह सितम्बर, 2002 देवली तहसील की ग्राम पंचायत सांवलगढ़ के ग्राम जाल का झूंपड़ा निवासी एवं सेना से ग्यारहवीं ग्रेनेडियर बटालियन में गंगानगर तैनात जवान श्योसिंह उर्फ शिवसिंह मीणा, आयु 27 वर्ष इन दिनों छुट्टियों पर आया हुआ था। वह इस दौरान गुरुवार शाम को अपनी बुआ एवं फूफा से मिलने टीकड़ गांव गया था। शनिवार को उसे वापस डयूटी पर जाना था। अपनी बुआ से मिलने के बाद शाम 7 बजे टीकड़ से लौटते समय पुलिस चौकी की दीवार के पास लगे सार्वजनिक हैण्डपम्प पर थाने की रखी हुई बाल्टी को उठाकर एक तरफ हटाकर प्यास बुझाने वाले सैनिक को स्थानीय थाना पुलिस चौकी के सिपाहियों द्वारा अश्लील गाली-गलोच से सम्बोधित करने के साथ ही उसे घसीटते हुए थाने में ले गये जहां उसे लात-घूंसों से बेरहमी से मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया।

इस समस्त घटना के चश्मदीद गाड़िया लुहार समाज की नवयुवती आज भी वास्तविक घटना का सरेआम बयान करती है। आस-पास रहने वाले नागरिकों, दुकानदारों, राहगिरों ने भी यह नजारा देखा और विरोध किया। बाद में उग्र आन्दोलन भी किया। फौजी को पुलिस द्वारा देवली अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे बूंदी रैफर कर दिया गया। वहां देर रात फौजी की मौत हो गयी। पुलिस संरक्षण में ही बिना बोर्ड गठित किये पोस्टमार्टम कराया गया। आम जनता ने आन्दोलन किया कि मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम कराया जावे, फौजी की सम्बन्धित बटालियन गंगानगर को सूचित किया जावे और दोषियों को पकड़ा जावे। ऐसा नहीं कर नलकी के माध्यम से मृत लाश की भोजन नली में एल्ड्रिन डाली गयी। सम्बन्धित बटालियन को सूचित नहीं किया गया, सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार नहीं किया गया और दोषी पुलिसकर्मियों को निर्दोष करार दिया गया।

(श्री कन्हैया लाल)

भारतवर्ष के रखवाले के साथ राजस्थान पुलिस की इस तरह की बेरहमी हिटलरशाही का जीता जागता उदाहरण है।

अतः जनमानस एवं राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दे को सी.बी.आई. से जांच करायी जावे एवं दोषी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा के साथ मृत सैनिक को शहीद करार देकर इसके परिजनों को 20 लाख नगद एवं नियमानुसार राजस्व कृषि भूमि आबंटित की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल गुर्जर। आप बिराजिये।

जी.पी. सिवाल प्रोटीन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड बूंदी द्वारा पाम आयल को सोया बताकर सप्लाई

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिन्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जिला बूंदी के राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर बालाजी रामगंज-बूंदी में जी.पी. सिवाल प्रोटीन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी अपने खाद्य तेल उत्पादन पाम आयल, सरसों का तेल व अन्य अखाद्य तेल मिलाकर सोयाबीन तेल चम्बल के नाम से देश के कौने-कौने में बेच कर आम आदमी के स्वास्थ्य के खिलवाड़ कर रही है। 16 जून, 2001 को केशवराय पाटन के मैसर्स श्री कृष्ण. प्रोपराइटर श्री नाथ चित्तौड़ा की दुकान से 15 लीटर के टिन से जांच सैम्पल लेकर कोटा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच डिफेक्टिव पायी गयी। सैम्पल फैल होने का मुकदमा आज भी सी.जे.एम. कोर्ट, बूंदी में विचाराधीन है। इसी प्रकार असंख्य मामले यह कम्पनी अपनी ऊंची पहुंच एवं धनबल से दबाती रहती है और मानव स्वास्थ्य के साथ विश्वासघात करती रही है। सरकार सोती रही। आज भी धड़ल्ले से सर्वाधिक प्रचलित बिकने वाला मिलावटी सोयाबीन आम जनता, आप और हम जाने-अनजाने में खा रहे हैं। इस चोरी-छिपे मिलावटी तेल के साथ-साथ जी.पी. सिवाल ने अपनी विशालकाय धुक-धुक धुंआ देती चिमनी बहुत नीची राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोल रखी है। जिससे वातावरण में कार्बनडाईआक्साइड एवं अन्य जहरीली गैसें समाहित होकर यहां के बाशिंदों का स्वास्थ्य खराब होता चला जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन अपने कच्चे एवं तैयार माल के आवागमन के सैकड़ों ट्रक राजमार्ग को अवरूद्ध कर खड़े कर दिये जाते हैं जिससे कई बार इमरजेंसी सेवाएं बाधित हो जाती हैं। इस मार्ग से गुजरने वालों का समय ट्राफिक जाम से खराब हो जाता है।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मिलावटी खाद्य तेल, चिमनी के धुएं एवं राजमार्ग अवरद्ध करने के मामले में जहां खाद्य तेल उपभोक्ता,

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

आमजन ठगासा महसूस करने के साथ चिमनी के धुएं व राजमार्ग अवरुद्ध करने से भारी जनाक्रोश व्याप्त है। अत: शीघ्र कड़ी कार्यवाही कर इस उत्पादन पर रोक लगायी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संजीव बेनीवाल।

माननीय सदस्य, आप बिराजो, हो गया आपका।

भादरा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण

श्री संजीव कुमार (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्य संवत 2056 एवं संवत 2057 के दौरान नाबार्ड योजना आर.आई.डी.एफ. 6 के तहत अकाल प्रभावित क्षेत्र भादरा में निम्नलिखित 7 सड़कों की स्वीकृति की गयी :-

1. भादरा–राजगढ़ सड़क से पचारवाली	3 किलोमीटर
2. बोझला से मेहलिया सड़क	3 किलोमीटर
3. शेरडा से गालड़ सड़क	3.50 किमी.
4. सम्पर्क सड़क लाखनवास	5 किलोमीटर
5. भाडी से मालकस सड़क	4 किलोमीटर
6. मलसीसर से कालवास सड़क	5 किलोमीटर
7. जिगासरी बड़ी से डूंगरसिंहपुरा सड़क	4 किलोमीटर

उपरोक्त सड़कों पर डब्ल्यू.बी.एम. एक परत का कार्य स्वीकृत किया गया था जिस पर सामग्री का कार्य ठेकेदार द्वारा एवं मजदूरी का कार्य अकाल राहत श्रमिकों द्वारा किया गया था। यह सभी सड़कें अकाल प्रभावित ग्रामों में ली गयी थीं। वर्तमान में यह सड़कें किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं हैं। उपरोक्त सभी सड़कों में अर्थवर्क एवं एक परत डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। आज इन सड़कों के अधूरा पड़ा रहने से गांवों के रास्ते भी अवरूद्ध हो चुके हैं जिसकी वजह से यातायात को सुचारू रूप से चलाना भी असम्भव-सा हो गया है। क्षेत्र के लोगों की परेशानी को देखते हुए उक्त सड़कों का डामरीकरण करवाया जाना अति आवश्यक है। अत: भादरा विधान सभा क्षेत्र की उक्त सड़कों का डामरीकरण शीघ्र करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रतनलाल जाट। हां 295.

डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन था, 295 नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : तो?

डा. रतनलाल जाट : स्थगन प्रस्ताव है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो हो गया, स्थगन प्रस्ताव तो निपट गये।

डा. रतनलाल जाट : स्थगन प्रस्ताव है मेरा, साहब। दो मिनट का समय चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका 295 नहीं है?

डा. रतन लाल जाट : साहब, इसी पर बोल लेता हूं, और क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं है तो क्यों बोल लेते हो?

डा. रतनलाल जाट : 295 तो नहीं है, स्थगन प्रस्ताव दे रखा है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसारामजी।

अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों के रोजगार दिवस बढ़ाने बाबत

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछले पांच वर्षों से इस शताब्दी का भीषण अकाल की भयावही स्थिति को देखते हुए। राजनीति से प्रेरित अकाल राहत के कार्य प्रारम्भ किये हुए। वैसे तो यह कार्य तीन वर्ष पूर्व करने चाहिए थे लेकिन अगस्त, 2002 से प्रारम्भ किये हैं। अतः दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं यह राहत कार्य भी अपने आप में असहाय और विकलांग है क्योंकि एक भूखे परिवार व अकाल पीड़ित परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जा रहा है। वह भी अपने आप में पंगु अवस्था में मात्र नौ दिन का रोजगार दिया जा रहा है जो अपने आप में परिवार पशुधन को पालने के लिए बिलकुल पर्याप्त नहीं है।

मेरी प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत सरकार से मांग है और करबद्ध निवेदन है कि प्रति व्यक्ति नौ दिन के रोजगार को बढ़ाकर कम से कम 20 दिन का किया जावे। ताकि अकाल पीड़ित स्वयं का व पशुधन का पालन पोषण किया जाये। साथ ही पशुओं के लिए चारे का अनुदान भी बढ़ाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

ग्राम बाजाकुंडी (जैतारण) के पास टूटी हुई रपट की मरम्मत

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम बाजाकुंडी के पास जैतारण से मेड़ता रोड की सड़क पर बाजाकुंडी नदी पर जो रपट करोड़ों रुपये खर्च कर जिसका निर्माण करवाया गया था। उस रपट पर बरसात के ज्यादा पानी के आने व बहाव के कारण दो वर्ष पूर्व 150 या 200 फुट की लम्बाई में वह रपट वह

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

गयी थीं जिसके कारण पांच दिन तक ट्रेफिक जाम रहा था। आदमियों का पैदल भी आना-जाना नहीं हुआ था और काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। बाद में अस्थाई तौर पर मुड व पत्थर डालकर रास्ता बनाया। वह अभी तक कायम है। यह तो ठीक रहा कि इस साल बरसात नहीं हुई जिस कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैंने लिखित में व कई बार मौखिक अधिकारियों को निवेदन किया परन्तु अभी तक उसे ठीक नहीं किया गया है। अगर अप्रैल तक ठीक नहीं किया गया तो करोड़ों रुपये से बनी रपट सारी टूट जावेगी, जिसको फिर कभी भी ठीक नहीं किया जा सकेगा व मेरे विधान सभा क्षेत्र के करीब 70 ग्रामों के आने जाने का रास्ता बरसात के समय बन्द हो जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि तुरन्त उक्त रपट को ठीक करवाकर रास्ता सही किया जावे व जिन अधिकारियों ने लापरवाही की हैं उन्हें दण्डित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा। (अनुपस्थित)।

श्री अमरा रामजी। यह पर्ची आपकी है न?

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

ग्राम लेटा (बाड़मेर) की पहाड़ियों में अवैध खनन

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जालौर शहर के बिलकुल नजदीक एक ग्राम है लेटा। लेटा की पहाड़िया में पिछले आठ साल से लगातार धड़ल्ले-से अवैध खनन हो रहा है। वह पहाड़ी है वहां के माइनिंग इंजीनियर की नाक के नीचे है लेकिन तत्कालीन माइनिंग इंजीनियर और वर्तमान माइनिंग इंजीनियर के सहयोग से लाखों रुपये का नुकसान रायल्टी और किराये के अन्दर सरकार को हो रहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा है कि चौथे महीने के अन्दर अवैध खनन वालों को पकड़ा, उसके बाद नवें महीने के अन्दर पकड़ा। वहां चार-चार महीने में एक आध मुकदमा बना देते हैं और थोड़ी बहुत राशि पैनल्टी की बांध देते हैं लेकिन आये दिन यह हो रहा है। पहाड़ी माइनिंग आफिस से एक किलोमीटर दूर है, वह कीमती पत्थर है। हजारों टन पत्थर है,वह वहां से निकाला जा रहा है लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह मालूम है कि वहां के ग्रामवासियों ने

(श्री अमराराम चौधरी)

विधिवत रूप से लीज पर माइन्स लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किये थे। उन प्रार्थना पत्रों पर आज दिन तक गौर नहीं किया जा रहा है। किसी एक को भी खान लेटा पहाड़ियों के अन्दर आबंटित नहीं की गयी। इसका क्या कारण है? माननीय मंत्रीजी, इसके लिए वहां के ग्रामवासियों ने आवेदन पत्र नियमानुसार दिये हैं उनको आप अब कब आबंटित करने जा रहे हैं? उनको तो आप आबंटित कर नहीं रहे हैं और उनको देने जा रहे हैं जो कि आठ साल से लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। एक ब्लाक 250 रुपये के अन्दर जा रहा है। लाखों टन माल यहां से चला गया। वहां अवैध मकान बना लिये गये। उनके विरुद्ध भी अभी तक आपने कोई कार्यवाही नहीं की है। माननीय मंत्रीजी, इस बारे में आप कहना क्या चाह रहे हैं? ए.ईएन. हैं जो तत्कालीन ए.ईएन. हैं, जिन्होंने सरकार के धन का दुरूपयोग किया है, लाखों रुपये उन्होंने अपनी जेब में डाले हैं वे लोग उन्हीं को खान अलाट करते हैं, जो उनकी भेंट पूजा करते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपके सामने यह सारा नक्शा है, इतनी रायल्टी बनती है, इतना अवैध खनन हुआ है और वह सारे पैसे उनकी जेबों में गये हैं उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र उस गांव के लोगों ने, जिन्होंने खान आबंटन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किये हैं उनको आप खान आबंटन करें। एक व्यक्ति जो बार-बार अवैध खनन कर रहा है और आप साल में एक मुकदमा उसके खिलाफ बनाते हैं जबकि रोजाना पत्थर जा रहा है। उसको रोकने के लिए आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार से अवैध खनन करने वालों के साथ आपके विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है। उनके खिलाफ आप अवलिम्ब क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

डा. रतनलाल जाट : मंत्रीजी बोल रहे हैं तैयार हैं, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल इन्दौरा (खान मंत्री) : आज इनका प्रश्न लगा था। उसका नम्बर आया नहीं है। इनको मैंने डिटेल में इन्फोरमेशन दे दी है। इसके अलावा भी मेरे से चैम्बर में आकर बात कर लेंगे। मैं बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

ग्राम जालोड़ा (बारां) में गौशाला की भूमि का आबंटन

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, बारां जिले के अटरू विधान सभा क्षेत्र में जालेड़ा गांव में श्रीकृष्ण गौशाला है। उस श्रीकृष्ण गौशाला के नाम 280 बीघा जमीन है। वह जमीन कोटा रियासत के समय में तत्कालीन नरेश श्री रामसिंहजी ने

(श्री मदन दिलावर)

बारां शहर और आसपास के अपाहित, बेसहारा जानवरों तथा ग्रामीण अंचल से साधनहीन काश्तकारों के मवेशियों की चराई के लिए उसको दिया था और तब से लगातार काफी वर्षों से उसमें अपाहिज और गरीब लोगों के जानवर चरते आये थे। उन्होंने यह भी प्रावधान रखा था कि जो कोई इसमें चारा काटकर ले जाएगा उससे शुल्क वसूला जाएगा और वह निरन्तर शुल्क वसूला जाता रहा। बाद में देश आजाद हुआ और वह जमीन सरकार में समाहित हो गयी। परन्तु सरकार में समाहित होने के बाद भी यह जमीन श्रीकृष्ण गौशाला के नाम से निरन्तर रही। जब कोई थोड़ा बहुत व्यवधान आया होगा तो बारां के व्यापारियों ने धर्मादा के नाम से धर्मादा उगाकर और जो धमार्थ संस्था थी उसके चन्दे से वर्षों तक इस गौशाला को चलाया और निरन्तर रूप से राजस्व रिकार्ड में यह गौशाला श्रीकृष्ण गौशाला के नाम से रही। परन्तु श्रीमन, पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं कि कौनसा समय आया जिस समय अपाहिज गायों के साथ, अपाहिज पशुओं के साथ, भूखे जानवरों के साथ अन्याय हुआ। वह जो श्रीकृष्ण गौशाला की जमीन थी उसको नगरपालिका, बारां ने अपने नाम से करा लिया।

विषय यह है कि श्रीकृष्ण गौशाला के नाम की जमीन नगरपालिका के नाम कैसे हो सकती है, क्योंकि नियमानुसार श्रीकृष्ण गौशाला की जमीन हस्तांतरण करने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर भी उन्होंने एक प्रस्ताव नगरपालिका का श्रीकृष्ण गौशाला की जमीन को नगरपालिका, बारां, हैड-क्वार्टर बारां ऐसा करके उसके नाम करा लिया।

यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी कि नगरपालिका कोई गौशाला चला लेगी, उसका विकास करेगी लेकिन कुछ दिनों बाद वहां के कुछ सिरफिरे लोग महावीर गौशाला कल्याण संस्थान का गठन करते हैं और नगरपालिका एक प्रस्ताव पारित करती है कि यह जो दस करोड़ से ऊपर की जमीन है, श्रीकृष्ण गौशाला की जमीन को श्री महावीर कल्याण संस्थान को दे दी जाए। यही नहीं उसी दिन यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि एक करोड़ तीस लाख का काम इस गौशाला में कराया जाए। और अस्सी लाख रुपये इस महावीर कल्याण संस्थान को दे दिये जाएं। एक करोड़ तीस लाख रुपये उसमें खर्च कर देते हैं, अस्सी लाख रुपया उस संस्थान को नगद दे देते हैं जबकि नगरपालिका की वह जमीन नहीं, नगरपालिका को देने का अधिकार नहीं। यदि नगरपालिका को देने का अधिकार भी था तो एक करोड़ तीस लाख रुपये का काम कराने की क्या जरूरत थी? अस्सी लाख रुपये आखिर में नकद उसको क्यों दिये गये?

श्रीमन विषय यही नहीं है। नामांतरण देखो किस स्टाइल से कैसे खुला: नामांतरण

(श्री मदन दिलावर)

5.10 को खुलता है, 5.10 को ही तस्दीक हो जाता है जबकि सामान्य राजस्व नियकों के अनुसार नामांतरण तस्दीक होने के लिए पंचायत में जाता है। यदि पंचायत 45 दिन तक उसकी तस्दीक नहीं करती है, तो तहसीलदार उस नामांतरण को तस्दीक करते हैं परन्तु इस प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया और नामांतरण भागमभाग में करोड़ों रुपये को हजम करने के लिए यह नामांतरण खुला लिया गया।

आज दस करोड़ की जमीन पर भू-माफिया गिरोह ने कब्जा कर लिया है। यह भू-माफिया गिरोह कोई छोटा-मोटा गिरोह नहीं है, वहां के उप जिला प्रमुख श्रीमान प्रमोद भाया जो इस संस्थान के अध्यक्ष भी कहलाते हैं उन्होंने इस जमीन को ले लिया है। यही नहीं इस जमीन के साथ साथ वहां के कम से कम 25 काश्तकारों की 250 बीघा जमीन पर और कब्जा कर लिया है। वहां पशुओं को चरने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। उसमें फसल बोकर के उस फसल को काटकर के यह लोग घर ले जा रहे हैं।

श्रीमन, यही नहीं हुआ, मैं स्वयं गया हूं वहां। वहां जाकर मैंने देखा, देखने पर पाया क्या? मैंने पूछा लोगों से, इससे आप सन्तुष्ट हैं? उन्होंने कहा दिलावरजी हम सन्तुष्ट कैसे हो सकते हैं, हमारी जमीनें चली गयी, हमको रास्ता नहीं दिया जा रहा। हनुमानजी की पूजा करने हम रोज जाते थे उस हनुमान जी की पूजा करने से हमको रोक दिया गया है। मैंने मजदूरों से पूछा यह निर्माण हुआ एक करोड़ तीस लाख का, आपको यहां काम मिला होगा, उन्होंने कहा आपको हम बता नहीं सकते हैं। मैंने कहा बताओ क्या बात है? उन्होंने कहा बात यह है कि हमने मजदूरी करने के लिए हमारे परिवार में से महिलाएं भेजीं, तो वहां से वापस कर दिया गया और कहा तुम्हारी बेटियों को मजदूरी करने के लिए भेजो। मेरे पास रिकार्ड है, मेरे पास टेप रिकार्ड है...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री मदन दिलावर : वीडियो कैमरा है। मैं वीडियो कैमरे में सारे को रिकार्ड करके लाया। वहां की महिलाओं ने, वहां की बहू-बेटियों ने मेरे को क्या क्या नहीं बताया। वह +++ हो गया है और जिसका उद्घाटन, जिसके कार्यक्रम में श्रीमान शांति धारीवाल जाते हैं और उसी में गुमराह करके मुख्यमंत्री को 1 तारीख को वहां ले जाया जा रहा है ताकि इनके +++ पर पर्दा डल जाए।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

इस प्रकार से हड़पी हुई जमीन जो आम जनता की जमीन थी, गायों की जमीन थी, गौ माता की जमीन थी..

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री मदन दिलावर : यहां के मंत्री श्रीमान शांति धारीवाल के इशारे पर आखिर यह दस करोड़ की जमीन कैसे हड़पी गयी यह जवाब तो जनता को देना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं और आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : मेरा विषय पूरा नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : किसको पूछ रहे हो, हो गया न। क्या हुआ?

श्री मदन दिलावर : नहीं हुआ। मेरा विषय पूरा नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कभी पूरा होता ही नहीं है विषय।

श्री मदन दिलावर : यह श्रीकृष्ण गौशाला नाम बदल दिया। जो सैकड़ों वर्षों से श्रीकृष्ण के नाम पर गौशाला चलती थी, ऐसी कौनसी गौशाला है जहां श्रीकृष्ण का नाम नहीं होना चाहिए। उसका नाम बदलकर महावीर कल्याण संस्थान कर दिया। महावीर भी हमारे पूज्य हैं, वह हमारी श्रृद्धा के केन्द्र हैं लेकिन महावीर जी के नाम से अलग गौशाला बनाते शांति धारीवाल इस प्रकार से भ्रष्टाचार करके नहीं बनाते तो हम मानते कि वह सेवा करने के माध्यम से आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री मदन दिलावर : लेकिन इस +++ ने वहां के गुण्डों के हाथों में इस प्रकार से गौशाला को दे दिया। वह +++ बन गया। रोज महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार होता है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री मदन दिलावर : और यह मुख्यमंत्री 1 तारीख को वहां जा रहे हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूं मुख्यमंत्री जी यदि आपने +++ में जाने का प्रयत्न किया तो मदन दिलावर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं वहां की कांग्रेस भी आपको ईंट का जवाब पत्थर से देगी। ईंट से ईंट बजा देगी। इसलिए गायों के नाम पर आप क्या कर रहे हो, गायों को जिन्दा नहीं रहने दे रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री मदन दिलावर : जिन्दा गायों को मार रहे हो। आखिर यह क्या हो रहा है?

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चेलेंज की बात कर रहे हैं क्या यहां?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपमार्जित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाहते हो आप?

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी मर्जी आए जो कर देना, अभी तो बैठो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए। नहीं, आपको नहीं बोलने दूंगा। यह तरीका नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अभी मैं बाहर से आया हूं। आप सुन तो लो। मुख्यमंत्री जी नई परम्परा डाल रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है आप बोल रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो?

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। आप बिराजिए।

किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाने वाले फव्वारा सैट्स में अनियमितताएं

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ऐसे विषय पर दिलाना चाहता हूं जो अपने आप में बड़ा ही संवेदनशील है। पिछले चार वर्षों से सरकार की शह पर राजस्थान के अकाल पीड़ित किसानों को लूटा जा रहा है। आपको अच्छी तरह मालूम है राजस्थान की विषम जलवायु है। यहां 76 प्रतिशत भूमि असिंचित है। असिंचित भूमि में कम मात्रा में पानी से अधिक से अधिक सिंचाई हो इसलिये। नब्बे के दशक में इजरायली पद्धति से, फव्वारों के माध्यम से सिंचाई करने की योजना बनी। इस योजना के अन्दर उन किसानों को अनुदान देने की बात कही गयी। केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया कि राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए एक-एक बूंद पानी का उपयोग हो। इसके लिये राजस्थान के उस किसान को, जो लघु सीमान्त है, राजस्थान में एस.सी. और एस.टी. के किसान को विशेष तौर पर प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने योजना बनायी। उसमें 75 परसेंट राशि केन्द्र सरकार की और 25 परसेंट राशि राजस्थान सरकार की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, कौनसा फव्वारा सैट किसान को मिले, किस दर पर मिले, उसका अधिकृत विक्रेता कौन हो, इस सब चीज का निर्धारण कृषि विभाग का निदेशालय नाबार्ड के अधिकारियों की सलाह लेकर करता है। वर्ष 2002-2003 में जिस फव्वारा सैट के लिये जब निविदाएं आमंत्रित की गयी। अधिकृत विक्रेता कौन हो, उस समय तत्कालीन कृषि मंत्रीजी ने एक नयी शर्त उसमें डलवा दी। पहले फव्वारा सैट की निविदा में वह व्यक्ति भाग ले सकता था जो उसका वितरक हो, सप्लायर हो, मैन्युफैक्चरर भी भाग ले सकता था पर इन्होंने न जाने क्यों, तत्कालीन कृषि मंत्रीजी बिराजे हैं, इन्होंने शर्त हटा दी कि सिर्फ निर्माता ही भाग लेंगे। उसके बाद फव्वारा सैट की जो कीमत निर्धारित की गयी स्पेसिफिकेशन के अनुसार वह कीमत निर्धारित की गयी 19,000 से लेकर 15,000 तक जबकि वहां सैट खुले बाजार के अन्दर 7,500 और 9,000 रुपये में मिलता है। जब यह सारी बातें हुई तो तत्कालीन कृषि मंत्रीजी सहित मुख्य मंत्रीजी के पास जो फव्वारा सैट के वितरक हैं, उन्होंने अपनी एसोसियेशन बनाकर ज्ञापन दिया। मैं उनके ज्ञापन की प्रति भी साथ लाया हूं। उन्होंने कहा कि आपने जो राशि निर्धारित की हैं, जिस तरह से स्पेसिफिकेशन के साथ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिस तरह के आई.एस.आई. पाइप के साथ निर्धारित की है, उसी राशि का फव्वारा सैट सिर्फ सरकार को या वह अगर हमें वितरक अधिकृत करे तो हम किसान को 9,000 में देने को तैयार हैं, 9,000 से 7,500 और इन्होंने राशि निर्धारित की 18,500 और 15,000 के बीच में। यहां से किसानों की लूट प्रारम्भ होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सब्सिडी मिलती है किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी., लघु सीमान्त और महिला कृषक को 50 परसेंट, सामान्य किसान को 33 परसेंट, वह जो इन्होंने निर्धारित की, किसान उन्हीं से जब लेगा तभी उसको यह अनुदान की राशि मिलेगी। होता यह है किसान जाता है, किसान से भूमि विकास बैंक से ऋण लेने के लिये परिपत्र तैयार करवाता है और तैयार कराके किसान को 9,000 का ऋण दे देते हैं और 9,000 की जो सब्सिडी मिलती है उसको ऊपर का ऊपर खाया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह निर्धारित हो रहा था कि जो भी किसान को सप्लाई करेगा, उसके साथ दस रुपये के स्टाम्प पर यह शर्त भी लिखायी गयी थी। मैं शर्त आपको इजाजत से पढ़कर सुनाता हूं।

"The firm offering their rates will have to give the following undertaking on 10/- rupees non-judicial stamp certifying that we are not supplying to any institutions, government department within or outside the State at the lower rate than what we have offered to the Agriculture Department of Government of Rajasthan. If it is found that the firm is supplying sprinkler sets at the rate lower than the quoted with Agriculture Department then the firm agreed to pay back the excess money charged from the cultivators to the Agriculture Department."

मतलब यह शर्त होने के पश्चात, मेरे पास कागज है, यह मैं बिल लेकर आया हूं। इसमें जिस स्पेसिफिकेशन का इन्होंने लिखा है, 8,500 रुपये में मैं पेमेंट करती हूं, बेचता हूं। इस तरह की एक नहीं ऐसी सैकड़ों कम्पनीज हैं जो अपने फव्वारा सैट, जिस फव्वारे सैट का निर्धारण सरकार ने तत्कालीन कृषि मंत्रीजी की शह पर 18,500 में किया, आज खुले बाजार के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ की बात है कि अकालग्रस्त किसान को जहां एक तरफ एक एक बूंद पानी की आवश्यकता है, उससे 18,000 लिये जाते हैं और 29,000 की सब्सिडी ऊपर की ऊपर उठायी जा रही है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का पूरा दामन साफ है तो सरकार को आगे बढ़कर कहना चाहिये। यह मेरे पास बिल हैं सुनील इंटरप्राइजेज का यह कितने काश्तकारों के बिल आपको दूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं टेबल करने को तैयार हूं। वही स्पेसिफिकेशन है, उसी तरह का फव्वारा सैट है और बाजार में, खुले बाजार में मिल रहा है 9,000 का खुले बाजार में मिल रहा है 7,500 का और सरकार जो सब्सिडी देती है, जिनको इन्होंने अधिकृत कर रखा है, मैन्युफैक्चरर की बात करके इन्होंने किसान को लूटने का काम किया, वह 19,000 में किसान को मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक हजार, दो हजार का मामला नहीं पिछले चार वर्षों में 90,000 किसानों को सब्सिडी दी है। सब्सिडी की राशि एक, दो करोड़ नहीं लगभग 60 करोड़ है। मेरा आरोप है कि 60 करोड़ की राशि में से 30 करोड़ की राशि सरकार में बैठे हुए लोगों की तिजोरी में चली गयी

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं समझता हूं अपने आपको संवेदनशील कहने वाली सरकार इस सरकार की क़लई खुल गयी...(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : आपकी जो है...(व्यवधान) ऐसी लूट किसानों के साथ हुई है और यहां भी है। मैं मानता हूं कि यहां भी हुई होगी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजो प्लीज।

श्री रतनाराम चौधरी : परन्तु पहले आपकी तत्कालीन...(व्यवधान) जो भा.ज.पा. की सरकार थी उस समय भी किसानों को इस तरह से ही लूटा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य को कि इन्होंने स्वीकार किया है कि राजस्थान के किसान के साथ लूट हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसान के साथ जो 30 करोड़ की लूट हुई है, इस 30 करोड़ की लूट का धन कहां जा रहा है, यह जांच का विषय है। सरकार ने स्वयं तय किया और स्वयं सरकार ने नोन जुडिशियल स्टाम्प पर यह लिखवाया कि अगर वह कम, जिस दर को वह कोट कर रहा है, उससे कम दर पर अगर किसान को वह फव्वारा सैट बेचता है, तो सारी राशि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से किसान के पास जाएगी। यह बिल मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसमें साफ लिखा है कि साढ़े आठ हजार के अन्दर किसान को उसने खुले बाजार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के अन्दर दिया। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार में बैठे लोगों से कि अगर आप में हिम्मत हो, तो आगे आकर कहिए कि यह सारा मामला झूठा है, पर्दाफाश कराइये या जांच कराने की बात करें। तत्कालीन कृषि मंत्रीजी आपको याद होगा जब स्प्रिंकलर सैर के लोग आपसे मिलने गये तो उन्होंने कहा कि आप किसानों को बरबाद क्यों कर रहे हो हम कम राशि में आपको यह फव्वारा सैट देने के लिये तैयार हैं, आपने उनसे मिलने से मना कर दिया। वह लोग चीफ मिनिस्टर के पास गये, उन्होंने ज्ञापन दिये। यह सारी बात यह कहती है कि सरकार में किस तरह की संवेदनशीलता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिये...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो यह बता दें कि यह बीच का कमीशन किस एजेंसी ने खाया है और कब से खाया है?

श्री उपाध्यक्ष : यह कहां से बताएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह बीच का कमीशन सरकार में बैठे हुये लोगों की शह से किसानों को तो भूमि विकास बैंक से कर्जा दिला दिया और बीच में जो 9,000 रुपये बचे वह जिस एजेंसी को अधिकृत किया वह वहीं लिखवा लेते हैं और अपना पैसा ले लेती है और उसका बंटवारा ऊपर तक होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए...(व्यवधान) एक मिनट। बहुत गम्भीर बात है। Please don't take it lightly. माननीय मंत्रीजी, आप जवाब देना चाहते हैं इस पर? (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। माननीय मंत्रीजी, आप देना चाहते है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों नहीं दें? कराओ न, अगर इनका दामन साफ है तो बात आनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो न आप। मैं दिला रहा हूं न, आप क्यों ताव खा रहे हो? मैं दिला रहा हूं, काहे को ताव खा रहे हो? आप हर बात में ताव खाते हो। दिला रहा हूं न मैं। माननीय मंत्रीजी, आप अभी जवाब देना चाहते हैं या इसी पूरी जांच करके हाउस में स्टेटमेंट देना चाहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (कृषि मंत्री) : मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : सवाल नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको जवाब देना है, हमसे सवाल पूछने का आपको अधिकार नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरे कार्यकाल का सवाल है। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य मैं एक...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो...(व्यवधान) क्या बात है? इतनी सीरियस बात को इतना लाइटली ले रहे हो...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरी बात सुनिये। आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो उत्तर देना।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो उत्तर देना, स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या इस पर?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें न... (व्यवधान) इतनी सीरियस बात को इतनी लाइटली ले रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि नाबार्ड ने, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि 9-10 हजार में मिलता है। नाबार्ड ने उसकी कीमत जो केन्द्र सरकार की संस्था है, 17 हजार रुपये तय की है, नाबार्ड किसका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय मैं क्षमा चाहूंगा, मैं वह आदेश पढ़कर सुनाऊंगा कि कीमत किसने तय की है... (व्यवधान) आप मुझे अनुमति देंगे। नाबार्ड के नाम से यह सदन को गुमराह करना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप खुद याद कर लो, मैंने तो किसानों के हित में उसको रेश्नेलाइज करके उनको बुलाया। पहले कुछ कम रेट दी जाती थी, मैंने कहा निर्माता देंगे इसमें कोई गलती नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्योंकि कंपीटीटर कम हो जाएं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह केस चूंकि अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, इसलिए ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने तीन हजार रुपये केन्द्र सरकार की राशि से कम तय किये, इसमें शाबासी देनी चाहिए, मैंने तो बचाने की कोशिश की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि इन्होंने जो राशि निर्धारित की है, मेरे पास वह आदेश है, आपकी आज्ञा हो तो मैं उस आदेश को पढ़कर सुनाना चाहता हूं, नम्बर एक बात।

श्री उपाध्यक्ष : बता रहे हो क्या? (व्यवधान) वह कह रहे हैं न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नम्बर दो, खुले बाजार में फव्वारा सैट जिस कीमत... (व्यवधान) से मिल रहा है अगर वह कीमत यह दिलाने को तैयार हो, तो बताएं वरना पैसा ले रहे हैं। आप साढ़े 17 हजार और 15 हजार के बीच राशि किसानों से वसूल कर रहे हैं यह आपके आदेश हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बात को तो वह स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने राशि निर्धारित की, यह बात तो उन्होंने स्वीकार कर ली। यह कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने राशि तय की उससे कम इन्होंने तय की, इनका यह कहना है। अब इसके विपरीत आपके पास कुछ हो तो आप बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय यह जो कीमत तय होती है "Sprinkler sets of one model with 75 MM pipes. Unit cost as per approved by the 40^{th} Unit Cost Committee meeting..." उसके बाद यह है, डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चर, कृषि भवन, उसमें लिखा है सील्ड एनवल्व।

श्री उपाध्यक्ष : Take it seriously माननीय सदस्य, यह बात तो उन्होंने मान ली। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने क्या राशि तय की? यह बताओ न आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट आफ इंडिया का इससे कोई लेना-देना नहीं है। जो कमेटी बनी है, जिसको चेयर करते हैं राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के निदेशक।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सब्सिडी तो गवर्नमेंट आफ इंडिया दे रही है न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गवर्नमेंट आफ इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सब्सिडी तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुडा) : माननीय राठौड़ साहब, एक सैकिण्ड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गवर्नमेंट आफ इंडिया स्पेसिफिक्शन तय करती है, वह राशि तय नहीं करती हैं।

डा. के. सी. चौधरी : नाबार्ड ने 17 हजार रुपये तय कर दिया, राजस्थार सरकार ने 14 हजार रुपये तय करे। आपको इसको चैलेंज करना हो, तो बताएं...(व्यवधान) 17 हजार नाबार्ड की रेट है, 14 हजार राजस्थान सरकार की है, इसको अगर आप चैलेंज करें तो बताएं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चौधरी जी, प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह विवाद नहीं है कि केन्द्र ने क्या किया या नहीं किया...।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसानों के साथ अन्याय हुआ यह बात है...(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : यह सही है कि इस मामले में बड़ी लूट किसानों के साथ हुई है। यदि केन्द्र सरकार ने कमी कर दी है तो यह कोई एक्सक्यूज नहीं है, केन्द्र सरकार से ज्यादा की है तो भी

(श्री शिवनाथ सिंह)

मामला जांच का विषय बनता है। इसलिए आज माननीय कृषि मंत्रीजी नहीं है, यदि आपका आदेश हो और इस मामले में आज सरकार, जो भी कृषि मंत्री हैं, इस मामले की पूरी जांच चाहे केन्द्र ने ज्यादा कर दी हो, इन्होंने कम कर दी हो, यह मामला है दु:खदायी, इसलिए इस पूरे मामले की जांच हो। हम यह चाहते हैं कि जांच होकर के आये इसलिए जांच करने लायक यह मामला बनता है क्योंकि किसान की भारी लूट हुई है। इसलिए आप जैसा भी निर्देश देना उचित समझें दें। लेकिन इस मामले की जांच होनी चाहिए...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जांच में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बात और सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो रेट नाबार्ड ने तय की है हमने उससे कम की है, उसके लिए भी हम किसी भी काश्तकार को यह नहीं कहते कि आपको कोई पैसा देना पड़ेगा। उन्हें जहां सस्ते से सस्ता मिल सकता है वह लें और हमारी सब्सिडी लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टेंडर इन्वाइट किसके लिये किया है? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हम 14 हजार सब्सिडी देते हैं जबकि ज्यादा का अगर कोई लेता है, 50 हजार का कोई लेता है, तो हम 14 हजार तक सब्सिडी देते हैं उससे कम में मिलता है तो सब्सिडी के हिसाब से कम मिलेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : रेट तय नहीं की हैं, रेटें उनकी हैं वह जिस भाव चाहे बेचे, हमारा तो सब्सिडी देने का प्रश्न है, वह हम इस हिसाब से देते हैं कि 14 हजार मान लिया, यदि किसी को 10 हजार की मिलती है तो उसे 10 हजार के हिसाब से सब्सिडी मिल जाएगी। इसमें कौनसी जांच की बात हैं। यह कौनसी अनियमितता है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि चाहे आपने कोई भी रेट तय की हो, आप इस बात की जांच करें कि मार्केट से यह सस्ता मिलता है या नहीं, एक बात। दूसरी, बात यह है कि आपने जो लोगों को सप्लाई किया, जो रेट तय आपने की उसमें दिया अथवा मार्केट में कम मिलता है उसकी जांच कराकर बता देना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जांच का विषय एक और है वह भी आपसे निवेदन कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : यही चाहते हो न आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बीच का पैसा कहां गया?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, किसान को तो 50 प्रतिशत सब्सिडी के बाद में 10 हजार का मिला है, लेकिन प्रश्न यह है कि जो सब्सिडी का पैसा था वह कहां गया? यह भी जांच का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : सब्सिडी तो अलग बात हे अभी तो कीमत का ही झगड़ा है, सब्सिडी की बात क्या कर रहे हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किसान को तो 10 हजार में ही मिला है, चाहे 19 हजार आते हों, 50 प्रतिशत सब्सिडी के बाद उसे मिला है, बीच का पैसा कहां गया?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो अलग बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सब्सिडी का पैसा किसके पास गया है?

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्रीजी, आपको क्या फरमाना है, आर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह विश्नोई (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो जानकारी नहीं थी, पता नहीं क्या इनका एतराज था।

श्री उपाध्यक्ष : आपको जानकारी दे देंगे इसके बाद आप इसकी जांच कर लेना।

श्री रामसिंह विश्नोई : यदि माननीय सदस्य वापस कह देते हैं तो मैं एकदम बता दूंगा, जवाब दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी लो, अभी कह देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, हो गयी न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि वापस सदन में बात कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि वह जांच कराकर के आपको बता देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जांच को तैयार हो क्या?

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मामला अगर जांच का हो तो मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं और बाकी आप मुझे बता दें तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है बस।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बता देता हूं, जवाब दे दो आप। मेरा आरोप यह है कि अनुदानित रूप से जो फव्वारा सैट किसानों को मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अभी जवाब कैसे ले रहे हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और जिसकी रेट तय आपने किया है, जिसको आपने 2002-2003 में...(व्यवधान) वह मेरे पास है...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : फव्वारा सैट का जो मामला है वह मेरी जानकारी में था। मैंने पांच-सात रोज पहले सैक्रेटरी को और जो सम्बन्धित अधिकारी हैं उनको बुलाया है कि आप पूरी जांच करके मुझे बताएं कि इसमें कहां-कहां क्या-क्या कमी हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जांच की रिपोर्ट आप सदन में भी प्रस्तुत कर देना। हमें भी तो बताएं न। आपको कोटि-कोटि धन्यवाद की आपने जांच की घोषणा की, परन्तु जांच के बारे में हमें भी बता देना... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें ...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : जांच होने के बाद तो सबको ही मालूम हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सदन में रख देंगे न जांच रिपोर्ट?

श्री रामसिंह विश्नोई : आप क्या पूरे प्रदेश की जनता को पता पड़ जाएगा कि क्या जांच हुई है।

श्री हीरालाल विश्नोई : मंत्री महोदय, यह 1990 से जांच कराएं, पिछले टाइम से।

श्री रतनाराम चौधरी : 1990 से जांच होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बिराजें। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : इन्होंने जितने कारनामे किये हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए...(व्यवधान) किसानों के साथ कितना धोखा हुआ है।

श्री रतनाराम चौधरी : यह किसानों के साथ लूट हुई है...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : ऐसा है 1990 में आप अलर्ट नहीं थे तो यह क्या करें। यह जागरूक हैं आप यह कहलाना चाहते है? (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : भाजपा के शासनकाल में किसानों की बड़ी लूट हुई है और आज भी कोई गड़बड़ी हुई है, तो उसकी सारी जांच कराएं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : आ बैल मुझे मार। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लूट आपने की निर्माताओं को आदेश देकर, बीच में से निकाल दिया सभी को...(व्यवधान) आपको पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें, ज्ञानदेव जी...(व्यवधान)

अलवर जिले में आरा मशीनों को बन्द किए जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान में चल रहे पुश्तैनी दस्तकार एवं आरा मशीनें जो 30.10.2002 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन्द की गयी हैं, जिससे पर्यावरण को इससे बचाया गया है, के विषय पर पर्ची के माध्यम से आपका और सदन का, वन मंत्री और सारी सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विशेष रूप से अलवर जिले में जो सीज की गयी हैं उसका हवाला लेकर सारे राजस्थान में किया गया है, उसका वृतान्त मैं आगे दूंगा। अलवर जिले में करीब 450 आरा मशीनों के ताले लगाकर सीज कर दिया गया है जिससे जिले के करीब बीस हजार लोग जो दस्तकार हैं, जांगिड समाज के लोग हैं, जिनको हम खाती भी कहते हैं, बेरोजगार हो गये हैं। इन आरा मशीनों के अलावा अन्य भी आरा मशीनें लगी हुई हैं जो इनके रिकार्ड में नहीं हैं जबकि बिना रिकार्ड की मशीनें भी 15–20 सालों से चल रही हैं। पुस्तैनी दस्तकार एवं आरा मशीन समिति द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लगा दी है जिसमें करीब 286 आरा मशीनें शामिल हैं अलवर जिले की, लेकिन आरा मशीनों का असर पूरे उत्तर भारत की स्टैट्स पर है। वह अपनी आरा मशीनों के लाइसेंस लेने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार के नियमों का पालन करने के लिए भी बाध्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन उन्होंने दिया है, दिनांक 26 को दिया है, राजस्थान की आरा मशीनों के बन्द होने में दोहरी नीति का भी आरोप इसमें लगाया गया है। अलवर जिले की आरा मशीनों के ताले लगाये गये हैं। इस प्रकार राजस्थान सरकार की मनमर्जी से पुस्तैनी दस्तकारों के सामने रोजी–रोटी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गयी है।

(13.00 बजे)

इस प्रकार राजस्थान सरकार ने दस्तकारों के सामने संकट पैदा कर दिया है। राजस्थान के अन्य जिलों में भी आरा मशीनों को नोटिस देकर बन्द कर दिया है जबकि अलवर जिले में ताले लगाए हैं। उप वन संरक्षक और डी.एफ.ओ. दोनों अधिकारियों ने अलवर जिले की आरा मशीनों के लाइसेंस लेने के बाबत समस्या पैदा कर दी है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि लाइसेंस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। यह बात सही है कि लाइसेंस में राशन कार्ड मांगा जाए, लाइसेंस में नागरिकता का हमारा मतदाता परिचय पत्र है वह मांगा जाए, यह बात समझ में आती है लेकिन कोर्ट आरा मशीन मालिकों से, इन शिल्पकारों से, खातियों से जांगिड समाज से पैन नम्बर मांग रही है। पैन नम्बर मुश्किल से एक प्रतिशत गांव के जांगिड़

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

समाज के लोगों, आरा मशीन चलाने वालों या जो पुश्तैनी दस्तकार हैं, उनके पास भी नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न या पैन नम्बर या फाइल नहीं है। अब उनसे पैन नम्बर मांग कर वन विभाग अलवर के लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और राजस्थान भर में यही पोजीशन है। यह पूरा ज्ञापन उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को भी दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य बात यह है, ध्यान देने योग्य है, यह जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वह हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, सभी स्टेटस पर है लेकिन राजस्थान में जो मनमानी हुई है वन विभाग के द्वारा और वन विभाग ने यह मनमानी करके आरा मशीन मालिकों को ब्लैकमेल करना शुरू किया है। यह मुख्य रूप से आरोप है। पंजाब में आरा मशीनें बन्द नहीं, हिमाचल में बन्द नहीं, हरियाणा में बन्द नहीं, क्योंकि हरियाणा मेरे विधान सभा क्षेत्र से बिलकुल लगा हुआ है, वहां के फिरोजपुर और गुड़गावां जिले लगे हुए हैं। हरियाणा में बन्द नहीं, पंजाब में बन्द नहीं, हिमाचल में बन्द नहीं लेकिन राजस्थान में बन्द किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इन गरीब शिल्पकारों को, इन दस्तकारों को पैन नम्बर के लिए छूट दी जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने एक पत्र भेजा है, मैं धन्यवाद दूंगा, पत्र तो उन्होंने भेजा है, पत्र लिखने में तो यह सरकार बहुत माहिर है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि अपंजीकृत आरा मशीनों को लाइसेंस दिलाने का आग्रह, ऐसा उनके सैक्रेटरी साहब से भी बताया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10 दिन पहले पत्र लिखा है लेकिन पत्र लिखने से काम नहीं होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में सरकार को जाना चाहिए। माइन्स विभाग का या वन विभाग का मैटर था, माइन्स विभाग में भी मार्बल और ग्रेनाइट पर प्रतिबन्ध लगाया था। राजस्थान सरकार ने आनन-फानन में मार्बल और ग्रेनाइट के लिए रिव्यू पिटीशन में जाकर तीन या चार दिन या एक सप्ताह में उनको छूट दिलाई थी और दुबारा माइन्स चालू हो पाई, सारी माइन्स चालू हो गईं। खुशी की बात है, हमारी माइन्स जिस दिन से चालू हुईं, माइन्स के मार्बल या ग्रेनाइट या जो भी पत्थर हैं, किसी तरह का, मकान बनाने के लिए या कोई भी निर्माण करने का, कई खानें चालू हुईं। उसी प्रकार से एक रिव्यू पिटीशन में हमारी राजस्थान सरकार को जाना चाहिए। राजस्थान सरकार ने और मुख्य मंत्रीजी ने, आरा मशीन वालों ने जो उनको ज्ञापन दिया उनको आश्वस्त किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वोच्च सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी वन मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी हैं, वे रिव्यू पिटीशन

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

में एप्लीकेशन तुरन्त लगाएं। लगभग दो-तीन महीने से आरा मशीन के राजस्थान भर के लोग दु:खी हैं, 20 हजार कारीगर, मजदूर, हैल्पर और यहां तक है कि मुर्दों के लिए भी लकड़ी नहीं मिल रही है, यह स्थिति हमारे वहां पर है। मैंने खुद आग्रह किया वन विभाग के अधिकारियों से कि डैड बोडी के लिए लकड़ी के लिए, लकड़ी नहीं मिली, मुझे दिलानी पड़ी।

मेरा आपसे आग्रह है कि रिव्यू पिटीशन में सरकार जल्दी जाए और दो-चार-पांच-दस दिन के अन्दर यह निर्णय हो ताकि आरा मशीनें चालू हो सकें और उनके दु:ख-दर्द दूर हो सकें। जो लाइसेंस प्रणाली है, उसमें इन गरीब दस्तकारों, शिल्पकारों को, हमारे पुश्तैनी दस्तकार हैं, आरा मशीन वाले हैं उनको लाइसेंस देने में भी छूट दी जाए, सरलीकरण किया जाए, यह मैं आज की पर्ची के माध्यम से आपको निवेदन करना चाहता हूं। सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान दे, मुख्य मंत्रीजी या मंत्रीजी या माइन्स सैक्रेटरी इस ओर ध्यान देकर शीघ्र कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। डा.चन्द्रभान।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में 10 हजार लोगों को रोजगार छिन गया। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना सा ही निवेदन है कि आरा मशीन वालों ने सन् 2000 के पहले पैसे जमा करा दिए हैं आवेदन शुल्क के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले के उनको रियायत दी जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान। (व्यवधान) आप भी इन लोगों के साथ लग गए?

डा. के. सी. चौधरी : साथ नहीं लगा, आज गांवों में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समझो बात को, आप समझते हो, मामला कोर्ट में है। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : कोर्ट के आदेश के पहले के हैं। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : गांवों में मुर्दा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। जुलूस निकाले गए, मुख्य मंत्रीजी के पास गए...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जो मनमानी की है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं कह रहे हो। (व्यवधान) आप बिराजिए प्लीज।

श्री कन्हैया लाल : जो भी एम्पावरमेंट कमेटी है उसको स्वीकृति देकर के (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने कहा है, यह तो साफ है ही, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप बिराजो न? आप स्वयं यह कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी): आरा मशीनों के लिए कोई न कोई रास्ता निकालें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो आप, रास्ता निकालते हैं, सुनो तो सही तब निकालेंगे, ऐसे थोड़े निकलेगा?

श्री रोहिताश्व कुमार : चन्द्रशेखरजी बातों में मस्त हैं, कोई ध्यान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं कह रहे हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार : चन्द्रशेखरजी, अलवर का मामला है और आपका ध्यान किधर है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर का मामला है, आरा मशीनों के 20 हजार लोग बर्बाद हो गए। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : एम्पावरमैंट कमेटी चाहे तो उसको वापस चालू कर सकती है। जैसे हरियाणा के मुख्य मंत्री ने लिखकर दिया, वन क्षेत्र में नहीं आने वाली आरा मशीनों को चालू कर दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय अगर यहां से यह लिखकर देते हैं, हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी ने दे दिया, वन क्षेत्र में कोई आरा मशीन नहीं है यहां हमारे अगर वन क्षेत्र में आती है उनको बन्द करें, कोई वन क्षेत्र में आने वाली नहीं है, आरा मशीनें, इसलिए उनको चालू किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न केवल अलवर जिले का नहीं है। यह सारे राजस्थान का है। ठीक है आपके अलवर जिले की इस बात को आपने उठायी लेकिन राजस्थान का मामला है। आप स्वयं कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है। उसके बाद आप खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, मुख्य मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है, उसकी वह सारी कार्यवाही भी कर रहे हैं। मैं सरकार से चाहूंगा कि इसका जल्दी से जल्दी रास्ता निकाले, अब सही है? (व्यवधान) सुनते तो हो नहीं, फालतू बात करते हो। डा. चन्द्रभान।

डा. रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्षजी ने मुझे दो मिनट बोलने की व्यवस्था दी थी। कल मेरा स्थगन लगा था, आज मुझे बोलने के लिए माननीय अध्यक्षजी ने कहा कि कल आपको परमीशन देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : देखेंगे व्यवस्था।

डा. रतनलाल जाट : बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके खुद के क्षेत्र में कार्यरत गुलाबपुरा और गंगापुर...।

श्री उपाध्यक्ष : कोआपरेटिव मिल वाला है, उसकी जब जानकारी आएगी तब आपको बोलने के लिए मौका देने के लिए विचार करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने कह रखा है। सरकार से जवाब आ जाने दो, कल ही कह दिया था।

डा. रतनलाल जाट : धन्यवाद।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

उद्योग विभाग

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, अधिसूचना संख्या आरएफसी/एफ.लां/3/एल.पी.एम./29, दिनांक 11.9.2002 जिसके द्वारा राजस्थान फाइनेंशिल कारपोरेशन जनरल रेग्यूलेशंस, 2002 एण्ड राजस्थान फाइनेंशिल कारपोरेशन वोटिंग राइटस रेग्यूलेशन्स, 2002 विरचित किए गए हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्रम एवं नियोजन विभाग

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम एवं नियोजन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या पं. 3(1)लीगल/एफ-बी/2001/5584 दिनांक 8.8.2002 जिसके द्वारा राजस्थान कारखाना नियम, 1951 में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या प 14(8)एल-डी/2000/6975 दिनांक 22.10.2002 जिसके द्वारा राजस्थान कारखाना नियम, 1951 में संशोधन किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या प. 3(2) लीगल/एफ-बी/2002/6985 दिनांक 22.10.2002 जिसके द्वारा राजस्थान बायलर्स नियम, 1954 में संशोधन किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या प. 3(1) लीगल/एफ-बी/2001/7714 दिनांक 2.12.2002 जिसके द्वारा राजस्थान कारखाना नियम, 1951 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2001-02)

श्री हीरालाल इन्दौरा (खनिज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय ने 24 तारीख को जो अभिभाषण पढ़ा उसके पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं अपने को जोड़ते हुए सम्मिलित करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें राजस्थान की आर्थिक और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखना पड़ेगा जैसा हम सभी बड़ी अच्छी तरह मानते हैं, 3 लाख 42 हजार किलोमीटर क्षेत्रफल में बसा राजस्थान, जिसकी जनसंख्या 5 करोड़ 64 लाख है और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस भूमि पर दो तिहाई हिस्से में मरूस्थल है, रेगिस्तान है और शेष भूमि में केवल 10.45 प्रतिशत ही कृषि योग्य भूमि है। कृषि योग्य भूमि को भी हम देखें तो सिंचाई की जो व्यवस्था है, पूरे हिन्दुस्तान की सिंचाई व्यवस्था का मात्र एक प्रतिशत ही इस राजस्थान में पाया जाता है जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान हिन्दूस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारी आर्थिक स्थिति, प्रति व्यक्ति आय जो लगभग 3500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है वो भी गम्भीर रूप से एक चुनौती है, समस्या है। मैं इस मौके पर धन्यवाद प्रस्ताव में बहस करते हुए आभार प्रकट करना चाहता हूं महामहिम का जिन्होंने राज्य सरकार की तथ्यात्मक स्थिति को समझते हुए राज्य सरकार की विकास की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन योजनाओं में क्या-क्या कार्यवाही की गई है और क्या कार्यवाही की जानी है उसका एक विस्तृत ब्यौरा दिया गया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है।

(13.11 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

मैं इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत जी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सत्ता सम्भालने के बाद इस प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए जिन 15 प्राथमिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया वो प्राथमिकताएं निश्चित रूप से इस प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे उद्योग-धंधों के विकास का मामला हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा और कच्ची बस्तियों के विकास का मामला हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में, चाहे सूचना व प्रसारण

(श्री आर. पी. शर्मा)

के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 15 प्राथमिकताओं को लेकर इस राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए जो कार्यक्रम हाथ में लिया है, नीतियां हाथ में ली हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय हैं।

मैं इस मौके पर महामहिम राज्यपाल ने जो महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं, जैसा मैंने कहा कि हम बिजली के क्षेत्र में सोचें, मैं अपने भाषणों में कहा करता हूं कि पहले एक नारा हुआ करता था, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन आज अगर कोई महत्वपूर्ण बात हमारे सामने है, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ-साथ बिजली का एक नया नारा जुड़ा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर गौर से देखें रोटी की व्यवस्था किसानों के जरिये उत्पादन से होती है और उसमें हमें बिजली की आवश्यकता है, कपड़ा जो पहनना चाहते हैं उसके उत्पादन के लिए बिजली की आवश्यकता है और मकान के क्षेत्र में जो मकान में सामग्री लगती है उसमें बिजली की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण बात को समझते हुए राज्य सरकार ने बिजली के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व प्रगति की है, उत्पादन में जो अभूतपूर्व काम किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है।

मेरे साथियों ने बताया इस प्रदेश में लगभग 1208 मेगावाट बिजली का उत्पादन पिछले चार वर्षों में बढ़ा है और 631 मेगावाट का उत्पादन आगे आने वाले साल में बढ़ने जा रहा है। 1839 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ा। मैं कह सकता हूं हिन्दुस्तान में सर्वाधिक उत्पादन इस प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में बढ़ा है।

श्री रोहिताश्व कुमार : यह कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ। हमारे टाइम में फैसला हुआ था जिसके परिणामस्वरूप आप यह कह रहे हो।

श्री आर.पी. शर्मा : कुछ नहीं हुआ था आपके टाइम पर तो।

डा. चन्द्रभान : आपने जितने 24 एम.ओ.यू. किये उनमें एक नहीं आया, सबको रद्द कर दिया गया।

श्री रोहिताश्व कुमार : एडिशनल हुआ है सूरतगढ़ का। यह सारा का सारा हमारे टाइम का है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं, डा. साहब, जब यह साइन हुआ तब ऊर्जा मंत्री सुमित्रा जी थीं। (व्यवधान) आप बिलकुल गलत कह रहे हो। जब यह एम.ओ.यू. साइन हुआ तब ऊर्जा मंत्री ये थीं, आप नहीं थे सदन में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं ऊर्जा मंत्री थी उस वक्त। सूरतगढ़ का एम.ओ.यू. मैंने किया था।

मोहम्मद माहिर आजाद : तब सुमित्रा जी ऊर्जा मंत्री थीं। इनके टाइम में हुआ था।

श्री रोहिताश्व कुमार : असंतुष्ट होकर फिर सुमित्राजी ने उस पार्टी को छोड़ दिया और हमारे साथ आ गईं।

श्री श्रवण कुमार : आपके सारे प्रोजेक्ट फेल हो गये। आपने करवाये एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर? आपके वे फैसले एक भी कामयाब नहीं हुए। यह चन्द्रभानजी ने करवाया सारा।

श्री सभापति : माननीय श्रवण कुमारजी, बिराजिए।

श्री श्रवण कुमार : किसानों में एक आमूल-चूल परिवर्तन आया है। बिजली राजस्थान की धरती पर पैदा की तो कांग्रेस सरकार ने की।

डा. चन्द्रभान : कांग्रेस सरकार ने।

श्री श्रवण कुमार : गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, मजरे-मजरे में जाकर देखो, जी.एस.एस. लगवा दिये। यह चन्द्रभानजी ने करवाया है। (व्यवधान) राजस्थान में चन्द्रभानजी ने करवाया है।

श्री सभापति : माननीय श्रवण कुमार जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीसरी इकाई कब आयी थी?

श्री सभापति : मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं राठौड़ साहब, बिराजिए आप।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, इनका कथन सही है सूरतगढ़ को जो कंसीब किया गया वो 90 से भी पहले किया गया, शिवचरणजी माथुर की सरकार के समय, 90 में योजना बनी और उस पर काम भी इनकी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ, लेकिन इनके कंफ्यूजन के कारण कि इसे प्राइवेट...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिंक्रोनाइज कब हुई थी? यह बता दो।

डा. चन्द्रभान : वह बता देंगे। वह सब बता दूंगा मैं एक-एक कर। आप जानते भी हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, 1990 में जैसा एस.टी.पी.एस. के काम को चालू किया गया इतना बड़ा कंफ्यूजन कि 1998 के नवम्बर तक 9 साल के कार्यकाल में एक भी यूनिट को चालू नहीं किया जा सका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, बिजली पर बहस हो रही है? बिजली पर बहस करना चाहते हैं तो करने दो। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : यह कंफ्यूजन आपने पैदा किया है, कंफ्यूजन राजस्थान सरकार कर रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले इसको शुरू डा. सांहब ने किया। (व्यवधान) पहले शुरूआत इन्होंने की, अब आपको सुनने में परेशानी हो रही है।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, जो 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया और इस सरकार ने चार साल में चार यूनिट चालू करके वहां पर इसको सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाया। 1250 मेगावाट का जनरेशन यह सरकार कर रही है। आपने पहली इकाई का काम किया उसका भी कामर्शियल प्रोडक्शन इस सरकार ने किया।

श्री रोहिताश्व कुमार : कुछ नहीं, आपने एडिशन किया। एक मंजिल हमने बना दी, आपने दूसरी मंजिल बना दी तो उसको यह कह रहे हो, कमाल कर दिया। एक मंजिल हमने बनायी थी।

श्री आर. पी. शर्मा : तब तो मंजिल ही नहीं थी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब बहुत हो गया।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे बड़े भाई माननीय रोहिताश्व जी को विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : आप तो सदन को निवेदन करो।

श्री आर. पी. शर्मा : किसने क्या किया, आज मुद्दा इस बात का नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि किसके सामने रिजल्ट प्राप्त हुए। (व्यवधान) एक मिनट सुनें आप, मेरे बड़े भाई हैं, आप डिस्टर्ब करेंगे तो हो सकता है मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं आपका दिल मानता है, आपका मन मानता है, आपकी पार्टी मानती है, आपके कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा है और आपके कार्यकर्ताओं में ही चर्चा नहीं है, हिन्दुस्तान में बैठी भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी जी ने भी राजस्थान के बिजली के उत्पादन को सराहा है, नम्बर एक। नम्बर दो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए। माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री रोहिताश्व कुमार : भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने राजस्थान सरकार को सराहा है और राजस्थान सरकार बी.जे.पी. की पहले भी थी। वो एक सरकारी प्रोसेस है जिसको सराहा है उन्होंने।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, यह विधान सभा भवन जिसमें आप बोल रहे हो यह हमारा प्रस्ताव था। माननीय भैरोंसिंहजी के समय बजट दिया गया। पूरा बनकर तैयार हुआ, चुनाव हुए उसमें आप आकर बैठ गये तो क्या यह आपने बनवाया? यह विधान सभा भवन जिसमें आप बोल रहे हैं यह हमने बनवाया है, यह हमारा प्रस्ताव था। हमारा बजट था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सब कुछ आपका है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पांच साल तक बनता रहा, पांचवें साल चुनाव हो गये, आप आकर बैठ गये। अब आप बोल रहे हो तो यह क्या आपने बनवाया? बिजली के सारे प्रोजेक्ट हमारे, प्रस्ताव हमारे, बजट हमने दिये, आखिर में आकर आपने एक ईंट रख दी, उस पर तमगा लगा दिया और हमने आकर बता दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब एक मिनट, आप बिराजिए।

श्री आर. पी. शर्मा : मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : संकोच नहीं, लेकिन कहो सारा काम बी.जे.पी. की सरकार ने किया।

श्री सभापति : शर्मा साहब, एक मिनट बिराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उद्घाटन भैरोंसिंहजी ने किया। (व्यवधान) यह विधान सभा भवन हमने बनाया, यह सारा प्रोजेक्ट हमने बनाया, यह सारी तैयारियां कीं, बिजली-पानी हमने नौ साल दीं, आपने घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया और उसका परिणाम है कि तीन सीटें आपकी चली गईं। मैं खुद अभिभाषण पर बोलूंगा तब बोलूंगा।

श्री सभापति : दुबारा नहीं उठने दूंगा, पेट भरकर कह लीजिए कुछ कहना हो तो। ठीक है, आप बोलो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बोल लूं मैं?

श्री सभापति : दुबारा नहीं उठने दूंगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बोल लूं?

श्री सभापति : नहीं, बोलो नहीं, बैठ जाओ। मैं नाम लूं तब बोलो। माननीय शर्मा साहब।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मुझे दुःख होता है इस बात का प्रजातंत्र में चुने हुए जन-प्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी के हों किसी भी दल के हों, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के विकास के बारे में सोच रखना, प्रदेश के विकास की बात करना। मैं कहना यह चाहता हूं आपके राज में क्या-क्या हुआ, उनकी विवेचना मैं करूंगा, शायद हो सकता है अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस बात में कोई कोताही नहीं बरतूंगा, माननीय

(श्री आर. पी. शर्मा)

गहलोतजी के राज में मैंने कहा प्रायोरिटी तय की गई, आपने मेरी बात को सुना नहीं इस प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रायोरिटी तय की गई। उस प्रायोरिटी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर तय की गई है कि इस प्रदेश में बिजली के उत्पादन को निश्चित रूप से हम बढ़ाएं इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजली का उत्पादन जैसा मैंने कहा, आप सुनने का थोड़ा धैर्य रखिये, बिजली आज रोटी, कपड़ा और मकान से भी बड़ी आवश्यकता इस प्रदेश की हो गई है और आप जानते हैं राजस्थान में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में और संसार के जिन देशों में जितनी ज्यादा प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत होती है, उतना ही वह विकसित राष्ट्र है, चाहे जापान हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो। इसलिए आप हमको सोचना पड़ेगा कि बिजली का उत्पादन बढ़े, बिजली की खपत बढ़े तभी हम प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर सकते हैं। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा था। यह बात सही है और इसमें दो राय भी नहीं है, आप जानते हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुमत के आधार पर सरकार बनती है और सरकार आती और जाती रहती है। इसमें दो राय नहीं है लेकिन जो अच्छा कार्य करे उसी को सराहा जाता है। जो अच्छा कार्य नहीं करता है उसको कभी सराहा नहीं जाता है। आपके कुछ अच्छे कार्य होंगे वह मैं जानता हूं और आपके क्या गलत कार्य हैं वह मैं नहीं सुनाना चाहता इस मौके पर, वह आप अपने मन में रखें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा इस सरकार ने केवल बिजली के उत्पादन में ध्यान नहीं दिया, बिजली के वितरण का बहुत बड़ा काम किया है। जहां हमारे लासेज हुआ करते थे उसमें 220 के.वी.ए. के 4 सब-स्टेशन बनाने की योजना, 132 के.बी.ए. के 21 सब-स्टेशन बनाने की योजना, 33 के.वी.ए. के 100 सब-स्टेशन बनाने की योजना और 11 के.वी.ए. के अनगिनत सब-स्टेशन बनाने की योजना सरकार की चली है और उसी का परिणाम है कि आज चार परसेंट हम लासेज कम कर पाये हैं। चूंकि मैं इस पर बोलना चाहता था, मेरे पूर्व साथियों ने कहा कि बिजली की रेट बढ़ी, मैं मेरे साथियों से पूछना चाहता हूं कि रेट बढ़ी है। यह आज के युग में कोई गलत नहीं है। अगर आज कहेंगे केरोसिन की रेट बढ़ गई, क्यों बढ़ी? अगर कहेंगे कि गैस की रेट बढ़ी, क्यों बढ़ी? किसने बढ़ाई? मैं पूछूंगा डीजल की रेट बढ़ी, क्यों बढ़ी? किसने बढ़ाई? क्या मैं यह मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी की भारत की सरकार रेट बढ़ाने की इच्छूक है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। डिमाण्ड, सप्लाई और आर्थिक स्थिति को

(श्री आर. पी. शर्मा)

सोचते हुए हर सरकार अपने प्रयास करती है। किसी के हाथ में होता है, किसी के हाथ में नहीं होता है लेकिन जहां दृढ़ इच्छा शक्ति इस बात की हो, रेट बढ़ने के पीछे नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति हममें इस बात की होनी चाहिए कि आज हमें समय पर चीज मिले और समय पर चीज जब मिलेगी जब हमारे पास उत्पादन होगा, हमें दूसरों का मुंह देखना नहीं पड़ेगा।

मैं आपको फख्र के साथ कह सकता हूं, आगे आने वाले दो या तीन साल में राज्य सरकार 1839 करोड़ मेगावाट बिजली के उत्पादन के बाद हमारे प्रदेश की सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 18 से 20 घंटे बिजली देने के लिए संकल्पित है। यह काम इतना बड़ा अचीवमैंट है जिसको हमको और आपको स्वीकार करना चाहिए। इसमें क्या खामियां हैं, कमियां हैं, हो सकती हैं, हर चीज में खामी होती है, कमियां होती हैं, हम नारे और प्रति नारे दे सकते हैं लेकिन जो आदमी का सोच हो उसको हमें पहचानना पड़ेगा। इस बात को कोई भी विरोधी पार्टी का सदस्य अगर खड़ा होकर कह दे कि बिजली का उत्पादन बढ़े यह अच्छी सोच नहीं है, तो मैं आपके सामने इस्तीफा देने को तैयार हूं। कोई कहे तो सही, बिजली का उत्पादन बढ़ना अच्छी बात नहीं है इसलिए भाइयों हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सबसे महत्वपूर्ण बात को...

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सभापति महोदय, एक बात तो उनकी मान ली।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट मेरी भी सुन लीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री रोहिताश्व कुमार : वह डिपैंड करता है इंटरनेशनल मार्केट पर गैस और पैट्रोल का।

श्री आर. पी. शर्मा : क्या बात कर रहे हैं?

श्री रोहिताश्व कुमार : आप उनको ज्वाइंट करके कंफ्यूजन क्यों करना चाह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : आप फिर गलत कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको भी मौका मिलेगा।

श्री आर. पी. शर्मा : आपने पैट्रोल और डीजल को...(व्यवधान) इसके अलावा छोड़ दिया, यह भारत सरकार का मसला है। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : सभापति महोदय, अगर भारत सरकार चाहे तो सब्सिडी देकर डीजल की दरों को कम कर सकती है किन्तु इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये किसान की मदद करना नहीं चाहते हैं।

श्री आर. पी. शर्मा : मैं माननीय रोहिताश्वजी आपको बताऊंगा तो आपको खुद को अचंभा होगा। जो डीजल कांग्रेस के शासन में आज से तीन साल पहले 10 रुपये लीटर था, आज 21 रुपये लीटर बिका है, जो पैट्रोल 20 रुपये था, आज 33 रुपये बिका है, जो हमारा रसोई गैस का सिलेंडर था 140 रुपये आज वह 260 रुपये में भर रहा है, स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने जैसा कहा इसमें आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, हमें पूरे हिन्दुस्तान की इकोनोमी को देखना है इसलिए आप इसमें बुरा नहीं मानें। लेकिन केवल प्रजातंत्र में दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारी जो विरोधी पार्टी है उसके अच्छे कार्यों को भी नहीं सराहें, यह अच्छी बात नहीं है, इससे प्रजातंत्र लम्बा नहीं चलेगा। मैं बिजली के साथ साथ आपको और खुशखबरी देना चाहता हूं। जो हमारा डिमाण्ड और सप्लाई का गैप था, 23.2 डिमाण्ड ज्यादा थी बिजली की सप्लाई कम थी उसको भी इस सरकार ने डिमाण्ड और सप्लाई गैप को 5.6 परसेंट ले आये हैं। यह उत्पादन की ही वजह से हुआ है...

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, गैप तो कम हो गया बिजली गई कहां? यह तो बताओ, न गांव में बिजली है, न किसानों को बिजली है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री आर. पी. शर्मा : यह दुर्भाग्य है कि मेरे बड़े भाई जो पेशे से प्रोफेसर हैं वह कहते हैं कि बिजली गई कहां? बिजली गई नहीं है, बिजली का उत्पादन बढ़ा है, यह सत्य है इसको मानना पड़ेगा। बिजली का कंजम्पशन बढ़ा है, यह सत्य है, गई कहां, कंजम्पशन हो गया, बिजली का कंजम्पशन बढ़ा है, यह सत्य है और मैंने जैसा पहले कहा है अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति कंजम्पशन के आधार पर मानी जाती है।

श्री सांवर लाल : सब रो रहे हैं, बिजली को किसान रो रहे हैं, व्यापारी रो रहे हैं, शहर वाले रो रहे हैं, दुकानदार। फिर गई कहां, गैप कहां खतम हो गया।

श्री आर. पी. शर्मा : बिजली को कोई नहीं ले गया। बिजली ऐसी चीज नहीं है जो जेब में चली जाए। बिजली मुंह में नहीं जाती है, जेब में नहीं जाती है।

श्री सांवर लाल : कांग्रेस वाले आपस में ही करंट लगा रहे हैं क्या बिजली का? फिर गई कहां बिजली? सब लोग दुखी हैं, बिजली का आपके ही लगा रहे हैं करंट?

श्री आर. पी. शर्मा : आप ऐसे क्वेश्चनत करते हैं, आप प्रोफेसर हैं। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसका सिर नहीं है, पूंछ नहीं है बिजली गई कहां? कल मैं आपको कहने लग जाऊं कि 10 करोड़ रुपये थे कहां गये, क्या जवाब दोगे आप? ऐसी बातें करना ठीक नहीं, आप तो प्रोफेसर हैं।

श्री सांवर लाल : ऐसा है 3 घंटे एवरेज आपने बिजली नहीं दी किसान को।

श्री आर. पी. शर्मा : यह बिलकुल गलत है।

श्री श्रवण कुमार : 6 घंटे बिजली दी है। (व्यवधान) आप सुनो तो सही, राजस्थान को 6 घंटे बिजली दी है। (व्यवधान) 6 घंटे बिजली दी गई है किसान को।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : फायदा दिया था बी.पी.एल. परिवार वालों को... (व्यवधान) वह भी काश्तकार हैं इस सरकार के। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : इनकी अफवाह फैलाने की आदत। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपस में वाद-विवाद में नहीं उलझें, जिसको भी बोलना हो वह आसन की इजाजत लेकर बोलें इसलिए बीच में...(व्यवधान) आप बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : थोड़ा ज्ञानवर्द्धन करने जा रहे हैं...

श्री सभापति : बिराजिए, ज्ञानवर्द्धन सब हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप उनसे हमें ज्ञान दिलवा दें कि 1998 में कितने लाख यूनिट थी और आज कितनी दे रहे हैं? यह बता दो।

श्री सभापति : सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा उस वक्त सब ज्ञान आपको दे दिया जाएगा।

श्री आर. पी. शर्मा : आपका अभी अभी ज्ञानवर्द्धन नहीं हुआ क्या? 3356 में 1208 मेगावाट जोड़ लो। अब आप यूनिट की कहोगे, कल कहोगे सब यूनिट की। आपका ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है, आप महाज्ञानी हो।

श्री अमराराम (धोद) : आप 1998 में कितनी यूनिट बिजली सप्लाई दे रहे थे, उतनी ही आज दे रहे हैं? मंत्री जी बैठे हुए हैं।

श्री सभापति : बिराजिए।

डा. चन्द्रभान : यह गलत कह रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : 1998 में कितना कंजम्पशन था और आज कितना कंजम्पशन है?

डा. चन्द्रभान : 1996, 1997 एवं 1998 में आन एण्ड एवरेज करीब 600 लाख यूनिट बिजली देते थे और आज 550...

श्री अमराराम (धोद) : 1998 में 720 लाख यूनिट दे रहे थे और आज 15 लाख यूनिट दे रहे हो।

डा. चन्द्रभान : मैं औसत की ही बात कर रहा हूं, कोई महीने, दो महीने की बात नहीं कर रहा हूं, रबी की क्रॉप के टाइम में, सभापति महोदय, 1995 से लेकर 1998 के बीच में साढ़े पांच सौ से लेकर 625 लाख यूनिट के बीच दे रहे थे और आज 700 से लेकर साढ़े 700 लाख यूनिट पर-डे बिजली दे रहे हैं। बड़ा अन्तर आया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रोहिताश्व कुमार : सभापति महोदय, यूनिट बिजली बढ़ी है और यह लाखों का कहां से अन्तर आ गया? (व्यवधान) आप बाहर से बिजली खरीद नहीं रहे हो और कह रहे हो 1200 यूनिट आपकी बढ़ी है तो यह इतने आंकड़े आपने कहां से पेश कर दिये? यह बीच की बिजली कहां से लाये आप?

डा. चन्द्रभान : रोहिताश्वजी, आप चार साल बाहर रहे, सदन में रहे नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी ओन जनरेशन भी बढ़ गई और बाहर भी जो हमारी हिस्सेदारी है, वह बिजली खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से बिजली नहीं खरीद रहे हैं। कल ही आंकड़े दिये गये थे कि हमने कितने एम.ओ.ओ., कितनी बिजली खरीदी है। कल और परसों माननीय काबराजी ने, सब ने कहा, आपने सुना नहीं ध्यान से।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन की हर बात का यदि जवाब दोगे तो इसका कोई अन्त नहीं आएगा। सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा उस समय सब बातें हो जाएंगी। इसलिए हर पाइंट पर यह तो पूछते रहेंगे। छोड़ो अब आप।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना बहुत जरूरी है। हमारे नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि किसी भी प्रदेश की अगर हम आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो हमें उसका आधारभूत ढांचे की तरक्की करनी होगी, आधारभूत ढांचे में हमें खर्चा करना होगा। आधारभूत ढांचा जो महत्वपूर्ण है वह सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। इन सब चीजों पर राज्य सरकार ने, मुझे कहने में बड़ी खुशी होती है इस बात की कि इन विषम परिस्थितियों में, जहां प्रदेश में पांच साल से अकाल हो, जहां प्रदेश के सामने गम्भीर समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को भी देखते हुए चाहे वह सड़क का क्षेत्र हो, चाहे

(श्री आर. पी. शर्मा)

शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, मैं डिटेल में सुनाउंगा तो बहस शुरू हो जाएगी। सड़कों के क्षेत्र में कोई सोच सकता था कि केवल रोड्स अपग्रेडेशन प्रोग्राम के साथ, सुदृढ़ीकरण के तहत 600 करोड़ रुपये खर्च करना और खर्च ही नहीं करना....

श्री रोहिताश्व कुमार : कौनसे आपने अपने फण्ड से खर्च कर दिये क्या? (व्यवधान) 25 हजार करोड़ से ज्यादा कर्जे में लाद दिया। यह कोई बहादुरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। शर्माजी, ठहरिए।

श्री आर. पी. शर्मा : मुझे बड़ा दु:ख होता है, मैं जवाब दे दूंगा। आप यह समझ रहे हैं कि आप भारत सरकार के मालिक हैं।

श्री सभापति : शर्मा जी, एक मिनट। माननीय रोहिताश्वजी, इस डिबेट को चलने देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आपका मानस कितनी बार इंटरवीन करने का है यह बता दो मुझे। इस डिबेट को चलने दीजिए।

श्री आर. पी. शर्मा : भारत सरकार हमारी भी है।

श्री रोहिताश्व कुमार : आपको मुखारबिन्द करके ये बोलें तो हम नहीं बोलें। ये हमको इंगित करके बोल रहे हैं इसलिए जवाब दे रहे हैं।

श्री सभापति : वे नहीं बोलेंगे लेकिन डेबिट को चलने दीजिए आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) **:** माननीय सदस्य, सामने बैठे हैं और वे आपके सामने हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य आपके सामने हैं। बहुत गलत बात थोड़ी कह रहे हैं। आप सुनो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उप मुख्य मंत्रीजी को खड़े होने की आवश्यकता कहां हो गई? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरा आग्रह यह है, माननीय सदस्य, इनकी बात तो सुनो आप। आप अपने समय में अपनी बात फरमाएं।

श्री सांवर लाल : इशारा बन्द करवाओ आप।

श्री आर. पी. शर्मा : हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिन्दुस्तान की सरकार पर देश की आजादी के बाद लगभग 44-45 साल कांग्रेस का शासन रहा है और उस कांग्रेस शासन में, चाहे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, चाहे हमारी नीतियों के माध्यम से इस प्रदेश के विकास की जो नींव डली है, पेड़ जो हमने लगाये हैं, अब फल खाने

(श्री आर. पी. शर्मा)

के लिए यह कह दो, फल आने के बाद कि ये फल मेरे हैं तो दुर्भाग्य है लोगों की सोच पर। इस देश के विकास के ऊपर बहस नहीं करना चाहता, बहस करना चाहता हूं इस देश की राजनीति में आपने धर्म के नाम से इस देश को खतम करने की कोशिश की है। आप केवल असत्य बात कह करके, अहिंसात्मक बात करके, झूठे-झूठे शगूफे छोड़कर के इस देश के साम्प्रदायिक सदभाव को कमजोर करने की जो नीति डाली है, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में विकास की नींव को खतम करने के बाद यह देश कब अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा, मुझे कहने में बड़ा दुःख है। आज जरूरत इस बात की है, हमें बहस इस बात के लिए करनी चाहिए कि हमारी गरीबी दूर हो, हमें बहस इस बात के लिए करनी चाहिए कि हम अमेरिका, जापान जैसे सक्षम देशों के सामने खड़े होकर के उनसे मुकाबला करें। लेकिन आज बहस इस बात की हो रही है कि हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बाटंकर के इस देश में राजनीति करें। मुझे कहने में संकोच नहीं है, एक कवि ने कहा है...

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सभापति महोदय, बहस गवर्नर साहब के अभिभाषण के ऊपर हो रही है और ये दूसरी रामायण छेड़ रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह अभिभाषण का ही अंग है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ...आप नहीं गये थे क्या?

श्री आर. पी. शर्मा : आप सुन खुद रहे हो, मैं तो टू-द पाइंट बोल रहा था लेकिन आपने मेरी बात को सुना नहीं फिर जवाब देने की मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी है इस बात के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अलवर में जो जातीय सम्मेलन में भाषण दे रहे थे आप और यहां आप कह रहे हैं कि यहां जातिवाद की बात कर रहे हो। पर अलवर में भाषण दे रहे थे आप।

श्री आर. पी. शर्मा : नहीं, तो क्या करूं मैं? मैं जब सड़क की बात कर रहा था तो आप सड़क की नहीं सुनना चाहते। मैं आपके मतलब की बात करूं तो ही सुनना चाहोगे ऐसा सम्भव नहीं है। मेहरबानी करके मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता, मैं कभी असत्य नहीं बोलता लेकिन मेहरबानी करके आप मेरी बात सुनें।

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सभापतिजी, हम व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे, कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया पर जो सही बात है, चूंकि भगवान की कृपा से जनता ने यहां बैठने का मौका दिया है इसलिए ज्ञानवर्द्धन करना चाहिए और जो जानकारी है वो देनी चाहिए।

श्री आर. पी. शर्मा : मैं फिर आपको जवाब दूं। मैं बिलकुल सहमत दूं लेकिन जनता ने यह नहीं कहा कि गवर्नर स्पीच पर आर.पी. शर्मा बोले उसकी हर बात का खण्डन करना। जनता ने यह कहा होगा

(श्री आर. पी. शर्मा)

कि आपके लिए मैं, आप सड़क कितनी बनवा दोगे, आप सिंचाई की व्यवस्था क्या कर दोगे, स्कूल की व्यवस्था क्या कर दोगे, साम्प्रदायिक सद्भाव को खत्म कर दोगे, यह बातें जनता ने कही होगी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, ये आपकी तरफ देखने की बजाय हमारी तरफ सीधा देखकर के बोल रहे हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, यह आपकी तरफ देखने की बजाय जो हमारी तरफ देखते हैं...(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सदस्य की निगाहें सीधी हमारी तरफ हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गम्भीर नहीं हो आप लोग सरकार चलाने के लिए। हमारी तरफ देखने के बजाय सभापति महोदय को सम्बोधित करो। आप इधर सम्बोधित करो।

श्री आर. पी. शर्मा : पूरा प्रदेश जानता है कि कौन गम्भीर है, कौन गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : साम्प्रदायिक सौहार्द है क्या, इसका मतलब तो आप बता दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय प्रोफेसर साहब, यदि आपका मन नहीं है डिबेट को चालू रखने का तो दूसरा इंतजाम हो सकता है। ऐसा ही लग रहा है।

श्री रोहिताश्व कुमार : प्रोपर चलनी चाहिए।

श्री सभापति : प्रोपर है, प्रोपर चल रही है आप बीच में क्यों बोलते हो?

श्री आर. पी. शर्मा : आप मेरे भाई हो, आपकी तरफ देखूंगा तो आपको कोई नजर नहीं लगाऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात कर रहा था कि आधारभूत ढांचा के बारे में मैंने कहा कि अमर्त्य सेन जो हमारे नोबल पुरस्कार विजेता हैं और जिन्होंने रिसर्च इस बात पर की है कि आर्थिक उन्नति के कारण क्या होते हैं। उन्होंने इस बात को माना है कि जब तक हम किसी प्रदेश में, किसी भी जगह आधारभूत ढांचे का विकास नहीं करेंगे वह प्रदेश विकास नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने मैंने पहले कहा कि इस विषम परिस्थिति में जहां हमें अकाल का सामना करना पड़ रहा है, जहां इस प्रदेश में गरीबी है, इस प्रदेश में साधन सीमित हैं, ऐसे समय पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने आधारभूत ढांचे के विकास में, सड़कों को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, सामाजिक सेवाओं को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मैं एक–एक करके गिनाऊंगा तो माननीय गवर्नर साहब के स्पीच में लिखे हुए हैं और मेरे सभी

(श्री आर. पी. शर्मा)

माननीय सदस्यों ने पढ़े भी होंगे, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, बहुत महत्वपूर्ण काम इस सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में किये हैं, मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रोफेसर राव जो हिन्दुस्तान की सरकार में पूर्व सिंचाई मंत्री थे, उनका एक सपना था, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी और आज भी प्रधान मंत्री महोदय ने माना है कि जब तक हम एक नदी को उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक उसके पानी का उपयोग नहीं करेंगे या जो बड़ी–बड़ी नदियां हैं जिनका पानी बहुत महत्वपूर्ण है उनके पानी का उपयोग आम जनता के लिए नहीं करेंगे, कोई सिंचाई के क्षेत्र में हम तरक्की नहीं कर सकते।

इस बात पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सिंचाई के क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा और सब इस बात को जानते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है। हम यह नहीं कह सकते कि हमने कोई पैसा ऊपर से लाकर के विकास के काम हाथ में लिये हैं। यह निश्चित रूप से सही बात है चाहे हमने कर्ज लिया हो, चाहे भारत सरकार से सहायता ली हो, चाहे अपने संसाधन जोड़े हो, हमने सोच इस बात का भी रखा कि सिंचाई के क्षेत्रों में बहुत बड़ी–बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रदेश में चाहे गंगा के पानी का सवाल हो, चाहे यमुना के पानी का सवाल हो, चाहे चम्बल के पानी का सवाल हो, मैं चूंकि जिक्र करूंगा, माननीय गवर्नर महोदय ने अपनी स्पीच में साफ कहा है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रदेश में 342000 किलोमीटर भूमि होने के बाद मात्र 10.45 प्रतिशत क्षेत्र ही कृषि योग्य है और उस कृषि योग्य में एक प्रतिशत पानी ही उपलब्ध है। उस प्रदेश के 10.45 प्रतिशत क्षेत्र को हम सिंचित करें, उसमें सिंचाई की व्यवस्था करें क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग किसान हैं और किसान ही इस प्रदेश का रखवाला है। किसान बहबूदी के लिए, किसानों के विकास के लिए सिंचाई की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो चार वृहत्त योजनाएं, चार मध्यम योजनाएं, एक आधुनिकीकरण की योजना तथा 169 लघु सिंचाई योजनाएं इस सरकार ने अपने हाथ में लेकर के महत्वपूर्ण काम किया है। मैं कह सकता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण काम आने वाले समय में इस प्रदेश में होगा।

श्री सभापति : बिराजिए।

श्री आर. पी शर्मा : मैं आराम से बोलूंगा। बोलने दें मुझे। आप कहें तो बन्द कर दूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि कांग्रेस दल को जो समय आबंटित किया गया है उसमें अभी सात घंटे शेष हैं इसलिए माननीय सदस्य को आप हमारे समय का ध्यान रखते हुए समय दें। मेरा थोड़ा सा अनुरोध है।

श्री सभापति : कोई रोक–टोक नहीं है, मर्जी आये उतना बोलो।

श्री आर. पी. शर्मा : ठीक है। इसलिए मैंने जैसा कहा कि इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं, भरतपुर जिले में, जो हमारे स्वर्गीय बाबू राजबहादुरजी, जिनका सपना था कि गंगा, यमुना का पानी भी हमें सिंचाई के लिए मिले। 175 करोड़ रुपये की योजना गंगा–यमुना के पानी के लिए सैंक्शन की है। इस मौके पर इसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके साथ–साथ पेयजल की व्यवस्था जो भरतपुर में खराब थी उसके लिए 166 करोड़ रुपये की योजना चम्बल से भरतपुर जिले को पानी मिले उसकी स्वीकृत की है और केवल स्वीकृत ही नहीं की, उसमें सन् 2004 तक चम्बल का पानी पीने के लिए भरतपुर को मिल जाएगा। इसके लिए भी एम.ओ.यू. होकर के काम चालू हो गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ, जैसा मैंने कहा कि पेयजल सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि हमारे राजस्थान प्रदेश में जहां एक प्रतिशत पानी है पूरे हिन्दुस्तान का लेकिन पीने योग्य पानी मात्र 0.4 प्रतिशत है। तो बहुत पेयजल की समस्या है। कहीं पर खार है, कहीं पर पानी में बीमारियां लगी हुई हैं। उनके इलाज के लिए राज्य सरकार ने चाहे बीसलपुर का प्रोजेक्ट हो चाहे चम्बल का प्रोजेक्ट हो, चाहे अन्य प्रोजेक्ट हो, उन सब प्रोजेक्ट से, 2100 करोड़ रुपये की योजना है पेयजल सम्बन्धी, लाये, शुरू कर दी। यह बहुत बड़ा काम इस राज्य सरकार ने इन विषम परिस्थितियों में किया है।

मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं, पिछले चार वर्षों में इस सरकार ने 4807 अलाभान्वित गांव और ढाणियां थीं, उनको लाभान्वित किया है। इसके साथ साथ 33445 आंशिक रूप से जिनको पानी पीने का मिल रहा था, उनको लाभान्वित किया है। यह बहुत बड़ा काम पानी के सम्बन्ध में इस राज्य सरकार ने किया है।

इसके साथ–साथ माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां राजस्थान में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं लेकिन कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास भी किसी प्रदेश के लिए होना बहुत जरूरी है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नीतिगत रूप से जो महत्वपूर्ण फैसले इस सरकार

(श्री आर. पी. शर्मा)

ने लिये हैं, एकल खिड़की योजना, हमारे लोन के सम्बन्ध में त्रि-स्तरीय समिति का गठन, इसके साथ साथ उद्योग-धन्धों के लिए किसानों के लिए अपने खेत में 1/10 एरिया में विदाउट परमिशन अपना उद्योग धन्धा स्थापित करने की योजना, ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने से निश्चित रूप से इस सरकार ने लगभग 5825 करोड़ रुपये की योजना आज हमारे पास प्रस्तावित है, जिनकी स्वीकृति हो गई है। औद्योगिक क्षेत्र में भी इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण काम करने के लिए कार्यवाही की है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है।

सभापति महोदय, आधारभूत ढांचा में शिक्षा का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इस प्रदेश में शिक्षा में साक्षरता को 61 प्रतिशत लाना, निश्चित रूप से सही बात है कि पिछली राज्य सरकारें हैं, उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण काम किये हैं। लेकिन इसके बाद एक सीढ़ी और हटकर, जो इस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम उस व्यक्ति के लिए काम किया है, जो व्यक्ति गांव और ढाणियों में रहता है, जो कभी सोच नहीं सकता था कि 3-3, 5-5 किलोमीटर एक नन्हा-मुन्ना बच्चा, पांच साल का बच्चा कैसे पांच किलोमीटर दूर शिक्षा लेने के लिए जाता था, 55 साल तक इस राजस्थान में जिसने नहीं सोचा था, उसको एक आशा की किरण इस सरकार ने गांव और ढाणियों में राजीव गांधी पाठशाला शुरू करके दी है। शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करके बहुत बड़ा काम किया है, निश्चित रूप से 11 लाख 50 हजार बच्चे, ऐसे बच्चे जो कि कभी जिंदगी में शिक्षा नहीं पा सकते थे और निश्चित रूप से सही बात है अगर इन बच्चों को, काश उन बच्चों के लिए पहले ही यह कार्यक्रम शुरू कर देते तो हमारे प्रदेश में शैक्षिक स्थिति कुछ और होती। लेकिन फिर भी मैंने जैसा कहा कि इन कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में आज भी इतने बड़े काम किये हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वे बहुत महत्वपूर्ण काम हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए बिराजिए। बोलो नहीं।

श्री आर. पी. शर्मा : हमें यह समझ में नहीं आता, फिर खड़े हो गये मदन दिलावर जी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : चुनाव नजदीक है, खड़ा होना पड़ेगा।

श्री आर. पी. शर्मा : मैंने पहले ही कहा था, इसमें पहले वाली सरकार का भी रोल था, आपने शायद सुना नहीं, ध्यान कहीं और होगा। मैं कहना चाहता हूं, नीतिगत फैसले...

श्री रोहिताश्व कुमार : आप यमुना के पानी का भी भरतपुर में जिक्र करते, यमुना का पानी भैरोंसिंह जी के समय में यमुना का पानी लाने की बात की थी... (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : स्वर्गीय राज बहादुर जी की योजना थी, जो मैंने जिक्र किया है।

श्री रोहिताश्व कुमार : स्वर्गीय राज बहादुरजी की योजना थी कि नहीं थी, लेकिन हमारे समय में दिल्ली की केन्द्र की सरकार ने यमुना का पानी लाने की बात की थी...(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह (डीग) : 1994 में माननीय भैरोंसिंह जी ने इन पांच राज्यों में अन्तरराज्यीय यमुना समझौता करवाया था। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : अब मैं कहूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। केवल शिलान्यास लगाकर के माननीय...वहीं मैं कह रहा हूं, वहां पर उद्घाटन कर आये, पानी नहीं मिला, मैं यह नहीं कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : और अब हमारी उप मुख्य मंत्रीजी श्रीमती कमला की बदौलत राज्य सरकार का जो पक्ष इन्होंने रखा, केन्द्र सरकार ने इसको स्वीकार किया, कमलाजी का इसमें योगदान रहा है।

श्री आर. पी. शर्मा : केन्द्र सरकार सब की है।

श्री अरुण सिंह : केन्द्र सरकार आपकी नहीं है, नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस की है। आप इसमें बहस मत करिए।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : मैं इसको स्पष्ट करूं, केन्द्र सरकार का इसमें इस वक्त कोई रोल नहीं है क्योंकि जिस वक्त यह एग्रीमेंट हुआ था, उस समय जो भी सरकार थी, उसने एग्रीमैंट किया लेकिन उसके बाद में अब तक इस पानी को लेने के लिए जो प्रयत्न किये जाने चाहिए थे, वह नहीं हुए और हमने पिछले तीन सालों में प्रयत्न करके, प्रोजेक्ट बनाकर, सी.डब्ल्यू.सी. से क्लियरेंस लेकर, टैक्नीकल कमेटी से क्लियरेंस लेकर उसको स्वीकृत कराई।

श्री अरुण सिंह : तभी आपको मैं बधाई दे रहा हूं। आपको मैं बधाई दे रहा हूं मंत्री महोदया। पैसा तो भारत सरकार देगी।

डा. (श्रीमती) कमला : हां, वह तो आपके धन्यवाद को मैंने स्वीकार किया है। लेकिन भारत सरकार का अभी इसमें कोई रोल नहीं है। वह तो जब हम पैसा लेंगे तब उनका रोल आएगा।

श्री रोहिताश्व कुमार : यमुना के पानी का पहले हुआ है, भारत सरकार से पहले हो चुका है।

डा. (श्रीमती) कमला : आपको पता नहीं है, आप तो बिराजो। क्या पता नहीं है।

श्री रोहिताश्व कुमार : हमको पता कैसे नहीं है। यमुना के पानी का तो 1994 में हो चुका है।

डा. (श्रीमती) कमला : अब इसमें बहस की जरूरत नहीं है, यह रिकार्डेड फैक्ट्स है। इसमें फैक्ट्स में क्या आप बहस करेंगे। इस समय हो उनका काम हुआ, वह रिकार्डेड है।

श्री मदन दिलावर : सी.डब्ल्यू.सी. किसके अंडर में होती है, उप मुख्य मंत्री महोदया?

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : आप असत्य बात मत करो। आप असत्य बात नहीं करें।

डा. (श्रीमती) कमला : ...हम कराकर लाये हैं, यमुना का पानी है। सी.डब्ल्यू.सी. से हम क्लियर कराकर लाये हैं।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, जब मंत्री महोदय बोल रहे हों...

श्री श्रवण कुमार : कमलाजी, कब तक पानी आ जाएगा भरतपुर और झुंझुनूं में?

श्री सभापति : कुछ तो परम्परा निभाओ मेरे भाई, मंत्री महोदय बोल रही हैं। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण काम किये हैं और मेरे माननीय सदस्य साथी सब जानते हैं, मैं कभी इस बात का पक्षधर नहीं हूं, समझने में शायद मेरे साथियों को बड़ी गलती हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम विषम परिस्थितियों में केवल डरकर नहीं बैठ जाएं, केवल हम घबराकर काम नहीं करें, हम विषम परिस्थितियों में भी विकास की बात करें, यह मेरे कहने का मतलब है। मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं इस राजस्थान प्रदेश में विकास की जैसी नींव स्वर्गीय मोहन लालजी सुखाड़िया ने डाली है, स्वर्गीय हरिदेव जी जोशी ने डाली है, वहीं सम्माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने डाली है लेकिन आज के हालात में जो माननीय अशोकजी गहलोत ने इस राजस्थान प्रदेश के चहुंमुखी विकास के कार्यक्रम हाथ में लिये हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह...

श्री मदन दिलावर : असत्य मत बोलो, मुझे बोलना पड़ेगा, बड़ा दर्द होता है राजस्थान के साथ अन्याय किया है इस सरकार ने, बड़ा दर्द होता है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके दर्द का इलाज कौनसे अस्पताल में है, वह और बता दो? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे दर्द का इलाज तो नौ महीने बाद भाजपा के अस्पताल में होगा।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय दिलावर जी, दर्द भी दिया है तो दवा भी देंगे, तसल्ली करो। मैं यह कहना चाहता हूं एक शेर है...

"है समय बड़ा बलवान, समय में सब वह जाया करते हैं।

लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो तूफानों से टकराकर इतिहास बनाया करते हैं।"

सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने इतिहास बनाया है और इस बात के ऊपर बहस कर सको, यह पार्टी की बात छोड़कर, फिर वही बात आएगी, पार्टी से हटकर बात कर दो, 11.21.2000 निष्पक्ष व्यक्तियों की एक कमेटी बना लो, उस कमेटी में बहस करवा लो और उस बहस में अगर माननीय गहलोत जी ने विकास के प्रति काम इन विषम परिस्थितियों में नहीं क़िये हैं तो मैं आप कहें वह करने के लिए तैयार हूं। लेकिन केवल हम पार्टी की बात करें। हमारी पार्टी का मामला होता है, हम आपकी बुराई करेंगे, आप हमारी बुराई करेंगे। यह तो परम्परा है इस प्रदेश में प्रजातंत्र की इसलिए मैंने कहा है, कितने भी आदमिया की कमेटी बना लो, ऐसे लोगों की कमेटी बने...

श्री रोहिताश्व कुमार : सभापति महोदय, एक पैसा पिछले चार सालों में रिसोर्सेज के नाम पर इन्होंने कोई डवलप नहीं किया। सारा का सारा रुपया विश्व बैंक से या बाहर से ऋण लेकर आए। राजस्थान की गरीब जनता को ऋण पर, ब्याज पर छोड़ दिया और ये गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं।

श्री आर. पी. शर्मा : यह भी आप गलत बात कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए कहूं तो...(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : आप मुझे बता दीजिए कि आपने रिसोर्सेज के नाम पर नया कोई स्रोत डवलप किया है, तो। एक नया पैसा डवलप नहीं किया। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : आपको जानकारी नहीं है, रेवेन्यू में दुगुनी आमदनी हुई है।

श्री रोहिताश्व कुमार : 21000 करोड़ रुपये लेने के लिए आपने कहा कि खजाना खाली है और यह दुहाई कर दी और आपने 25000 करोड़ रुपया चार सालों में बरबाद कर दिये और फिर आप बात कर रहे हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : हमने विकास के लिए किया है, विकास के लिए, विकास करके दिखाया है, धरती के ऊपर विकास दिख रहा है। अब आपको दिखता है, उसके बावजूद भी कहते हैं तो...

श्री रोहिताश्व कुमार : हमने भी विकास किया था, हमारी सरकार ने भी विकास किया है, हम कोई रुपया घर लेकर गये हैं क्या?

डा. (श्रीमती) कमला : आपको आंकड़ों की चिन्ता ज्यादा हो रही है बजाय वेलफेयर के, जनता की खुशहाली, जनता का विकास, क्षेत्र का राज्य का विकास, यह आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ आंकड़े दिख रहे हैं आपको।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप खूब बोलना न।

श्री रोहिताश्व कुमार : हम कह रहे हैं 32000 करोड़ रुपये का कर्जा लेकर...

श्री हरिसिंह (महुवा) : सुनो, सुनो, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं।

श्री रोहिताश्व कुमार : ...आप नया सोर्स डवलप करते तो...

श्री आर. पी. शर्मा : अगर हमने विकास नहीं किया है तो आप क्यों डर रहे हो?

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मुझे अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़) : माननीय सदस्य रोहिताश्वजी, आप माननीय दिलावर जी के अधिकारों को क्यों छीन रहे हो? यह दिलावर जी का अधिकार है आप कब से छीनने लगे हैं, रोहिताश्व जी? आप तो बिराजे रहो। दिलावर जी, बहुत ज्यादा हैं इस मामले में। यह दिलावर जी का पार्ट है, यह उनको करने दो, आप अपना रखो।

श्री सभापति : आपके चीफ-व्हिप बोल रहे हैं, इतना तो ख्याल रखो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, अखबारों से मुझे जानकारी मिली है और जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों को पोर्टफोलियो बांट दिये हैं और उसके आधार पर शैडो गवर्नमैंट बना ली है। शैडो गवर्नमेंट बनाकर, एक बहुत अच्छा प्रजातंत्र...

श्री रोहिताश्व कुमार : यह शैडो गवर्नमेंट का प्रस्ताव आया कहां से, यह आपकी ही देन है कि शैडो गवर्नमेंट बने।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अखबार के माध्यम से यह जानकारी मिली और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि प्रजातंत्र बड़ा परिपुष्ट होगा। मैं अब यह कहूं कि शायद बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य को व्यवधान मंत्री का दर्जा उन्होंने दे दिया है।

श्री आर. पी. शर्मा : नहीं-नहीं, कोई बात नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, थोड़ा ज्ञानवर्द्धन कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं अकाल के ऊपर आना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि पांच साल से लगातार यह प्रदेश भयंकर अकाल से जूझ रहा है। मेरी स्पष्ट बात करने वाली आदत है। हर अकाल में, हर गवर्नमेंट, प्रदेश गवर्नमेंट, केन्द्रीय गवर्नमेंट किसी भी पार्टी का हो, उससे सहायता मांगने के लिए सोचती है, उम्मीद करती है और यह सोचना, उम्मीद करना उसका मौलिक अधिकार है, किसी की मेहरबानी नहीं है। इस तरह का संविधान में कानून और व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि अकाल के समय में केन्द्र सरकार किस को क्या मदद देगी।

श्री सभापति : सम-अप करें।

श्री आर. पी. शर्मा : मुझे कहते में संकोच हो रहा है, जहां प्रदेश ने 7519 करोड़ रुपये का अकाल से होने वाले लोस का आकलन किया हो और राज्य सरकार को क्या मिला हो, लेकिन धन्य है माननीय मुख्य मंत्रीजी गहलोतजी, इतना कम मिलने के बाद मैं यह नहीं कह सकता कि कहीं कोई खामी नहीं रही होगी, मैं कोई गारन्टी इस बात की नहीं दे रहा मैं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि पूरी कोशिश इस बात की नहीं दे रहा मैं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि पूरी कोशिश इस बात की की गई कि इस प्रदेश में जन और धन की हानि नहीं हो, इस प्रदेश में किल्लत नहीं हो। कहीं खाने की वजह से कोई मर गया या कहीं पशुओं का नुकसान हो गया, मैं नहीं कहता, एक-दो हो सकते हैं। दिलावरजी, आप बेकार बार-बार बोल जाते हैं।

श्री सभापति : दिलावरजी, बिराजिए आप।

श्री आर. पी. शर्मा : एक-दो हो सकते हैं। इस अकाल में, पिछली बार भी अकाल पड़ते रहे हैं, और प्रदेशों में अकाल पड़े हैं लेकिन अकाल में पचास से साठ रुपये की मजदूरी मिलना, समय पर मजदूरी मिलना, और आपका भ्रष्टाचार नहीं होना, एक बहुत बड़ा सबूत है प्रदेश की इस सरकार के लिए मैनेजमैंट में।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है, एक शायर ने कहा है कि "तेरे सीने में न सही, मेरे सीने में सही आग लगनी चाहिए।

मेरा मकसद केवल हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए।"

हमें प्रदेश में गरीबी है इसके ऊपर बहस करनी है, प्रदेश में कोई भी सरकार हो, देश में कोई सरकार हो, अगर जहां प्रदेश के लोगों की सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट में हमारी विरोधी पार्टियों की है तो उनका फर्ज और दायित्व बनता है कि भारतीय

(श्री आर. पी. शर्मा)

जनता पार्टी की सरकार से प्रदेश को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दिलवाएं। इसमें कहने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने पहल भी की है, मदद करने की कोशिश भी की है। एक अच्छे राजनीतिज्ञ का यह धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है।

मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हमने लोक कल्याण के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी, हमने आधारभूत ढांचे के विकास में कोई कमी नहीं आने दी, हमने प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव को रखने में कोई कमी नहीं आने दी। छोटी-मोटी गलतियां होना एक स्वाभाविक बात है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ पार्टियां जो तिल का पहाड़ बना देती है, जो शगूफे, अफवाहों से जनता को भ्रमित करती है, ऐसी पार्टियों से, ऐसे लोगों से प्रजातंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसे लोगों से इस देश में तरक्की नहीं होगी। इस देश में तरक्की होगी उन कर्मठ व्यक्तियों के करने से जो कर्मशील हैं, कर्मयोगी हैं, कर्त्तव्यनिष्ठ हैं। ऐसे लोगों से जिनके दिल में दर्द है-इस प्रदेश के विकास का, इस प्रदेश के गरीबों के प्रति सहानुभूति, इस प्रदेश के किसानों के प्रति सहानुभूमि है। यह सब बातें जब तक नहीं होगी, कोई भी नेता, मैं कह सकता हूं चाहे कुछ भी बन जाए लेकिन वह अपने कर्म को नहीं सुधरेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहा करता हूं कि लोग कहते हैं कि भाई व्यक्ति जब जन्म लेता है, खाली हाथ आता है, अपने साथ सम्पत्ति और धन लेकर नहीं आता हे और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो खाली हाथ जाता है, कुछ सम्पत्ति और धन लेकर नहीं जाता है। लेकिन मेरा इसमें सोचना बिलकुल उलटा है। मैं कहता हूं जो व्यक्ति जन्म लेता है, अपने संस्कार, अपने पूर्व जन्मों का फल लेकर आता है और अगर वह अपने इस जीवन में भी अच्छे संस्कार करेगा, अच्छे कर्म करेगा तो उन संस्कारों और कर्मों को लेकर के अगले जन्म में जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जो कर्मठ हैं, कर्मशील हैं, ईमानदार हैं, योग्य हैं और जिनके दिलों में गरीबों के प्रति रहम है, दर्द है, जो काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के कर्म अच्छे बनेंगे और वह आगे अच्छे जन्म लेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : समापन करें।

श्री आर. पी. शर्मा : चलो, समापन करना चाहता हूं, लास्ट एण्ड कर रहा हूं। मैं माननीय गवर्नर महोदय की उस लाइन को भी पढ़ाना चाहता हूं जो उन्होंने अभिभाषण में कहीं है कि-"राज्य को शिक्षित, समर्थ और सम्पन्न बनाने की आवश्यकता है। राजस्थान का त्वरित विकास हमारा लक्ष्य है। धार्मिक और साम्प्रदायिक सद्भाव को अक्षुण्ण बनाये रखना हमारा धर्म है। आइए हम इन

(श्री आर. पी. शर्मा)

चुनौतियों को अवसर में बदलें। इस काम में सरकार के साथ चिंतक, किसान, उद्यमी, श्रमिक, राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ता एवं राज्यकर्मी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ आगे आएं तभी इस प्रदेश का विकास हो सकता है।''

इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल ने जो बात कही हैं, इस बात को हम सब राजनीतिज्ञ, अपने क्षेत्रों से चुने हुए जन-प्रतिनिधि लेकर चलेंगे, मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश का विकास होगा, आर्थिक उन्नति होगी। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री रोहिताश्व कुमार : सभापति महोदय, छह-सात लाइन माननीय सदस्य के भाषण से निकाल दी जाए तो वन आफ द बैस्ट भाषण है। और अब इनसे दो सौ रुपये लिये जाएं अच्छे भाषण के लिए।

श्री सभापति : कोई बात नहीं। माननीय श्री श्रवण कुमारजी। आप चाहें तो आगे आकर भी बोल सकते हैं।

श्री श्रवण कुमार : आगे नहीं, यहीं से बोल दूंगा साहब, सुन जाएगा।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय सभापतिजी, ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मैं आज विधान सभा में बोलना चाहता हूं। सबसे पहला मुद्दा इस राजस्थान में भीषण अकाल का है। आज पूरे देश-प्रदेश में भीषण अकाल चार साल से लगातार पड़ता आ रहा है। 1987-88 का जो अकाल था उससे भी बुरा हाल 2002-2003 का है। इस सरकार ने इस भीषण अकाल का सामना करने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और मजरे-मजरे बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था की है, अनाज की व्यवस्था की है, गरीबों को मजदूरी की व्यवस्था की है। आप देख रहे हैं आज राजस्थान में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको काम नहीं मिला है। भले ही दस दिन का काम है, सुमित्राजी इस बात पर हंस रही हैं लेकिन दस दिन का रोटेशन सिस्टम बना रखा है इसके लिए कह रहा हूं। इतने बड़े कार्य को इतने लम्बे समय से चला रहे हैं, 16 अगस्त से यह कार्य चल रहे हैं और जून के माह तक चलेंगे।

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सभापतिजी को पता है।

श्री श्रवण कुमार : दस महीने तक कार्य चले और इतनी विषम स्थितियों का सामना करके इस राजस्थान की धरती पर अकाल का मुकाबला करना, यह बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले आज कहना चाहता हूं कि जो काम की लोगों के सामने दिक्कत थी, सबसे पहले कच्चे काम इस राजस्थान में चल रहे हैं जा काम मैं सोच

(श्री श्रवण कुमार)

नहीं सकता था, देख नहीं सकते थे लोग, जो रास्ते इतने कंजस्टेड थे, उनको इतना अच्छा मजदूरी का रूप देकर, अच्छे जो रास्ते बनाये और राजस्थान को एक नया आयाम दिया।

मैं शिक्षा के ऊपर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में 21453 या 58, यह जितनी भी राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गई, जिन ढाणियों में कभी सोचा नहीं था कि शिक्षा जाएगी, उन ढाणियों और मौहल्लों में जाकर शिक्षा का प्रचार और प्रसार हुआ। आज शिक्षा के नाम पर कोई कह नहीं सकता कि एक भी बच्चा राजस्थान में पढ़ना चाहता हो उसको पढ़ाया नहीं जा रहा है।

इन परिस्थितियों में पचास साल के बाद पहली बार राज्य में गरीबी के छप्पर पर, गरीब के दरवाजे पर जाकर पूछा गया कि गरीब तेरे को किस बात की आवश्यकता है। हम देखते हैं, ज्यादा तो नहीं, तीन-चार मुख्य मंत्रियों का कार्यकाल देखा है, पहले भी 1993 से 1998 तक मैंने देखा है, 1998-99 से लेकर 2003 तक। आज गरीब को बी.पी.एल. कार्ड के माध्यम से दवाई दी जा रही है। जो गरीब आदमी सीने में दर्द होता था यह सोचकर संतोष कर लेता था कि भूत-प्रेत ने तोड़ दिया पर उसका कारण क्या था, हार्ट अटैक होता था, उस बात को सोच नहीं पाता था कि मैं एस.एम.एस. हास्पिटल के दरवाजे पर जाऊंगा तो मेरा कभी उसमें इलाज होगा। पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस गरीब की भावना को समझा और आज हार्ट के इलाज पर जो पैसा लगता है, मुख्य मंत्री सहायता कोष से दिया जाता है, यह बहुत बड़ी बात है। गरीब को दवाई लेने के लिए तरसना पड़ता था, आज बी.पी.एल. कार्ड के माध्यम से फ्री दवाई हास्पिटल से मिलती है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज पचास साल के बाद इस बात को लोगों ने महसूस किया है कि गरीब आदमी पहले सोच नहीं सकता था कि दवा मिलेगी पर आज दवाई के लिए उसके दरवाजे पर जाकर पूछा जाता है कि आपको तकलीफ क्या है। 50 साल के बाद उस गरीब को यह महसूस करवाया कि प्रजातंत्र क्या होता है।

माननीय सभापति जी, बिजली का भी यही हाल है बिजली 6 घंटे, कहीं 7-8 घंटे आती थी किसान के खेत में उसका वोल्टेज होता था ढाई सौ। ढाई सौ वोल्टेज में मोटर चलती नहीं थी। किसान की मोटर महीने में दो बार जलती थी। हमारी राजस्थान सरकार ने चार साल में 1208 मेगावाट बिजली जनरेट की और आज छीजत के लिए गांव-गांव, गली-गली, मौहल्ले-मौहल्ले में इस बात की आवाज है कि चार 220 मेगावाट के सौ 33 के.वी.ए. के और 31-32 132 के.वी.ए. के जी.एस.एस. बना करके

(श्री श्रवण कुमार)

छीजत को खतम किया गया। आज इस बात का हर व्यक्ति को अहसास है कि मोटरें पूरे सीजन में एक भी नहीं जलती। हर किसान के कुए में वोल्टेज साढ़े तीन सौ-चार सौ आता है।

श्री रोहिताश्व कुमार : यह भाषण चिड़ावा में भी देना।

श्री श्रवण कुमार : यह चिड़ावा का नहीं यह विधान सभा का है। रोहिताश्व जी, इस बात की पीड़ा महसूस कर रहे हैं अब 2004 में आपको और अच्छी सुविधा मिलेगी। आप जब 1997 में हमारे साथ होते थे तब यह महसूस करते थे कि किसानों के एजीटेशन होते थे और किसान को ढाई सौ वोल्टेज मिलते थे। पर आप चार साल बाहर रहे आपने देखा होगा कि गांवों में एजीटेशन बन्द हो गये हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार : झुंझुनूं के मंत्री का रोज घेराव होता है।

श्री श्रवण कुमार : अब आज 2002-2003 में एक भी मंत्री का घेराव देखा नहीं होगा आपने। आज किसान के ऊपर भगवान भी खुश है। चौथी बार बरसात हो रही है।

श्री रोहिताश्व कुमार : उप चुनाव जीतने के बाद भगवान खुश हुए हैं पहले नहीं।

श्री श्रवण कुमार : यह आपके जीतने के बाद हुए यह बात सही है। आपने बात की होगी उनसे। आगे भी ध्यान रखना हम आपको जिता देंगे पर किसान का ध्यान रखना आप।

श्री अमराराम (धोद) : जिता दोगे?

श्री श्रवण कुमार : हां, जिता देंगे। वो तो ये महसूस करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले राजस्थान में किसान को बिजली के लिए इस बात की पीड़ा थी, वह महसूस करते थे कि मोटर चलाएंगे पर मोटर चलेगी नहीं। आज साढ़े तीन सौ वोल्टेज आते ही कुप में हर किसान की खुशहाली आयी। 6 घंटे और 7 घंटे बिजली किसान को अबकी बार मिली। आज खेतों में आप देखेंगे तो इस बात का प्रतीक है किसानों के खेत लहला रहे हैं और भगवान ने भी अबकी बार व्यवस्था की है इस गरीब की छप्पर की योजना के तहत आगे बढ़ाने के लिए चार बार बरसात हुई। आज भी मैंने टेलीफोन किया था चिड़ावा में बरसात हो रही है, तो ऐसा महसूस किया जा रहा है कि राजस्थान सरकार पर भगवान भी खुश हो गया है।

श्री रोहिताश्व कुमार : यह हवन करने से हुआ है।

श्री श्रवण कुमार : यह बात जरूर है कि बिजली, चिकित्सा और शिक्षा, आप भी देख रहे हैं कि शहरों के

(श्री श्रवण कुमार)

अन्दर, बड़े-बड़े शहरों में, जयपुर को आपने देखा दिल्ली और जयपुर में कोई अन्तर नहीं है। जब पृथ्वीराज रोड पर जाते थे तो यह महसूस करते थे कि कभी जयपुर में भी ऐसा होगा क्या। आज 50 साल के बाद चार साल में जयपुर की गलियों में जब कोई आदमी निकलता है तो उस बात का अन्तर महसूस नहीं करता कि जयपुर है या दिल्ली है। राज भवन जैसी सड़कें इस जयपुर शहर में है। जोधपुर, कोटा, अजमेर सभी 6 बड़े शहरों को छोड़ करके छोटी-छोटी नगरपालिकाओं में, गांव-गांव की छोटी-छोटी गलियां ऐसी चमक रही हैं जैसे चांदी चमक रही है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि राजस्थान की धरती पर विकास की गंगा बही है।

श्री रोहिताश्व कुमार : अब किससे कहें कि आपको मंत्री बनावें। कोई सामने बैठा ही नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : मुझे मंत्री बनने का रोहिताश्व जी शौक नहीं है जब आपको बना रहे थे उस दिन मेरे को भी बना रहे थे, अंडरस्टूड। पर मैंने कहा रोहिताश्व जी, नोट करें।

"फानूश बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमां क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।"

इस बात की मुझे चिन्ता नहीं है कि कौन मंत्री बनावे यह जनता मंत्री बनाती है और यही संतरी बनाती है। इस बात की परवाह नहीं है पर मैं यह बताना चाहता हूं कि आज राजस्थान में 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण कराया गया। 5 साल पहले जब सड़कों पर गुजरते थे तो सड़कों की हालत यह थी कि गाड़ी वाले महसूस करते थे कि नयी चेसिस निकलवायी है दो साल में खतम हो जाएगी। आज यह काली सड़कें राजस्थान की धरती पर ऐसी चमक रही हैं जैसे शंकर भगवान कैलाश पर्वत को छोड़ करके राजस्थान में आवास कर रहे हों। पानी की गंगा ऐसे बह रही है गली-गली में जैसे हिमाचल की पहाड़ियों से भागीरथ छोड़ कर राजस्थान की धरती पर आ गयी हो।

यह सारी व्यवस्था कैसे हुई? इस राजस्थान में पानी की बातें थोड़ी देर पहले कर रहे थे, मैं महसूस कर रहा था राजेन्द्र जी को जोशी जी जवाब दे रहे थे, तो उनको इस बात की पीड़ा हो रही थी। सी. पी. जोशी जी जवाब सटीक और सही दे रहे थे। इनको मालूम है कि ये बहुत इंटेलीजेंट आदमी हैं इस जवाब में चुकेंगे नहीं इसलिए शोर-शराबा करके बिसरा दें। लेकिन आप जानते हो कि पानी में एचीवमैंट हुआ है, सड़कों में हुआ है, चिकित्सा में हुआ है, शिक्षा में हुआ है सभी दृष्टि से सभी डिपार्टमेंटों

(श्री श्रवण कुमार)

में राजस्थान आगे बढ़ा है। यह बात आज कोई नयी बात नहीं है, हर व्यक्ति को मालूम है। शिक्षा में चार-पांच साल पहले, 1993 में हम जीतकर आये थे आदरणीय भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री होते थे, किसी गांव में स्कूल जब खुलवानी होती थी...

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : कुल मिला कर रामराज्य हो गया मान लेते हैं हम।

श्री श्रवण कुमार : हां, आपके हुआ है हमारे थोड़े हुआ है। सब रामराज्य में है क्या? इस बात को महसूस करते थे कि तीन लाख रुपये सैकण्डरी करवाने के, पांच लाख रुपये सीनियर करवाने के लिए दिये जाते थे पर इन चार सालों के अन्दर चाहे कितने भी स्कूल खुले होंगे, कही भी खुले होंगे, मैं यह नहीं कह सकता, रोहिताश्व जी यह कहना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में नहीं खुला। विपक्ष में पहले भी नहीं खुलते थे अब भी नहीं खुलते होंगे।

श्री अरुण सिंह : विपक्ष के यहां स्कूल एक नहीं खुला है। मेरे डीग क्षेत्र में एक स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुई है।

श्री रोहिताश्व कुमार : 33 विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पिछले चार सालों में एक भी स्कूल नहीं खुला है।

श्री श्रवण कुमार : यह तो होता ही है राज किसको कहते हैं।

श्री जीतमल खांट : ...(व्यवधान) मेरे क्षेत्र में कहीं स्कूल नहीं खुला ...(व्यवधान) भेदभाव से खोला है।

श्री रोहिताश्व कुमार : ...(व्यवधान) भेदभाव पहली बार नजर आया। राजस्थान में सन् 1952 से पहले भी बहुत मुख्यमंत्री हुए। कांग्रेस का शासन भी रहा पर कांग्रेस के शासन में इस तरह का भेदभाव नहीं हुआ जो इस रामराज्य के चार साल में हुआ है। ....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : रोहिताश्वजी बरगलाने की जरूरत नहीं है।

श्री जीतमल खांट : ...(व्यवधान) जवाबदेही और संवेदनशील सरकार हो और ऐसी सरकार में विधायकों के साथ इतना भेदभाव हो रहा हो...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आपको इस बात का मालूम है कि 1993 से 1998 तक आप राज करते थे हम आपको देखते थे, आज बोखला गये।

"तकलीफें सहने की जिन्हें आदत नहीं, तूफानों से सर टकराने की जरूरत नहीं। जो लोग जिया करते हैं दूसरों के सहारे उनको कमाने की जरूरत नहीं।" ...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रोहिताश्वजी।

श्री रोहिताश्व कुमार : हमारे राज में आपका कोई काम नहीं अटकने देते थे। एक भी काम बता दीजिये जो अटका हो तो (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अब भी नहीं अटकेगा। काम आपका भी नहीं अटकेगा।

श्री सभापति : माननीय रोहिताश्वजी।

श्री रोहिताश्व कुमार : आपके राज में एक मंत्री काम नहीं करता है दो-चार मंत्रियों को छोड़ कर।

श्री सभापति : माननीय रोहिताश्वजी।

श्री आर. पी. शर्मा : आपके राज में मंत्रियों के पास केवल गाड़ी-घोड़े थे।

श्री सभापति : छोड़ो आप तो बोल चुके न। माननीय रोहिताश्व जी, दिलावर साहब का मुकाबला करने की कोशिश मत करो।

श्री आर. पी. शर्मा : ...(व्यवधान) हमें मालूम है आपकी क्या पोजीशन थी।

श्री श्रवण कुमार : मैं इस बात को महसूस करता हूं कि रोहिताश्व जी कह रहे हैं कि काम रूकता नहीं है, काम आपके भी नहीं रूकेंगे चिन्ता करने की जरूरत नहीं है आप अभी आये हो काम सभी के होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान में पचास साल पहले जब प्रजातंत्र की प्रणाली लागू हुई थी उस के बाद चार साल में पहली बार गरीब आदमी यह महसूस. कर रहे हैं कि प्रजातंत्र क्या होता है।...(व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिए, बिराजिए।

श्री श्रवण कुमार : आप इस बात को महसूस कर रहे हैं। हर व्यक्ति इस बात को मानता है गांवों में जब जाते हैं चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो हर व्यक्ति इस बात का बखान करता है कि चार साल में जो विकास हुआ है वो पचास साल में नहीं हुआ चाहे भले ही कुछ भी योजनाएं बनती रही होंगी। रोहिताश्वजी, इस बात को आपको महसूस करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : अभी तो आपको मैंने याद दिलाया था कि दिलावर साहब का मुकाबला करने की चेष्टा मत करो रोहिताश्वजी। माननीय रोहिताश्वजी।

श्री रोहिताश्व कुमार : ...(व्यवधान) 7 बड़ी पंचवर्षीय योजना कांग्रेस के शासन में बीती हैं मुश्किल से 6-7 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए होंगे अकेली भारतीय जनता पार्टी के शासन में...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रोहिताश्व जी, आप बिराजिए। आप बिराजिए।

श्री रोहिताश्व कुमार : फिर ये कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? इतना रुपया कहां खर्च हुआ?

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री श्रवण कुमार : पैसा कहां खर्च हुआ, पैसा कहीं भी खर्च हुआ।

श्री मदन दिलावर : मेरा मुकाबला नहीं कर पाए आप।

श्री सभापति : नहीं कर सकते कोई भी। यही मैं इनसे कह रहा हूं आपका मुकाबला नहीं कर सकते।

श्री मदन दिलावर : आप किस-किस क्षेत्र की दृष्टि से कह रहे हो?

श्री सभापति : अच्छी बात के लिए कह रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : किस-किस क्षेत्र की दृष्टि से कह रहे हो?

श्री सभापति : इसी दृष्टि से।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, गंगनहर की सफाई का काम पिछले 50 साल से पैंडिंग पड़ा था। माननीय कमला जी ने उसको हाथ में लेकर नहर की सफाई करायी और मरम्मत करायी और एक-से एक नये कार्य करवाये गये। गंगानहर के किसानों की खुशहाली देख करके माननीय मुख्य मंत्रीजी जब गंगानगर गये तो लोगों ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात का धन्यवाद दिया कि गत 50 साल में यहां के किसानों के बारे में किसी ने सुध नहीं ली थी। इस बात को ये भी महसूस करते हैं कि आज राजस्थान में किसानों में जो खुशहाली है। मैं पानी की बात करता हूं कि पानी में चाहे कंटिन्जेंसी स्कीम के द्वारा हो, चाहे हैण्डपम्प हो, चाहे एनीकटस के माध्यम से हो आज पानी की व्यवस्था हर गांव-गांव में करवायी गयी है। मुद्दा यह है कि भूमि में पानी का स्तर नीचे जा रहा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है प्रदेश में ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी यही हालात हैं चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो सभी स्टेटों में पानी का स्तर नीचे जा रहा है। पर आज पानी की जो व्यवस्था गांव गांव में करवाई गई है वह सराहनीय है (व्यवधान) जिसको रोने की आदत होती है वह रोते ही रहते हैं।

श्री मदन दिलावर : मैं चिल्ला चिल्ला कर कह चुका हूं कि वहां 50 हजार जानवर मर गये हैं, पूरा गांव पानी के कारण पलायन कर गया है लेकिन यह +++ सरकार मेरी आवाज को नहीं सुन रही है और कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं राजस्थान में नहीं पूरे हिन्दुस्तान में इस तरह के कटिले भाषण देकर ये पूरे हिन्दुस्तान को खण्डित करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हिन्दुस्तान की धरती पर ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो हिन्दुस्तान की शान-शौकत और शांति को भंग करे। इस तरह की बात करने से देश नहीं चलता है। देश की आजादी का अस्तित्व कायम रखने के

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री श्रवण कुमार)

लिये हर व्यक्ति को सोच को बढ़ाना होगा। इस बात के लिये महसूस करना पड़ेगा कि आज जो लोग यह बात करते हैं, महसूस करते हैं, भाषण देते हैं

"भरा नहीं भाव से बहती जिसमें रसथार नहीं।

हर दिल वह पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं।"

आप जैसे लोगों के दिल में प्यार नहीं कि देश का विनाश कहां हो रहा है।

श्री मदन दिलावर : तस्करी करते हैं जब प्यार होता है क्या देश से?

श्री श्रवण कुमार : यह तो कोई भी कह सकता है, जो +++ है वह अभी भी बोलने के लिये तैयार हो रहा है। मुझे बड़े दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अटरू विधान सभा...

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य के लिये +++ शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

श्री सभापति : माननीय प्रोफेसर साहब, आप तो विद्वान आदमी हैं कहां फंस गये बीच में, छोड़ो इस बात को। आप बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मैं तो विराज जाऊंगा लेकिन किस प्रकार की असंसदीय भाषा का उपयोग किया जा रहा है। आप तो गरिमा बनाने वाले हैं। इस प्रकार के असंसदीय शब्द यहां माननीय सदस्यों के बारे में कहे जा रहे हैं। आप ऐसे शब्दों को एक्सपंज करवाइए।

श्री श्रवण कुमार : कानून में जिस प्रकार का आदमी होता है वही कानून लागू होता है। कानून में यह प्रावधान है कि जैसा आदमी होता है वैसा ही कानून लागू होता है और किसी के लिये नहीं बोला जाता है, आप असंसदीय हो।

श्री सभापति : असंसदीय होगा तो निकाल देंगे।

श्री मदन दिलावर : निकाल दिया?

श्री सभापति : निकाल देंगे असंसदीय होगा तो, अब बिराजिए। छोड़ो आप। आप बोलो।

श्री श्रवण कुमार : पर आपके लिये असंसदीय नहीं है। सभापति महोदय, मैं इस बात को महसूस करता हूं कि इस विधान सभा में कानून-कायदे पर तो लोग नहीं बोलते हैं ऐसे लोगों पर ऐसी ही भाषा लागू होती है। रोहिताश्व जी बोल रहे थे कुछ नहीं कहा, पर जो आदमी इस तरह दिनभर बोलता है उस पर ऐसा ही लागू होता है।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, आप गरिमा बनाये।

श्री सभापति : मैंने कह दिया।

श्री मदन दिलावर : फिर उन्होंने यह कहा है कि ऐसी भाषा इनके लिये कही जाएगी।

श्री सभापति : मैंने कह दिया कि असंसदीय होगा तो उसका निर्णय कर लिया जाएगा, एक्सपंज कर दिया जाएगा, आप बिराजो। (व्यवधान) देखने से पता लगेगा, क्या पता क्या लिखा है?

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, 20 सालों से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लोग नौकरी के लिये घूम रहे थे उन लोगों के लिये माननीय मुख्य मंत्री ने एक आदेश पास किया कि जो भी 15-20 साल से लम्बित केसेज पड़े हैं उन सभी को नौकरी दी। आज कम से कम 80 हजार आदमी इस राजस्थान में चार साल में नौकरी पर आए हैं। वाह करने से काम नहीं चलेगा, जो नौकरी लगी है वह लोगों को मालूम है।

मैं इसलिए ज्यादा नहीं कहकर इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो चहुंमुखी विकास हुआ है और एक क्रान्तिकारी कार्य किया गया है इसके लिये मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रशंसा करता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चार साल में जो चहुंमुखी विकास किया है, राजस्थान को एक नया आयाम दिया है, राजस्थान को एक नई नीति दी है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री रामनारायणजी विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : माननीय सभापतिजी, मैं राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूं।

सभापतिजी, राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री जुगल काबरा जी ने प्रस्तुत किया और उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा जो पिछले चार वर्षों में कार्य किये गये उनकी प्रशंसा के पुल बांधने शुरू कर दिये। माननीय सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान को हम अच्छी तरह से जानते हैं और आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश बन गया है और पिछले 50 साल में बड़ी मुश्किल से 10 साल का समय गुजरा है, 10 साल के समय में थोड़ा बहुत जमाना हुआ बाकी 40 साल तक हमने अकाल की त्रासदी को सहन किया है। इन 40 सालों में जो भी राज्य सरकारें थीं उन्होंने अपने साधनों के मुताबिक, अपने बलबूते के मुताबिक अकाल का प्रबन्धन किया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार और पिछली बार जिस प्रकार से अकाल की मार पड़ रही थी और लगातार चार वर्षों से राजस्थान अकाल से झूझ रहा था यहां की करीब 70

(श्री रामनारायण विश्नोई)

प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है, 70 प्रतिशत यहां का क्षेत्रफल भी सिंचाई के ऊपर और बरसात के ऊपर निर्भर है। ऐसी स्थिति में जब भी अकाल पड़ता है, वर्षा कम होती है तो अकाल का भयंकर रूप ले लिया जाता है। लोगों को यह चिन्ता हो जाती है, रोजगार की कमी हो जाती है, पशु मरने शुरू हो जाते हैं और लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तब सरकार कहीं जाकर कदम उठाती है। अभी पिछले दिनों कुछ भूख से मौतें होने के समाचार भी मिले और सरकार ने उसमें थोड़ी जानकारी के बाद में कुछ कदम उठाया। सभापति महोदय, यह सर्वविदित है कि इंसान के घर में अकाल पड़ने की वजह से जब अनाज नहीं होता है, चारा पानी नहीं होता है और जब वह अपनी भीगी हुई आंखों से अपने दुधारू पशुओं को भी छोड़ना शुरू कर देता है, तो उस स्थिति में उसको जो पीड़ा सहन करनी पड़ती है उसमें उसके परिवार के लोग मृतप्राय: जैसे भी हो जाते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ऐसी परिस्थिति में आज राजस्थान की सरकार ने अकाल राहत प्रबन्धन के जो कार्य किये वह अगर माननीय सदस्य दिल पर हाथ रख कर पूछे तो गांव का कोई भी आदमी, 80 प्रतिशत आदमी, जो वास्तव में खेती पर निर्भर करते हैं, जो पशुपालक हैं वह आज यही कह रहे हैं कि इससे ज्यादा खराब समय सरकार की तरफ से मदद करने का हमने आज तक नहीं देखा। उसका एक कारण है कि समय पर सरकार ने इन चार सालों के अन्दर पिछले 50 साल के इतिहास को देखकर भी यह निर्णय लेने की कोशिश नहीं की कि अकाल से निपटने के लिये सरकार की कोई ठोस नीति भी होनी चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत से संगठन खड़े कर दिये, बहुत से मिशन खड़े कर दिये पर पिछले चार साल में मुख्य मंत्रीजी को और राजस्थान सरकार को अकाल से निपटने की कोई ठोस नीति, कोई मिशन बनाने का कभी उनके दिमाग में नहीं आया। मुद्दा यह था कि हम बार-बार के इस अकाल से किस प्रकार से निपट सकते हैं, किस प्रकार हम राजस्थान की जनता को राहत दिला सकते हैं, राजस्थान के लिये यह सबसे अहम मुद्दा था पर उन्होंने दूसरे मुद्दे लिये। दूसरे मुद्दे मैं अभी बताऊंगा जो उनकी निगाह में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे।

जैसा कि कुछ लोगों ने निवेदन किया कि निशक्त लोगों को उन्होंने मदद कर के बचा लिया। गांव का हर व्यक्ति अकाल पड़ने के बाद निशक्त हो जाता है इसलिए अगर किसी एक-दो परसेंट निशक्त लोगों को या हमारे जोधपुर जिले

(श्री रामनारायण विश्नोई)

के निवासी दामोदर जी थानवी, जिनका बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य डा.करण सिंह जी ने जिक्र किया, दामोदर जी थानवी निशक्त कमिश्नर बन गये। एक निशक्त व्यक्ति को निशक्त कमिश्नर बनाकर अगर मजबूत कर दिया तो उससे राजस्थान के निशक्त सम्पन्न नहीं हो सकते। जिस प्रकार की ग्रामीण जनता की स्थिति बनी हुई थी कि आज 5 करोड़ की जनता इस अकाल से अगर पीड़ित है और उसमें अगस्त से लेकर आज तक 55 लाख की जनसंख्या दी है, तो जो गांव से आये हुए माननीय सदस्य हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ किसी भी परिवार, गांव के अन्दर आज दो हजार परिवारों के घर हैं, तो दो सौ आदमी या सौ आदमी मजदूरी पर लगेंगे। मजदूरी का 10 दिन का हफ्ता, 10 दिन का हफ्ता एक तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी है, 15 दिन का हफ्ता होना चाहिए। सरकार के कर्मचारी मस्टररोल भरने के अन्दर, घूमने फिरने के अन्दर, पेमेंट के अन्दर जो समय व्यतीत करते हैं, टी.ए.डी.ए. का खर्चा लेते हैं उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। गांव का हर आदमी यह चाहता है कि 10 दिन का हफ्ता नहीं होना चाहिए। यह तो सरकार की एक चाल है कि 10 दिन का नाम लेकर एक महीने तक कोई आदमी मजदूरी पर नहीं जाए।

उसी तरह से राजस्थान के हर गांव, हर पार्टी, हर जनप्रतिनिधि से यह आवाज उठाई जा रही है कि कम से कम परिवार के एक सदस्य को मजदूरी मिलनी चाहिए, उस बात को आज राजस्थान सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। बहाना क्या किया जाता है कि राजस्थान की सरकार को केन्द्र की सरकार मदद नहीं कर रही है। केन्द्र की सरकार की तरफ से यह जवाब दिया जा रहा है कि हम बराबर मदद कर रहे हैं। हमारा दिया हुआ अनाज समय पर नहीं उठाया जा रहा है अकाल का प्रबन्धन ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से अकाल से निपटने के लिए अगर कोई ठोस नीति की घोषणा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में करवाई जाती तो हमें बहुत खुशी होती, पर ऐसी कोई ठोस नीति की भावना, कोई इच्छाशक्ति नहीं होने की वजह से हमें इस बात की निराशा हुई कि सरकार कतई गम्भीर नहीं है। सरकार औपचारिकता के रूप में समय निकालने में लगी हुई है कि किसी भी तरह से आंकड़ों के जाल में फंसाकर हम समय निकाल दें।

आज स्थिति यह है कि पशुओं के लिए चारा, पिछली बार बहुत भारी स्थिति पैदा हो गई थी। उस स्थिति के अन्दर उनको चारे के अन्दर मवेशियों के लिए अनुदान नहीं मिल रहा था। इस बार चारा

(श्री रामनारायण विश्नोई)

डिपो खोले। चारा डिपो जल्दी के अन्दर, हड़बड़ाहट में खोले गए कि राज्य के कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों को भेजकर कहा कि जिस भाव भी चारा मिलता है, जाकर चारा खरीद लो। कुछ दलाल लोगों ने, सरकारी दलालों ने वहां जाकर चारे के ठेके के लिए, चारा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आज स्थिति यह है कि चारा डिपो में चारा 400 रुपये प्रति क्विण्टल पर उपलब्ध हो रहा है, जबकि गांव के अन्दर उससे भी सस्ता 300–350 रुपये क्विटल में चारा उपलब्ध है। सरकार का अनुदान, राज के छोड़े हुए कुछ बिचौलिए हैं, जो अनुदान की राशि को खा रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। गांव के अन्दर यह आम चर्चा का विषय है।

इसी प्रकार से मवेशियों के लिए पशु शिविर खोले गए। किसी गांव में अगर पशुओं की संख्या 2000–4000 है तो 200 पशु शिविर खोले गए। 200 पशु शिविरों के अन्दर पूरा इन्तजाम होना चाहिए। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, छप्पर बने हुए होने चाहिए और उनको सम्भालने के लिए मजदूर होने चाहिए।

पहले अनुदान 10 रुपये था, लोगों की तरफ से जब इसका विरोध हुआ कि 10 रुपये से पशु जिन्दा नहीं रह सकता, तो बड़ी मुश्किल से 12 रुपये किए। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं, राजस्थान के किसान प्रतिनिधि जो इस सदन में बैठे हुए हैं, वह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की तारीख में किसी भी पशु को 4–5 किलोग्राम जब तक चारा नहीं मिलता है, दाना नहीं मिलता है तो वह पशु जिन्दा नहीं रह सकता। कम से कम 20 रुपये का अनुदान पशु के ऊपर दिया जाता तो पशु बच सकता था। यही कारण है आज किसानों के घरो में एक भी पशु नहीं है। सब छोड़ दिए गए हैं।

पिछली बार राज्य सरकार ने गौशालाओं का बड़ा भारी विरोध किया, पर अब देखा कि हिन्दुस्तान की जनता, कृषक जनता, कृषि के साथ पशु पालक है, पशु भी आर्थिक आधार है, अगर हमने गौओं को मरने से नहीं बचाया तो राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता हमको बक्शेगी नहीं। तो सरकार के कुछ थोड़ा सा ध्यान में आया, आने की वजह से कहा कि गौशालाएं स्थापित करो। गौशाला के अन्दर गाएं होंगी तो हम अनुदान देंगे। उन्होंने यह अच्छा निर्णय लिया वरना राजस्थान की पशु संख्या, गौ संख्या बिलकुल समाप्त हो जाती और राजस्थान के किसान की बहुत बुरी हालत हो जाती। आने वाले वर्षों में किसान कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज गांव के अन्दर जनप्रतिनिधि जाते हैं, तो जाते ही उनको घेर लिया जाता है और कहते हैं कि 100-200 मजदूरों से काम नहीं चलेगा, थोड़े अनुदान से काम नहीं चलेगा, चारे की बराबर व्यवस्था नहीं है और मजदूरी की व्यवस्था नहीं है। इस हालत के अन्दर यह क्या सरकार है, आप लोग बैठे-बैठे क्या करते हो? यहां आकर भाषण देने की बात अलग है कि अकाल का बहुत बढ़िया प्रबन्धन हो रहा है, किसी प्रकार की वहां पर कमी नहीं है।

पिछली बार क्या हुआ, पिछले साल-दो साल में स्वयं सेवी संस्थाएं अपनी इच्छा से राज्य सरकार की मदद करने के लिए आयीं। स्वयं सेवी संस्थाओं, एन.जी.ओज. ने हिस्सा लिया, पर जिस प्रकार की औपचारिकता, जिस प्रकार की प्रशासनिक दखलबाजी इस वितरण के अन्दर की जा रही थी उससे हालत क्या हुई कि आज कोई भी गैर सरकारी संस्थाएं सरकार की मदद करने के लिए तैयार नहीं है।

जगह-जगह पिछले दो-दो साल के पेमेंट रूके हुए हैं सरकारी कर्मचारियों की अड़ंगेबाजी की वजह से आज भी अगर कोई चारे का ट्रक कहीं से। खरीदकर लाता है तो 20 तरह के सर्टिफिकेट पेश करने पड़ते हैं। उस हालत में अनुदान के लिए जगह-जगह दफ्तर में चक्कर काटने पड़ते हैं। हमने सरकार से कई बार निवेदन भी किया कि आपको जो अनुदान देना है वह ट्रक के मालिक को, चारे के मालिक को दे दीजिए, इन सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को अनुदान के लिए दफ्तरों के चक्कर मत लगवाइये क्योंकि इनको बार-बार दफ्तर के अन्दर 5000-6000 रुपये अनुदान के लिए 1000-1500 रुपये वहां बाबूओं, अफसरों को देने पड़ते हैं। इसके लिए भी सरकार कोई उपाय नहीं सोच रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यही स्थिति चारे की, काम की बनी और पानी की बनी हुई है। आज जयुपर जिले के आस-पास के जो प्रतिनिधि हैं उनको शायद इस बात का अहसास नहीं होगा लेकिन आज पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिले जो गांव और ढाणियों के अन्दर बसे हुए हैं, एक-एक परिवार के आदमी को पांच-पांच, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। गांव का एक व्यक्ति सुबह से शाम तक पानी की व्यवस्था करने में लगा रहता है, तो यह स्थिति बनी हुई है। पानी उपलब्ध नहीं है। पानी के टैंकर सरकार ने कुछ जगह थोड़े बहुत लगाएं हैं, तो स्थिति यह है कि पानी के टैंकर्स जो पेट्रोल डीलर्स है वह, सरकार की पैठ इतनी खराब हो चुकी है, डीजल देने के लिए तैयार नहीं है। कारण, कारण यह कहते हैं कि सरकार

(श्री रामनारायण विश्नोई)

के पास पैसा नहीं है, डीजल का पेमेंट पहले का भी बाकी पड़ा हुआ है इसलिए हम डीजल नहीं देंगे। इस स्थिति के कारण दो–दो, तीन–तीन दिन टैंकर खड़े रहते हैं, यह स्थिति सरकार ने बना रखी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस हाउस को बताना चाहता हूं कि इस भरोसे आपको रहने की आवश्यकता नहीं है, लोगों ने मानस बना लिया है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार केवल समय निकालना चाहती है और इधर–उधर की बातें करके लोगों को भरमाना चाहती है। अकाल प्रबन्धन में सरकार बुरी तरह से फैल हो चुकी है। कोई भी गांव का आदमी इस अकाल प्रबन्धन से आज खुश नहीं है।

कई वित्तीय संस्थानों ने यह कहा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं है, केवल राजस्थान की सरकार का वित्तीय प्रबन्धन ठीक नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्रीजी के सचिव ने साल–दो साल पहले कहा था कि अभी तक कोई भी ठोस नीति सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई है, सरकार केवल क्षेत्र के अन्दर प्राकृतिक आपदा के रूप में अन्दर तात्कालिक रूप से निपटने की कार्यवाही कर रही है। हमें इस बात का खेद है कि सरकार का कम से कम राजस्थान के अन्दर सबसे पहले यह सोचना चाहिए था।

राजीव गांधी के नाम से जिस तरह मिशन बनाया, उसी तरह से एक अकाल प्रबन्धन का बनाकर, ठोस अकाल प्रबन्धन की नीति राजस्थान की सरकार की तरफ से जनता के सामने आनी चाहिए थी ताकि जनता को कुछ विश्वास होता कि सरकार अकाल के अन्दर अकाल पीड़ितों की सहायता करने के लिए कुछ विचार रखती है। अकाल प्रबन्धन के बारे में सरकार की स्थिति बिलकुल निराशाजनक है। आज भी हमारी यह मांग है, आप इस भरोसे मत रहिए, विधान सभा का सत्र खतम होने के बाद गांव के अन्दर जाओगे, एक ही मांग मिलेगी कि एक परिवार का एक आदमी मजदूरी के अन्दर जाना चाहिए, नहीं तो गांव के लोग आपको घुसने नहीं देंगे।

मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सरकार ने अगले महीने से एक परिवार के अन्दर एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया, तो सरकार की हालत तो बिगड़ेगी ही, प्रदेश में भी अव्यवस्था पैदा हो जाएगी, जिसके लिए सरकार की जिम्मेदारी होगी। ऐसे समय में केवल इन बातों से कि केन्द्रीय सरकार मदद नहीं कर रही है। केन्द्र सरकार के अधिकारी, और केन्द्रीय कृषि मंत्रीजी ने भी कल कहा है कि कोई किसी प्रकार की सहायता के अन्दर कमी नहीं आने दी जाएगी।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

केन्द्र सरकार क्या, जैसे हमारे अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि महामहिम उपराष्ट्रपतिजी भी लगे हुए हैं, चारों तरफ से लोगों को अपील कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय, भी लग रहे हैं, अपील कर रहे हैं। इस तरह से अगर सरकार की तरफ से यह भावना और कार्यवाही होती, अपील करते कि राजस्थान आज अकाल से बहुत बुरी तरह से पीड़ित है और राजस्थान की सहायता के अन्दर देशवासियों को और विदेशियों को सामने आना चाहिए। यह जगह-जगह जाकर के अपील करते तो लोग भी आते पर सबसे पहले राजस्थान की सरकार ने एक ही बात पकड़ी कि केन्द्र सरकार निकम्मी है, केन्द्र सरकार कोई सहायता नहीं कर रही है। केन्द्र सरकार यह नहीं कर रही है। हमारे पर कर्जा पहले का बहुत बाकी है। यह बातें जो मेरे साथियों ने बतायीं, जो कर्जा 23-24 हजार करोड़ का पुरानी सरकार छोड़ गयी थी उसको 52 हजार करोड़ तक ले जाकर छोड़ा। राजस्थान का एक निवासी, आज एक पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा होता है तो 8 हजार रुपये कर्जा लेकर पैदा होता है। यह स्थिति राजस्थान की सरकार ने आज राजस्थान के गरीब तबके की, राजस्थान के मतदाता की और राजस्थान के निवासियों की बना दी।

सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इन परिस्थितियों के अन्दर राजस्थान की सरकार अगर केन्द्र सरकार को कोसने की बात बन्द करके और अपने कर्तव्य के पालन में राजधर्म के पालन के अन्दर त्वरित गति से सामने नहीं आयी तो राजस्थान की और देश की हालत बहुत बिगड़ जाएगी और आने वाली पीढ़ी हमेशा आपको बख्शेगी नहीं और यह बड़ा अन्याय करने वाली सरकार मानी जायेगी। मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि राज्य सरकार समय रहते चेते और गांव की पीड़ा को समझे कि गांव में आदमी किस प्रकार से पीड़ित है और गांव में जाते हैं तब आंखों में आंसू पड़ते हैं, गांव में औरतें इकट्ठी होकर आती हैं कि काम नहीं है। कोई भी नेता, कोई भी मिनिस्टर जाता है तो 2-2 सौ, 5-5 सौ की स्थिति के अन्दर गांव की ग्रामीण औरतें आकर घेर लेती हैं उनको। यह स्थिति बनी हुई है। 10 दिन में जो मस्टररोल बदलते हैं कि 30-40 आदमी, सौ आदमी कौन से करने हैं तो जाकर के उस वक्त मेट और राज के कर्मचारी जो जाते हैं उनकी हालत बिगड़ जाती है। चारों तरफ से घेर लेती हैं, बच्चे कांख में लिये हुए वे औरते कहती है हमारा नाम लिखो, हमारा नाम लिखो। 2-3-4 घण्टे दोपहर 2 बजे तक खड़े होकर वापस आती हैं। काम पर नाम नहीं लिखा जाता है, यह स्थिति बनी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ा सा प्रकाश इस पर भी डाल दीजिए कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है जिसमें हर व्यक्ति को 100 दिन काम मिलेगा, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। (व्यवधान) उसमें हर व्यक्ति, हर परिवार के एक सदस्य को कम से कम सौ दिन का...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन बाध्य कैसे कर सकता है कुछ कहने के लिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिये कि यह केन्द्र सरकार की भी योजना है और संविधान के अनुसार भी हर आदमी को जीने का हक है। मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स बार-बार हुए हैं उनके अन्दर भी यह कहा गया है कि Every person has got a right to live. और जिस तरह से जियें, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि आदमी को मरने नहीं देवे। ऐसी स्थिति के अन्दर जैसा आपने कहा, मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का यह कर्तव्य है कि परिवार में कम से कम एक आदमी को काम दे और 10 दिन के बजाय 15 दिन का हफ्ता करे।

अब, माननीय सभापति महोदय, आपको शायद इसका अच्छी तरह से मालूम होगा कि जब राहत कार्य शुरू किये गये तो कई जगह 10-20-30-40 आदमी लगाने के लिये गांव में जो कच्ची सड़कें हैं, ग्रेवल सड़कें, जो गांव के रास्ते हैं जिन पर आपस में जो झगड़े चल रहे हैं उन रास्तों में सड़कों के काम शुरू करवा दिये, वह काम अच्छा था। गांव के अन्दर आजकल थोड़ी सी खेतीबाड़ी ज्यादा होने की वजह से गांव में रास्ते के झगड़े शुरू हो जाते हैं। रास्तों के झगड़ो को निपटाने के लिये अगर ग्रेवल सड़कें, इस अकाल राहत कार्य के अन्दर कई गांव के अन्दर बनीं, तो उससे लोग खुश थे और उस काम के अन्दर मजदूर भी कुछ ज्यादा लगते थे। वह काम एकदम से बन्द, काम क्या शुरू किये कि नाड़ियों के काम शुरू कर दो। नाड़ियों के काम, अगर परम्परागत तालाब हो, अच्छी कोई बड़ी नाड़ियां हों, जहां 6-6, 12-12 महीने तक पानी आता हो वहां तो लोग अपनी श्रद्धा से काम किया करते थे। ऐसी नाड़ियां गांव में एकाध ही होती है, और एकाध गांव में होती है तो उस पंचायत में उस गांव में आसपास 5-5, 7-7 किलोमीटर तक दूसरी नाड़ी नहीं होती। एक ही नाड़ी होती है। लोग-बाग आकर के वहां पानी पाते हैं। बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर के लोग उसको ज्यादा जानते हैं, तो ऐसी स्थिति के अन्दर क्या होता था कि बड़ी नाड़ियों का जो काम था वह शुरू हुआ और उसके ऊपर सिर्फ एक ही गांव के अन्दर जो रहने वाले थे तालाब के पास में थे, वहां के जो

(श्री रामनारायण विश्नोई)

10-20 मजदूर लगे और 5-5, 10-10 किलोमीटर दूरी के जो गांव थे वे उसमें लगे नहीं। तो सरकार ने क्या किया कि नाड़ियों के बजाय कहीं पर भी मिट्टी खोदनी शुरू करा दी। अब यह कहते हैं कि बड़ा-भारी अच्छा प्रबन्धन है। लोगों ने क्या किया, पूछा कि कौनसी नाड़ी है तो कोई पेमाराम था तो यह पेमा नाड़ी है। कोई खेमाराम था, तो खेमा नाड़ी है, कोई छेलसिंह था तो छेलसिंह नाड़ी है। अपने नाम से नाड़ियों का करके नाड़ियों के काम शुरू कर दिये। यह स्थिति है। इस प्रकार से इसके अन्दर इतना भ्रष्टाचार और बिना मतलब, का बिना विकास का काम सरकार नाड़ियों का काम शुरू करके चालू कर दिया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो बिना जरूरत के जो एग्जिस्ट नहीं करती थीं उन नाड़ियों का तो काम बन्द किया जाए और जो विकास के काम थे, जो सरकार ने पिछले साल नारा दिया था कि हमने अकाल को विकास के अन्दर बदल दिया है, वह नारा आज पता नहीं कहां चला गया। इस अभिभाषण के अन्दर भी नहीं है कि हम ने इस अकाल के काम को विकास के अन्दर बदल दिया है। क्योंकि काम तो मौके पर जो हो रहे हैं वह इधर-उधर मिट्टी डालने के ऊपर और उस पर 20-30-40 रुपये मजदूरी देने का काम हो रहा है। यह विकास का काम नहीं हो रहा है। यह उल्टा विनाश का काम हो रहा है। बिना मतलब के, गलत जगह के सरपंच लोग अपने प्रस्ताव लेकर बी.डी.ओ. से, उनसे मिलकर के उल्टे-सीधे काम करवा रहे हैं। मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस तरह से जो अकाल का प्रबन्धन किया जा रहा है यह प्रबन्धन बिलकुल सही नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

अब, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बढ़ा-चढ़ा करके मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस बात का, खास तौर से उधर बैठने वाले लोगों ने बड़ी तारीफ की कि राजस्थान के अन्दर बिजली के क्षेत्र में हमने रिकार्ड तरक्की की है। मैं इस बात के लिये तो राज्य सरकार को और राज्य सरकार का यह धर्म ही है। मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार ने बिजली उत्पादन के अन्दर और विशेष तौर से कोटा थर्मल प्लांट और सूरतगढ़ थर्मल प्लांट जो कि इस राजस्थान की पुरानी एक धरोहर थी और पुराना जो आधार था उन आधारों को आगे बढ़ाने की कार्यवाही की और हर सरकार को करनी चाहिए पर उसके बाद यह काहे के लिये किया जा रहा था। यह क्या इसलिये किया जा रहा था कि राजस्थान का किसान जो 70 प्रतिशत खेती के

(श्री रामनारायण विश्नोई)

ऊपर निर्भर करता है और कृषि कुओं के सिवाय उसके पास कोई साधन अपनी आमदनी का नहीं है, उसको बिजली टाइम के ऊपर मिल रही है या नहीं? उसको बिजली सस्ती रेट पर मिल रही है या नहीं मिल रही है? उसमें सरकार ने क्या किया, वह बहुत से सदस्यों ने बताया है। मैं भी 2-4 बातें बताना चाहूंगा कि उसके अन्दर उन्होंने एकदम से तो 54 पैसे के तो 96 पैसे कर दिये जबकि घोषणा में यह कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आ गयी तो 54 पैसे के बजाय हम 37 पैसे करेंगे। बिजली सुधार कार्यक्रम, पावर सैक्टर रिफार्म का नाम लेकर के, राजस्थान के अन्दर अच्छी तरह से काम करता हुआ राजस्थान विद्युत बोर्ड था उस बोर्ड के टुकड़े-टुकड़े करके यह स्थिति बना दी कि वह टैक्निकल अधिकारियों के हाथों से, आई.ए.एस. प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में दे दिया गया। और सरकार ने उसके ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। पिछले दिनों में आपने हालत देखी कि सबके दफ्तर अलग-अलग। जोधपुर में दफ्तर अलग, अजमेर में अलग और जयपुर में अलग। उसके बावजूद भी जोधपुर का भी हैड-क्वार्टर का आफिस यहां पर, अजमेर की डिस्काम का भी आफिस यहां पर और जयपुर का भी यहां पर था ही। तीनों ही आफिस यहां रखने थे, तो तीन अलग डिस्काम करने की क्या आवश्यकता थी? पूरे राजस्थान को एक ही चीफ इंजीनियर देखा करता था, फिर भी देख सकता था।

इसके साथ-साथ जो प्रैक्टिल दिक्कतें सामने आ रही हैं वह यह है कि एक वितरण के अन्दर कोई कर्मचारी चला गया, आप्शन मांग करके, वितरण के अन्दर अलग जिन्होंने आप्शन दिया वह वितरण निगम के अन्दर चले गये। वितरण निगम के अन्दर कुछ लोग भले हैं और कुछ लोग वितरण की शाखा के अन्दर थोड़ा फायदा कमाने के लिये करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जिस प्रकार से पहले जाते थे। वितरण शाखा के अन्दर जाने वाले कई ईमानदार आफिसर यह कहते हैं कि बहुत बड़ा अन्याय हो गया। हमारे यहां कुछ भ्रष्ट अधिकारी आ गये और हम उनको इस वितरण से कहां निकाल सकते हैं वितरण के अलावा इनको कोई भी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हम इनको पहले जी.एस.एस. पर भेज दिया करते थे, दूसरे दफ्तरों में लगा दिया करते थे। अब तो सिवाय वितरण के अन्दर हम इनको कहीं भी नहीं कर सकते हैं। एक जगह से करेंगे तो दूसरी जगह बदमाशी करेंगे। यह स्थिति बनाकर इसका जो और सुधार करने की बात थी उसको उल्टा ज्यादा महंगा बना दिया।

अभी मेरे साथियों ने बताया और अभी पूर्व ऊर्जा मंत्री बोल रहे थे कि

(श्री रामनारायण बिश्नोई)

उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ, सभापति महोदय, चिन्ता का विषय यह है कि मांग क्यों घट रही है? आपके विद्युत विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि मांग घट रही है और वह इसलिए घट रही है कि आपने इतने ज्यादा रेट्स कर दी कि उद्योगपति और काश्तकार दोनों ही, ठीक है कि काश्तकार के पास में कोई चारा नहीं है। काश्तकार को तो फिर भी मजबूर होकर कनेक्शन लेने पड़ते हैं। आपने अगर उनके 97 पैसे कर दिये और 97 पैसे भी नहीं, आपने एक विशेष योजना शुरू कर दी कि, "हरा-चारा विशेष योजना," जिसके अन्दर हरा चारा, नाम दे दो चाहे जो और कोई नाम दे दो, इसके अन्दर एक रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट। वह कहां जाए आखिर? आखिर किसान को जब कोई मजदूरी नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है तो कम से कम अपनी खेती के अन्दर कृषि के लिए ट्यूबवैल लगाकर फसल लेने की कोशिश तो करेंगे।

एक रुपये 65 पैसे के अन्दर हरा चारा की विशेष योजना और वह विशेष योजना है, सभापति महोदय, आप और हम कहा करते थे, आप तो खैर नहीं कहते होंगे पर सुमित्राजी बैठी हैं और मैं बैठा हूं हमारे समय के अन्दर एक ओ.आई.टी. स्कीम की गई। टर्न से पहले जो बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा उसमें कुछ थोड़े से चार्जेज ज्यादा किये गये थे। मेरे सामने बैठने वाले कांग्रेस के साथी और विशेष तौर से, आज कमलाजी नहीं हैं यहां पर, [illegible] बहुत ही बड़ी तेज आवाज के अन्दर यह कहा कि किसानों के साथ बड़ा धोखा हो गया। किसानों को लूट लिया गया है। किसानों ने अपने गहने गिरवी रख दिये और किसान बर्बाद हो चुका है। किसान को इतनी महंगी रेट के ऊपर बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। बहुत अच्छी स्कीम थी और हमने कहा था कि जो आदमी साधन-सम्पन्न है, जो पैसा दे सकता है अगर उनसे पैसे लेकर हम गरीब आदमियों को कम रेट पर बिजली देते हैं और बिजली की व्यवस्था सुधारते हैं, तो इसके अन्दर कोई बुराई की बात नहीं है। उसका विरोध किया। लोगों को यह कहा गया कि हम आपको सस्ती बिजली देंगे। हम यह जो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विशेष योजना है, उसको खतम कर देंगे। ओ.आई.टी. स्कीम बन्द कर देंगे और यह सारा का सारा, पहले जो व्यवस्था थी वह नम्बर से आपको, आडनरी रेट के अन्दर, साधारण श्रेणी के अन्दर जो आपको कनेक्शन मिलते थे, वह आपको दे दिये जाएंगे। बहुत अच्छी लगी उन लोगों को यह बात और हो गया फैसला। पर लोग आज [illegible] रहे हैं। आज यह कह रहे [illegible] हो गया।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह राजस्थान की सरकार को बताना चाहता हूं और मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि आपने बड़ा जुल्म किया उस गरीब काश्तकार के साथ कि आपने उसको इस धोखाधड़ी के अन्दर लेकर, आज इस स्थिति के अन्दर डाल दिया। आज वह कोई किसी मतलब जो अपने आठ-आठ, नौ-नौ साल से इन्तजार कर रहा था कि कनेक्शन बिजली के नम्बर आएंगे और आपने उसको यह कह दिया कि अगर आपको कनेक्शन नम्बर लेना है, तो आपको स्पेशल स्कीम के अन्दर, हरेचारे के अन्दर आएंगे, तो आपको कनेक्शन मिलेगा। पोल के खर्चे ज्यादा, रेट उसको, टैरिफ ज्यादा, इस तरह से ऐसी परिस्थितियों के अन्दर और मजबूरी का फायदा, मजबूर है आज तो काश्तकार, काश्तकार कहां जाएगा? काश्तकार यह सोचे बैठा है कि आज तो हम मजबूर हैं, कनेक्शन ले लो, कहीं से कर्जा लेकर भी ले लो पर कल जब मौका आएगा तब हम बता देंगे कि काश्तकार की स्थिति क्या है। यह

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

स्थिति, सभापति महोदय, बिजली की बनी हुई है।

आज मैं आपसे निवेदन कर दूं कि यह जो हमारे उद्योग धन्धों से कुछ बिजली का ज्यादा लिया करते थे और उद्योगों से बिजली का ज्यादा लेकर किसानों को वापस सब्सिडाइज किया करते थे। आज इसमें यह स्थिति है कि महाराजा उम्मेद मिल्स और पाली उम्मेद मिल्स ने तो पूरी की पूरी बिजली कटा ली है और डी.एल.एफ., बिनानी और श्रीसीमेंट आदि बड़े उद्योग अपना स्वयं का उत्पादन करने लगे हैं और नाममात्र का उपयोग निगमों से करते हैं। साफ तौर से उद्योगपतियों ने कह दिया है कि हम राजस्थान की इतनी महंगी और इस प्रकार की व्यवस्था के अन्दर कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। और यही कारण है, आज काश्तकार को कितनी-सी बिजली चाहिए? पांच हार्स पावर की, दस हार्स पावर की, ज्यादा से ज्यादा बीस हार्स पावर की। बड़े-बड़े उद्योग-धन्धें, उद्योगपति जो हैं उन्हीं को बिजली की आवश्यकता थी और उन्होंने अपने प्लांट अलग से लगाने शुरू कर दिये। यह राजस्थान की स्थिति बन गई है। यह बड़ी दयनीय स्थिति है कि राजस्थान में इस पावर सैक्टर सुधार की वजह से, यही कारण है कि आज कोई भी बड़ा उद्योग पिछले चार-पांच साल में यहां आकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बिजली की यही स्थिति रही, तो मैं आपको सभापति महोदय, राज्य सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आपका यह सारा ढांचा बैठ जाएगा और हम वापस और ज्यादा कर्जे के अन्दर चले जाएंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण विश्नोई : कर्जा बढ़ा है। ऐसी स्थिति के अन्दर यह जो बड़ी वाहवाही ले रहे हैं कि बिजली का बहुत बढ़िया उत्पादन हो गया। बिजली में बड़ा सुधार हो गया। बड़े-बड़े तंत्र हो गये। यह हो गये, वह हो गया। एक मैं बता देना चाहता हूं कि 33 के.वी.ए. के जो सब-स्टेशंस हैं और यह आपके 132 के.वी.ए. और 33 के.वी.ए. के जगह-जगह बहुत ज्यादा हमने संख्या में कर दिये। आंकड़ों से स्पष्ट है कि विद्युत भार तो कम होता जा रहा है और प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में 132 के.वी.ए. के ग्रिड सब-स्टेशनों पर क्षमता से आधा लोड आ रहा है। 132 के.वी.ए. के ग्रिड सब-स्टेशनों पर भी उनकी क्षमता से आधा लोड आ रहा है और उस स्थिति के अन्दर नये 33 के.वी.ए. के जी.एस.एस. बारबार खर्च करके लगाने की आवश्यकता नहीं थी। उसी से काम चलाया जा सकता था पर उस पर ज्यादा खर्चा लगाकर सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता के लिए कि हमने इतने 33 के.वी.ए. के जी.एस.एस. चालू कर दिये तो यह जो स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय।

श्री रामनारायण विश्नोई : और बाकी किस प्रकार से, पांच मिनट और लूंगा, आज की स्थिति यह है कि इन्होंने जो स्पेशल, अभी 2002-2003 की स्थिति मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय, आप विद्युत मंत्री रहे हो, आप कोई ऐसा सुझाव दीजिए ताकि लाइन लोसेज कम हो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : सुझाव देंगे, साहब। वह देंगे। हरिसिंहजी, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत को यह ड्यूटी दी जाए कि आपका यह कर्तव्य है कि गांव के अन्दर जितनी बिजली आप ले रहे हो वह बिजली का पूरा बराबर पेमेंट मिलना चाहिए नहीं, तो सरपंच सस्पैण्ड कर दिया जाएगा। नहीं, तो पंचायत पर यह ड्यूटी लगाना चाहिए आपको। पंचायत एक्ट के अन्दर संशोधन करके, क्यों नहीं करेंगे जन-प्रतिनिधि, पंचायत अगर दूसरा काम करती है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? हमको मिलजुलकर राजस्थान में बिजली का सुधार करने के लिए कोई न कोई रास्ता उठाना पड़ेगा। यह नहीं है कि हम फ्री छोड़ दें। कह दें कि आप जिस तरह से चाहो, जिस तरह से बिजली चोरी करो या किसी भी प्रकार से करो। हम तो बिजली सस्ती लेंगे। इसका हमको मिलकर, बैठकर दोनों ही पक्षों को एक कामन प्रोग्राम बनाना चाहिए कि बिजली की चोरी नहीं होनी चाहिए। चोरी अगर, यह ग्राम पंचायत की ड्यूटी हो जाती है, आप छोटे-छोटे कामों के लिए तो, एक सरपंच ने

(श्री रामनारायण विश्नोई)

छोटी सी कोई अनियमितता कर दी, किसी प्लाट को किसी गरीब आदमी को बिना नीलामी के दे दिया, सरकार के अगर पक्ष का नहीं है तो उसके लिए एकदम सस्पैंशन का आर्डर आ जाता है, इंक्वायरी खुल जाती है, पांच–दस साल तक लटकता रहता है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : तो इनके हिसाब से तो 33 के.वी.ए. के सब–स्टेशन नहीं लगने चाहिए, आपका यही कहना है? (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : बिना जरूरत के नहीं करने चाहिए। उससे काम चल सकता है, यह थोड़े ही कह रहे हैं कि नहीं करने चाहिए। आवश्यकता नहीं है, लोड 132 के सब–स्टेशनों पर भी आधा लोड काम में आ रहा है तो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो स्थिति है, बिना मतलब का खर्चा करने की स्थिति नहीं हो और इसको टाला जा सकता था और माननीय सदस्यों ने, आप ने और हमने सबने इस बात का विरोध किया था...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय, मैं, नहीं वह तो आपने चोरी वाली बात रोकने के लिए कहा है। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि लाइन लोसेज कैसे रोकी जाए? आप विद्युत मंत्री रहे हैं, कुछ सुझाव आए तो लाभान्वित हो सदन भी, प्रदेश की जनता भी और हम भी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : यह लाइन लोसेज तो चोरियों की वजह से ही है बाकी कोई लाइन लोसेज इतनी लम्बी... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, देखिए 132 और 33 के.वी.ए. के जो सब–स्टेशन कायम हुए हैं, उसके बाद नतीजे यह निकले हैं कि राजस्थान में चार प्रतिशत लाइन लोसेज कम हो गया। अब तक हुआ है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : लम्बी लाइन होती है तो उसके कारण से भी लोस होता है।

श्री रामनारायण विश्नोई : लम्बी लाइन से भी होता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए जरूरी है कि पास–पास ग्रिड बनाए जाएं, वह रूकेगा कैसे। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आपका प्रसारण घाटा–बढ़ा है। आप गलतफहमी में हैं कि आपका प्रसारण घटा है, प्रसारण घाटा बढ़ा है। 400 समथिंग मिलियन यूनिट, आपके प्रसारण का घाटा बढ़ा है। आप आंकड़े देख लेना, वह घाटा बढ़ने का कारण है कि आपने जो ट्रांसफार्मर खरीदे न, उसमें घोटाला हुआ एवं ट्रांसफार्मर में लाइन लोसेज हो रहा है और केवल जो खरीदी...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं तो एक्सपर्ट की राय मांग रहा था, आप तो एक्सपर्ट हैं नहीं।

श्री केसाराम चौधरी : इस बात का एक्सपर्ट हूं, आपको बता देता हूं कि मैं, जो अजमेर...(व्यवधान)... और सस्पैंड नहीं किये कर्मचारियों को...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय हरिसिंहजी ने बिलकुल सही कहा है। हरिसिंहजी, जो लम्बी लाइनें हैं, वह भी लाइन लोसेज का सबसे बड़ा कारण है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका नम्बर आ रहा है, अभी आपका नम्बर आ रहा है।

श्री रामनारायण विश्नोई : दूसरा लोसेज का कारण यह है कि हमारा राजस्थान गांवों में, ढाणियों में बसा हुआ है और ढाणी-ढाणी लाइन पहुंचाने के अन्दर भी काफी दिक्कत होने की वजह से कुछ लोसेज आएंगे।

श्री सभापति : अब थोड़ा समाप्त कीजिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : पर क्या है कि हमें अगर किसान को जिन्दा रखना है, तो हम दूसरी तरफ अपने खर्च कम करके बिजली अगर सही उपयोग करेंगे और कम कीमत पर बिजली देंगे तो किसान खुश हो सकता है। वरना जिस प्रकार से मैंने कहा राजस्थान में 50 साल के अन्दर 40 साल अकाल पड़ा और अकाल 24 घण्टे हमारे सिर पर मंडराता रहता है। उसका और कोई इलाज काश्तकार को बचाने का नहीं है। अब जैसा मैंने निवेदन किया...

श्री सभापति : बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री रामनारायण विश्नोई : सभापति महोदय, पिछले चार-पांच सालों के अन्दर, 1990 से लेकर 1998 तक का रिकार्ड है कि हर साल कम से कम 25 हजार कृषि कनेक्शन दिये गये। अब की बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर 15 हजार का लक्ष्य रखा गया और यह एक अफसोस की बात है कि 15 हजार का लक्ष्य कैसे पूरा किया, 15 हजार का लक्ष्य पूरा किया है 10072 कनेक्शन स्पेशल कैटेगिरी के अन्दर दिये। स्पेशल कैटेगिरी के अन्दर डबल पैसा, 1.65 रुपये का चार्जेज, उसमें 10 हजार कनेक्शन दिये पर 15 हजार कनेक्शन का जो टार्गेट था, वह टार्गेट तो पूरा होना चाहिए था। जिन लोगों का 8-10 साल से नम्बर आया था, जो लोग इन्तजार में थे, उनको साधारण कैटेगिरी के और एस.सी. के लोगों को साधारण रेट के अन्दर कनेक्शन देते तो उसमें सरकार की

(श्री रामनारायण विश्नोई)

नीयत का कुछ पता चलता। यह जो विद्युत वितरण निगम कम्पनियों की नीयत है वह स्पेशल कैटेगिरी के अन्दर 10 हजार कनेक्शन देकर कह दिया साहब, हमने तो 15 हजार कनेक्शन की कमी-पूर्ति कर दी और अब बाकी के जो लोग हैं जिनके 8-9 साल से जो डिमाण्ड नोटिस जारी हुये... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : नर्सरी योजना आपने भी तो चलायी थी। तो बेसिकली कोई फर्क नहीं है।

श्री रामनारायण विश्नोई : हमने नर्सरी योजना चलायी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरी बात सुनिए। हम वहां बैठे थे, हम भी विरोध करते थे नर्सरी योजना का, लेकिन हकीकत में चाहे नर्सरी योजना हो या स्पेशल कैटेगिरी के कनेक्शन हो, यह किसान की एक मांग हो गयी। किसान तैयार है लेने को और किसान ने स्वागत किया है इस योजना का।

श्री रामनारायण विश्नोई : यह कमलाजी आ गयीं, यह तो सबसे ज्यादा विरोध करती थीं कि यह क्या मांग है इस तरह की फालतू की।

श्री केसाराम चौधरी : कोट किया क्या, आपको मालूम ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई : सभापति महोदय, मैं आपकी परमिशन से सिर्फ दो मिनट और कहूंगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर बहुत सी बातें आयीं पर प्रजातंत्र के अन्दर मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि शिक्षा के अन्दर बड़ी भारी वाहवाही लूटी जा रही है। 25 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी पाठशालाएं खुलीं तो सरकार की तरफ से यह घोषणा की गयी कि इसमें पैरा टीचर या शिक्षा सहयोगी 1200 रुपये महिने पर लगाये जाएंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस वक्त भी राजस्थान के अन्दर ट्रेण्ड शिक्षक मौजूद थे, उनको नहीं लगाकर ग्रामीण जगत के अन्दर ग्रामीण परिवेश के अन्दर जो गरीब परिवार के बच्चे, जो पढ़ने के लिये जाते थे, उनके स्टेण्डर्ड की परवाह नहीं करके केवल उनका अक्षर ज्ञान करने के हिसाब से स्कूल खोलकर राज्य का रिकार्ड बढ़ा दिया कि शिक्षा का प्रसार राजस्थान के अन्दर हो रहा है।

श्री सभापति : इस पर तो सदन में काफी डिस्कसन हो चुका।

श्री रामनारायण विश्नोई : इसके लिये, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सरकार ने तो यह घोषणा की कि यह जो हमने पैरा टीचर्स या शिक्षा सहयोगी राजीव गांधी पाठशालाओं के अन्दर लगाए हैं, शुरू-शुरू में तो इनको यह कहा कि अगर आपकी गरज है तब तो नौकरी लगो और बाद में जब इन्होंने आन्दोलन करना शुरू किया। पहले तो यह कहा कि हमने गांव में एक-दो हमारे कार्यकर्ता लगा दिये और यह हमारे काम आएंगे, पार्टी का प्रचार करेंगे। जब इनको यह महसूस हुआ कि 1200 रुपये महीना, 50 रुपये रोजाना की भी मजदूरी नहीं मिल रही है, मिट्टी डालने वाला मजदूर भी हमारे से ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो इन्होंने आन्दोलन किया और कम से कम बीस हजार आदमी यहां आकर इकट्ठे हुए, बार-बार आन्दोलन हुये। राज्य सरकार के मंत्रियों से मिले और उस वक्त तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी थे सी.पी. जोशीजी, इन्होंने तो कई बार यहां तक कह दिया आपको गरज हो तो नौकरी करो, नहीं चले जाइये। परन्तु जब उन्होंने थोड़ा-सा रोष जताया तो खट से यह घोषणा कर दी हम इनको चार साल के बाद में, पांच साल के अन्दर परमानेंट कर देंगे और थर्ड ग्रेड टीचर की जो ग्रेड है उस ग्रेड के अन्दर 4500 से 7000 की ग्रेड के अन्दर इनको 4500 पर नियुक्ति दे देंगे, यह घोषणा कर दी।

मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत राज्य सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि इन्होंने जान-बूझकर यह झूठी घोषणा की और इनको यह अच्छी तरह से पता था कि हम कर नहीं सकते। राज्य सरकार की तरफ से जो हाई कोर्ट के अन्दर एडवोकेट जनरल पेश हुये और एडवोकेट जनरल ने सरकार की तरफ से यह कहा कि कोई सरकारी नौकरी नहीं है। यह तो हमने कान्ट्रेक्ट बेसिस पर रखा है और सरकारी नौकरी नहीं है इसलिए इनको हम किसी प्रकार से न तो परमानेंट करेंगे, न इनकी कोई तनख्वाहें बढ़ाएंगे। इस बारे में इनको किसी भी प्रकार से कोर्ट में जाने का अधिका नहीं है। हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, हाई कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, यह आपका पैसा नहीं है। राज्य के खजाने से आप पैसा लगा रहे हो राज्य के खजाने का पैसा अगर लगेगा, तो वह पब्लिक सर्वेन्ट माना जाएगा और वह सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी के अन्दर कोई भी आदमी बिना एडवरटाइजमेंट के चुपचाप, बड़े से बड़े अफसर की हस्ती भी किसी आदमी को बिना एडवरटाइजमेंट के, बिना पब्लिक को बताए एक भी आदमी को नौकरी पर नहीं रख सकता। इन्होंने कहा कि एडवरटाइजमेंट करेंगे। वह तो सब रद्द हुए। वापस एडवरटाइजमेंट निकाले, एडवरटाइजमेंट निकालने के लिये कहा

(श्री रामनारायण विश्नोई)

कि ट्रेण्ड आदमी पहले होंगे तो लेंगे। ट्रेण्ड आदमी लेने के बजाय और ही कोई कार्यवाही हुई और बार-बार यह कहा कि नहीं साहब, हम तो ट्रेण्ड आदमी लेंगे। ट्रेण्ड आदमी लेकर हम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर हाई कोर्ट ने भी बार-बार यह कहा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब तो समाप्त कीजिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा-सा सरकार की...(व्यवधान)

श्री सभापति : सरकार की तो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं सरकार वाली तो...(व्यवधान) अब आप समाप्त करो।

एक माननीय सदस्य : हमारा भी ध्यान रखो।

श्री सभापति : अभी आपका ध्यान रखा जाएगा।

श्री रामनारायण विश्नोई : नहीं साहब, सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है और सरकार के बड़े से बड़े राजकीय अधिवक्ता के सामने सरकार ने जो आब्जर्वेशन दिये हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : राठौड़ साहब, मदद कीजिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : "It has been submitted by the learned Advocate General that it is not a post in strict legal sense of service jurisprudence. Moreso, Article 15(3) of the Constitution empowers the State Government to frame a policy providing for such guidelines/ reservation. The appointment etc. are not governed by any statutory rules, it is a project to attract the children towards basic education and in order to remove the apprehensions in the mind of orthodox parents in the rural areas as they did not send their daughters to the institutions unless there is a female teacher, such a course is necessary." यह आर्गुमेंट दिया है कि गांव में लोग बच्चियों को नहीं भेजते इसलिए उसको सर्विस मत मानो और इसी परपज से हम कर रहे हैं। तब सरकार ने इसमें क्या कहा है, यह कहा है कि We are considered. उन्होंने फिर हाई कोर्ट के जजमेंट में कहा है कि in L. Muthukumar & Anr. Vs. State of Tamil Nadu & Ors (2000)7 SCC 618 the Hon'ble Supreme Court observed as under :-

(श्री रामनारायण विश्नोई)

"We are of the considered opinion that before teachers are allowed to teach innocent children they must receive proper and adequate training in a recognised training institute satisfying the prescribed norms, otherwise the standerd of education and careers of children will be jeopardised. In most civilised and advanced countries, the job of a teacher in a primary school is considered an important and crucial one and as moulding of young minds of begins in primary schools, allowing ill trained teachers coming out of derecognised or unrecognised institutes or licensing them to teach children of an impressionable age, contrary to the norms prescribed will be deterimental to the interest of the nation itself in the sense that in the process of building a great nation, teachers and educational institutions also play a vital role. In case like this, interest of individuals cannot be placed above or preferred to the larger public interest." सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे जर्जमेंट में कहा है कि इस तरह आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बहुत बड़ा धोखा आपने राजस्थान के अन्दर किया है। सभापति महोदय, बहुत बड़ा अन्याय किया है राजस्थान की गरीब जनता के साथ में (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब भी कुछ बचा है क्या? किस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, सी. पी. जोशी साहब अपनी सीट से नहीं बोल रहे हैं। इनको छूट है क्या नियमों का उल्लघंन करने की?

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंहजी (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, मैं तो अपनी सीट से बोलता हूं। मेरे दोस्त हैं सी.पी. जोशी साहब। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से सिर्फ दो मिनट और, एक पाइंट पर बोलना है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने 40 मिनट तो ले लिये और कितना बोलोगे अब?

श्री रामानारायण विश्नोई : सिर्फ दो मिनट में खतम कर दूंगा।

श्री सभापति : 45 मिनट तो हो गये।

श्री रामनारायण विश्नोई : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान सरकार के कारनामों की तरफ दिलाना चाहता हूं। सरकार ने पिछले चार सालों के अन्दर... (व्यवधान)

(15.00 बजे)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, आपने मेरा नाम पुकार लिया, अब मैं क्या करूं यह बता दीजिए?

श्री रामनारायण विश्नोई : सुमित्रा सिंहजी, कोई बात नहीं, आप बैठो थोड़ा।

श्री सभापति : आप आसन के आदेश की पालना करो।

श्री रामनारायण विश्नोई : सभापति महोदय, मैं इस सरकार के कार्यकलापों की तरफ यह जो बड़ी संवेदनशील, बड़ी पारदर्शी सरकार है, जिस प्रकार से यह सरकार काम कर रही है उसके नमूने बताना चाहता हूं।

जनप्रतिनिधियों जो कांग्रेस पार्टी के विरोध में चाहे नगरपालिकाओं में, पंचायतों में जीत कर के आ गये, उनको जिस दिन से जीते हैं टार्चर करना तंग करना शुरू कर दिया। इसके मैं एक-दो उदाहरण आपको बताना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप यह उदाहरण पहले ही बता देते न, फालतू ही और बातों में फस गये।

श्री सभापति : माननीय विश्नोईजी, अब छोड़िए आप।

श्री रामनारायण विश्नोई : केसरीसिंहपुर की नगरपालिका में शार्दुलसिंह चेयरमैन थे और शार्दुलसिंह बी.जे.पी. के थे।

मोहम्मद माहिर आजाद : कौनसी नगरपालिका में?

श्री रामनारायण विश्नोई : केसरीसिंहपुर जिला गंगानगर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह व्यक्तिगत मामलों में उलझ जाएंगे इसलिए आप समाप्त कीजिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : यह व्यक्तिगत नहीं है, यह सरकार की कार्यशैली है। जनप्रतिनिधियों से इस प्रकार का व्यवहार हम सहन नहीं करेंगे, सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अपने आपको यह ट्रांसपेरेंट कहते हैं।

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब डिमांड आये तब बोलना।

श्री रामनारायण विश्नोई : शार्दुलसिंह के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है तो जो तीन सदस्य उनके फेवर में थे उनको मिनिस्टर के इन्चार्ज ने सीधी दरख्वास्त, एक कम्प्लेंट लेकर आर्डर कर दिया कि इनको सस्पैंड कर दो। हाई कोर्ट में गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो राठौड़ साहब ने करवाया था, इन्होंने सिफारिश की थी।

श्री रामनारायण विश्नोई : यह कैसे कर देंगे? नहीं, सवाल ही नहीं। यह तो आपको पता है।

श्री सभापति : माननीय माहिर साहब, बिराजिए आप।

श्री रामनारायण विश्नोई : फिर हाई कोर्ट में शार्दुलसिंह गया तो डायरेक्टर इन्चार्ज हैं जी. के. तिवाड़ी, जो उस वक्त लोकल बाडी के डायरेक्टर थे, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि मेरे नालिज में नहीं था, मिनिस्टर ने सीधा आर्डर दिया। जब उन्होंने कहा कि आप इस तरह से कैसे आर्डर दे सकते हो कि एकदम से तीन मैम्बर्स को सस्पैंड कर दिया और बिना कोई इंक्वायरी किये। तो कहा कि, साहब, यह मंत्री महोदय ने किया है। उन्होंने माफी मांगी और सारे आर्डर वापस लिये। यह स्थिति है सरकार की। इसके बाद मैं एक नमूना और बताऊंगा।

श्री सभापति : ठीक है, बहुत बढ़िया। माननीय सदस्य, सहयोग कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामनारायण विश्नोई : सभापति महोदय, वह नोखा का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, नोखा में जो हुआ है, उसका है।

श्री रामनारायण विश्नोई : सभापति महोदय, एक नमूना और बताऊं कि तहसील नोखा के अन्दर...

श्री अरुण सिंह : सभापति महोदय, यह भाजपा वाले पूरा समय लेंगे, हम लोगों को कोई मौका भी नहीं मिलेगा क्या?

श्री सभापति : आप बिराजिए, आपको भी मौका दिया जायेगा, इनको तो समाप्त करने दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब आप कहो अंकित न हो, तब काम चलेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। आपने 6 बार घंटी बता दी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : सभापति महोदय, तहसील नोखा में सरपंच... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आपको यह नहीं बोलने देंगे। अब तो आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) **:** सभापति महोदय, हमारा नम्बर नहीं आएगा क्या?

श्री सभापति : माननीय सुमित्राजी, आसन के आदेश का पालन कीजिए। आप बिराजिए, आप बिराज जाओ।

श्री रामनारायण विश्नोई : सभापति महोदय, सिर्फ एक सैकण्ड।

श्री सभापति : मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, अब मैं फ्लोर के पजेशन में हूं। मेरा नाम पुकार लिया गया, अब प्रांगण मेरे कब्जे में है इसलिए आप बिराजिए।

श्री सभापति : मैंने उनका नाम पुकार लिया है।

श्री रामनारायण विश्नोई : इसलिए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्री सभापति : आप तो बहुत सीनियर मैम्बर हैं, बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का भाषण सरकार की नीतियों, उनके कार्यान्वयन और भविष्य की उसकी सोच के अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है लेकिन यह भाषण केवल संवैधानिक औपचारिकता मात्र लगा। यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि इस भाषण में भविष्य की किसी भी भावना को सोचना या उसमें झांकना निरर्थक होगा और समय की बरबादी भी होगी।

(15.04 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण का प्रारम्भ अकाल की विभीषिका से किया और समापन भी। इस क्रूर अकाल की छाया से निपटने के लिए सभी का सहयोग, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, जनता हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी हो सबका आह्वान किया इस भीषण अकाल से निपटने में सहयोग देने के लिए 4 साल से राजस्थान की जनता अकाल की विभीषिका से जूझ रही है और इस बार तो अकाल ही नहीं त्रिकाल है–पानी का अकाल, चारे का अकाल और काम पर जाने की मजदूरी का अकाल, अन्न का अकाल। राज्य सरकार ने वैसे तो 3 तारीख रखी है इस पर बहस के लिए इसलिए मैं अधिक समय अकाल पर नहीं लेते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले 4 सालों में 1600 करोड़ रुपये सरकार ने बताये हैं अकाल प्रबन्धन पर खर्च करने पर और 1732 करोड़ रुपये पिछले 4 सालों में कर राजस्व के जुटाए हैं, जो कर राजस्व की आय होती है उससे 1732 करोड़ रुपये जुटाये हैं। सरकार इन्हीं को खर्च कर देती तो इस बार कुछ तो प्रबन्ध हो जाता। सरकार बाहर से महंगा चारा मंगवा रही है, लोगों को मजदूरी देने का नाटक कर रही है। क्या कर रही है, 10 दिन का तो नाम और एक पारी को तो मिलते है 8 दिन, मतलब शनिवार और इतवार दो दिन आ जाते हैं। दूसरी दो पारियों को मिलते हैं 9–9 दिन। 50 रुपये, 60 रुपये लिख तो दिये इसके अन्दर लेकिन कहीं भी 50 और 60 रुपये नहीं हो रहे हैं टास्क फोर्स के आधार पर। अगले की मौत को आप थोड़ा एक्सटेंड तो कर सकते हो कि 8 दिन तक आपने उसे कुछ दे दिया, थोड़ा-बहुत गेहूं दे दिया। 14 रुपये दे रहे हो, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि 15 रुपये भी माना जाए तो पूरे 9 महीने का मैंने अपना हिसाब लगाया है, 9 महीने के अन्दर आपको खर्च करना पड़ेगा केवल 2732 करोड़ रुपया। पहले तो आपने मांग की 6115

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

करोड़ रुपये की। फिर आपने रिवाइज करके, जब अध्ययन टोली आयी तो कर दिया 7419 करोड़ रुपये। इस प्रकार से मेरे एक बात समझ में नहीं आयी कि आप यह कैसे कर रहे हो? आप केन्द्रीय सरकार की जो प्रवर्तित योजनाएं यहां पर चल रही हैं उन पर तो पैसा खर्च नहीं कर रहे हो 4 साल के अन्दर और अब रोजाना पहले दिन से एक आरोप लगा रहे हो कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार की जिम्मेदारी तो है लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी होगी? वोट लेकर, सरकार बनाकर यहां आप बैठे हो, क्या आपकी जिम्मेदारी बिलकुल नहीं है कि आप अपने कुछ संसाधन जुटाकर इन अकाल पीड़ितों की रक्षा कर सको, इनको जिन्दा रख सको? क्या आपकी जिम्मेदारी बिलकुल नहीं है? सारा काम भारत सरकार ही करेगी?

आप से निवेदन कर रही थी कि जो भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं चल रही हैं वह 4 साल का मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या किया है और क्या नहीं किया है। 1999 से ही शुरू होता है आपका साल, 1999-2000 के अन्दर आपको अलाट हुए थे 818 करोड़ और आपने खर्च किया 417 करोड़। 2000-01 में फंड्स अलाट हुए 846 करोड़ और खर्चा किया 620 करोड़। 2001-02 में आपको फंड्स अलाट हुए 512 करोड़, क्योंकि जब आप खर्चा ही नहीं कर रहे थे तो उन्होंने भी कम कर दिया, कहा कि आप खर्चा तो कर नहीं पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने भी कम कर दिया। उन्होंने 2001-02 में 803 करोड़ रुपये दिए। उन्होंने कोई खर्चा कम नहीं किया। 818, 846 और 803 लेकिन आपने खर्च किया केवल 578 करोड़ रुपया और अब 31 दिसम्बर, 2002 तक उन्होंने आपको दिया है 574 करोड़ रुपये और आपने खर्च किये हैं इस अकाल के दौरान केवल 383 करोड़ रुपये। वही हाल अनाज उठाने का है। अनाज उन्होंने दिया आपको बी.पी.एल. परिवारों के लिए अलाटमेंट हुआ था 5,09,697 टन और आपने इसके मुकाबले उठाया है 4,57,586 टन। यह तो बी.पी.एल. का हाल है। अन्त्योदय अन्न योजना का जो अलाट हुआ वह है 1,16,019 टन और आपने उठाया 1,10,529 टन। एस.जी.आर.वाई. फर्स्ट एण्ड सैकण्ड, इसमें आपको अलाट हुआ 1,34,028 और आपने उसके मुकाबले उठाया 1,11,878 टन। मिड-डे मील में छोटे बच्चों के लिए आपको अलाट हुआ 1,56,204 और आपने उठाया है 1,07,468 टन।

जब आप भारत सरकार की दी हुई इन योजनाओं का ही पूरा यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पा रहे हैं तो रोज-रोज इस बात को कहने से कि भारत सरकार नहीं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

दे रही है। हम वहां जाकर धरना देंगे। अब तो अल्टीमेटम यह भी दे दिया कि हम वहां जाकर धरना और देंगे, आप कूच करेंगे। मैं आपसे यह निवेदन कर रही हूं कि जब आप उन सब चीजों का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको पहले भी पशु आहार के लिए जो कुछ अलाटमेंट हुआ उसको भी आपने बहुत कम उठाया है। तो इन हालात के अन्दर, वैसे अकाल के बारे में जब बहस होगी तब बहुत कुछ कहा जाएगा, सभी लोग कहेंगे लेकिन कहां कुशल प्रबन्धन की बात आयी है। कुशल प्रबन्धन तो जब हो, आज दिन तक पहली बार प्रयोग किया है यह। जब कभी अकाल पड़े हैं तो व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है तीसों दिन मजदूरी मिली है। यह प्रयोग आपने ही किया कि आठ दिन की मजदूरी और उससे तुम अपना काम चलाओ। आठ दिन में जो कुछ मिलेगा और टास्क फोर्स के आधार पर वैसे ही होता है जो खुद ही मालन्यूट्रीशन में हैं, जो खुद ही इतना परेशान है और आधा भूखा है। वह कहां से टास्क फोर्स पूरा कर लेगा। पूरा 50-60 रुपया मिलना भी नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि आपने उसकी मौत को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है कि वह पहले न मरे, समय और निकाल ले, साल छह महीने और निकाल लेगा। मैं निवेदन कर रही हूं कि यह तो हुआ अकाल का हाल।

अब मैं आती हूं विद्युत के ऊपर। विद्युत के मामले में यह बात सही है कि आपने 3356 मेगावाट जो उस समय अवेलेबल था, उसके बजाय 1208 मेगावाट विद्युत का उत्पादन आपने विभिन्न प्लांट्स के जरिए कर लिया और आपने छीजत को भी 42 प्रतिशत से घटाकर 38 प्रतिशत कर लिया। आपकी यह बात बिलकुल सही है और यह बात भी सही है कि आपने अन्धाधुन्ध पावर स्टेशंस बना दिये। इसको भी हम मान लेते हैं। चार सौ के.वी.ए. का जी.एस.एस. पहले जयपुर में एक था पहले वह बढ़ाकर आपने पांच कर दिये। (व्यवधान) आगे तो सुनिए। क्या धन्यवाद दूं? बात सुनिए तो सही पूरी।

सभापति महोदय, यह बात भी सही है कि 220 के.वी.ए. के जी.एस.एस. भी आपने पैंतीस से बढ़ाकर सैंतालीस कर दिये। यह भी सही है कि 132 के.वी.ए. के जी.एस.एस. 161 से बढ़ाकर 234 कर दिये। 33 के.वी.ए. के जी.एस.एस. 1372 थे उनको बढ़ाकर 2029 कर दिये। यह बात सही है। इन सब बातों को मैं मान लेती हूं लेकिन पूर्ववर्ती, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, हमेशा जो टारगेट होता था। पच्चीस हजार कुओं के ऊर्जीकरण का हुआ करता था और कई बार तीस-तीस, पैंतीस-पैंतीस कुओं का ऊर्जीकरण हुआ है। आपने क्या किया?

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आपने 15471 कुओं का ऊर्जीकरण किया। उसमें भी दस हजार, जैसाकि फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, दस हजार तो स्पेशल स्कीम में जिसकी रेट है वह ढाई गुना है। बाकी 30 मार्च, 1990 की दरखास्त दी हुई, मेरे अपने गांव के अन्दर एप्लीकेंट आज भी बैठा हुआ है। तेरह वर्ष बीत गये हैं। साधारण श्रेणी का कनेक्शन उसको नहीं मिला है।

इसके अलावा आपने और क्या किया, वह भी सुन लीजिए। आपने ये जी.एस.एस. तो बना दिए। क्या कारण रहे होंगे, क्यों बनाये, आपको तो विश्व बैंक 2270 करोड़ रुपये देगा जिसकी वजह से आपने इस आर.एस.ई.बी. को पांच टुकड़ों के अन्दर बांटा है। अकेले पी. एन. भण्डारी ने यहां के इंटरनल रिसोर्सेज से दो हजार करोड़ रुपये इकट्ठे किये थे और आपने केवल 2270 करोड़ रुपये के लिए घुटने टेक दिये विश्व बैंक के सामने राजस्थान की जनता और किसान को मार दिया। कैसे मार दिया, सुनिए। जरा धीरज रखकर सुनिए। कृषि की सामान्य रेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 52 पैसा थी और आज आप क्या वसूल कर रहे हो, 94 पैसा। फ्लैट रेट जो पहले 43 प्रति हार्स पावर के हिसाब से, चाहे आपकी दस की मोटर हो, चाहे साढ़े सात की मोटर हो और चाहे 15 की मोटर हो, 43 प्रति हार्स पावर मंथली के हिसाब से जो फ्लैट रेट थी आपने उसको बढ़ाकर 85 रुपया कर दिया। दुगने से ज्यादा कर दिया आपने।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : ये कह रहे हैं कि डीजल इंजन भी है। उसका भी ध्यान रखे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बिराजिए। आपने उसे कर दिया 851 इतना ही नहीं जो शेयरों से जुड़े हुए फ्लैट रेट के काश्तकार हैं उनके कर दिए, आज के दिन मैं अपने कुएं का चुकाती हूं दो हजार रुपये महीने का। उसकी रेट कर दी है 95 और इसलिए कर दी कि आपको 24 घंटे बिजली मिलती है। सोते नहीं हैं क्या, कोई और काम नहीं करते हैं क्या और 24 घंटे कोई कुआं चलाता है क्या? सोलह घंटे के हिसाब से भी आप लेते तो बात समझ में आती थी लेकिन मैं मेरी पैरवी नहीं करना चाहती। ठीक है, लेकिन आपने 43 रुपये से लेकर सीधा किया है 85 रुपये। आपने अकाल के दौरान उसकी कमर तोड़ दी।

आपने और क्या किया। पहले कामर्शियल में बिजली 2.75 रुपये प्रति यूनिट मिलती थी। उसको आपने सात रुपये प्रति यूनिट कर दिया। लेकिन एक काम आपने जरूर किया, अभी फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उद्योग बन्द हो गये हैं। उद्योगों

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ने कनेक्शन लेना बन्द कर दिया है। उन्होंने अपने कैप्टिव पावर्स लगा लिये या आपने स्वयं के कुछ कटा लिये। आपने एक काम जरूर किया है कि उनकी दस पैसा सस्ती जरूर कर दी। यह आपका सोच बताता है कि राजस्थान की यह कांग्रेस की हुकूमत किसके प्रति संवेदनशील है। कहा तो था न, यह सरकार जब बनी थी कि यह संवेदनशील सरकार होगी, यह पारदर्शी सरकार होगी और यह जिम्मेदार सरकार होगी। पूंजीपतियों के प्रति तो आपने अपनी हमदर्दी दिखाई लेकिन चार साल से अकाल पीड़ित किसान के साथ तो अपनी हमदर्दी नहीं दिखाई, उसके प्रति तो आपने संवदेनशीलता नहीं दिखाई।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आपने छह सम्भागीय मुख्यालयों के लिए 1529 करोड़ रुपया एशियन डवलपमेंट बैंक से लोन लेकर के सौन्दर्यीकरण किया, अच्छा है, बढ़िया है। जैसाकि अभी मुझसे पहले पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जैसे काला नाग शिवजी के वहां से उतर करके यहां पर आ गया है, इन सड़कों के ऊपर वह फरमा रहे थे। तो मैं निवेदन कर रही हूं कि हमें कोई एतराज नहीं है इस बात से हालांकि इन छह शहरों में वोट तो आपको मिलने वाले नहीं हैं लेकिन फिर भी हमें एतराज़ नहीं है इस बात का। लेकिन हमको एतराज इस बात का है कि चारे के परिवहन के ऊपर आप करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हो और किसान को आप मुफ्त में चारा उगाने के लिए बिजली नहीं दे सकते। यदि आप किसानों को चारा उगाने के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा करते तो बाहर से चारा नहीं मंगाना पड़ता और हमारे बेशकीमती पशु जो हैं, यह पशु हमारे जिंदा रह जाते। आप बाध्य करते किसान को कि देखो आपको इतनी भूमि के ऊपर तो चारा उगाना पड़ेगा तो नेचुरल बात है कि वह चारा उगाता तो खुद के पशु भी उसके खाते लेकिन बाकी को तो बेचता ही। यह बेचता तो आज आप ला रहे हो सूखा चारा।

झुंझुनूं के अन्दर अभी मीटिंग हुई थी और यह आज है धोद से आने वाले माननीय सदस्य श्री अमरारामजी के प्रश्न के जवाब में कहा है कि झुंझुनूं में सूखे चारे का भाव है 400 रुपया क्विंटल, यह आपको नहीं कहना पड़ता। आप बिजली मुफ्त में किसान को देते तो वह आपकी वाह वाही करता, वह जिंदा रहता, पशु को जिंदा रखता और राजस्थान की समृद्धि में अभिवृद्धि करता। लेकिन यह आपको नहीं सूझा कि कौन खाएगा वह कमीशन जो ट्रांसपोर्टेशन का होगा और क्या होगा यह तो आप ही जानें।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लेकिन मैं एक बात कहती हूं अब भी समय है। अब भी आप कर सकते हैं कि किसान को कह सकते हैं कि आपको इस समय से लेकर इस समय तक मुफ्त में बिजली दी जाएगी। हरा चारा उगाओ। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है यह हरा चारा मंगवा रहे हैं बाहर से सूखी तुड़ी चावल की घास। गंगानगर के अन्दर किसान अपने गन्ने को जला रहे हैं और यह उनकी मांग के बावजूद भी उस शुगर मिल को नहीं प्रारम्भ कर पा रहे हैं। कैसा विरोधाभास है। यह क्या अकाल से लड़ने का तरीका हुआ आपका? यह क्या भारत सरकार को कर्स करने का तरीका हुआ आपका कि आप अपना प्रबन्ध कर नहीं पाए? केवल दूसरों के माथे पर मंढ करके लोगों को इस तरह की तस्वीर दें, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर राज्यपाल महोदय से यह भी कहलवा दें कि अकाल के प्रबन्धन की बड़ी सराहना हो रही है। आठ दिन मजदूरी महीने में देकर के अकाल प्रबन्धन की सराहना कर रहे हो। ताज्जुब की बात है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि केवल यही नहीं बल्कि सरकार ने अपनी चार साल की उपलब्धियों में और राज्यपाल महोदय से भी शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर प्रगति को बहुत कुछ बढ़ा-चढ़ा कर कहा, 21,453 तो राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दीं, साढ़े ग्यारह लाख बच्चे उनके अन्दर पढ़ने लग गये। साक्षरता की दर जो आज है उससे भी जब आप छोड़कर जाओगे तो जाने कहां से कहां पहुंच जाएगी। लेकिन मैं आज भी आपसे कहती हूं कि आपने राजीव गांधी पाठशालाएं जो प्रारम्भ की हैं, यह एक-एक बच्चे का नाम तीन-तीन स्कूलों में लिखा हुआ है। राजीव गांधी में भी लिखा हुआ है, कोई प्राइवेट स्कूल चलती है उसमें भी लिखा हुआ है और सरकारी स्कूल में भी लिखा हुआ है। मेरे साथ चलिये मैं बताती हूं कि कहां पर तीन-तीन जगह पर लिखा हुआ है।

दूसरी बात मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि आप भले ही खुश हो लें इस बात से कि हमने एक हजार उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शाला में परिवर्तित कर दिया। हमने 414 उच्च प्राथमिक से माध्यमिक बना दी, एक हजार प्राथमिक से उच्च प्राथमिक बना दी, 386 माध्यमिक से उच्च माध्यमिक बना दी लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? स्कूल तो खाली पड़े हैं। टीचर तो वहां पर हैं नहीं। आज भी जहां कहीं आपने उच्च प्राथमिक को माध्यमिक में क्रमोन्नत किया है वहां पर आदेश निकाल दिये कि यही हैडमास्टर काम करेगा, प्रिंसिपल तो वहां आया नहीं क्योंकि हायर सैकण्डरी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

में तो प्रिंसिपल हो जाता है तो वहां आज भी आपके आदेश हैं लिखित में कि वह रहेगा वहां और उसी से आप काम चलाओगे। माध्यमिक शालाओं में तीन तीन अध्यापकों से आप काम करवा रहे हैं। मैं आपसे यह कहती हूं यह आपने स्कूल खोलकर के अपने विधायक को भले ही राजी कर दिया हो लेकिन ग्रामीण जनता के साथ आपने अन्याय किया और वह रोयेंगे जिस दिन परिणाम निकलेगा, परीक्षा होगी। परीक्षा परिणाम निकलेगा उस दिन माथा पीटेंगे और कहेंगे कि ऐसी अच्छी स्कूल खुलवाई विधायक आपने, यह क्या किया है, हमारे साथ अन्याय कर दिया। लड़के का हमारा एक साल चला गया। यह किया है आपने यदि आपको स्कूल खोलनी थी तो अध्यापकों का इंतजाम करना चाहिए था।

डा. के. सी. चौधरी : आपके एरिये में तो नहीं खुलवायी न आपने स्कूल?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने खुलवायी हो चाहे न खुलवायी हो लेकिन हकीकत यह है कि मैंने तो एक स्कूल खोली। बड़ी मिन्नतें कीं मैंने मुख्य मंत्रीजी की। वहां पर शहीद हुआ था, तो एक कारण तो शहीद होने का था, बड़ी मिन्नतें कीं, चिट्ठी लिखी, दो बार उनसे मिलने गयी तब जाकर एक स्कूल मेरी उन्होंने उच्च प्राथमिक से माध्यमिक की। लेकिन मैं बताती हूं कि क्या हुआ उससे। न खोलते तो न खोलते। कौनसा फर्क पड़ रहा था लेकिन जहां आपके पास शिक्षक नहीं है आपने तो गैस्ट फैकल्टी निकाल दी, गैस्ट फैकल्टी है चाहे कालेज हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे कोई हो और सबसे बड़ा अन्याय तो किया है आपने इन राजीव गांधी पाठशालाओं के अन्दर पढ़ाने वाले शिक्षा सहयोगियों के साथ।

आपको मैं याद दिलाऊं यह सी.पी. जोशी साहब, जो उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, इनको याद होगा। इन्होंने 13 नवम्बर, 2001 को एक समझौता किया था शिक्षा सहयोगियों के साथ। क्यों सी.पी. जोशी साहब, शिक्षा मंत्रीजी किया था कि नहीं किया था? एक लिखित समझौता किया था।

डा. सी. पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) **:** वह समझौता आज भी स्टैण्ड करता है (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सुन लीजिए। करता है, तो ठीक है। बात तो सही है।

डा. सी. पी. जोशी : उसमें लिखा हुआ है कि चार साल पूरे होने के बाद थर्ड ग्रेड देंगे। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब मुझे कह लेने दीजिए। (व्यवधान) आप बिराजिए। आप मुझे पहले सुन लीजिए।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

माननीय सभापति महोदय, लिखित समझौता है 13 नवम्बर, 2001 का। उस समझौते में यह है कि योग्यताधारी शिक्षा सहयोगी को चार वर्ष की अवधि के बाद तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला 4500 से 7000 पर नियमित करने की कार्यवाही की जाएगी। मुझे इस बात पर और ताज्जुब हो रहा है कि जब इन शिक्षा सहयोगियों को ट्रेनिंग दी गयी, उस ट्रेनिंग के अन्दर तो उन पर खर्चा किया गया पचास रुपया रोज का। जब ट्रेनिंग लेकर के आ गये और पढ़ाने लगे तब उनको देने लगे चालीस रुपया। अकाल में दे रहे हैं आठ रुपया मजदूर का और...

एक माननीय सदस्य : अभी तो आप कह रही थीं कि चालीस ही दे रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह कह रही हूं कि साठ नियत है मिनिमम, मिनिमम रेट साठ है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : 200 रुपये देने की कह देते हैं, नौकरी की गारंटी देते हैं... (व्यवधान) एग्री करते हैं तो...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप जाकर के वहां पर बिराजिए पहले तो।

डा. सी. पी. जोशी : हिन्दुस्तान के इतिहास में कहीं पर भी नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आसन से अनुरोध करती हूं कि मंत्रीजी को कहा जाए कि अपने स्थान पर जाएं और वहां से बोलें।

श्री सभापति : आपकी बात मान गये वह। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बोलो आपकी मर्जी आए सो बोलिए। वहां जाइये पहले... (व्यवधान) सदन की कुछ परम्पराएं हैं, सभापतिजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापतिजी, यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है। आपने स्थान निर्धारित कर रखा है और आप हमेशा कहते रहते हैं कि अपने स्थान से कहें। मंत्रीजी को ऐसा कौनसा प्रिविलेज है? आप उन्हें प्रताड़ित कीजिए और अपनी जगह पर भेजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: और बीच में बोलने का कोई हक भी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सदन की गरिमा रखना सत्ता पक्ष का कर्त्तव्य है। सत्ता पक्ष के सचेतक महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी को कंट्रोल करिए आप। (व्यवधान) उनको कंट्रोल करिए और अपनी जगह पर लेकर आइए। सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री रोहिताश्व कुमार : सभापति महोदय, आप बोल नहीं रहे, व्यवस्था नहीं दे रहे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री सभापति : आप मेरी सुन लें। मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि इंटरवीन भी करें तो अपने स्थान पर आ जाएं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : या तो बोलें नहीं और नहीं तो अपने स्थान पर जाओ। यहां बोलो मत।

श्री शिवनाथ सिंह : जब मंत्री को बोलना हो, अपना कोई भाषण देना हो तो अपने वहां बोलें लेकिन सुमित्राजी ने बैठे-बैठे ही एक सवाल पूछ लिया और वहां तक जाते जाते सवाल ही खतम हो जाता इसलिए...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप भी बिराजिए।

श्री शिवनाथ सिंह : वह जब इनको भाषण देना होगा तो वहां जाकर ही देंगे लेकिन इन्होंने अचानक पूछ लिया। अब वहां तक जाते तो यह कह देती कि भग गये मंत्रीजी। इसलिए वह नहीं है, वह इस पर लागू नहीं होता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप इस समय आसन पर नहीं इसलिये आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो खुद भी आसन पर बिराजते हैं, आपंको मालूम है किस प्रकार यह व्यवस्था होती है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं हाथ जोड़ रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह निवेदन कर रही हूं कि इनको आसन पर बैठकर आदत पड़ गयी है व्यवस्था देने की, यहां व्यवस्था नहीं दे सकते आप। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपसे यह निवेदन करूंगी कि मंत्रीजी अब या तो अपने स्थान पर जाकर ही मेरी बात का जवाब देंगे, या बोलेंगे ही नहीं, या चुपचाप सुनेंगे।

श्री सभापति : तो ध्यान रखेंगे वह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि क्या यह बात सही है कि इस बारह सौ रुपये के अन्दर गुजर-बसर नहीं होने की वजह से तीन शिक्षा सहयोगियों ने अपनी आत्महत्या कर ली? मैं नाम बताना चाहूंगी उन तीन आदमियों के। राज्य की राजीव गांधी पाठशाला में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों ने राज्य सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों व आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक तो मिश्रिमल गर्ग जो जालौर जिले के केशवाना गांव में राजीव गांधी पाठशाला में लगे हुए थे, उन्होंने 7 अगस्त, 2002 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आत्महत्या कर ली। इसके अलावा चौहटन (बाड़मेर) में राजेन्द्र चौधरी, ओसियां

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

(जोधपुर) के शिक्षा सहयोगी देवेन्द्र ने भी आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो यह आपके राजीव गांधी पाठशालाओं के...

श्री वृद्धिचन्द जैन : आत्महत्या की बात तो सही नहीं है, मैं यह कह रहा हूं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या फरमा दिया, सुना नहीं मैंने तो?

श्री वृद्धिचन्द जैन : आत्महत्या नहीं की, उन्होंने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन जरूर किया और उनको हास्पिटल में भर्ती कराया...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो आमरण अनशन फिर किसलिए किया?

श्री वृद्धिचन्द जैन : वह बात सुन तो लीजिए। आमरण अनशन किया और हास्पिटल में भर्ती कराया। आत्महत्या नहीं की।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह जिन्दा है क्या? सवाल यह है आत्महत्या का। आमरण अनशन का और क्या मतलब होता है? आमरण अनशन किया, खड़े होकर कह दिया। बड़े वरिष्ठ सदस्य हो आप तो। आमरण अनशन किया...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह तो +++ आमरण अनशन किया और हास्पिटल में भर्ती हुए, मर गये। यह आप लोगों के लिये और +++

श्री वृद्धिचन्द जैन : आत्महत्या गलत है। मरने वाली बात गलत है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री वृद्धिचन्द जैन : +++

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आमरण अनशन आर्थिक तंगी से परेशान होकर किया और सरकार इतनी असंवेदनशील रही, यह सरकार इतनी संवेदनशील भी नहीं रही कि सरकार उन्हें सम्भालती...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): पानी हो तो +++ पानी ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुमित्राजी, पण्डितजी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप?

श्री अमराराम (धोद) : वह कह रहे हैं पानी ही नहीं +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पानी नहीं है राजेन्द्रजी तो। +++

श्री केसाराम चौधरी : +++पण्डितजी, +++

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पण्डितजी, सत्यवादी हैं, भले ही कांग्रेसी हों, सत्यवादी हैं। पानी है ही नहीं +++ मरे कहां कांग्रेसी...?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, आप मेरा प्रोटेक्शन करें और इस तरह से बीच-बीच में जो लोग टोक करके मुझे व्यवधान पैदा कर रहे हैं उससे मेरी विचार श्रृंखला टूट जाती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इतना ही नहीं आपने कबूल तो कर ही लिया कि उन्होंने आमरण अनशन किया और आमरण अनशन के बाद जब हालत बिगड़ गयी तो हास्पिटल में भर्ती कराया और वहां उनकी इहलीला समाप्त हो गयी। इतना ही नहीं...(व्यवधान) मरे नहीं, जिन्दा हैं?...(व्यवधान) जिन्दा नहीं हैं, गलत बात है। मर गये हैं, गलत है आपकी बात।

मैं यह भी निवेदन कर रही थी कि इतना ही नहीं एक तरफ तो 13 नवम्बर, 2001 को उनके साथ लिखित समझौता किया। जब उसकी पालना नहीं की तो 20 अगस्त को यहां स्टेच्यू सर्कल पर सारे शिक्षा सहयोगी आए और उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। उसमें ताबड़तोड़ जो पुलिस ने उनको खदेड़ा और मारा। इतनी जबरदस्त उनकी पिटाई की कि कितने ही लोग घायल होकर, महिलाएं भी घायल होकर के पड़ी हुई फोटो भी आपने देखा तो होगा अखबार के अन्दर। वह शिक्षा सहयोगी महिला किस तरह सड़क पर गिरी हुई थी। तो यह सरकार की संवेदनशीलता का एक नमूना है जो इन राजीव गांधी पाठशालाओं में, जिनके बलबूते के ऊपर साक्षरता बढ़ाने की और शिक्षा के उस उद्देश्य को पूरा करने की बात आप कर रहे हैं यह उनके साथ सलूक का एक उदाहरण है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे एक बात पढ़कर बड़ा ताज्जुब हुआ और हो सकता है कि मैं गलती में भी होऊं कि तीन साल की, चार साल की जो उपलब्धियां सूचना कार्यालय से हमें प्राप्त हुई उसमें लिखा कि इन चार सालों में 80,000 बेरोजगार युवकों को रोजगार, सरकारी नौकरी दी गयी। 80,000 रिपोर्ट में आया है वह तो बाकायदा। मेरी यह बात समझ में नहीं आई, सरकारी रिपोर्ट है यह तो, मैं उसी से बोल रही हूं 80,000 को दी गयी। यह 25,000 कुछ तो राजीव गांधी पाठशालाओं में आपने मानदेय पर लगा दिये जिनको भी आपने सरकारी नौकरी मान लिया, जो आज दिन तक भटक रहे हैं, नौकरी का सवाल

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

नहीं है उनको आपने मान लिया। 25,000 तो मान लिया, बाकी और कहां कहां लगाये? हमें तो आज दिन तक कभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इतना तो जरूर हमें बताएंगे...(व्यवधान) चपरासी भी नहीं लगे हैं। यह 55,000 आपने और कौन, अभी थोड़े दिनों पहले इस साल में आपने कुछ 2200 या 2000...(व्यवधान) दो सौ तो कम्पाउंडर लगाये हैं। दो हजार आयुर्वेद डिपार्टमेंट में लगाये हैं। बाकी गैस्ट फैकल्टी वालों को गिन लिया क्या आपने? हां, तो 80,000 हो सकते हैं। गैस्ट फैकल्टी तो आपने कालेज में भी कर दी, माध्यमिक स्तर पर भी कर दी, यह तो हैं ही गैस्ट फैकल्टी में, 1200 वाले तो हैं ही गैस्ट फैकल्टी में। पर इनको ट्रेनिंग में तो 50 रुपया मिल रहा था, अब मिल रहा है 40 रुपया। मैं यह चाहूंगी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जब मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो कम से कम हमें यह बताएं कि बाकी यह 55,000 कौन कौनसे डिपार्टमेंट में कौन कौन से पदों के ऊपर यह सरकारी नौकरियां दी गयी हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि कियोस्क बनाये सरकार ने और अब भी योजनाबद्ध तरीके से शहरों में, पंचायतों पर, गांवों में सब जगह पंचायत हैडक्वार्टर के ऊपर कियोस्क बनाकर बेरोजगार लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें, अपने पांवों पर भी खड़े हो सकें और कुछ अपना उपार्जन कर भी सकें, उसके लिये आपने कियोस्क बनाने की एक योजना प्रारम्भ की। मेरी जानकारी के मुताबिक, मैं भी गांवों में जाती हूं, आधे कियोस्क आपके खाली पड़े हैं और कहीं कहीं तो मैं आपको बताऊं कि ऐसी जगह बना दिये हैं, एक गांव तो मेरे ऐसा है कि जिसमें दस बनाये आपने और एक भी आज दिन तक वहां पर कोई उसे लेने के लिये आया नहीं। गांव से बाहर बहुत दूर बना दिये। अब दूर बना दिये तो वहां कौन जाकर दुकान खोलेगा औरत कौन वहां जाकर क्या कमा कर खा सकता है। तो इसको केवल आप वहीं तक सीमित करें कि जहां पर सचमुच में कोई बैठकर कुछ कमा सकते हों ऐसी जगह बनाइये। यह केवल नाम कियोस्क का दे देने और किसी को अलाट कर देने से अलाट तो हुए नहीं, खाली पड़े हैं। मेरे खुद के गांव के अन्दर पांच दुकानें बनी थीं। पांच दुकान में से तीन तो ले ली, दो आज भी खाली पड़ी हुई हैं।

मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आपने बड़े जोर के साथ कहा कि हमने विधवा पेंशन बढ़ा दी। हमने दम्पति जो असहाय थे उनके दो सौ से तीन सौ कर दिये और बाकी सवा सौ की बजाय हमने

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

दो सौ रुपया कर दिया। एक अन्नपूर्णा योजना है जिसमें आपने पेंशन बन्द करने के बाद दस किलोग्राम तो अनाज और कुछ उसको पैसा देने का कहा है। यह अन्नपूर्णा योजना में उनको कवर किया है। जिनकी पेंशन बन्द कर दी, पहले सबको पेंशन मिल रही थी। आपने उसमें एक नया कर दिया कि जिस किसी के भी कोई आधार नहीं होगा, जिसके नाम जमीन नहीं होगी, सम्पत्ति जिसके नाम नहीं होगी या जिसके कोई औलाद नहीं होगी केवल उसी को पेंशन मिलेगी। तो उस आधार पर जिन लोगों को पहले पेंशन मिल रही थी उनकी पेंशन बन्द कर दी और उसकी जगह पर उनको आपने 10 किलो गेहूं देकर राजी करने का प्रयत्न किया।

सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगी वृक्षारोपण के बारे में, वनों के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में फरमाया कि दिसम्बर, 2002 तक 12398 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया और 93 लाख 67 हजार पौध वितरण किया। यह आप उपलब्धि मानें, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मेरे यहां पर एक नर्सरी थी उसको वहां के सरपंच ने सूखे पेड़ों को काटने के नाम पर सारी नर्सरी को समाप्त कर दिया। हजारों हरे पेड़ काट करके बेच दिये, लाखों रुपया उसने कमा लिया। मैंने विजिलेंस कमेटी में शिकायत की, आज दिन तक उसका कुछ हुआ ही नहीं है। अगर वृक्षारोपण यूं ही तो हो रहा है कि नर्सरी बनाओ और बनाकर के फिर काट डालो तो इस वृक्षारोपण का कोई मतलब है नहीं।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ एक बात के लिए जरूर सरकार का आभार मानूंगी कि अपर यमुना मण्डल के अन्दर इन्होंने 3198 क्यूसेक्स जल भरतपुर, झुंझुनूं और चूरू तीनों जिलों को देने की बात कही है।

(15.42 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपको 40 मिनट हो गयी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बस समाप्त कर रही हूं, बस एक अंतिम बात कहकर।

श्री उपाध्यक्ष : एक घंटा उन्होंने ले लिया, 40 मिनट आप लोगे फिर दूसरे कब बोलेंगे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं अंतिम बात यह कह रही हूं कि यह तो 1990 के बजट भाषण में आ गया था कि झुंझुनूं को यमुना से इतना पानी मिलेगा और उसके लिये बजट प्रावधान हो गया था। तेरह साल बीत गये और यही राग हर बार दोहरा दिया जाता है तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि भई, हमें एक बार

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

खुश करते हो आप यह कह करके कि पीने को मीठा पानी मिलेगा, कुछ सिंचित क्षेत्र भी होगा, तो इसकी क्रियान्विति कब तक हो जाएगी यह तो आप हमें कम से कम बताने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहती हूं कि पहले जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें तो यह प्रावधान है कि इतना पानी हमें मिलेगा। हमने अभी जो कहा है वह यह है कि हमने इस पानी का उपयोग करने के लिए भरतपुर साइड, झुंझुनूं और चूरू का वह प्रोजेक्ट बनाकर के सी.डब्ल्यू.सी. से और तकनीकी कमेटी से एप्रूवल करा लिया है और अब हम इस तैयारी में हैं कि जब यह एग्रीमेंट, एम.ओ.यू. हरियाणा हमें लिखकर देगा तो उस वक्त बकायदा काम शुरू हो जाएगा। वह लिखेंगे, उनको कोई एतराज नहीं है, उन्होंने हमसे बात कर ली है, मैंने उनको ड्राफ्ट लिख करके भेजा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बजट प्रावधान किया होगा इसमें।

डा. (श्रीमती) कमला : लेकिन अभी इस अकाल के दौरान ही हम झुंझुनूं नहर की खुदाई का काम हाथ में लेने का प्रस्ताव कर चुके हैं और उसको जल्दी ही अमलीजामा भी पहनाएंगे। यह जो हमने किया है, वह प्रोजेक्ट बनाकर, उसका एप्रूवल कराकर, तैयार किया है, वह जो था वह सिर्फ एग्रीमेंट था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में जो प्रस्ताव श्री जुगल काबरा ने रखा है और समर्थन माहिर आजाद ने किया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं।

सबसे पहले-पहल मैं अकाल की समस्या की ओर आना चाहता हूं और राहत मंत्रीजी भी उपस्थित हैं इसलिए इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी चाहता हूं और कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करूंगा। यह स्पष्ट है कि यह इस शताब्दी का सबसे भीषणतम अकाल है। मैंने पच्चीसे का भी अकाल देखा, साथ ही साथ मैंने चवालिसे का भी अकाल देखा परन्तु यह अकाल सबसे भीषणतम अकाल है। प्रदेश के सभी गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और गिरदावरी भी नहीं की गयी है। इतना जल्दी से जल्दी 16 अगस्त को कार्य शुरू किये गये हैं, राजस्थान सरकार ने जो जल्दी से जल्दी सारे कार्य शुरू किये हैं मैं उनकी बहुत ही सराहना करता हूं। ऐसा कभी भी किसी इतिहास में मैंने नहीं देखा कि इतनी जल्दी से जल्दी स्टैप उठाकर और उस सम्बन्ध में भी अब कितना भी करें, राजस्थान सरकार के पास जो साधन

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

उपलब्ध हैं उन्होंने सभी साधनों को लगाया और केन्द्र सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए वह मदद नहीं मिली। यहां केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्री ने जयपुर में अपने भाषण में भी माना है कि जो मदद मिलनी चाहिए वह राजस्थान सरकार को नहीं मिली है। यह भी माना है कि राजस्थान का जो अकाल है सारे हिन्दुस्तान में ऐसा अकाल नहीं हुआ जैसा कि राजस्थान में है। साथ ही साथ राजस्थान में सबसे भयंकर अकाल बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में है। आज इस अकाल का मुकाबला करने के लिए 88 हजार मजदूर लगाये हुए हैं और इस प्रकार 2 लाख 64 हजार आदमियों को तीन परियों में रोजगार मिल रहा है परन्तु वास्तव में 2 लाख 64 हजार आदमियों को रोजगार नहीं मिलता है क्योंकि ऐसे भी गांव है जिनमें दूसरे आदमियों को भी लगने नहीं देते हैं, इस प्रकार की स्थिति भी पैदा हुई है। संख्या बढ़ाने के लिए हमने बार-बार निवेदन किया है कि बाड़मेर जिले में मजदूरों की संख्या 88 हजार से बढ़ाकर के 1 लाख 25 हजार की जाए।

साथ ही साथ पशु शिविरों के बारे में जो इंतजाम हुआ है और उसमें हमारी सहायता मंत्रीजी ने मदद की है 1 लाख 10 हजार पशु शिविरों में हैं, मैं बहुत सी जगह कैम्प्स में गया हूं, बहुत अच्छी स्थिति है। संस्थाओं ने जो मदद की है, प्राइवेट संस्थाओं ने मदद की है, भंसाली ट्रस्ट ने मदद की है वास्तव में वहां बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और 500-500, 1000-1000 गायों का पशु शिविर है उसके अन्दर पचास-पचास, साठ-साठ गायें ब्याही हुई हैं और उनके अच्छी संतान हुई है। मैं यह चाहता हूं कि यहां का जो पशु धन है उसको उन्नत करने के लिए थारपारकर ब्रीड है वह चांदन में है सूरतगढ़ में हैं और भी स्थानों में हैं, उन स्थानों से अच्छे से अच्छे सांड हैं, वह गौ-शालाओं को भी उपलब्ध कराने चाहिए। साथ ही साथ इन पशु शिविरों में भी मिलने चाहिए ताकि इनके जो संतान हों वह अच्छी हों। परमानेंट साल्यूशन करने के लिए थारपारकर ब्रीड जो चांदना में है, जो अभी बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर में हैं वह कार्य सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। इसलिए राजस्थान सरकार को उस चांदना के शिविर का कार्य हाथ में लेना चाहिए। इस प्रकार चांदना में थारपारकर ग्रीड, बाड़मेर जिला मुख्यालय में भी थारपाकर ब्रीड, कांकरेज ब्रीड का सेंटर और बीकानेर जिले में जो राठी किस्म की गायें हैं, इस सम्बन्ध में कोशिश करने की यूं आवश्यकता है कि यदि पशु धन को, गायों को सुदृढ़ करना चाहते हैं उनकी स्थिति को सुधारना चाहते हैं, उनका दूध 5-6 किलो बढ़ाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि परमानेंट साल्यूशन के लिए थारपारकर ब्रीड, कांकरेज ब्रीड को आप इम्प्रूव करें। इसके लिये व्यवस्था करिये और सालिड स्टैप्स ले ताकि कार्यवाही हो सके।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

दूसरी बात मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि जो कार्य चल रहे हैं, मैं कैटल कैम्प्स में गया हूं साथ ही साथ मजदूरों के लिए राहत कार्य चल रहे हैं मैं वहां भी गया हूं। हमारे राज्यपाल महोदय भी वहां पर पधारे थे, हमारे राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचे हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (ड़ेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं सांडो का, गायें तो रही नहीं, सांडों का क्या करोगे आप? किसकी नस्ल सुधारेंगे आप?

श्री वद्धिचन्द जैन : एक मिनट सुनिये, गायें रही हुई हैं, आपको पता नहीं है, 1 लाख 10 हजार पशु शिविरों में... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मेरी जानकारी है कि राजस्थान के हर क्षेत्र में... (व्यवधान) बाड़मेर में नहीं रही बाड़मेर में।

श्री वृद्धिचन्द जैन : बाड़मेर जिले में रही हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : एकदम सब मर चुकीं, सांडों का क्या करोगे आप?

श्री वृद्धिचन्द जैन : इतनी मदद की गयी है, गायों को बचाया गया है। अगर कोई भी इस प्रकार का हो, जितने पशु बचाने की कोशिश की है, जितनी गायों को बचाने की कोशिश की है, वह बाड़मेर जिले ने की है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : बाड़मेर जिले में नहीं रही, सब गाएं मर चुकी हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : बाड़मेर जिले में हैं। जिन संस्थाओं ने कोशिश की है, जिन संस्थाओं ने कार्य किया है, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं और राजस्थान सरकार की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अकाल पर 3-4 तारीख को पूरी बहस होगी।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अदर दैन दैट, समय भी जाया हो रहा है, फिर रिपीट होगा। अदर दैन अकाल कोई सब्जैक्ट हो तो बोलो, क्यों निवेदन कर रहे हो पता नहीं?

श्री वृद्धिचन्द जैन : आपने जो बात कही है, आपका सुझाव स्वागत योग्य है, मैं इसके बारे में फिर बोलूंगा।

अब मैं कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आ जाओ, बोलो।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कानून व्यवस्था के बारे में स्थिति यह है कि जिस प्रकार

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

राजस्थान सरकार ने कानून व्यवस्था को सम्भाला है, वह वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। मैंने उन अधिकारियों की बहुत प्रशंसा की है, ऐसा दुर्लभ केस था, सुमेधा दुर्लभजी का, उस सम्बन्ध में उन्होंने इतनी योग्यता के साथ, दक्षता के साथ, उनको कोई भी आंच नहीं आई और उनको जिस प्रकार से बचाया है और मदद की है, वह वास्तव में सराहनीय है। आप देख लीजिए, बलदेवराम मिर्धा की स्टेच्यू, शेखाजी की स्टेच्यू, ये मामले जितने भी हैं, बड़े-बड़े मामले जो पुलिस ने खोले हैं, अपनी पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वास्तव में पुलिस बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं तो यही कह रहा हूं कि आज जो वीरप्पन का मामला है, कर्नाटक की सरकार जो कोशिश कर रही है, तमिलनाडु की सरकार कोशिश कर रही है, अगर राजस्थान की पुलिस को भेजा जाए तो मैं कहता हूं कि वह वीरप्पन को एक सप्ताह में पकड़ सकती है और कार्यवाही कर सकती है। इसलिए अपनी राजस्थान सरकार की पुलिस जो काम कर रही है, जो सराहनीय कार्य कर रही है, उसकी प्रशंसा करना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो...।

श्री अमराराम (धोद) : जैन साहब, टण्डन को तो पकड़वा लो पहले, वीरप्पन की तो बात छोड़ो, टण्डन को तो पकड़वा लो।

श्री वृद्धिचन्द जैन : एक मिनट, सुनिए, अगर टण्डन साहब वास्तव में दोषी हैं।

श्री सांवर लाल : पुलिस के भरोसे गलती से घूमने मत निकल जाना सुबह-सुबह।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कोई भी दोषी हैं, कोई भी अपराधी है, चाहे वह बड़े से बड़ा अपराधी है, उनके विरुद्ध गवर्नमेंट ठोस कदम उठाएगी। हमारे गृह मंत्रीजी ठोस कदम उठाएंगे। मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि अमरारामजी की जो चिन्ता है, वह चिन्ता न करें। इस समस्या का भी वह अवश्य कोई हल निकालेंगे और टण्डन के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। बड़े से बड़ा अपराधी हो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही करने के तैयार हैं।

मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में एस.पी. की पोस्ट नहीं है, एडीशनल एस.पी. की पोस्ट नहीं है, पुलिस हैड कांस्टेबल की नहीं है। ए.एस.आई. की नहीं है और भी बहुत से पद रिक्त हैं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग मामलों को सुलझाने के लिए जो समय लेता है, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार वर्ष के बाद में चालान होते हैं। कई-

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

कई मामलों में तो दस दस वर्ष बाद में कार्यवाही होती है तो जो जस्टिस डिले है, उस जस्टिस को डिले नहीं किया जाना चाहिए, उससे इन्साफ नहीं मिलता है, इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें और ठोस कार्यवाही करें। मैं तो यही चाहता हूं कि मैंने कुछ मामले अभी जो आपके सामने रखे हैं, अविनाश रणवा का मामला पैंडिंग है जो ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार की पोस्ट पर था, सब्सिडी मामले में लाखों रुपए हड़प लिए और अभी उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : चम्पालाल जैन साहब की भी देखो। चम्पालाल जैन साहब का भी रखो।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सुनिए, चम्पालाल जैन के बारे में कहना चाहता हूं, सुनो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सबके बारे में कहो आप।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अजी सुनिए, मैं कह रहा हूं कि चम्पालाल जैन जैसा कोई भी ईमानदार अधिकारी नहीं रहा। जिसने हमारे बाड़मेर जिले की बैंक को...(व्यवधान) जिसके कारण हमको अवार्ड मिला, केन्द्र सरकार से अवार्ड मिला, चम्पालालजी को अवार्ड मिला और भारत में हमारी इज्जत बढ़ी है, हमारी साख बढ़ी है। आपको मालूम होना चाहिए। ईमानदार आदमी को भ्रष्टाचारी कहने की कोशिश करें, आप ईमानदार आदमी को भ्रष्ट नहीं कह सकते। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आपके जोर से बोलने से मैं डरने वाला नहीं हूं। जो सच्चाई है वह सदन के सामने है। सर्वोच्च सदन में कोई बात कहने जा रहे हैं... (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप एक मिनट सुनिए, आपकी इस प्रकार की धमकियों में आने वाला नही हूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप एक तरफा बात बोल रहे थे उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं कोई आपको टोकाटाकी नहीं कर रहा हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आपके इस प्रकार की बात कहने से भ्रष्टाचारियों...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप भ्रष्टाचारियों को स्वयं संरक्षण दे रहे हैं। आप जो अविनाश रणवा वाली बात कह रहे हैं, उसके साथ चम्पालाल जैन को भी जोड़ें आप। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : इसकी जांच की जाए और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। आप बीच में मत बोलिए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार यह मामला हाउस में आया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो तब बोल लेना।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप कह रहे हैं कि अविनाश रणवा ऐसा है और चम्पालाल जैन ऐसा नहीं है, आप सर्टिफिकेट दे रहे हो। जातिवाद फैला रहे हो, मैं जातिवाद की बात नहीं कह रहा हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वे एक ही श्रेणी में आते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं होती चोरों की, कोई जाति नहीं होती माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : इसलिए नहीं है कि वह जैन है तो वह साहूकार हो गया और उसको सर्टिफिकेट दे दिया यहां पर।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कोई भी भ्रष्ट हो। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : चोरों की जाति नहीं होती।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, आप कह रहे हो न।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं जैन के पक्ष में नहीं हूं, गलत के पक्ष में नहीं हूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्षजी, आरोप लगा रहे हैं, जातिवाद का, चोरों की कोई जाति नहीं होती है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : और उनके रिटायरमैंट पर जितना सम्मान हुआ है बाड़मेर जिले में वैसा किसी का नहीं हुआ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : वैसा आपका भी होगा। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : सभी जातियों ने उनका सम्मान किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनका सभी ने सम्मान किया है, सभी पार्टियों ने सम्मान किया है और बहुत ईमानदारी से कार्य किया है। उन्होंने किसानों की बहुत बड़ी सेवा की है, हमारे बैंक की उन्नति की है, हमारा नाम राष्ट्र में बढ़ाया है और राष्ट्रीय स्तर पर हमको इनाम मिला है, प्राइज मिला है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन के केसेज में मुकर्रर किया जाता है उनको चार हजार रुपए मिलते हैं। वह अधिकांश मर्डर केसेज, डकैती केसेज, रेप केसेज, उन केसेज को बिलकुल खराब कर रहे हैं और अधिकांश पी.पी. भ्रष्ट हैं। (व्यवधान) हां, भ्रष्ट हैं। उनकी नियुक्ति की गई है, ऐसे-ऐसे आदमियों की नियुक्ति की गई है जो बिलो स्टैण्डर्ड हैं, न तो योग्यता रखते हैं और इस प्रकार के केसेज को खराब करते हैं सैशन कोर्ट्स में। इस सम्बन्ध में मैं कहना

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

चाहता हूं कि कोई न कोई नई नीति गवर्नमेंट बनाए जिससे पी.पी. के या तो चार हजार रुपए बढ़ाएं जाएं, रेट रिवाइज की जाए या कोई और व्यवस्था की जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, ये नियुक्तियां किसने की हैं?

श्री वृद्धिचन्द जैन : किसी ने भी की हों।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसने गलत की है?

श्री वृद्धिचन्द जैन : जिसने भी की है, उनको मैं कहता हूं कि सही कदम नहीं उठाया है। उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाए तो भी मैं तैयार हूं, आप यह क्या बात करते हो। जो भी भ्रष्ट आदमी है, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी है, मैं तो यह कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को आप देखिए, सन् 1952 से लेकर अभी तक, जितने भी मंत्री हुए हैं, एक ने भी कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है, किसी आई.ए.एस., आई.पी.एस. के खिलाफ कदम नहीं उठाया है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में एक कारण यह हुआ कि उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाए। इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, अलग से इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इनके जो आदमी हैं, डिप्टी हैं, अगर एस.पी. के पहले अण्डर में रहे हैं, डी.आई.जी. के अण्डर में रहे हैं तो वह ईमानदारी से काम नहीं कर सकते, सच्चाई से काम नहीं कर सकते।

तीसरी बात पर मैं आता हूं। डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, जब मैं एम.पी. था, मैंने इंटरेस्ट ले करके इस प्रोग्राम को बनाया था और 245 करोड़ रुपए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह सम्मिलित किया गया था। इसमें हमारे प्रधानमंत्रीजी का पूरा सहयोग रहा है, प्रधानमंत्रीजी, राजीव गांधीजी का पूरा सहयोग रहा है।

श्री रोहिताश्व कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, पी. पी. की नियुक्ति की फाइल माननीय मुख्य मंत्रीजी के यहां से क्लीयर हुई है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मुख्य मंत्रीजी के यहां से।

श्री रोहिताश्व कुमार : मुख्य मंत्रीजी के यहां से क्लीयर हुई है पी.पीज. का जो सलेक्शन किया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : किसी से भी क्लीयर हुई हो, मैं कह रहा हूं कि पी.पीज. योग्य नहीं है, कैसेज को खराब करते हैं, परिणाम अच्छा नहीं है। कोई भी किसी ने की हो उसके लिए मैं नहीं कहता, जो भी उसमें शामिल हैं वह दोषी हैं।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

उसको अच्छा नहीं समझता, ठीक नहीं समझता। अब मैं डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर आना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कि मुख्य मंत्रीजी दोषी हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सुनिए आप एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिसने भी पी.पीज की नियुक्ति की है, इस प्रकार माननीय मुख्य मंत्रीजी दोषी हैं। यह सदन के नेता पर सीधा आरोप है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जिसने फाइल क्लीयर की है, भ्रष्टाचार हुआ है, वे लिप्त हैं, माननीय सदस्य कह रहे हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या तकलीफ है?

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैंने नहीं कहा है लिप्त, सुनें आप।

श्री सांवर लाल : वहां भ्रष्टाचार हो गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहा है न अभी, आपने कहा है न अभी।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैंने कहा कि वे लोग दोषी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने क्लीयर कहा है... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, शासन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए और उनके लिए भ्रष्टाचार के आरोप सत्ता पक्ष के लोग लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : मरु विकास कार्यक्रम... (व्यवधान)

(16.00 बजे)

श्री सांवर लाल : हमारी जिम्मेदारी है, हम राजस्थान की जनता के लिए... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी के ऊपर सीधा आरोप लगाया है इन्होंने।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आपकी गवर्नमेंट में यह सिस्टम था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह रहे हैं तो कहने दो, आपको कहां आपत्ति है? (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सिस्टम सही नहीं है, वह कोई हो सही नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री सांवर लाल : यह कितनी बड़ी बात है, मुख्य मंत्रीजी इस घपले में है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? (व्यवधान) आप बहुत हल्के ले रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता देखेगी।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप बोलने क्यों नहीं देते हो? आप सुनिए। मरु विकास कार्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूं। 245 करोड़ की योजना मंजूर हुई थी।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हमने उस पर बहुत मेहनत की थी जब मैं एम.पी. था। उस प्रोग्राम के अंदर सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम था, फोरेस्ट का मामला था, परन्तु वो सब मामले खतम हो गये, नर्सरियां खतम हो गईं। तो हमारे डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम को नया सैप देने की आवश्यकता है। उसके लिए पहले जो सेंट-परसेंट हमने मदद करायी थी उसकी 75 परसेंट मदद की गई है। तो उसको सेंट-परसेंट मदद देने की आवश्यकता है। रेगिस्तानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को और सही तरीके से उस प्रोग्राम को बनाकर हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास करना है। इस प्रकार हमें प्रगति व विकास की ओर बढ़ना है। अब अधिक न कह कर यही कहना चाहता हूं कि हम साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ है। हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कट्टर दुश्मन हैं तो वे साम्प्रदायिक शक्तियां हैं। (व्यवधान) कोई भी हो, चाहे विश्व हिन्दू परिषद् हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आर.एस.एस. हो, वो सब... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो बाड़मेर के मामले में बोलो, बाड़मेर में क्या हो रहा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : ये देश में षड्यंत्र रच रहे हैं। (व्यवधान) ये देश को... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये आई.एस.आई. के एजेंट +++ हैं, पाकिस्तानी एजेंट +++ हैं। मदरसों को चलाने वाले साम्प्रदायिक नहीं? (व्यवधान) असली आई.एस.आई. एजेंटों को लगा रखा है, असली पाकिस्तानी एजेंटों को (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप आतंकवादियों के +++ हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आई.एस.आई.और कांग्रेस मिलकर पूरे राजस्थान को, देश को बर्बाद कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कल तो उस त्रिशूल से डर रहे थे। आज मैं त्रिशूल नहीं लाया इसलिए जोर-जोर से बोल रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर : आज मैं त्रिशूल लाया होता तो +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको प्रोटेक्शन दीजिए। ये क्या कह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं। ये क्या त्रिशूल की बात कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : देशद्रोहियों को मारूंगा, आई.एस.आई. के एजेंटों को त्रिशूल से मारूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजो। बिराजिए।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

शासकीय वक्तव्य

बीकानेर में अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री मक्खनराम की मृत्यु

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सागवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कल बीकानेर में मक्खनराम की मृत्यु के सम्बन्ध में मामला उठाया था। इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है। दिनांक 15.2.2003 को लगभग 8.00 बजे सायं दूरभाष पर पुलिस थाना कोलायत पर मोहल्ला कंजरान में लड़ाई-झगड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस थाना कोलायत से पुलिस जाब्ता घटना स्थल पर भेजा गया जहां कंजर जाति के लोग गंवारिया जाति के लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे। पुलिस जाब्ते ने बीच-बचाव कर उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया तो कंजर जाति के लोगों द्वारा पुलिस जाब्ते से नाराज होकर उनके साथ भी मारपीट प्रारम्भ कर दी तथा थाने की जीप को भी क्षति पहुंचाई। उक्त घटना पर श्री बृजलाल गंवारिया की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 8/2003 कंजर जाति के 10 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 323, 327 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया गया व पुलिस जाब्ते पर हमले की घटना पर हैड कांस्टेबल श्री बच्चन सिंह, पुलिस थाना, कोलायत की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 9/2003 धारा 332, 353, 307, 382, 147, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता व 3 पीडीपीपी एक्ट के अन्तर्गत 14 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया।

उपरोक्त दोनों अभियोगों का अनुसंधान थानाधिकारी कोलायत द्वारा प्रारम्भ किया गया। अभियोग संख्या 8/2003 में अभियोगी पक्ष के 3 व्यक्तियों के चोटें आई थीं। इस अभियोग में नामजद 10 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पुलिस पार्टी द्वारा पंजीबद्ध अभियोग संख्या 9/2003 में 5 पुलिस कर्मियों के चोटें आईं। इस अभियोग में नामजद 14 एवं अन्य अभियुक्तों में से 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जिनमें से 3 महिला अभियुक्तों एवं एक पुरुष अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है। दोनों अभियोगों का अनुसंधान जारी है।

दिनांक 24.2.2003 को सायं 2.00 बजे मक्खनराम पुत्र शकीलाराम निवासी चिमाणा, उम्र 17 वर्ष को उसकी दादी मनोहरी ने मजरूही हालत में पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर में भर्ती कराया। मेडिकल ज्यूरिस्ट, पी. बी. एम. अस्पताल ने इसकी सूचना पुलिस चौकी, पी.बी.एम. अस्पताल बीकानेर को दी जिस पर उप निरीक्षक बुद्धाराम थाना सदर अस्पताल

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

पहुंचा। उस समय मजरूह मक्खनराम बयान देने की स्थिति में नहीं था। इस पर उसकी दादी मनोहरी का बयान लिया गया। श्रीमती मनोहरी देवी ने बताया कि उसे गांव चिमाणा, जिला जोधपुर में पता चला कि कंजरों एवं थाना पुलिस कोलायत वालों व गंवारियों का आपस में झगड़ा हो गया है जिसमें थानेदार कोलायत एवं गंवारियों और सिपाहियों ने उसके पोते के साथ भी मारपीट की गयी है। मक्खनराम की हालत अधिक गम्भीर होने पर आज पी. बी. एम. अस्पताल, बीकानेर में भर्ती कराया है। उपरोक्त सूचना पर अभियोग संख्या 15/2003 धारा 307, 341, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता व 3 एस.सी./एस.टी. एक्ट में थाना कोलायत पर पंजीबद्ध कर अन्वेषण वृत्ताधिकारी, नोखा द्वारा किया जा रहा है। मक्खनराम की मृत्यु के बाद मुकदमे में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता जोड़ दी गई है।

दिनांक 25.2.2003 को 9.50 बजे प्रातः मजरूह मक्खनराम की मृत्यु हो गई जिसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मक्खनराम की मृत्यु का कारण बिसरा के परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज होने के कारण थानाधिकारी श्री ईस्लाम खां एवं अन्य पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

इस घटना के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ सिंह भाटी, पूर्व प्रधान, पंचायत समिति कोलायत के परिवाद पर दिनांक 24.2.2003 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा जांच प्रारम्भ की गई। जांच के दौरान थानाधिकारी ईस्लाम खां को अनियमितता एवं लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित कर दिया गया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गृह मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है। 15 तारीख की दो घटनाएं हैं और दो एफ.आई.आर., आपने अपने बयान में उनके रेफरेंस से सारा बयान दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 15 तारीख को जब यह नामजद आपके बचन सिंह द्वारा यह रिपोर्ट आ गई कि पुलिस अमले को पीटा गया, पुलिस अमले के चोटें आ गईं तो माननीय गृह मंत्रीजी आप इस बात को क्यों छिपा रहे हैं कि पुलिस अमले के चोटें आने के कारण वापस पुलिस दल पूरी तरह से अस्त्र-शास्त्रों से लैस होकर, उन्होंने कंजरों और गंवारियों को वहां पीटा? उनकी जबरदस्त पिटाई जो हुई मक्खनलाल कहीं भी उसमें आपके मुलजिमों की श्रेणी में नहीं हैं। 15 साल का लड़का है, जोधपुर से आया, अकाल में अपने रोजगार

(श्री मानिक चन्द सुराना)

की तलाश में आ गया। आप अपने बयान में यह क्यों नहीं कह रहे हैं, इस बात को क्यों छिपा रहे हैं कि जब पुलिस ने खुद ने यह रिपोर्ट? नम्बर आपकी दर्ज करा दी उसके बाद बिना कोई रिपोर्ट दर्ज कराये उन्होंने जबरदस्त मारपीट गंवारियों और कंजरों के साथ में की है?

यह दोनों गरीब जातियां हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और सामाजिक सुरक्षा पर अभी आपने कल बताया कि 16 लाख रुपये का हमने एक सेमिनार किया है। यह दोनों गरीब जातियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? यह दोनों यदि शराब पी भी रहे थे, शराब पीकर लड़ भी रहे थे तो क्या उसका यही इलाज था कि आपकी पुलिस दुबारा जाकर उन निहत्थों के साथ में मारपीट करे और इतनी इनको चोटें पहुंचा देती कि मक्खनलाल को मजबूरन मरना पड़ा? यह पुलिस के डर से आतंकित होकर, उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने कोई अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया। जब मजबूरी में लड़का मरने लगा तो उसकी दादी भी वहां आ गई और उसकी दादी नें उसको पी.बी.एम.हास्पिटल में भर्ती कराया। जब वह चला गया, वह चला गया, वह लड़का बेहोश हो चुका था और अब तक तो बिसरा की रिपोर्ट आएगी और नैचुरली जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है, तो मैं यह नहीं कहूंगा कि आप बिसरा की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करें, आप रिपोर्ट का इंतजार करें लेकिन 302 आपने कन्वर्ट कर दिया है, तो 302 जो आपने कन्वर्ट कर दिया, 307 की एफ.आई.आर. हो चुकी और उसको आपने, खुद ने प्रशासन ने 302 में कन्वर्ट कर दिया है। तो सम्बन्धित तफतीश जो भी नोखा के सी.ओ. कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सी.ओ. की तफतीश का मामला नहीं है, आपको इसकी तफतीश डी.आई.जी. स्तर के अधिकारी की देखरेख में और किसी बहुत सक्षम, चाहे एस.पी. हो, नहीं तो कम से कम एडिशनल एस.पी. स्तर के अधिकारी से डी.आई.जी. की देखरेख में की जाए। जो भी मुलजिमान हैं जिनको कि आपने सस्पैंड भी कर दिया है, तो उसके जो भी लोजिकल टार्गेट, निष्कर्ष निकलते हैं मैं समझता हूं कि स्वयं गृह मंत्री कहें कि इनको गिरफ्तार करेंगे। नहीं, हम उसके ऊपर कह रहे हैं कि उसके क्या तार्किक निष्कर्ष निकलते हैं रूल्स आफ ला में 302 आपने दर्ज कर दिया है, तो 302 दर्ज कर दिया तो मुलजिम बाहर घूमेंगे कि अन्दर रहेंगे? मतलब वह पुलिस की कस्टडी में रहेंगे, गिरफ्तार रहेंगे या बाहर ही घूमेंगे? अभी तक आपके उनको गिरफ्तार न करने के क्या कारण हैं? क्या अभी तक आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया? उस लड़के के परिवार को एक लाख रुपये का मुआवजा, जो भी उसकी दादी है या उसका बाप है या मां है, उसके परिवार को आप मुआवजा भी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

दें। इसमें माननीय गृह मंत्रीजी, इसकी तफ़्तीश डी.आई.जी. की देखरेख में हो या एस.पी. की स्वयं की देखरेख में हो, जिसको भी आप मुनासिब समझें, इसकी निष्पक्ष तफतीश 10 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर या एक सप्ताह के भीतर की जाकर तत्काल उनकी गिरफ्तारी के आदेश, मैं समझता हूं कि आप सारी परिस्थितियों को समझते हुए, खुद गिरफ्तारी के आदेश देंगे और इस हाउस को वापस 15 दिन में रिपोर्ट देने की कृपा करेंगे कि हमने इसमें क्या सक्षम कार्यवाही की है। माननीय गृह मंत्रीजी, आपके ला-एण्ड आर्डर की बहुत तारीफ की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो जवाब दे रहे हैं न बिराजें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं उस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वक्त आये तब चर्चा कर लीजिएगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : अभी तो जो सम्बन्धित मुद्दा है उस पर आप अपने...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वक्त का इंतजार करिये। मैं सम्बन्धित ही बात कहूंगा। दो मुद्दे आपने उठाये हैं। एक तो यह मुद्दा उठाया कि इसकी तफतीश कम से कम एडिशनल एस.पी. के स्तर पर डी.आई.जी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं डी.आई.जी. के स्तर पर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो मानिकचन्द जी सुराना ने कहा मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया उसका जवाब दे रहा हूं। उन्होंने मांग की थी कि इसकी तफ़्तीश कम से कम एडिशनल एस.पी. के स्तर के अधिकारी से डी.आई.जी. की देखरेख में कराई जाय, नम्बर वन। नम्बर दो, आपने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट बिसरा आने के बाद ही आप इंतजार करना चाहेंगे और उसके बाद ही इसका कोई न कोई निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। तीसरी बात आपने कही कि उसको एक लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : गिरफ्तारी की बात नहीं हुई?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक बात सुन तो लें मेरी। आप तो सब वाजिब कहेंगे मैं कब कहता हूं गैर वाजिब है लेकिन मेरी भी तो सुनने की कृपा करें आपको मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, थोड़ा धैर्य आप भी रख लीजिए।

जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है, सरकार का यह सिद्धान्त है कि पुलिस कस्टडी में आदमी मर जाएगा तो एक लाख रुपये दिये जाएंगे। यह मामला डिसप्यूटेड है। कंजरों और गंवारियों को

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

लड़ाई में किसकी तरफ से किसको नुकसान पहुंचा, 15 तारीख की घटना के बाद यह 24 तारीख तक कहां गायब रहा, अब आप सुनें नहीं क्या? भगवान ने थोड़ी बहुत तो क्षमता दी होगी सुनने की। यह 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक कहां रहा, किन परिस्थितियों में रहा। जब तक इस घटना का विश्लेषण करके जांच नहीं कराई जाए तब तक यह माना नहीं जा सकता कि यह पुलिस की कस्टडी की वजह से या पुलिस कस्टडी में रहा उसकी वजह से डैथ हुई है क्योंकि पुलिस कस्टडी में था नहीं। उसकी दादी मां ने स्वयं ने स्वीकार किया कि उसने लाकर हास्पिटल में भर्ती कराया। इसलिए इसकी जांच करने के बाद ही मुआवजे के बारे में अंतिम फैसला किया जाएगा लेकिन मानवीय दृष्टि से मैं यह समझता हूं कि उसकी मदर को तत्काल 10 हजार रुपये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड से दे दिया जाएगा और इसका अनुसंधान एडिशनल एस.पी. को नहीं, मैं सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच के एस.पी. स्तर के अधिकारी से करवा दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, दो बातों को थोड़ा आप स्पष्ट करें। 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया, 307 को आपने कन्वर्ट करके 302 में मुकदमा रजिस्टर कर दिया लेकिन मुकदमे में...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने सुना होगा, जब एक पहला मुकदमा दर्ज किया उसमें 307 थी लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो उस मुकदमे में हमने 302 और जोड़ दिया हमने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वही मैं कह रहा हूं, आपने जोड़ दिया, बहुत अच्छा काम किया लेकिन उसमें 302 के मुलजिम कौन हैं, अब तक यह आपका इंवेस्टीगेशन जो कुछ किया उसमें कौन हैं? क्योंकि अभी तक यह कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 302 का मुलजिम है कौन? मतलब, इन्होंने अभी तक तो जो जितनी कार्यवाही की सच बात तो यह है कि जब दोनों के झगड़े में पुलिस पिट गई और पुलिस पिट कर वहां से चली गई, थाने पर, उसके बाद पुलिस ने उसका बदला लेने के लिए उस कालोनी पर जो धावा बोला उसमें यह बच्चा फंसा। इसलिए वह जो जाने वाले लोग थे, जो पुलिस दल गया था उसमें कौन कौन थे, पुलिस दल में कितने लोग गये? क्योंकि यह विषय इन दो मुकदमों में 14 तारीख से, आपने जैसा कहा 14 से लेकर 24 तक यह बच्चा कहां रहा, 15 तारीख से इस मुकदमे से लेकर इतने दिन तक बच्चा कहां रहा? इसका मतलब तो आपका यह है कि कभी भी यह केस होगा कि इस बच्चे को तो इस झगड़े से कोई लेना देना ही नहीं है। सच तो यह है कि पुलिस के हमले से जो मार खाकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पुलिस लौट कर आ गई, उसके क्रोध में जाकर पुलिस ने हमला करके उस कालोनी के ऊपर जो वारदात की है उसमें यह बच्चा पीटा गया है और तब से लेकर बच्चा हास्पिटल इसलिए नहीं गया कि कुछ को आपने गिरफ्तार कर लिया, कुछ को टेरेराइज कर दिया, बच्चा अपनी जगह पड़ा रहा। जब उसकी मां को, दादी को वहां समाचार मिला कि लड़का इधर पड़ा है तब वह दादी ठेठ जोधपुर से आई और उसने आकर इसको आगे बढ़ाया। तो जब तक आपका यह नहीं होगा कि वास्तव में पुलिस वाले हमला करने दुबारा गये कि नहीं गए तब तक यह बात स्पष्ट नहीं होगी, इस केस में आगे कुछ नहीं निकल पाएगा। यह आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि पुलिस ने हमला वापस जाकर किया कि नहीं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन सवाल माननीय गृह मंत्रीजी से करना चाहूंगा। गृह मंत्रीजी, आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि तीन एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं। एक एफ.आई.आर. नम्बर 8 दर्ज हुई, वह आपस के झगड़े की है। एक एफ.आई.आर. नम्बर 9 दर्ज कराई जो कोलायत के हैड कांस्टेबल ने करवाई। एक एफ.आई.आर. नम्बर 15 दर्ज हुई। एफ.आर.आर. 8 और 9 में दोनों में अगर आप आई.पी.सी. देखें तो 323, 353, 382, 341, 340 इसके अन्दर एक में आपने गिरफ्तार कर लिये 10 और एक में गिरफ्तारी कर ली आपने 14 आदमियों की, तो क्या कारण हैं कि एफ.आई.आर. नम्बर 15 जो 302 की है उसमें आपने गिरफ्तारी नहीं की? नम्बर एक। आपने मेडिकल बिसरा की बात की है, उपाध्यक्ष महोदय, बिसरा तो कोई व्यक्ति कोई चीज पीता है तब होता है कि जहर खाया है या नहीं खाया है उसकी जांच से उसका ताल्लुक है। आदमी के शरीर पर चोटों का बिसरा से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मेडिकल रिपोर्ट आई है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर आप बता दें। नम्बर तीन, सबसे गम्भीर बात यह है कि जब पुलिस ने एक मोहल्ले में दो मुकदमों में एक में दस और एक में 14 उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद पुलिस ने सुनियोजित तरीके से वहां हमला किया तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक भी आदमी उस मोहल्ले में बचा नहीं था। मैंने पूरी जानकारी ली है सिवाय एक–दो बुढ़िया के कोई बचा नहीं। इसलिए वह बच्चा वहीं पड़ा रहा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बीकानेर गये हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आपकी दोनों एफ.आई.आर. में यह बच्चा कहीं मुलजिम है? मुलजिम नहीं है और यह आप स्वीकार करते हैं कि बच्चे की मौत चोट से हुई है। यह सारे तथ्य स्वीकार करते हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : किस की चोट से हुई है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो इसका मतलब यह है कि यह बर्बर लाठीचार्ज का शिकार हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी संवेदनशीलता का +++ मत रचो, आगे बढ़कर कहो कि मुलजिम है उसको गिरफ्तार करूंगा और एक लाख रुपये का मुआवजा देंगे अगर आप में मानवता कहीं है। 16 साल का एक हरिजन बालक है, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हो, 16 साल के अबोध बालक की निर्मम हत्या अगर किसी ने की है तो पुलिस ने की है। पुलिस दुबारा वहां गई आपस के झगड़े के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय गृह मंत्रीजी। हो गई न बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : संवेदनशीलता जितनी आप में है उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार संवेदनशील है। (व्यवधान) और कांग्रेस सरकार ने यह फैसला किया है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कलई खुल रही है आपकी। (व्यवधान) यह कलई खुल रही है आपकी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सुनिए। आप बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं। आपकी बात कहते हैं तो दूसरों को सुनना नहीं चाहते हैं। यह कोई तमाशा है क्या? आखिर सदन नियम और कानून से चलता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...डांटते क्यों हो? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सुनिए। अपनी बात कह करके खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) ऐसा नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डांट क्यों रहे हो? गृह मंत्रीजी हो तो रौब मारते हो क्या? डांट क्यों रहे हो आप? (व्यवधान) सीधे से कह दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप ऐसे कैसे कह रहे हो? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप अपनी बात कह करके दूसरों को बोलने नहीं देते। यह तमाशा कर रखा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे चिंता है कि इनको ब्लडप्रेशर है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप भी सदस्य हैं, हम भी सदस्य हैं इसलिए कैसे ऐसे डांट रहे हो आप? (व्यवधान) आप गृह मंत्री हैं तो पुलिस वालों को डांटिये। आपके पुलिस वाले हैं आई.जी., डी.आई.जी. हैं उनको डांटिये, हमको क्यों डांट रहे हो?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप तो बिराज जाओ मेहरबानी करके। आप तो बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप भी सदस्य हैं, हम भी सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल खड़े किये हैं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसे कैसे आप सख्ती से बोल रहे हैं? (व्यवधान) आप पुलिस वालों को डांटिये डांटना है तो। आप गृह मंत्रीजी उनके लिए हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप बीच-बीच में दखलंदाजी करते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यहां तो माननीय सदस्य आप और हम भी हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बोलने ही नहीं देते आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम भी सदस्य हैं, आप भी सदस्य हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) **:** मंत्रीजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि काज आफ डैथ अगर आप बता देते, वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आपके पास होगी?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : है न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : काज आफ डैथ क्या है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं वही पढ़ देता हूं, इसीलिए कह रहा हूं आपको "Cause of death shall be given after the receipt of the report of viseara."

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये डाक्टर बैठे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है। यह मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेडिकल बोर्ड आपने किया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सब का, (व्यवधान) तो फिर ठीक है।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) **:** गृह मंत्रीजी, जब यह बीमार आदमी हास्पिटल में आया तो निश्चित तौर पर डाक्टर्स ने उसकी जांच की होगी। किसी बीमारी की वजह से उसको एडमिट किया होगा, कुछ न कुछ लिखा होगा। इंजरीज क्या है और उसका मेंटल स्टेटस क्या है, एक्चुअल में पूरा बेहोशी की हालत में है या किस स्थिति में है। यह आप थोड़ा बहुत बताएं न। सारा स्पष्ट लिखा होगा। बीमारी कोई होगी जब ही ट्रीटमेंट किया होगा इसका। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** गृह मंत्रीजी, आपने जो 9 नम्बर की एफ.आई.आर. है जिसमें पुलिस पर हमला करना बताया है,

(श्री अमराराम)

जिन पांच पुलिस कर्मियों के चोट आई, जो घायल हुए हैं उनकी जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट है वह किस प्रकृति की है? वह आप बता दें, क्योंकि उसी से इन्होंने वापस जाकर फिर हमला किया है और जिससे इसकी मौत हुई है। जो जो घायल हुए हैं उनके किस प्रकृति की चोट है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : एडमिशन कार्ड जो है, इसको भर्ती कराया तो जो डॉक्टर रामप्रताप कह रहे हैं वह बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है कि उस वक्त इसको क्यों भर्ती किया अस्पताल के अन्दर। एडमिशन कार्ड आपके पास है क्या? उसमें इंजरीज का भी मालूम पड़ जाएगा। कुछ न कुछ तो डायग्नोस करते ही करते हैं। जो एडमिशन केस उसका बनता है वह अगर हो, तो इसमें मालूम पड़ेगा।

श्री अमराराम (धोद) : उसके इंजरी ही नहीं हुई कोई। इसके इंजरी ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे पास पोर्स्टमार्टम रिपोर्ट की कापी है वह पेश कर दी है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ...इंजरीज है वह किस प्रकृति की है यह बताएं। नेचर आफ इंजरीज हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो पर्ची है उसकी मेरे पास कापी नहीं है। मैं जानकारी प्राप्त करता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि इस सारे मामले की जांच मैंने बीकानेर डिविजन के डिविजनल कमिश्नर को कराने के कल ही आदेश दिये हैं कि इस सारे मामले की जांच हमारे ए.डी.एम. से कराएं ताकि तथ्यों को हम सामने ला सकें।

श्री मानिक चन्द सुराना : ए.डी.एम. का कोई मतलब नहीं है। गृह मंत्री जी, इसमें आप बहुत शांति से इस बात को सुनें, जो हमने आरोप लगाये हैं वह आरोप यह है कि आपकी एफ.आई.आर. नम्बर 9 में जिन पांच पुलिसकर्मियों के चोटें आईं और उन्होंने उनके नम्बर दिये कि फलां नम्बर के हैड कांस्टेबल के यह चोट आई, फलां नम्बर के हैड कांस्टेबल के ये चोटें आई हैं। यह असम्भव है कि वह पुलिस दल वापस वहां जा करके उन गरीबों को न पीटा हो और यह जो पिटाई पुलिस ने जाकर की है यह रूल आफ ला के बिलकुल विपरीत है। यह पुलिस का खुला अन्याय है और रिवेंजफुल एक्शन है पुलिस के द्वारा। यह जो एक्शन हुआ है उसी के कारण आपने कहा कि हमने एक में 8 को गिरफ्तार कर लिये, एक में 14 गिरफ्तार कर लिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें नाम मुलजिमों के सेम टू सेम है। आपने कोई 22 आदमी गिरफ्तार नहीं किये। आपने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वह 14 आदमी जो पुलिस एफ.आई.आर. में लिखे हैं वही 14 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और उन्हीं में से 10 आदमी गवारियों की रिपोर्ट में भी वही मुलजिम हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप इस तथ्य को क्यों छिपा रहे हैं, आपकी जांच का मुद्दा सिर्फ यह एफ.आई.आर. नहीं है, आपकी जांच का मुद्दा यह है कि पुलिस दल किस अथोरिटी से वापस जा करके उन गरीबों को पीटा और रिवेंजफुल एक्शन क्यों किया? यह रूल आफ ला के विपरीत कार्यवाही पुलिस ने क्यों की? आप उनको जो कुछ उन्होंने किया था उसमें सजा देते, अनुसंधान करते, अन्दर रखते। पर आपको कोई अधिकार गरीबों की बस्ती पर जाकर पुलिस को आक्रमण करने का नहीं है, हथियारों से लैस हो करके आक्रमण करने का कोई अधिकार आपको नहीं है और आपने जो यह कार्यवाही की है इस कार्यवाही के विरोध में माननीय गृह मंत्री जी मैं समझता हूं कि सदन...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बात निवेदन करना चाहता हूं कि 307 का मुकदमा दर्ज हुआ जब इसको भर्ती कराया। डैथ बाद में हुई, आपने 302 एड कर दिया, बिलकुल ठीक किया। तो 307 का मुकदमा दर्ज हुआ तो नेचुरली इंजरी रिपोर्ट तो होगी आपके पास क्योंकि पोस्टमार्टम तो बाद में होगा, मरेगा जब होगा, पहले 307 की इंजरी रिपोर्ट क्या है वह पेश कीजिए आप।

दूसरी बात, गृह मंत्रीजी के वक्तव्य से मैं व्यक्तिशः संतुष्ट हूं कि इन्होंने सी.आई.डी. में दे दिया। वे और क्या कर सकते हैं पर जो सदन में माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं, जो तथ्य मुकदमे के सामने आये हैं उससे इससे अलग हट करके क्या आप कोई प्रशासनिक आदेश दे करके यह इन्क्वायरी करेंगे कि गोया पुलिस वापस हमलावर हो करके विंडिक्टिव तरीके से जा करके लोगों के ऊपर आक्रमण किया या नहीं किया? यह आपके इस इंवेस्टिगेशन में तो नहीं निकलेगा। यह तो लिमिटेड क्वेश्चन हो गया कि उसकी डैथ कैसे हुई, वह तो आपकी लीपापोती हो जाएगी। लेकिन यह आप किसी न किसी स्टेज पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आपस में सामंजस्य बिठा करके किसी स्टेज पर एग्री करें कि गवर्नमेंट किससे इंक्वायरी कराये यह आपकी सहमति से क्योंकि अनावश्यक उस इश्यू को क्रफ्रंटेशन करके वाक आउट कर जाएं उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। गृह मंत्रीजी इसके लिए सक्षम हैं और आप लोग सुझाव दें कि डिविजनल कमिश्नर से, ए.डी.एम. से या रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर से, किसी से। यह इंक्वायरी का डेफिनेटली विषय है कि गोया पुलिस हमलावर हुई है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगर पुलिस पार्टी ने रियेक्शन में आ करके फिर दुबारा कोई मारपीट की है तो मैं इसकी जांच डिविजनल कमिश्नर से करा दूंगा। मुझे बचाने में कोई आनन्द नहीं आता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इंजरी रिपोर्ट।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह मेरे पास है नहीं। मैं दे देता, मुझे छिपाना नहीं है। पोस्टमार्टम बता दिया।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप घोषणा करिये कि 15 दिन के भीतर...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : और क्लियर कर दूं, तीन बातें कह चुका हूं। चूंकि पुलिस के खिलाफ मुकदमा 302 का रजिस्टर हुआ है इसलिए लोकल पुलिस प्रभावित हो सकती है इसलिए इसकी जांच मैं क्राइम ब्रांच के एस.पी. से कराउंगा नम्बर एक। नम्बर दो, जब तक इसमें साबित नहीं हो जाए कि पुलिस पिटाई से या किसी और की पिटाई से हुई हो, जांच में मालूम पड़ेगा तब उसके मुआवजे का फैसला करूंगा लेकिन तत्काल राहत के तौर पर उसकी माता को 10 हजार रुपये देने की घोषणा करता हूं। तीसरा, आपने यह कहा कि पुलिस वाले रियेक्शन में आ करके दुबारा पिटाई करने गये, इसकी जांच मैं डिविजनल कमिश्नर से करा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। माननीय अरुण सिंहजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : चर्चा तो समाप्त। आपने घोषणा कर दी है कि डिविजनल कमिश्नर से जांच की कितने दिन के अन्दर रिपोर्ट आयेगी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुआवजे का क्या होगा? मुआवजा एक लाख का दिया जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना : रिपोर्ट कितने दिन में आएगी? रिपोर्ट 15 दिन में आये। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जांच के बाद।

श्री उपाध्यक्ष : अरुण सिंहजी। आप बोलिये। अभिभाषण पर आप बोलिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : देखिए, माननीय गृह मंत्री जी, आप कृपया इतना स्पष्ट कर दें कि...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय गृह मंत्रीजी, इतनी सी बात स्पष्ट कर दें, थोड़ा जो हमारे मन में संशय रह गया उस संशय को आप स्पष्ट कर दें। एक तो इस सारे प्रकरण की क्योंकि यह पुलिस गई या नहीं गई, यह भी जांच का विषय है...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कह दिया न मैंने प्रकरण...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड, आप जांच यहां से प्रारम्भ करेंगे। सम्भागीय आयुक्त को कह कर, ऐसा नहीं तो जो शब्द लगाया है न कि अगर गई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हो, तो सम्भागीय आयुक्त से जांच करवा लूंगा यह "तो" शब्द हटा दीजिए, यह सारे प्रकरण की जांच डिविजनल कमिश्नर से करवाएंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय नेता महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं एडिशनल एस.पी. ने जो जांच की, उसमें पुलिस के एस.आई. और कांस्टेबल को दोषी पाया है, उसमें सस्पैण्ड किया है। हम कोई बचाना नहीं चाहते हैं। हमारी नीयत बहुत साफ है। अगर कोई पुलिस अधिकारी गलती करता है, तो हम उसे बचाने के पक्ष में नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह भी बता दो, आप कह रहे हैं कि गलती की है, हमने मान ली, प्रीलिमिनरी जांच में वह दोषी पाया गया तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो आप? दोषी पाये गये, इस लड़के को...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, नहीं, दोषी इस बात का पाया गया कि वह स्वयं गये थे उस झगड़े की जांच के लिए और रोजनामचा की रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई थी इसलिए प्राइमाफेसी उसने यह गलती की, उसमें तो जांच कर ली, अब हमने 202 का केस रेफर किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजजी बैठिए।

श्री अमराराम (धोद) : फिर दोषी काहे का पाया है आपने?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसने रोजनामचा रिपोर्ट में मैं मौका वारदात पर गया था, लिखा नहीं था।

श्री अमराराम (धोद) : इसका मतलब रोजनामचा को खाली छोड़कर जो कार्यवाहियां की हैं, उसमें अमलीजामा, कानूनी जामा पहनाने का ही उन्होंने काम किया है, तो निश्चित रूप से इससे आपकी जो भी भावना है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने आपसे कह दिया कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसको सरकार बख्शेगी नहीं, डिविजनल कमिश्नर से जांच करवाएंगी और वह केस जो पुलिस वालों के खिलाफ रजिस्टर किया हुआ है, यहां पर क्राइम ब्रांच के एस.पी. से उसकी जांच कराई जाएगी। 10,000 का तत्काल मुआवजा दिया जाएगा। बात खतम है।

श्री मानिक चन्द सुराना : 10,000 नहीं, एक लाख रुपये क्यों नहीं? गृह मंत्रीजी, एक लाख रुपये क्यों नहीं देंगे, 10,000 क्यों देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त।

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। श्री अरुण सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह गरीबों के साथ अन्याय है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, जांच का मुद्दा नहीं है, यह एक 16 वर्ष का लड़का मरा है, 16 वर्ष के अनुसूचित जाति के लड़के को पुलिस ने डंडों से पीट-पीट करके मार दिया है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया।

श्री मानिक चन्द सुराना : और जब पुलिस के द्वारा जो नृशंस हत्या कोलायत में की गई है, उसके विरोध में हम सब... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हमारी पूरी सहानुभूति उस बच्चे के साथ है लेकिन जब तक यह प्रमाणित नहीं हो जाये कि किसकी गलती से मरा है...

श्री मानिक चन्द सुराना : आपके द्वारा एक लाख रुपये नहीं दिये जाने और उसको गिरफ्तार नहीं किये जाने पर...(व्यवधान) 15 दिन में रिपोर्ट सदन में नहीं दिलाये जाने के विरोध में हमारी पार्टी आपका प्रतिकार करती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिए। चर्चा समाप्त हो गई। माननीय अरुण सिंहजी। प्लीज बिराजिए। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। प्लीज बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए, आप जवाब नहीं देना चाहते। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं इसमें गम्भीर विषय के ऊपर...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आए, तो नहीं आए, बिराजिए आप।

श्री रामप्रताप : जो मेरा सबसे रिलेवेंट सवाल है और माननीय गृह मंत्रीजी जवाब नहीं दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब अगर नहीं देते हैं तो मैं यह आरोप लगा रहा हूं कि अगर गृह मंत्रीजी होते एक हरिजन की इस तरह से निर्मम हत्या की गई है और आप जो रिलेवेंट चीज है, उसको आप छिपा रहे हो...

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक अबोध बालक की हत्या हो जाये, एक अबोध बालक की निर्मम हत्या हो जाये...(व्यवधान) एक लाख की घोषणा आप करें और पूरे मामले की विस्तृत जांच...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : रिलेवेंट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़कर सुना दी आपके सामने।

श्री रामप्रताप : अगर आप सही मायने में इसकी जांच कराना चाहते हो तो आपके सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए थी, अगर आप

(श्री रामप्रताप)

ईमानदारी से कह रहे हैं, आप बार-बार संवेदनशील बात कह कर, एक संवेदनशील लफ्ज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने जांच के लिए डिविजनल कमिश्नर को अधिकृत कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अरुण सिंहजी। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ...उसी के साथ 302 और जोड़ा है हमने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, चर्चा समाप्त हो गई है। आप मत बोलो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : डाक्टर बोल रहे हैं डाक्टर, आप डाक्टर की बात सुनिए।

श्री रामप्रताप : उस चीज का ही पता नहीं है, आपको चीज का ही पता नहीं है तो क्या जांच करवाओगे?(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हर हिस्से में इस प्रकार से गरीबों की बस्तियों के ऊपर बिना मतलब आक्रमण पुलिस के द्वारा जो किये जा रहे हैं, यह कोलायत से उजागर हो गया, उपाध्यक्ष महोदय, और हमारी पार्टी जो आक्रमण गरीबों पर किया है आपकी पुलिस ने, उसके विरोध में उसके प्रतिकार स्वरूप सदन से बहिगर्मन करते हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : यह गलत तरीका है, यह कोई तरीका नहीं है। यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अरुण सिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण का मैं तीव्र विरोध करता हूं। खुद मैंने अभिभाषण का बहिष्कार भी किया। चार साल के इस कांग्रेस शासन में जो कानून व्यवस्था, अराजकता, बेरोजगारी, कर्मचारियों में असंतोष, आर.ए.एस., आई.ए.एसों. को पदोन्नति नहीं और मंत्रिमण्डल के सदस्यों में असंतोष कोई संतुष्ट नहीं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कल ही मंत्री कह रहे थे कि हम लड़ रहे हैं। आप कैसे मना कर रहे हो, हाउस में कहा है।

श्री अरुण सिंह : मंत्रिमण्डल के सदस्यों में आपस में मतभेद, काबिल मंत्री को हटाया जाता है, फिर वह अपने

(16.35 बजे)

(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)

(श्री अरुण सिंह)

दम पर वापस आ जाता है। मैं इस सदन में 12 साल से सदस्य रहा हूं और दो शासन देखे हैं। सभापति महोदय, भाजपा का भी शासन देखा और यह कांग्रेस का भी राज देखा। अन्तर इनमें हैं, अन्तर दोनों में है। एक भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री रहे और एक अब जो वर्तमान में है, अशोक गहलोत साहब हैं। अशोक गहलोत और भैरोंसिंहजी में ज्यादा अन्तर तो है नहीं। +++ बोलने में बड़े माहिर हैं, मीठी पुड़िया देने में बड़े माहिर, काम करने में जीरो हैं। आज नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, जैसी भैरोंसिंह जी के राज में हावी थी, नौकरशाही इन अशोक गहलोत के राज में भी हावी है। मंत्री और संतरियों की चलती नहीं, इन आई.ए.एसों. की चलती है।

हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश में शासन जो अब है वहां, गठबंधन की सरकार है, मायावती से एक एग्जाम्पल लेना चाहिए। मायावती ने इन आई.ए.एस. और आई.पी.एसों को लाइन हाजिर किया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, जो भी राज इस राजस्थान में आता है, पूर्वी राजस्थान के साथ एक सौतेला व्यवहार होता है। पूर्वी राजस्थान के नागरिक यहां जयपुर में दूसरी श्रेणी के नागरिक हैं। पूर्वी राजस्थान अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मेरी मांग है कि एक जनमत संग्रह हो, रेफरेण्डम हो और राजस्थान से हम अलग होंवे। आय में हम 13 प्रतिशत आय देते हैं...

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : यह बहुत गलत बात है। प्रदेश एक है, प्रदेश को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की जाए।

श्री अरुण सिंह : और हमारे यहां रुपये में तीन पैसे खर्च होते हैं। हम यह अन्याय बरदाश्त नहीं करने वाले हैं। सभापति महोदय, आप खुद ही पूर्वी राजस्थान से हैं। आप भी मेरी मांग का समर्थन पहले करते आये हैं, दल बदल करके इस कांग्रेस में घुस गये, आप शांत हो गये...

श्री सभापति : नहीं, मैं यहां रहते हुए भी पूर्वी राजस्थान के हितों की रक्षा करने की बात करूंगा।

श्री अरुण सिंह : सारे राजस्थान का पैसा मारवाड़ और मेवाड़ तक खर्च होता है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप सभापति हो, निष्पक्ष हो। आप पूर्वी राजस्थान की पैरवी नहीं कर सकते।

श्री सभापति : मैं पूरे राजस्थान के साथ हूं।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अरुण सिंह : आज पूर्वी राजस्थान धीरे-धीरे रेगिस्तान हो रहा है। 1994 में यमुना का एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। ठाकुर भैरोंसिंहजी और पांच राज्यों में एक समझौता हुआ। मुझे आज खुशी है कि केन्द्र में नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस की सरकार ने भरतपुर, झुंझुनूं और चूरू के लिए 175 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी है। इसमें मैं राजस्थान के सिंचाई मंत्री, उप मुख्य मंत्री श्रीमती कमलाजी, उनके सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी अपनी ओर से और भरतपुर की प्यासी जनता की ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं। (व्यवधान) भैरोंसिंहजी को तो दे दी हमने पर जिनका कंट्रीब्यूशन अब भी थोड़ा-बहुत रहा इसको पाइप लाइन में लाने के लिए, श्रीमती कमलाजी का, अशोक गहलोत का नहीं, श्रीमती कमलाजी का।

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : एक ही बात है वह तो।

श्री अरुण सिंह : नहीं, एक ही बात नहीं है। इनमें आपस में नहीं बनती है। आप भी अब कांग्रेस में घुस गये और बड़ी गलती की आपने। बड़ी गलती की यह दल बदल कर। सभापति महोदय, मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अब मैं इस पाइंट पर भी धन्यवाद देता हूं कि मेरा दल राष्ट्रीय लोक दल भाजपा का एक अंग है, नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस के हमारे लीडर अटल बिहारी वाजपेयी के हम साथ हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हनुमान प्रसाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

एक घंटा सदन का समय और बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हनुमान प्रसाद (सूरजगढ़) : माननीय सभापतिजी, मैं श्री जुगल काबरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में...

श्री सभापति : माननीय डाक्टर साहब।

श्री हनुमान प्रसाद : अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। गत चार वर्षों में हमारी सरकार ने जिस ढंग से योजनाबद्ध तरीके से निश्चित कार्यक्रम लेकर अलग-अलग समस्याओं को सुलझाने का कार्य हाथ में लिया और विशेष तौर से एक जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए मिशन अप्रोच के आधार पर जो प्रगति का पथ राजस्थान में प्रशस्त किया है उसके लिए मैं राज्यपाल महोदय और विशेष तौर से माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के नेतृत्व को बधाई देता हूं।

राजस्थान में चार साल पूर्व जो ग्रामीण क्षेत्र की दुर्दशा थी उस पर यदि हम विचार करें, पेयजल की समस्या भयंकर थी, आवागमन के साधनों में, विशेष तौर से ग्रामीण सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी, आपको दस या पन्द्रह किलोमीटर यदि जाना हो तो एक घंटे से अधिक का समय लगता था। शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी ग्रामीण क्षेत्र की दुर्दशा थी। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग के कल्याण में, जिसमें मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग को लेता हूं, उनके लिए भी एक विशेष योजनाबद्ध तरीके से विकास की गति इन चार वर्षों में रखी गई है जिसके बहुत आशातीत परिणाम सामने आये हैं।

मैं विशेष तौर से इस अवसर पर अकाल की विभीषिका के सम्बन्ध में संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। पिछले सौ वर्षों में सबसे कम वर्षा इस वर्ष हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि कहीं भी फसल नहीं हो सकी और पेयजल की भयंकर समस्या, खास तौर से ऐसे जिलों में भी आ गई, पश्चिमी राजस्थान-रेगिस्तान के इलाके में तो हर वर्ष वर्षा होने के बावजूद भी कुछ क्षेत्र में पेयजल की समस्या रही है लेकिन पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में भी पीने के पानी की किल्लत हुई है। उसके समाधान में राजस्थान सरकार ने जो कटिबद्धता दिखाई उसका मैं एक संक्षेप में उदाहरण देना चाहूंगा।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में पेयजल प्रबन्धन का उल्लेख किया है लेकिन मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र, एक छोटे से क्षेत्र के सम्बन्ध में बतलाना चाहूंगा कि पिछले चार वर्षों में तीस करोड़ रुपये से अधिक पेयजल पर विभिन्न योजनाओं के तहत खर्च हुए हैं और जिनका परिणाम यह है कि आज किसी गांव में पीने के पानी की समस्या नहीं है। वैसे पेयजल की समस्या सतत् रहने वाली है उसके साथ हमें जीना पड़ेगा। हर वर्ष जब सात-आठ फीट पानी का स्तर, भूजल नीचे जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में इस समस्या के साथ इसका कोई स्थाई समाधान नहीं है। फिर भी जो सबमर्सिबल मोटर, आपके बोरिंग करके उनको डग वैल जो थे उनको भी

(श्री हनुमान प्रसाद)

एक तरह से नलकूप में परिवर्तित किया गया है। नये नलकूप पेयजल स्रोत तैयार किये गये हैं। उसके कारण, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका आकलन हम इस क्षेत्र में, राजस्थान में मैं भी आपके साथ पिछले चालीस वर्षों से अकाल की विभीषिका और जो समस्याएं हैं नागरिक के सामने, उनसे मैं भी साक्षात्कार करता रहा हूं। चार वर्षों के अल्पकाल में जो पेयजल के मामले में हुआ है, सड़कों के विकास में हुआ है, विशेष तौर से ग्रामीण सड़क विकास और अभी जो अकाल की विभीषिका मतलब इतना भयंकर अकाल पिछली हमारी याददाश्त में, आपकी याददाश्त में नहीं पड़ा तो ऐसी स्थिति में उसका प्रबन्धन कुशलता से हो, उसके लिए राहत कार्य बहुत पहले बिना गिरदावरी का समय आए, उससे पहले ही प्रारम्भ किये जाएं तो हमारी सरकार इतनी जागरुक रही है और इतनी संवेदनशील रही है कि अकाल राहत के मामले में कहीं कोताही नहीं आने दी है।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस पर विस्तार से चर्चा की है। सभापति महोदय, मैं उनके जो उल्लेख हैं उनको वापस दोहराना नहीं चाहता, फिर भी सभी 32 जिलों में एक साथ अकाल है और इकतालीस हजार के लगभग गांव प्रभावित है, साढ़े चार करोड़ मनुष्य और उतने ही पशु प्रभावित हैं। सबसे बड़ी रोजगार की समस्या सामने है, पेयजल की समस्या है, पशुधन को बचाने की समस्या है, तो यह एक बहुत जटिल कार्य था जिसका प्रबन्धन बड़ी कुशलता से हुआ है और उसके सम्बन्ध में वास्तव में तारीफ की जानी चाहिए। हर जिले में चारा डिपो है, पशु शिविर है, गौशालाओं को मदद दी गई है। झुंझुनूं जिले में विशेष तौर से जो दानदाता और गौशालाएं निजी क्षेत्र में हैं उनके माध्यम से और जो पशु शिविर अन्य संस्थाएं चला रही हैं उनके माध्यम से पशुओं की देखभाल की गयी है और इतना कुशल प्रबन्धन है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोये। उसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित की गयी है। अनाज गांव और पंचायत समिति और तहसील स्तर पर एक तरह का एक बफर स्टाक रखा गया है। निशक्तों को महीने में 50 किलो अनाज और धनराशि देने की व्यवस्था की गयी है। यह अनूठा कार्य है। यह हमारी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं और उसके तहत अब तक किसी तरह की कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। आज पूरे राजस्थान के बत्तीस जिलों में इतने बड़े पैमाने पर कार्य हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आती। कोई छोटी-मोटी शिकायत रही हो, तो अलग है लेकिन इतना सही ढंग से प्रबन्धन है और उसके लिए मैं सरकार की सराहना करना चाहता हूं।

(श्री हनुमान प्रसाद)

केन्द्र सरकार कर रवैया वैसे पूरी तरह से विदित है। किसी बड़े नेता को फुर्सत नहीं रही कि राजस्थान की इस विभीषिका को देखे या केन्द्र से जो सहयोग चाहिए उसमें भी कमी है और वास्तव में यह एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है जिसके लिए राजनीतिक आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जैसा कि एक आह्वान किया है कि यदि सम्पूर्ण सहायता नहीं मिलती है, तो हम एकजुट होकर उसका विरोध भी जताएंगे। अन्य क्षेत्रों में जो विकास हुआ है उसके सम्बन्ध में संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं

बिजली की व्यवस्था विशेष तौर से उत्पादन क्षमता को जो बढ़ाया गया है वह एक अभूतपूर्व कार्य पिछले चार वर्षों में हुआ है। जितनी 50 साल में वृद्धि हुई उसका 50% चार वर्ष में हो जाएं या पांच वर्ष के अन्त तक हो जाए यह एक योजनाबद्ध विकास का एक बहुत ही सुदृढ़ नमूना आपके सामने है। इस अवसर पर मैं सिंचाई के सम्बन्ध में विशेष तौर से बात कहना चाहूंगा और उप मुख्य मंत्री श्रीमती कमलाजी को, हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि यमुना जल के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ है उसमें भरतपुर, झुंझुनूं और चूरू जिलों को पेयजल सिंचाई और पीने के लिए उपलब्ध होगा उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। पेयजल के कुए जो धीरे-धीरे कुछ क्षेत्रों में सूखते जा रहे हैं, कहीं पानी नीचे जा रहा है उनमें रीचार्ज होकर स्थिति सही होगी और बहुत-बड़े भू-भाग को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसकी विशेष तौर से तारीफ की जानी चाहिए किन्तु कुछ लोग इसे उपलब्धि नहीं मानते उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है।

एक विकास नगरीय क्षेत्र में हुआ है और वो भी बड़ी धनराशि एशियन विकास बैंक से लेकर 6 बड़े नगरों को चुना गया है। वास्तव में पुराना जयपुर शहर जब बसा उस समय 50 हजार या एक लाख की आबादी के लिए नगरीय व्यवस्था रही होगी। आज पुराने शहर में भी कम से कम 7-8 लाख लोग बसते हैं और इतना सघन जनसंख्या का घनत्व बन गया है कि आम नागरिक को जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए उनका अभाव है और उसका परिणाम यह हुआ कि बड़े शहर रोजगार के केन्द्र बनते गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ग्रामीण क्षेत्रों से लोग इन केन्द्रों की तरफ आकर्षित हुए उसका परिणाम यह हुआ कि झुग्गी-झोपड़ी और ऐसी कालोनीज पूरे बड़े शहरों में बसी। आज चार साल में विकास हुआ जो मैं जयपुर विकास

(श्री हनुमान प्रसाद)

प्राधिकरण से भी जुड़ा रहा हूं, जो चार साल में हुआ है वो पिछले पचास साल में भी नहीं हो सका और यह आवश्यक था। आपने देहली का विकास देखा होगा एशियाड के समय जो फ्लाई ओवर, सड़कों के विस्तार और दूसरी जो बातें हुईं उससे बड़े शहर को लीज आफ लाइफ मिली। यह की यह बात जयपुर और अन्य शहरों में जो विकास का कार्य चल रहा है उस पर लागू होती है। आज से करीब चार साल पहले जयपुर में जो व्यक्ति नहीं आया जाने के बाद वापस आता है तो वो देखकर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग देखकर दूसरी सड़कें देखकर सीवरेज सिस्टम का जो डवलपमेंट हुआ है वो देखकर अचम्भित होता है। यह एक बहुत थोड़े समय में बड़ा काम हुआ है और इसकी आवश्यकता भी थी। इससे इन शहरों को कम से कम अगले 15-20 साल तक सांस लेने का एक मौका मिलेगा, इसकी तरीफ की जानी चाहिए। अब उस के लिए यह कहा जाए कि यह क्यों किया गया और इससे फलाना तो यह है, मैं उस पूरे में नहीं जाना चाहता। लेकिन यह ऐसे काम हैं जो विकास के स्तम्भ हैं, एक माइल स्टोन का काम करते हैं। वैसे इतिहास में यह चार वर्ष नगरीय विकास में याद रखने लायक रहेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में असल में जो प्रगति हुई है उसको छोटे पैमाने पर नहीं नापा जाना चाहिए। आप राजीव गांधी पाठशालाओं का जो सिलसिला है उसे कह करके कि वहां तीन-चार जगह नामांकन किया होगा या उसमें तो अध्यापक को बहुत कम तनखाह मिल रही है। वास्तव में यह शिक्षाकर्मी नाम से इस तरह की एक योजना ट्राइबल डवलपमेंट एरिया के लिए प्रारम्भ की गयी थी और उसके परिणाम अच्छे निकले। स्थानीय व्यक्ति मिल गया और उसको कभी भी स्थानान्तरण की समस्या नहीं रही। दूसरा बहुत कम संसाधनों से वहां के बच्चे स्कूल से जुड़े। अब ये जो 21 हजार से ऊपर राजीव गांधी पाठशालाओं का विस्तार हुआ है इससे स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिला है। अन्ततः वो सभी स्थायी होंगे इस तरह की योजना है। उनको अगर प्रशिक्षण का अभाव है, तो वो दिया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इसमें विद्यालयों को जो क्रमोन्नत करना है वो भी एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। अब उसमें शिक्षकों की कमी की बात से क्रमोन्नति का हम विरोध करें वो भी उपयुक्त नहीं है। राजस्थान सरकार ने सभी पदों पर अब भर्ती का कार्य शुरू किया है और विशेष तौर से स्कूल शिक्षा में, कालेज शिक्षा में तो अगले साल तक या जून तक आशा की जाती है कि बहुत

(श्री हनुमान प्रसाद)

से पद भरे जाएंगे। यह बहुत बड़ा कार्य है और शिक्षा जगत में जो परिवर्तन आ रहा है इतने लाख लोग स्कूलों से जुड़े हैं यह एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य था और उसमें हम सफल हुए हैं।

मैं इस अवसर पर पिछड़े वर्ग के कल्याण के बारे में जो विशेष तौर से जो योजनाएं चली हैं उनके सम्बन्ध में संक्षेप में बात कहना चाहूंगा। पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है इसमें सभी जातियों की महिलाएं सम्मिलित हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़ा वर्ग ये करीब 75% आबादी से भी अधिक लोग हैं जिनके लिए विशेष प्रयासों की जरूरत रही है और हमारी गवर्नमेंट ने इस दिशा में समयबद्ध तरीके से अलग-अलग वर्गों का विकास के लिए, उनके विकास की निगरानी के लिए

(17.00 बजे)

उनके विकास की नई योजनाओं का सुझाव देने के लिये आयोगों का गठन किया है। इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये विकास वित्त निगम, महिलाओं के लिये आयोग, अल्पसंख्यकों के आयोग का पुनर्गठन, यह ऐसे कार्य हैं जिनसे कि इन वर्गों में एक चेतना जागी है। अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिये तकनीकी शिक्षा और मेडिकल कालेजेज में जो आरक्षण का प्रावधान था उसे 8 प्रतिशत से 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये, 6 से 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिये और पहली दफा अन्य पिछड़े वर्ग के लिये 21 प्रतिशत। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां पर प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। राजस्थान सरकार ने 85वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया है जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ होगी और उसके सम्बन्ध में मैं विशेष तौर से माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने तत्परता से तुरन्त आदेश कर इस दिशा में सभी विभागों को पाबन्द किया है।

अनुसूचित जाति-जनजाति के दो तरह के बैकलाग हैं, एक तो सीधी भर्ती का दूसरा पदोन्नति में। इन दोनों के लिये जो आदेश प्रसारित किये हैं और उनके तहत तत्परता से कार्यवाही हो रही है उसके लिये भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री जीतमल खांट : चार साल में एक भी आवेदन नहीं भरा गया।

श्री सभापति : माननीय जीतमलजी, आप का नम्बर अभी आएगा।

श्री हनुमान प्रसाद : उस समय आप बतला दें आपको कोई बात खटक रही हो तो। इसमें विशेष तौर से सफाई

(श्री हनुमान प्रसाद)

कर्मचारी, यह एक बहुत बड़ा तबका है जो सबसे ज्यादा तिरस्कृत है। आप उनकी वेदना या अनुसूचित जाति के साथ विशेष तौर से उस तबके की वेदना को तभी समझे जब उनके साथ किस तरह का व्यवहार पहले होता था और उसमें अब परिवर्तन लाने के जो प्रयास किये हैं उसका आभास हो। उस प्रयास के तहत यह तबका आगे बढ़े, शिक्षा की व्यवस्था है, उनको आगे रोजगार मुहैया कराने के लिये जो वित्त विकास निगम है उसमें केन्द्रीय वित्त विकास निगम से जो धनराशि हमें ऋण के बतौर मिलती है उसमें सरकारी गारंटी को बढ़ाया गया है और उसमें सभी वर्गों को सम्मिलित किया गया है, यह एक सराहनीय कदम है।

इस अवसर पर मैं, सभापतिजी, को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे विचार व्यक्त करने का मुझे समय दिया, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री दुर्गाप्रसादजी।

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : आदरणीय सभापति महोदय, इस सदन में पिछले दो दिन से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष के हमारे माननीय सदस्य सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रतिपक्ष के हमारे माननीय सदस्य सरकार की असफलताओं को गिना रहे हैं। सभापति महोदय, मैं सरकार की उपलब्धियों के बारे में फिर से रिपीटिशन नहीं करना चाहता क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में काफी कुछ कह दिया है। इसी प्रकार से जब आप भाषण दे रहे थे तो आपने भी, सभापति महोदय, बहुत विस्तार से सरकार की उपलब्धियों के बारे में इस सदन को काफी जानकारी दी है। मैं कुछ हटकर अपनी बात इस सदन में रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बिन्दु 152 में "देश में उपज रहे धार्मिक कट्टरवाद के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्ति की है।" इसी प्रकार राज्यपाल महोदय ने बिन्दु 153 में "धार्मिक और साम्प्रदायिक सद्भाव को अक्षुण्ण बनाये रखने के प्रति अपना दायित्व निभाने की बात कही है।" मेरा ज्यादातर भाषण इन्हीं दो बिन्दुओं पर केन्द्रित रहेगा। (व्यवधान) वोट तो मिलेंगे और हम जीतेंगे, कांग्रेस वाले जीतेंगे, बहुत अच्छे जीतेंगे।

सभापति महोदय, जहां तक सरकार की उपलब्धियों का सवाल है मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से पूरा सहमत हूं और मैं उसका समर्थन करता हूं। पिछले चार साल में हमारे मुख्य मंत्री परम आदरणीय अशोकजी गहलोत के शासनकाल में इस सरकार ने भारी उपलब्धियां अर्जित की हैं, भारी विकास

(श्री दुर्गा प्रसाद)

के कार्य किये हैं, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। सभापति महोदय, यह तो पिछले चार साल में हमारे प्रदेश में समुचित मात्रा में पानी नहीं पड़ा, बरसात नहीं हुई, यदि पानी पड़ जाता तो जिस प्रकार इस सरकार ने कार्य किये हैं मैं सोचता हूं कि इस चार साल में यह सरकार इस प्रदेश को देश का नम्बर वन राज्य बना देती। यहां पर विकास की दृष्टि से, यहां पर जो तरक्की हुई है, जो खुशहाली हुई है अगर पानी पड़ जाता, तो मैं सोचता हूं कि यह प्रदेश देश का सर्वप्रथम प्रदेश कहलाता।

सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं यह हमेशा सरकार की कमियों को ही देखते रहते हैं, यह सरकार की विफलताओं को ही देखते रहते हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि कभी दिल पर हाथ रख कर जरा तसल्ली से सोचे और यह सोचे कि वास्तव में इस सरकार ने कुछ जनकल्याणकारी कार्य किये हैं या नहीं किये हैं। मैं पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूं। सच बात तो यह है कि हमारे प्रतिपक्ष के जो सदस्यगण हैं वह चिंतित रहते हैं...

श्री धर्मपाल चौधरी : आप भी प्रतिपक्ष में थे पहले।

श्री सभापति : माननीय धर्मपालजी, आपस में बात न करें।

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं आज की बात कर रहा हूं, कल तो पता नहीं क्या था। सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कुछ चिंतित रहते हैं, यह सही बात भी नहीं कह सकते। यह सोचते हैं कि अगर हमने सही बात कही, सरकार के समर्थन में कोई बात कह दी तो हमारा वोट बैंक बिगड़ जाएगा, जनता हम से रूठ जाएगी और जो हमें अभी पिछले चुनाव में 33 का समर्थन मिला है आने वाले चुनाव में यह समर्थन खतम होकर 10-5 रह जाएगा। इसके कारण से यह सही बात भी नहीं कहते। खैर, इस बात को छोड़िए। अभी मैं थोड़ी-थोड़ी बात आपके लिये कहूंगा, आप उत्तेजित मत होइएगा। आने वाले समय में मैं कहूंगा, आपकी कलई खोलने वाला हूं, तसल्ली रखिएगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं, पक्ष के लोग भी जानते हैं और प्रतिपक्ष के लोग भी जानते हैं कि इस वक्त इस प्रदेश में भयंकर अकाल की स्थिति है। जरूरत तो इस बात की है कि हम लोग अपनी राजनीतिक दुर्भावना को खतम करके, कंधे से कंधा मिलाकर, पार्टी पोलिटिक्स को खतम करते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए... (व्यवधान) इस प्रदेश की जनता को सहयोग देने के लिये, उसके कष्ट दूर करने के लिये हम सब एक

(श्री दुर्गा प्रसाद)

हो जाएं और इस सरकार की मदद करे तो मैं सोचता हूं कि सही मायने में हम जनप्रतिनिधि कहलाएंगे।

सभापति महोदय, जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने पहले भी कहा था और जब केन्द्र के कृषि मंत्री, आदरणीय अजीत सिंह जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि केन्द्र सरकार इस सरकार को भरपूर आर्थिक सहायता नहीं दे रही है, भरपूर खाद्यान्न की सहायता नहीं दे रही है। अकाल सहायता में जो रोजगार मिल रहा है उसके लिये केन्द्रीय सरकार भेद भाव बरत रही है। यह आपके अजीत सिंह जी ने कहा था, अखबारों में यह बात आई थी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप थोड़े ही सत्तापक्ष में गये हो, आप भी कांग्रेस में गये हो क्या?

श्री दुर्गाप्रसाद : कांग्रेस की बात नहीं है, मैं सही बात कह रहा हूं, कांग्रेस में तो मैं हूं ही। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब तो बजने दो तम्बूरे के तार...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : सुनिए, मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप राजनीतिक दुर्भावना को खतम करके केन्द्र में पहुंचे, आपकी केन्द्र में सरकार है। (व्यवधान) गंगापुर में शांति है बशर्ते आप शांति बनाए रखें तो। आप आग नहीं लगाएंगे तो गंगापुर में शांति है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य पिछले तीन महीने से गंगापुर नहीं जा पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जाएं या नहीं जाएं।

श्री दुर्गाप्रसाद : यह आपकी बड़ी भूल है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हमारी चिन्ता है... (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं गंगापुर में जाता हूं और गंगापुर से जीतकर आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी वालों की पहले जमानत जब्त कराई थी, अब भी जमानत जब्त कराऊंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब के आपको टिकट ही नहीं मिलेगा।

श्री दुर्गाप्रसाद : यह भी बता दूं कि मुझे कांग्रेस का टिकट नहीं मिलेगा तो मैं कांग्रेस के कैंडीडेट का समर्थन करूंगा और कांग्रेस का कैंडीडेट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उनसे पूछिए उनका करेक्टर क्या है? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जोश-जोश में यह अपना अधिकार खो रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मंत्री पद के लिए बिकने वाले. (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अभी कह रहे थे कि जीतकर आऊंगा।

श्री सभापति : दुर्गाप्रसाद जी, इनकी बात पर मत जाइये, आप अपना भाषण जारी रखें। आप आसन की तरफ देखकर अपनी बात जारी रखिये। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं जवाब दूंगा साहब, यह छेड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन की तरफ देख अपनी बात करते जाइये और सच्ची-सच्ची बात बोलिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : इनको खतरा ही आपसे है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हरिसिंह जी की तरफ देखकर बोलो।

श्री दुर्गाप्रसाद : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि राजनीतिक दुर्भावना खतम करके, सब मिलकर केन्द्र में पहुंचे, केन्द्र सरकार को विवश करें कि यहां पर अकाल सहायता के लिए समुचित धन दे, खाद्यान्न दे ताकि हम इस प्रदेश की जनता का भला कर सकें। जिस उद्देश्य से प्रदेश की जनता ने हमें जनप्रतिनिधि चुन कर भेजा है उसका हम कर्तव्य निर्वहन कर सकें। (व्यवधान) दुःख तो इस बात का है कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे प्रतिपक्ष के साथी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे केवल सरकार की आलोचना में लगे हुए हैं। इन्होंने एक बात और कर दी आजकल, आजकल यह जैसे

जैसे चुनाव नजदीक आते हैं यह बहुसंख्यक समाज का अपनी ओर रिझाने के लिए तरह तरह की बात करने लगते हैं। अभी पिछले 2-4 महीनों से यह हिन्दुत्व की बात कहने लगे हैं, राम मन्दिर की बात करने लगे हैं, गोधरा कांड की बात कहने लगे है। मैं एक बात प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि गोधरा कांड जब गुजरात में हुआ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : सभापति महोदय, यह विषय से हटकर है, गवर्नर का अभिभाषण हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : विषय से हटकर नहीं बोल रहे हैं। यह देखना आसन का काम है, आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : यह भाषण हो रहा है राज्यपाल के अभिभाषण पर, अभिभाषण में स्पष्ट कहा है...(व्यवधान) यह कह रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूं, अभिभाषण में स्पष्ट कहा है कि साम्प्रदायिक सद्भाव अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रति हमें कुछ करना है, तो मैं यह साम्प्रदायिक सद्भाव अक्षुण्ण बनाने के लिए ही कह रहा हूं। (व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि गोधरा कांड की बात कहते हैं, गोधरा कांड किसके राज में हुआ, उस समय किसका राज चल रहा था, उस समय गुजरात में किसका राज चल रहा था? उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री धर्मपाल चौधरी : राजस्थान में 149 दंगे हुए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय धर्मपालजी।

श्री दुर्गाप्रसाद : गोधरा कांड की बात हो रही है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप लोगों की वजह से ही... (व्यवधान) आप लाशों की राजनीति करना जानते हैं लोगों की खिदमत करना आपने सीखा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके लिए तो यह देश रहे कि नहीं रहे वोट चाहिए आपको (व्यवधान) चाहे देश बरबाद हो जाए, आपको तो वोट चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा : जो देश पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर खड़ा है तो यह कांग्रेस की बदौलत है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय धर्मपाल जी, बिराजिए। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर जसवन्त सिंहजी, बिराजिए। (व्यवधान) आप बिराजिए।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, व्यवस्था का सवाल है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिए, आप आसन को सहयोग कीजिए। प्लीज, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप लोगों ने किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित नहीं हो, आप कन्टीन्यू रखिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप नोट करते जाइये भाषण को। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

श्री सभापति : आपकी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं, आप सदन का समय जाया मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

श्री सभापति : आसन पैरों पर।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, आपकी पार्टी के सदस्य को अनुशासित रखिए।

श्री दुर्गाप्रसाद : सभापति महोदय, मैं कह रहा था...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री दुर्गाप्रसाद : मेरा इशारा केवल बी.जे.पी. वालों के लिए है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री दुर्गाप्रसाद : माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष में बैठे हुए...(व्यवधान) मैं सदन की बात नहीं कह रहा...

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं बी.जे.पी. का नाम नहीं लेऊंगा, इस समय बहुमत में सिर्फ बी.जे.पी. ही है। बी.जे.पी. की तरफ ही इशारा कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री दुर्गाप्रसाद : यह +++ बात है, यह बोलते ही रहते हैं, मेरा गंगापुर में पूरा सत्कार है, सम्मान है। मैं फिर जीतकर आऊंगा। आपकी बड़ी भूल है, अगर आप यह बात कहो पिटाई, तो मैं जिसकी चाहूं उसकी करवा दूं, यह भी कह दूं आपसे। मैं ऐसा काम करता नहीं हूं, बी.जे.पी. वाले ही करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप जारी रखें। बैठिए प्लीज।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिए।(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं आपकी बात नहीं कह रहा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री सभापति : नन्दलालजी, आप बिराजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिए, बिराजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य आप आशवस्त रहिए, आप उस कैटेगिरी में नहीं हैं, आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप तो बिराजिए।

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं यह कह रहा था जब गोधरा कांड हुआ, तो गोधरा कांड इनके राज में हुआ।

श्री सभापति : राठौड़ साहब आप सचेतक हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको औरों को रोकना चाहिए। आप उनको बोलने दीजिए, सहयोग कीजिए कृपया। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : गोधरा कांड की जिम्मेदारी इनकी थी, इनका राज था, इनका प्रशासन था, इन्होंने उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया, बल्कि +++ धारण करके बहुसंख्यक वर्ग से अपने को जोड़ा (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

श्री सभापति : आप बार-बार खड़े हो रहे हैं, ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : वहां बहुसंख्य वर्ग को अपने से जोड़कर, उनको गुमराह करके ...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री दुर्गाप्रसाद : अभी कुछ दिन पहले गंगापुर में एक मामूली साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ। मैं उसकी बात नहीं कह रहा, जबकि 25 मार्च को 2-3 आदमी मरे थे उसकी बात नहीं कह रहा। उसके बाद करीब 9 महीने बाद में झगड़ा हुआ, साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ आपको पता होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री सभापति : केसाराम जी...

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री दुर्गाप्रसाद : 2000 बेगुनाह मारे गए, उसके बारे में कुछ कहना है आपको।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अहमदाबाद में 25000...

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री रोहिताश्व कुमार : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) : मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य, जम्मू कश्मीर ...(व्यवधान) आपको जानकारी नहीं है, जम्मू कश्मीर में महावीर चक्र और पदम श्री, पदम विभूषण थे जिनको राष्ट्रपति ने उपाधियां प्रदान की हैं। (व्यवधान) और कोई दूसरा नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

श्री सभापति : दुर्गाप्रसाद जी, कन्टीन्यू रखिए।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री सभापति : माननीय संयम लोढ़ा जी, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी, बिराजिए।

श्री दुर्गाप्रसाद : सभापति महोदय, कुछ दिन पहले गंगानगर में...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री सभापति : दुर्गाप्रसादजी के अलावा किसी का भाषण अंकित नहीं हो, दुर्गाप्रसादजी के अलावा किसी का भाषण अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : जसवन्त सिंहजी बिराजिए, बिराजिए। संयम लोढ़ाजी, बिराजिए। ज्ञानदेवजी, बिराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। दुर्गाप्रसादजी के अलावा किसी का भाषण अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, आप इनको शांत कीजिए।

श्री सभापति : जसवन्त सिंहजी, बिराजिए।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सदस्य, भाषण हो रहे हैं, सबको शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। आप जो भी बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं। आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपसे भी यह आशा करते हैं... (व्यवधान) आप भी सहयोग करें कि जो हमारे भाषण दे रहे हैं, जो हमारे माननीय सदस्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्रीमती कमला बृजलाल : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिए, कमलाजी, आप बिराजिए। आप बहस को जारी रखना चाहते हैं कि नहीं? बोलने दीजिए। दुर्गाप्रसादजी, जारी रखिए।

श्री दुर्गाप्रसाद : सभापति महोदय, गंगापुर में कुछ दिन पहले साम्प्रदायिक छोटा सा झगड़ा हुआ। वह ऐसा झगड़ा था जो कोई विशेष नहीं था, भाई-भाई की जो मामूली लड़ाई होती है वह हुआ। एक सिनेमा हाल के अन्दर दो सम्प्रदाय के लोग मामूली सी बात पर झगड़ गये और उसका ऐसा हल्ला हुआ कि हमारे बी.जे.पी. के बड़े नेता गंगापुर में तुरन्त पहुंच गये। वहां पर जाकर उन्होंने इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश की, इस प्रकार का उस चिंगारी को हवा देने की कोशिश की गयी, वह एक बड़ा...(व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दीजिए, आप भी उसका खण्डन कीजिएगा। आप अपनी बात कहते हैं वे अपनी बात कह रहे हैं, आप कहने दीजिए।

श्री दुर्गाप्रसाद : आप सुनने का माद्दा रखिए। आप अपनी बात कहिये, हम आपकी बात को तसल्ली से सुनते हैं। हम तो कभी बोलते ही नहीं हैं। मैं तो कभी-कभी बोलता हूं। सुनो तो सही बात।

श्री सभापति : आप कन्क्लूड करिये इसको, जल्दी खतम कीजिए।

श्री दुर्गाप्रसाद : सभापति महोदय, इसको इतनी बड़ी हवा दी गयी कि यह तो हमारा प्रशासन चुस्त-दुरुस्त था, आदरणीय अशोकजी गहलोत पूरे जागरुक थे और उन्होंने उस चिंगारी को उग्र रूप धारण करने से पहले ही दबा दिया। वरना उनकी मंशा यह थी कि गंगापुर से उस

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री दुर्गाप्रसाद)

चिंगारी को आग के रूप में परिवर्तित की जाए और उस आग को पूरे प्रदेश में फैला दिया जाए। साम्प्रदायिक सौहार्द को जला दिया जाए। (व्यवधान)

श्री मर्दन दिलावर : ×××

श्री दुर्गाप्रसाद : गंगापुर में आप भी पधारे थे। गंगापुर में आप भी पधारे थे आग देने के लिये। इसलिये इनको बुरा लग रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप इन्हें इंगित मत करिये, आप तो आसन को कहिये।

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं तो आपका नाम लेना नहीं चाहता था पर आप उठ-उठ कर बोल रहे हो। तो इनसे पूछिये कि आपको क्या जरूरत थी वहां पर जाने की? जरूरत तो इस बात की थी कि ये साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं।

इन्हें एक हिन्दुत्व का कार्ड मिल गया। गोधरा में इन्होंने लड़ाई-दंगे कराए और वहां पर बहुसंख्यक समाज को गुमराह करके ये सत्ता में आ गये। अब ये यही चाहते हैं कि उस कार्ड को ये और प्रदेशों में फैलाएं। ये इस प्रकार से उस कार्ड को चलाकर सत्ता में आना चाहते हैं। पर यह इनका मुगालता है। राजस्थान में यह बात नहीं चलेगी। राजस्थान में इनके जो मंसूबे हैं वह कभी कामयाब नहीं हो सकते।

सभापति महोदय, अक्सर ये चुनाव के समय, जब ये चुनाव होते हैं, 4 साल चुप रहते हैं और जैसे ही एक साल रह जाता है, चुनाव का एक साल रह जाता है ये राम मन्दिर की बात कहने लगते हैं। इनके जो सहयोगी सदस्य हैं, विश्व हिन्दू परिषद् वाले, बजरंग दल वाले, ये कहते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद् से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बजरंग दल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद् वाले गुजरात में जाकर आपका ही क्यों समर्थन करते हैं? आपके ही उम्मीदवार के लिये कैसे प्रचार-प्रसार करते हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका नम्बर आए तब जवाब देना, बैठिये आप। माननीय केसारामजी, बिराजिए आप। दुर्गाप्रसादजी के अलावा किसी का अंकित न हो।

श्री दुर्गाप्रसाद : कभी कांग्रेस वालों के लिये या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिये क्यों नहीं प्रचार करते हैं। ये तो एक ही थाली के चट्टे-भट्टे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री दुर्गाप्रसाद : आप अपनी बात कह देना, मैं अपनी बात कह दूं।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री सोहन नायक : xxx

श्री दुर्गाप्रसाद : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब एक साल रह जाता है तो ये राम मन्दिर की बात कहने लग जाते हैं। एक ही राम मन्दिर का मुद्दा बना रखा है और धार्मिक भावनाएं भड़काने लगते हैं।

मैं इनसे पूछता हूं कि राम मन्दिर बनाने के लिये इनको कौन रोकता है? केन्द्र में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है और यू.पी. में मायावतीजी की आपकी समर्थित सरकार है। बनाइये न राम मन्दिर। सही मायने में आप राम मन्दिर नहीं बनाना चाहते है और आप अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। आप तो इसको केवल एक मुद्दा बनाये रखना चाहते हैं। राम मंदिर के मुद्दे को भुनाकर आप हर चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं। (व्यवधान) हां, अभिभाषण में यह बातें हैं साम्प्रदायिक सौहार्द की बात है। मैंने इसको पहले कह दिया आपसे। साम्प्रदायिक सौहार्द की बात कह रहा हूं मैं। अभी इन्होंने एक नया शगूफा शुरू किया है।

श्री सभापति : आप कन्क्लूड कीजिए। दुर्गाप्रसादजी, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री दुर्गाप्रसाद : त्रिशूल बांटने का... और यह कहते हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या विपदा हो गयी, ऐसा क्या आकाश फट गया, क्या आवश्यकता हो गयी कि ये त्रिशूल बांट रहे हैं? एक समाज विशेष में, हिन्दू समाज विशेष में ये त्रिशूल बांट करके उसको हथियारबंद कर रहे हैं। ऐसी क्या आवश्यकता हो गयी। (व्यवधान) मैं एक बात पूछना चाहता हूं माननीय सदस्यों से यदि अल्पसंख्यक वर्ग वाले भी छुरियां बांटने लगे। इसी प्रकार सिक्ख समुदाय वाले कृपाण बांटने लगे, इसी प्रकार ईसाई समुदाय वाले पिस्तौल बांटने लगे, तो इस देश की शांति व्यवस्था का क्या होगा? इस देश के साम्प्रदायिक सौहार्द का क्या होगा? इस देश की एकता और अखण्डता का क्या होगा? मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप दिल को मत तोड़ो, समुहों को बांधों, इस देश की एकता और अखण्डता को सम्भालो। आपको अगर बांटना है तो गीता ग्रंथ को बांटिये, कुरान शरीफ को बांटिएगा, बाइबल को बांटिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब को बांटिएगा।

सभापति महोदय, मेरा दिमाग तो इन्होंने काफी खराब कर दिया। सही बात तो यह है कि मैं जो सोचकर आया था पूरा भूल गया। सभापति महोदय, मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि.... (व्यवधान)

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सांवर लाल : दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका।

श्री रोहिताश्व कुमार : इनको अस्पताल भिजवा दो इलाज के लिए। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : सभापति महोदय, मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि आप... (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सदस्य एडमिट कर रहे हैं कि मेरा दिमाग खराब हो गया तो इनका थोड़ा-सा इलाज करवा दो। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : माननीय सभापति महोदय, राजनीति तो बाद में है। यह देश रहेगा तो आप रहेंगे और हम रहेंगे। देश का साम्प्रदायिक सद्भाव रहेगा, देश की एकता रहेगी तो आप भी जिन्दा रहेंगे और हम भी रहेंगे। इस बात को समझिये और देश की अखण्डता को बनाये रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, बहुत चर्चा हो रही है राज्यपाल के अभिभाषण पर। धन्यवाद प्रस्ताव हमारे जोधपुर से पधारने वाले माननीय सदस्य ने रखा और, माननीय सभापति महोदय, जब आप यहां पर बिराजमान थे, आपने अनुमोदन किया। मैं जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स धन्यवाद के समर्थन में सुन सका, दो-तीन दिन से इसलिए मेरी कोई इच्छा नहीं होती कि मैं धन्यवाद का समर्थन करूं। अत: अभिभाषण का समर्थन नहीं करके मैं उसका विरोध करता हूं। आज क्या हो रहा है? (व्यवधान) हमारे डाक्टर साहब कल फरमा रहे थे कि आज छह यूनिवर्सिटीज की 12 यूनिवर्सिटीज कर दीं। स्कूलें हमने इतनी कर दीं कि गांव के लोग नाचने लग गये। बड़े दु:ख की बात है, एक उदाहरण के लिए अगर उदयपुर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुई, आप अपने सीने पर हाथ रखें। दिसम्बर, 1999 को जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी घोषित की गई, उसके बाद में आज तक उसमें क्या प्रोग्रेस हुई? क्या बी.सी. का सचिवालय बन गया? क्या स्टाफ पूरा है? कितना बजट आपने उसको दिया है और कितने लड़के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हैं जिनको रोजगार पर आपने लगाया है? इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए 100 परसेंट जो सैण्ट्रल फण्ड मिलता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक उस फण्ड के यूटिलाइजेशन के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की। क्या यह सही है? जो 100 परसेंट मिलता है और जो आपने बजट में दिया, वह तो कोई 25 लाख और समथिंग, उससे क्या होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज

(श्री अमराराम चौधरी)

इस यूनिवर्सिटी में 150 पोस्ट वेकेंट है लेकिन आपने कोई भर्ती नहीं की है। कई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कई सीनियर टैक्निकल असिस्टेंट हैं, कई ऐसी पोस्टें हैं, आप तो सेंटर के पैसे का भी यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं।

आज एक बात आ रही थी कि पानी के पैसे हो, शायद गेहूं का, जो आपको पता ही है, कमेटी का जब एग्जामिनेशन हुआ था, परीक्षण हुआ था, प्राक्कलन ''ख'' का, उसमें सारी बातें अपने सामने आई थीं कि व्हीट उठाये नहीं थे। व्हीट का सब जगह, अलग-अलग प्रवर्तित योजनाओं में आबंटन किया गया लेकिन उसको उठाया नहीं। इस बात को अधिकारियों ने भी कबूल किया आपके सामने, माननीय सभापति महोदय।

यहां भी माननीय सदस्य इसके बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन, 108 महत्वपूर्ण फैसले और जिसमें 64 पर है पंचायती राज संस्थाओं के लिए ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाओं का गठन, क्या आपने कर दिया? आज दिन तक आपने यह गठन नहीं किया और आपने यह फैसला किया है तो कब तक आप कर देंगे? फिर हमारे पांच हजार से भी अधिक, 1992 के बाद में कृषि विभाग से उत्तीर्ण लोगों को सुपरवाइजर के पद पर तो दूर रहा, अन्य स्थानों पर भी, ग्राम-सेवक तक भी नहीं लगाया। आप यह कह रहे हो, आपको पता नहीं है, मैं तो आपका मित्र रहा हूं। इसलिए आपको...(व्यवधान) अब शासन में हैं, तो देख नहीं रहा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मतलब आप बता रहे हो, मित्र तो आप आज भी हैं, हमारे। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मैं था आपका। मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूं।

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : आप हैं। आप अकेले ऐसे आदमी हैं, अमरारामजी....(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : नतीजा बहुत बुरा होने वाला है।

डा. महेश जोशी : आदरणीय अमरारामजी, आप हमारे मित्र रहे हैं इसलिए आप अकेले ऐसे माननीय सदस्य उधर से बोलने वाले हैं जिसने कोई सेंसिबल बात बोली है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप प्रसन्नताएं पढ़कर आए हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : आपके ए.ओ. के 2000 पद खाली पड़े हैं लेकिन आप उनको नहीं भर रहे हैं। क्या करेंगे? फिर बी.एड. किये हुए कितने हैं? बी.एड. बंद क्यों नहीं कर देते? आप यह कालेज बंद क्यों नहीं कर देते? आप जब नियुक्ति बी.एड. वालों को देते नहीं हैं, एक इंजीनियर को आप...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आप इधर से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : आप सुन लीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप आर.एस.एस. के वे...(व्यवधान) योग्य व्यक्ति मिलेगा तो भर्ती कर देंगे।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान में योग्य नहीं है क्या?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मैं तो कह रहा था लेकिन आप आ गये इसलिए नहीं हो पाये। कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, आप सक्षम हैं। दो हजार ए.ओ. और ए.ए.ओ. के पद खाली हैं, इनको भरें। पांच हजार आपके सुपरवाइजर के पद खाली हैं इनको भी आप भरें। यह सारे हैं और एक बार विज्ञप्ति भी जारी हो गई थी। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (कृषि मंत्री) : छह महीने की सजा का प्रावधान है, आपको ध्यान है या नहीं? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : नियुक्ति करने वालों को है या और किसी को है?

श्री सभापति : कृषि मंत्रीजी से जवाब मांग रहे थे न आप।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : जो भी एग्रीकल्चर के अन्दर, यहां भी पीएच.डी. किये हुये लड़के बेकार बैठे हैं, इंजीनियर बेकार बैठे हैं, दूसरे हैं, होम-साइंस के हैं, जो भी हैं, सारे लोग बेकार बैठे हैं। उनके मन में बड़ी अशांति है। आज झुंझुनूं से आने वाली मैडम बता रही थीं कि तीन लोगों ने, शिक्षक जो थे, उन्होंने सुसाइड किया। आज भी हड़ताल है। आज कौनसी आपकी राजीव गांधी पाठशालाएं खुल रही हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी राजीव गांधी पाठशालाओं में...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आप उनसे मैसेज ले रहे हो न वह मैसेज नहीं लो।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मेरा निवेदन यही है कि जो बच्चे आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, एक भी आपका बी.एड. किया हुआ आदमी किसी भी स्कूल, प्राइमरी स्कूल के अन्दर जा नहीं रहा है। वह कहता है कि प्राइवेट स्कूल में अगर कहीं जाएंगे तो चार हजार रुपये और सेठ के यहां मुनीमपना करेंगे तो चार हजार रुपये मिल रहे हैं और बहुत-से ऐसा ही कर रहे हैं। हाजिरी सेठ के यहां भी है, हाजिरी यहां भी है। आप परमानेंट कर दोगे, यह कमिटमेंट आपका लिखा हुआ है। माननीय मंत्री सी.पी. जोशी साहब का उसके अनुसार भी साइड में हो जायेंगे, तो हाजिरी वहां भी नहीं होती है। यह हकीकत है, दोनों जगह इस प्रकार का काम हो रहा है, क्या करें वह?

(श्री अमराराम चौधरी)

आज बी.एड. करने वाले या इंजीनियरिंग करने वाले आदमी का खर्चा कितना आता है। अधिकांश एग्रीकल्चर और बी.एड. करने वाले गांवों के लड़के हैं। गांव में रहते हैं। 75 प्रतिशत किसानों के लड़के हैं। अब अकाल पड़ता है, तो देखते हैं कि यह घर में पढ़ लेगा तो हमारा काम आराम से निकलेगा। दुविधा घर में हो तो नौकरी कर लेंगे। वह कोई फेमिन पर नहीं जाते, आपके यहां आएंगे। लेकिन मजबूरी है इसलिए उनको फेमिन पर जाना पड़ रहा है। इधर लड़का बी.एड. करता है तो 25 साल का तो वह हो जाता है। फिर शादी अलग। घरवाली भी पैसे मांगती है, कपड़े लाओ, साड़ी लाओ, कई बाते हैं। बच्चा हो गया तो और परेशानी घरवाले कर्जा लेकर उसको बी.एड. करवाते हैं। जब भयंकर अकाल होता है और किसान का लड़का अगर बी.एड. किया हुआ, उधार पैसा ले लेकर पढ़ाया हो और उसकी नौकरी नहीं लगे, तो कितनी परेशानी होगी। मैं तो आपको यह निवेदन करना चाहता हूं आप बी.एड. कालेज क्यों नहीं बन्द कर देते? प्राइवेट बी.एड. कालेज हैं, उनकी कमाई हो रही है।

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूं, मेहरबानी करके इस बात को प्लीड मत करो कि बी.एड. की ट्रेनिंग बंद कर दो या एस.टी.सी. की ट्रेनिंग बंद कर दो क्योंकि बी.एड. और एस.टी.सी. किये हुये, एम.ए. किये हुये, डाक्टरी किये हुये सबको कोई सरकारी नौकरी मिल न मिले, लेकिन जो ट्रेण्ड होगा, चाहे उसमें नौकरी लगती है, तो ले लेगा, कहीं प्राइवेट नौकरी लगती है तो ले लेगा, नहीं तो खुद अपना स्कूल खोल लेगा। लेकिन ट्रेनिंग बंद करने की पैरवी आप मत करो, यह अपने लिए बहुत घातक है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उप मुख्य मंत्री महोदया, बाड़मेर के अन्दर तीन बैच की लड़कियां बेरोजगार बैठी हुई हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : आप कल्पना करिये कि जो खाली जगह है वह तो जरूर भरनी चाहिए, वह बच्चों के भविष्य की बात है। लेकिन यह आप कैसे सोच सकते हो कि जब हम 100 प्रतिशत बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, सब नागरिक पढ़े-लिखे होने चाहिए, सारे हाई से हाई एजुकेशन लिये हुये होने चाहिए, तो सबके सब सरकारी नौकरी में लगेंगे? यह कहां से सोचने की बात है? आप तभी ट्रेनिंग करो जब नौकरी लगे, आप तब ही एम.ए. बी.एड. करो जब नौकरी लगे। नौकरी नहीं लगने के कारण आप पढ़ना बंद करा दो, ट्रेनिंग बंद करा दो। यह तो मेहरबानी करके प्लीडिंग मत करो, नहीं तो सारे बच्चों का भविष्य खराब हो जायेगा।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : कारगिल के अन्दर भीखाराम शहीद हुआ। माननीय मुख्य मंत्रीजी पधारे, अन्य मंत्री भी पधारे, कई नेतागण भी आये। वहां

(श्री अमराराम चौधरी)

पर भीखारामजी की स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल कर दिया। आज तीन साल हो गये वहां एक हैड मास्टर है। सांवर लाल जी आये थे वहां, मैं इनको लेकर गया था। शहीद भीखाराम जी की स्कूल में एक मास्टर है, उसको फेमिन में प्रभारी बनाया।

डा. (श्रीमती) कमला : वह तो मैं ही कह रही हूं। पद तो कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। लेकिन अपन यह सोचें कि जो भी पढ़ेगा, जो भी ट्रेण्ड होगा, वह सब नौकरी लगने ही चाहिए, यह सोच मत रखो।

श्री अमराराम चौधरी : आज शहीद की स्कूल के अन्दर एक टीचर है। मैंने पूछा भाई, क्या कर रहे हो? उसने कहा मुझे वहां से वहां, वहां से वहां जाना पड़ता है, फिर डाक निकालनी पड़ती है, मैं क्या करूं? यह बच्चे बैठे हैं बेकार। फिर हमने एक और मास्टर को कैसे ही, जो मेरे गांव का था, उसको कैसे करके मैंने कहा तू रह यहां। इन्होंने क्या किया, भीखाराम के गांव के लिए डामर रोड मंजूर की, आज तक डामर रोड नहीं बनी। उस शहीद के गांव में बिजली पहुंचाने के लिए 20 खम्भे, माननीय मंत्री बिराजे हैं, शायद आज काम हो जायेगा, वहां डाले हुये हैं। लेकिन...

श्री अमराराम (धोद) : आशा है अब?

श्री अमराराम चौधरी : हो जायेगा, ऐसी आशा है। पूरी आशा है। आज 20 खम्भे डाले हुये हैं, वहां अभी तक बिजली लगी नहीं। आप कह रहे हैं हमने काम किया, आपसे जनता बहुत नाराज हो रही है। यह हकीकत है। आपको हकीकत बताने के लिए कह रहा हूं, अगर आप नाराज हो जाओ तो वह अलग बात है।

मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार के बारे में बात कही। ठीक है भ्रष्टाचार के तहत थानेदार बीराराम को पकड़ा और प्रधान को पकड़ा। बीराराम को तो सस्पैण्ड कर दिया और जो रेवदार प्रधान था, उसको बहाल कर दिया। वह आपने बहाल नहीं किया, यह हाई कोर्ट के आदेश से हुआ। लेकिन आपको यह डायरेक्शन दिये गये और आज चार महीने हो गये हैं। यह डायरेक्शन दिये गये थे– "The concerned authorities pass a fresh order of suspension against the petitioner." उसमें क्या हुआ था, क्लॉज फोर्थ की पालना नहीं हुई थी। माननीय सभापति महोदय, उसकी पालना नहीं होने के कारण गवर्नमेंट ने उसको सस्पैण्ड किया था, लेकिन हाई कोर्ट में जाने के बाद वापस यह आदेश दिया गया कि—"The authorities pass a fresh order of suspension against the petitioner taking in view the provisions of sub-section (iv) of Section 38 of the Act of 1994

(श्री अमराराम चौधरी)

and this order would not come in their way. In other words, they are at liberty to pass a fresh suspension order."

मेरा यह निवेदन है कि उस प्रधान को जिसकी दराज के अन्दर ग्यारह हजार रुपये मिले, उसके हाथों में रंग मिला, ऐसे व्यक्ति को आप चेयर पर बैठा रहे हो। एम.एल.ए., एम.पीज. के पैसे से जो काम होते थे, वहां इस प्रकार के प्रधान परसेंटेज ले रहे हैं, उस व्यक्ति को आपने आज तक सस्पैण्ड क्यों नहीं किया? उसको नोटिस देकर बुलाकर आज ही आप सस्पैण्ड कर सकते हो, दो दिन बाद कर सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को चार महीने हो गये, ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति का न तो चालान पेश हुआ और न अभी तक उसको सस्पैण्ड किया गया। मेरा यह निवेदन है कि उसको सस्पैण्ड करना चाहिए।

आज मैंने अवैध खनन के बारे में कहा। मंत्रीजी ने कहा मेरे चैम्बर में आ जाना। मैं गया तो उन्होंने कहा यह तो ओवर लेपिंग हो गयी है। मैंने कहा अवैध खनन होने दो। माननीय सभापति महोदय, लगातार आठ साल से अवैध खनन हो रहा है। आप कह रहे हो पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। सरकार के पास खूब पैसा है लेकिन लीकेज हो रहा है। उस लीकेज को तो आप रोक ही नहीं रहे हो। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि उस लीकेज को रोकिये। आप ऐसा काम करो कि दुनिया हमेशा याद करे। Those who live for others, really live. जो दूसरों के लिए जीते हैं, वह हमेशा के लिए वास्तव में जिंदा रहेंगे। इस प्रकार का आप कोई काम करो उससे लोग आपको याद करें। दूसरा, ईमानदारी जरूरी है। Honesty is the first chapter in the book of wisdom. ईमानदारी है वह भी आपको रखनी चाहिए। आज मंत्रीजी यह कह रहे हैं क्या करें ओवर लेपिंग हो गया। इतनी पैनल्टी लगा दी। पैनल्टी क्या लगायी आप वहां बैठे हो। एक किलोमीटर आपके आफिस दूर हैं। आठ साल से अवैध खनन हो रहा है या तो आपको खान अलाट कर देनी चाहिए या आपका कोई न कोई मकसद होगा। इस बात का तो आप ध्यान रख नहीं रहे हो।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी बिराजमान हैं, गृह मंत्रीजी, एक भीरचंद कांस्टेबल (नम्बर 470) आपके जिला विशेष शाखा के अधीन बालोतरा में फील्ड वर्कर (एफ. डब्ल्यू.) तैनात था। इसकी ड्यूटी कस्बा बालोतरा में लगी हुई थी। हड़ताल, धरने व चुनाव इत्यादि का जिम्मा उसको दे रखा था। वहां पर कोआपरेटिव के चुनाव थे, वह चुनाव

(श्री अमराराम चौधरी)

की ड्यूटी पर था। यह नियम भी है कि कोई भी चुनाव की ड्यूटी पर हो और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को एक लाख रुपये देते हैं। कलक्टर ने यह चिट्ठी लिखी है, आपके पुलिस विभाग ने भी लिखी है लेकिन अभी तक उसके परिजनों को एक लाख रुपये नहीं मिला है। इसलिए विजिलेंस की बात कर रहे हो तो मेरा विनम्र निवेदन है...

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी, आप गृह मंत्रीजी को दे देना मिलकर अभी तो आप अपना भाषण कन्क्लूड करो, अभी दो वक्ता और हैं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : हां। खास तौर से यही मेरा निवेदन है। इसके अलावा फेमिन के जो कार्य चल रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : अकाल पर चर्चा हो तब बोल देना।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सभापति महोदय, आप और हमने राजसमंद को देखा है, उनका एक मिनी सचिवालय बनाया हुआ है और बहुत अच्छा कार्य है उनका लेकिन उनमें कोई भी आदमी दोबारा नहीं लगता है, बारी से आते हैं। उन्होंने इस प्रकार से डिवीजन कर रखा है। हमारे जिले में इस प्रकार का डिवीजन नहीं है। हमारे तो लगातार चलते हैं वो चलते ही रहते हैं इसीलिए सब की बारी नहीं आ

(17.52 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रही है। बाड़मेर जैसे क्षेत्र में जहां आप सब कह रहे हो कि भयंकर अकाल है, भयंकर अकाल है वहां मजदूरों की संख्या कर रहे हो एक लाख, कम से कम पौने दो लाख तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी चाहिए और कार्ड बनाने चाहिए। आज कई जिलों में दो महीने पहले लोगों के कार्ड बन चुके हैं।

डा. के. सी. चौधरी : अमरारामजी, वहां तो 30 हजार ही हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : हां। माननीय के. सी. चौधरीजी के क्षेत्र में जाने का काम पड़ा, जो गुमटियां बनी हुई हैं, आपके 11 दुकानें बनायी हैं वह तो हमने देखी लेकिन उनमें एक में भी काम नहीं चल रहा है। स्वर्ण जयंती की मेरे यहां भी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, 150 गुमटियां बेकार पड़ी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट आप मेरी बात सुन लो। हम चाहते हैं जितने माननीय सदस्य हैं सब बोलें लेकिन आप टाइम को रैगुलेट नहीं करने दो तो फिर सवाल ही नहीं है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : आप कहो तो अभी बैठ जाऊं मैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बस बैठ जाओ न, कृपा करो।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : काहे को एक मिनट, फिर बैठ जाओ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मेरा निवेदन है कि ये जो गुमटियां जगह-जगह बनी हुई हैं, ना तो कोई उस दुकान के अन्दर बैठ सकता है, पूरा 6 फीट का आदमी हो तो वह तो खड़ा ही नहीं रह सके। यह सारा पैसा बेकार गया है। कोई खास जगह जहां बिक्री होती है, हमारे सब्जी मण्डी पुराने बस स्टैण्ड पर है, वहां तो ठीक है 20 गुमटियां काम आती हैं लेकिन बाकी की जगह 150 गुमटियां कोई काम की नहीं हैं, सारा पैसा बेकार गया है। आप कह रहे हो पैसा नहीं है, पैसा है उसका यूटिलाइज सही होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपको बुलाऊंगा, बिराजो।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा से हम जनता दल के तीन सदस्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद आपको बुलाऊंगा।

श्री जीतमल खांट : हम तीन दिन से इंतजार कर रहे हैं। छोटे-छोटे सभी दलों के सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी गयी है, हमने क्या गुनाह किया है, हमें मौका क्यों नहीं दिया जाता है?

श्री उपाध्यक्ष : तीन दिन से तो इंतजार नहीं कर रहे, मेरे पास तो आज स्लिप आयी है और अभी आपको बुलवा दूंगा, बिराजो। श्री मांगीलालजी, बोलो।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में, स्वागत में मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री मांगीलाल गरासिया)

अकाल की भयंकर विभीषिका पूरे राजस्थान में है और 1987–88 से भी ज्यादा यह भयंकर है। परिणाम यह है कि विगत 100 वर्षों के अन्तराल में वर्षा का औसत जितना कम रहा है उतना कभी नहीं रहा। वर्षा के इस कम औसत से सभी तरफ से समस्याएं हैं, चाहे कृषि जगत में हो, पानी की समस्या को लेकर हो, चारे की समस्या को लेकर भी राजस्थान में भयंकर स्थिति पैदा हुई है। तीन और चार तारीख को अकाल पर विशेष चर्चा होगी इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन मैं कुछ कंकरीट बातें बताना चाहूंगा।

चारे, पानी और अकाल के कुशल प्रबंधन में अपनी उदार, खुली स्पष्ट नीति, केन्द्र सरकार के अल्प सहयोग के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने बिलकुल खुले दिल से राहत कार्यों को प्रारम्भ किया है। इस अकाल की विभीषिका में 4 करोड़ 48 लाख लोग और 4 करोड़ 52 लाख पशुधन प्रभावित है। पूरे राजस्थान में 40990 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। अकाल राहत मंत्री महोदय ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 16 अगस्त, 2000 से काम शुरू करके राजस्थान की सुध लेने का काम किया है। यह एक अनूठा उदाहरण राजस्थान में है।

यही नहीं, कांग्रेस की सरकार ने 4210 चारा डिपो खोलकर राजस्थान में प्रभावित पशुधन को बचाने का काम किया है, यह भी एक अनूठा उदाहरण हमारे राजस्थान के लिए है। इसके साथ ही चारा परिवहन, पशु शिविर और गौशालाओं की अनुदान दरों में बढ़ोतरी करके पशुधन को बचाने का काम जिस गति से किया जा रहा है, उससे आने वाले समय में भी बड़ा सहयोग राजस्थान की सरकार ने 40990 गांव जो अभावग्रस्त घोषित हैं और 4 करोड़ 52 लाख पशुधन जो प्रभावित है, उनको राहत मिल सकेगी।

पानी की समस्या की जहां बात आयी है उसमें इस समय बड़ी-बड़ी नदियां और नाले जिस प्रकार बहा करते थे वह अवरुद्ध होकर आज यह देखने को मिला है कि 3177 गांव और ढाणियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है और उसमें भी 3798 टैंकरों द्वारा पेयजल की सप्लाई कर राजस्थान सरकार कटिबद्ध है और रेल के माध्यम से भी पानी सप्लाई करने की प्रक्रिया को लेकर पूरे एरिये में एक शांति का वातावरण कायम किया है। सरकार ने जहां पर गाड़ी जा सकती है वहां पर हैण्ड पम्प खुदवा करके भी उन एरियाज और ढाणियों को राहत देने का काम किया

(18.00 बजे)

है। मैं निवेदन करूंगा जहां पर 1100 ट्यूबवैल और नौ हजार नये हैण्ड पम्प खोदकर जन-जन पानी की प्यास बुझाने

(श्री मांगीलाल गरासिया)

का काम राजस्थान में करने का एक कृत संकल्प कार्य का एक अनूठा उदाहरण कांग्रेस की सरकार का रहा है। भू-जल विभाग द्वारा 1086 नलकूपों द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां लोग खेली खोदकर पानी पीते हैं वहां पर नदी नालों के किनारे राजीव गांधी पेयजल मिशन के जरिए उस एरिये को पानी पिलाने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। साथ ही एस.सी. और एस.टी. के कृषकों के निजी कुओं को, 2992 कुओं को गहरा करने का प्रावधान कांग्रेस सरकार ने हाथ में लिया है। वह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। 32453 कुएं एवं बावड़ियों, जल स्रोतों के पुनरुद्धार कार्यक्रम को स्वीकृत करके, एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है और इस प्रकार के कामों से भारत सरकार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूरे हिन्दुस्तान में जल स्रोतों के रूप में पुनरुद्धार कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेकर यह काम लागू किया है।

पानी की ज्वलंत समस्या को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 68.39 करोड़ रुपये और सभी राजीव गांधी स्कूल्स और आंगनबाड़ी केन्द्रों के सामने हैण्ड पम्प बनाकर बच्चों और बस्तियों के लोगों को पानी पिलाने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। विगत टाइम बरसात का औसत कम हुआ है जिसके कारण 40990 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। साथ ही 4.48 करोड़ जनसंख्या और 4.52 करोड़ पशुधन सूखे से पीड़ित हैं। इस संख्या को देखते हुए कभी-कभी गांव और ढाणियों में गुमराह करने के लिए भाजपा के कई भाई बात करते हैं तो मुझे दु:ख होता है। वे कहते हैं कि सरकार कांग्रेस की आयी है इसलिए बरसात नहीं हो रही है। दो सौ विधायकों में से 35 विधायक भाजपा के हैं। हमारे यहां हमारी भाषा में लोग बात करते हैं कि दो सौ में से 35 जणा हो एम.एल.ए. माहूं जनता पार्टी रा हैं। कदी-कदी गांवों में जनता पार्टी रा एम.एल.ए. बात करै हैं कि कांग्रेस आवणाहूं काल परै तो मूं उणाई यौ कहवों चाहूं कि कांग्रेस रा एम.एल.ए. जीतां हैं भाई औठे तो मेह नहीं बरै पर जनता पार्टी रा थमां थमां भाई जीता हों, औठ तो मेह परौ बहरावो। जनता पार्टी रा एम.एल.ए. जीता हौ औठ काल हिनां परवा दियो। थमों तो मेह लावणां वाला हो।

अनेक माननीय सदस्य : हिन्दी में समझाओ।

श्री मांगीलाल गरासिया : यह एक बहुत बड़ी बात है। माननीय सदस्य ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं।

तो मैं यह कहूंगा कि जब हम एरिये में जाते हैं तो बातें करते हैं कि कांग्रेस सरकार के आने की तो हमें कोई दिक्कत

(श्री मांगीलाल गरासिया)

नहीं हैं परन्तु भाजपा के सदस्य जहां से जीते हैं वहां तो बरसात करवा देते तो हम यह मान लेते कि वहां तो सत्य पुरुष हैं वहां तो पानी बरसना चाहिए। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख इस बात का होता है कि ग्रामीण अंचल में कई भाई इस प्रकार की बातें करके अनहोनी हरकतों को लाकर खड़ा कर देते हैं। यह अशोभनीय बात है यह ठीक नहीं लगता।

दूसरा, चारे और पानी की बात आयी और इससे साथ-साथ अनाज की भी बात आयी। अनाज के मामले में राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान में एक अनूठा उदाहरण पेश करते हुए हर गांव और जो रेवेन्यू विलेजेज हैं वहां पर दो बोरी, अर्थात् दो क्विंटल गेहूं रखने का काम जिस मकसद से किया लगता है कि वहां पर जो असहाय भाई रहने वाले हैं उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने 6115 करोड़ रुपये का अन्तरिम ज्ञापन अगस्त, 2000 में केन्द्र सरकार को देने के बाद दूसरा 7599.76 करोड़ रुपये का संशोधित ज्ञापन अकाल राहत का जायजा लेने आये केन्द्रीय अध्ययन दल को देने के बाद भी बहुत कम पैसा राजस्थान की सरकार को दिया। इससे कई तरह की तकलीफें राजस्थान में पैदा हुई हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि प्रत्येक गांव में दो क्विंटल गेहूं रखने, पंचायत पर गेहूं रखने और तहसील मुख्यालय पर रखने के बाद राजस्थान सरकार ने अपने संकल्प को दोहराते हुए असहाय और तकलीफ में रहने वाले भाइयों को पूरा अनाज देने का काम किया है। इसके साथ ही 3.50 लाख असहाय/कमजोर व्यक्तियों को चिन्हित करके 50 किलो गेहूं और तीस रुपये नकद भुगतान करने की बात राजस्थान सरकार ने की है। पोषाहार कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केन्द्रों से लाभान्वितों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 की है। इससे भी बहुत बड़ी राहत एरिये को मिली है।

अन्त्योदय योजना में बी.पी.एल. परिवारों को दो रुपये के हिसाब से 35 किलो गेहूं और तीन रुपये के हिसाब से 56 किलो गेहूं प्रति परिवार के हिसाब से तीन लाख बहत्तर हजार छह सौ परिवारों को उपलब्ध करवाकर सराहनीय कार्य किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज गांव और ढाणियों में पूरी कुशलता है भाजपा के कई साथियों ने विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के कोटड़ा जैसे अंचल में भूख से मरने की बात को बड़े जोर शोर से कहा और आदिवासी भाइयों को अनशन पर बैठाने का काम जिस प्रकार से किया और कहा कि वहां के भाई मरे हुए पशुओं को खाने का काम कर रहे हैं। मुझे कहते हुए दुःख होता है कि इस प्रकार की ओछी हरकतें जहां पर आ जाती हैं वहां पर मानवता खतम हो जाती है

(श्री मांगीलाल गरासिया)

और इंसानपना नहीं रहता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की असत्य और बेकार बात करके उस एरिये के साथ जिस प्रकार का कुठाराघात किया जा रहा है, यह एक अच्छी बात नहीं है।

राजस्थान सरकार के बिजली के मामले में भी ठोस प्रयासों के फलस्वरूप चार वर्षों में राज्य का विद्युत उत्पादन 3356 मेगावाट से बढ़ाकर 4564 मेगावाट हुआ। जिसका अन्तर 1208 मेगावाट है। यह ग्राफ बढ़ा है। बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह को उत्पादन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्वर्ण पदक के लिए भारत सरकार ने चुना। यह भी एक अनूठा उदाहरण है।

इसके साथ-साथ मैं थोड़ा निवेदन करूंगा कि राज्य में विद्युत की गुणवत्ता में सुधार हुआ है वहीं विद्युत तंत्र के विस्तार हेतु राजस्थान सरकार ने 220 के.वी.ए. के चार नये सब स्टेशन, 132 के.वी.ए. के 21 सब स्टेशन और 33 के.वी.ए. के सौ सब स्टेशन स्थापित करने में भी सकारात्मक सहयोग राजस्थान सरकार का रहा है। मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारे बीच में बैठे ऊर्जा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, पी.एच.ई.डी. मंत्री जी और सभी मंत्रीगणों को कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में भी आपने 132 के.वी.ए. का ग्रिड स्टेशन स्थापित कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। मैं कांग्रेस सरकार का इसके लिए हृदय से हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं और यह भी कहूंगा कि 33 के.वी.ए. का ग्रिड स्टेशन कमोल मादड़ी का हुआ है और गौगरूंद, कोटडा अंचल में बनना अभी बाकी है। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी विराज रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत जल्दी 33 के.वी.ए. का ग्रिड स्टेशन हमारा गौगरूंद, देवला में कोटड़ा में जगह भी ले रखी है, वहां पर आप बना देते हैं तो उस आदिवासी एरिये के अंचल के उद्धार का काम आपके हाथों और आपके माध्यम से हो जायेगा।

उसके बावजूद हमारे तत्कालीन और वर्तमान ऊर्जा मंत्रीजी ने पानी के माध्यम से, कोयले के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ ही धरती पर जितने काम थे वह करने का काम किया। फिर सौर ऊर्जा के माध्यम से भी ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में आपका जिस प्रकार का सराहनीय योगदान है। इससे भी हमारी जो दूर-दराज और बिखरी गांव की ढाणियां हैं, उनमें भी सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से, क्योंकि बिखरी आबादी है, वहां पर एक-एक तार लाइन नहीं जा सकती तो सौर ऊर्जा के माध्यम से बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। इसलिए मैं तो माननीय ऊर्जा

(श्री मांगीलाल गरासिया)

मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आने वाले बजट सत्र में भी आप सौर ऊर्जा के माध्यम से ज्यादा पैसा राजस्थान सरकार को आबंटन करने का करेंगे तो बहुत बड़े अंचल के आदिवासियों के उद्धार का काम होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो थोड़ी बात कहूंगा। ज्यादा नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कह दी न।

श्री मांगीलाल गरासिया : थोड़ी सी बात और रह गयी है वह भी जोड़ते हुए जल्दी कहने की कोशिश करूंगा।

जहां तक सड़कों का प्रश्न है पूरे राजस्थान के लिए हमारे दूर–दराज के गांव और ढाणियों में जहां पर कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि वहां गाड़ी भी जाएगी और उसमें कच्ची सड़कों को भी उन गांव और ढाणियों तक पहुंचाने का काम राजस्थान सरकार ने अकाल के माध्यम से, अकाल राहत मंत्री जी के सान्निध्य से हुआ है। आज उन गांव और ढाणियों में गाड़ियां पहुंचती हैं तो लोग बड़े हर्षित होते हैं कि इस तरह के काम और कभी नहीं हुए जो चार वर्षों में बना करके उन गांवों का उद्धार होने का मौका मिला। एक सड़कों का जाल बिछा है।

राज्य में 2001 की जनगणना के अनुसार एक हजार से अधिक आबादी के गांव और पंचायत मुख्यालयों को जिस तरह सड़कों से जोड़ा है और 2003 तक इनको अपने हाथ में ले करके पूर्ण करने का काम कहीं कहीं जो अच्छे तरीके से हुआ है और उसके साथ ही पचास से सौ 2007 तक जोड़ने का है। 2002 तक 400 करोड़ की लागत से एक हजार उन्नतीस गांवों को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान हुई है। 2001 की जनगणना के आधार पर एक हजार से अधिक आबादी, 1609 गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 730 करोड़ रुपये की परियोजना का पूरे राजस्थान ने पूरे हिन्दुस्तान में निर्माण कार्य में प्राथमिकता दी है वह भी एक अनूठा उदाहरण है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के संदर्भ में भी मैं निवेदन आपसे करूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष : अब तो मेरा निवेदन सुन लो आप।

श्री मांगीलाल गरासिया : कांग्रेस सरकार के क्रांतिकारी कदम के माध्यम से गांव का पानी गांव में और खुड़ का पानी खुड़ में, पानी रोकने का काम एनीकट और डैम के माध्यम से बना है वह भी एक अच्छा प्रोग्राम राजस्थान में हुआ है। नर्बदा नहर सिंचाई परियोजना से जालौर के सौ गांव और बाड़मेर के त्रेसठ गांव पेयजल के लिए और गंग नहर, गंग एवं उसकी सहायक नदियों के...

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमलजी। बिराजो प्लीज।

श्री मांगीलाल गरासिया : अधिकाय और बीसलपुर के इस अंचल का भी तो मैं निवेदन करूंगा। शिक्षा जगत में भी आमूलचूल परिवर्तन राजस्थान सरकार ने किया है। मैं इस मौके पर ज्यादा नहीं बोल कर धन्यवाद देते हुए महामहिम के अभिभाषण का स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा): उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के मुखारबिन्द से सरकार के तीन चार साल के कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं को जिस ढंग से इस पवित्र सदन में बखान किया गया है, मैं पूर्णतः उस विचार से सहमत नहीं हूं। पुरजोर शब्दों में विरोध भी करता हूं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से लुभावने नारे दे करके प्रथम अधिवेशन में यह कहा गया था कि राजस्थान के अन्दर हमारी पार्टी आने पर हमारा सुशासन का शुभारम्भ होगा और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अन्त होगा। यह पंक्तियां हमारे राजस्थान के ग्यारहवीं विधान सभा के पहले अभिभाषण में पढ़ी गयीं थीं। तब हमारे दिलो-दिमाग में एक बात सामने आयी थी कि राजस्थान की जो सरकार है, युवा मुख्य मंत्री जिन्होंने एक संकल्प व्यक्त किया है कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, आठ घंटे तक बिजली मुहैया कराने के लिए, कृषि कनेक्शन में जो दुविधा आ रही है, उसको दूर करने के लिए, कम दर पर घरेलू कनेक्शन देने के लिए, शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए, युवाओं के भविष्य के साथ न्याय करने के लिए इत्यादि-इत्यादि, इन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के नारे दिये थे और जिसकी बदौलत पूरे राजस्थान भर में जनता ने उन्हें स्पष्ट बहुमत दिया। आज इनका चार साल का कार्यकाल समाप्ति की ओर है और वह पांचवां हमारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का हम यहां इस पवित्र सदन में तर्क-वितर्क कर माननीय सदस्यगण अपने-अपने अनुसार महत्वूपर्ण सुझाव दे रहे हैं।

मैं सबसे पहले इस अभिभाषण में जो प्रमुख रूप से बात उभर कर सामने आयी है अकाल की विभीषिका और अकाल की...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय कम है। अकाल पर मैं तीन चार तारीख को और बुला दूंगा। आप इसको छोड़ दो और दूसरा कोई बोल लो नहीं तो समय खतम हो जायेगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अकाल पर तो आपको दो रोज मिल रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात को शिरोधार्य लेता हुआ अपनी छोटी सी बात अकाल पर कहना चाहूंगा कि अकाल के अन्दर 16 अगस्त से जिस तरीके से राहत कार्य शुरू करने की बात यहां सदन में बतायी जा रही है मैं भी इस बात के पूर्णतः समर्थन में हूं कि वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया 16 अगस्त से काम शुरू करके। जो लोग पीड़ित थे उनको राहत देने का काम किया लेकिन मैं हमारे गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्य पंचायत के अन्दर एक काम खोला गया है, कहीं दो काम खोले गये हैं, मजदूरों की संख्या 30 या 40 है। आज यह हालत है कि गांवों में भाईचारा न रहकर भाई-भाई आपस में लड़ रहा है मजदूरी पर लगने के लिए। लोग जिस तरीके से भारत पाकिस्तान की कश्मीर के अन्दर लड़ाई लड़ते हैं वैसे आज भाई-भाई के बीच में जहर घोला जा रहा है। भाई-भाई आपस में लड़ रहा है। एक वार्ड का आदमी दूसरे वार्ड में नहीं जा रहा है। दूसरे वार्ड का आदमी तीसरे में नहीं जा रहा है, यह हालात पैदा हो रहे हैं। अकाल राहत मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि लेबर सीलिंग जो बहुत ही कम है उसे बढ़ाया जाये। क्योंकि हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर का इलाका गुजरात की सीमा से सटा हुआ है और मैं यह कह सकता हूं कि वहां पर तकरीबन पांच लाख लोग गुजरात को पलायन कर गये हैं। गुजरात के अन्दर कई अनहोनी घटनाओं के सामने उन्हें जीना पड़ता है। कई ऐसी घटनाएं आये दिन होती हैं। वहां पर कइयों के साथ मार-पीट होती है। एक, दो ऐसे भी हादसे हुए हैं जिनमें कत्ल हुए हैं। अपनी रोजी-रोटी के लिए जो लोग पलायन करते हैं और वहां पर इस तरह की अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है।

मैं इसी तर्ज पर एक बात कहना चाहूंगा कि दिनांक 7.1.2003 को मेरे विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की ग्राम पंचायत रोहनिया का निवासी जिसका नाम अबजी, आदिवासी, उम्र 40 वर्ष पत्नी पूंजीदेवी उम्र 35 वर्ष, 11 वर्षीय पुत्री, 8 वर्षीय पुत्र और 4 वर्षीय पुत्री, इन तीनों चारों को लेकर मजदूरी हेतु गुजरात सूरत के पास में काम कर रहा था। सात दिन तक वह उस इलाके के अन्दर अपनी रोजी-रोटी के अभाव में घूमता रहा। दो-चार दिन बाद में कहीं जाकर उसके हाथ में रोजगार लग गया। अब होता यह है कि मजदूरी पर लगे दो दिन ही हुए थे कि उस अबजी प्रार्थी की पत्नी बीमार हुई और बीमार होने के बाद अकस्मात उसकी मौत हो जाती है। अब उस प्रार्थी के पास पैसा कौड़ी कोई नहीं मिली, अपने दो बालकों को लेकर लाश को वहीं छोड़कर अपने घर

(श्री जीतमल खांट)

को चला आता है। आकर घर परिवार वालों को अपनी सारी दास्तान सुनाता है और कहता है कि मेरी पत्नी वहां पर इस हालत में मौत के काल में समाहित हो गयी है, उसको लेने के लिए आपको चलना पड़ेगा। घर परिवार वालों को सूचना देकर जब वहां पहुंचता है तो उस बाई को वहां का पुलिस प्रशासन लावारिस समझकर उसका दफन कर देता है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो अकाल को विकास में बदलने की बात बड़े जोर-शोर से की जा रही है, मैं मेरे क्षेत्र की बात कह रहा हूं। इस तरह की घटना एक नहीं, अनेक ऐसी घटनाएं आये दिन घटती रहती हैं। अभी हमारे सागवाड़ा से जीतकर जो माननीय सदस्य आये हैं उनके क्षेत्र की मैं एक घटना बताऊं। सूरत के आस-पास में मजदूरी करके सड़क के किनारे कहीं सोये हुये होंगे, अकस्मात जीप आई और पांच लोगों को कुचल दिया। इस तरह की घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय अकाल राहत मंत्रीजी यहां बैठे हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अन्दर जिस तरह की लेबर सीलिंग आप लोगों ने कम कर रखी है वह अधिक से अधिक सीलिंग बढ़ायी जाए। क्षेत्र के अधिकांश लोग गुजरात में पलायन कर गये हैं, बहुत कम लोग बचे हैं। बचे हुए लोगों के रोजगार की व्यवस्था कराएं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इस मौके पर एक बात और कह देना चाहूंगा कि अध्यापकों के अभाव में कई सारी स्कूल नदारद पड़ी हुई हैं। शिक्षा में हमारे राजस्थान का ग्राफ ऊंचा जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ हमारी शिक्षा का जो गुणात्मक स्तर है, ढांचा है, वह कहीं न कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है। आदिवासी अंचल में अधिकांश चाहे मिडल स्कूल हो, चाहे सीनियर सैकण्डरी है, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, शिक्षकों का अभाव होने की वजह से हमारे बच्चों के लिए वर्तमान शिक्षा वरदान की बजाय अभिशाप सिद्ध होने की स्थिति में है। मैं इस सदन के माध्यम से चाहूंगा कि बागड़ क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं, आज राजीव गांधी पाठशाला की बात करते हैं कि इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन कई इलाकों में राजीव गांधी पाठशाला का भवन नहीं है, पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं हैं, बैठाने के लिए कोई जगह नहीं है, दरी पट्टी नहीं है, ऐसी हालत में भी हमारे बालकों का भविष्य बिगड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि उन बालकों के प्रति हमारी सरकार थोड़ी संवेदनशील बने। अन्यथा राजीव गांधी पाठशालाओं का हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय का हो, जहां भी शिक्षकों का अभाव है, यह बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और

(श्री जीतमल खांट)

एक भी बालक दसवीं कक्षा पास नहीं कर पायेगा ऐसे हालात पैदा होंगे। हमारी शिक्षा के गुणात्मक सुधार की हम जब बात करते हैं, यह हमारे लिए बहुत दूर की बात हो जायेगी और वही सातवीं, आठवीं पास करने के बाद आने वाली युवा पीढ़ी को मजदूरी के लिए गुजरात के हालात देखने पड़ेंगे। सरकार इस ओर विशेष ध्यान देकर जिन विद्यालयों में इस तरह के हालात बने हैं उनमें कुछ सुधार किया जाए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि नन्हे-मुन्ने बालकों को मिड-डे-मील (घूघरी) का एक सिस्टम चला रखा है। जब आपके और हमारे बच्चे काजू और बादाम खाते हैं और इन गरीब बालकों को सात-आठ साल के पड़े हुए गेहूं को उबालकर खिलाते हैं, तो इनको किस तरीके का स्वाद आता होगा, इनके पेट में किस तरह की पाचन क्रिया होती होगी, इस सदन में हम लोगों को ऐसी बातों पर

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चिंतन और मनन करना चाहिए। ये कुपोषण के धीरे-धीरे शिकार होते जाएंगे। जो हमारे बच्चों का मानसिक सोच सुधरना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, वह न होकर गर्त की ओर धकेलने का आप प्रयास कर रहे हैं।

हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर में विद्युत की बड़ी दयनीय स्थिति है। आज विद्युत के नाम पर बहुत बड़ा ढिंढ़ोरा पीटा जा रहा है कि हमने विद्युत में रिकार्ड तोड़ उत्पादन कर दिया। मैं मानता हूं कि रिकार्ड तोड़ उत्पादन किया है लेकिन पिछली सरकार में बी.पी.एल. परिवार में पचास रुपया देकर घर में कम से कम एक लट्टू जलता था, पचास रुपया महीने का वसूल करते थे। दूसरों का तो ठीक है दो सौ रुपया, बी.पी.एल. परिवार में बिजली की जो रोशनी जगी थी पचास साल के दरम्यान वह रोशनी भी खतम हो गयी। जो रिकार्ड तोड़ उत्पादन आपने किया उसका आखिर यह क्या हुआ। जहां गरीब के घर में पचास साल के दरम्यान एक लट्टू जला था वह भी आज बुझ गया। मैं चाहूंगा जो सरकार है, पक्ष हो, विपक्ष हो लेकिन गरीबों के प्रति कुछ हमदर्दी पैदा करके, पचास साल से जिसके घर में उजाला नहीं हुआ था उस घर के अन्दर अगर उजाला लाएंगे, रोशनी लाएंगे तो निश्चित रूप से हम समझेंगे कि गरीबों के साथ में हमारी कोई नयी आजादी आयी है, ऐसा मैं महसूस करूंगा।

बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अन्दर सरकार के माध्यम से चुनाव के पूर्व यह बात कही गयी थी कि आगामी तीन वर्षों

(श्री जीतमल खांट)

में प्रदेश के सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। किसी गांव के विद्युतीकरण में सबसे पहले बिजली अनुसूचित जाति के मौहल्लों में पहुंचायी जायेगी और गांवों का विद्युतीकरण इसके पश्चात् ही माना जायेगा। जब इस तरीके से सरकार के एजेंडे में लिखा हुआ था तो आखिरकार हमारे साथ में, गरीब जनता के साथ में धोखा हो रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारी पारदर्शी, जवाबदेही, संवेदनशील सरकार है, गरीब के साथ में न्याय करे। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए इसके विरोध में अपनी बात को प्रकट करते हुए, जयहिन्द, जयभारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव जी। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करेंगे मैं तो बहुत कम बोलता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पूरे 15 मिनट आपको दूंगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ठीक है। 15 मिनट में पूरा कर लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया अभिभाषण जो इस सरकार के असत्य का एक बड़ा चिट्ठा मान लिया जाए तो कम नहीं है। आज जितने भी हमारे सत्ता पक्ष के विधायक हैं वह भाषण दे रहे हैं, यह तो वैसे ही है कि तम्बूरे का एक तार जिस स्वर में बोलता है बाकी तार भी उसी स्वर में बोलते हैं। उसी में ही तुनतुनी बजाते हैं। यह कोई विशेष बात नहीं है। एक बात और है, शेखावटी में कहावत है, "आ रे मेरे सप्पमपाट, मैं तने चाटूं तू मने चाट।" खुशामद वाले शब्दों के अलावा और क्या है। मैं कहूंगा एक शेर में लिखा है, जो सत्ता पक्ष के ऊपर सीधा-साधा आ रहा है

"कौम में रहबर हो गये सब के सब दलाल,
कोशिश करते बस यही आये कहीं से माल"

इस अभिभाषण में और कुछ है क्या, आप बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : यह कौन लिखता है आपके लिए?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह गजल शायर ने लिखी है, मैं तो शेर पढ़ता हूं। कुछ कविताएं खुद भी लिखता हूं, लेकिन यह तो मेरी नहीं है।

डा. महेश जोशी : भाषण कौन लिखता है यह बताएं आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : फिर सुन लीजिए–

"कौम में रहबर हो गये सब के सब दलाल,
कोशिश करते बस यही आये कहीं से माल
जो इनमें फंस गया राह पर वह नहीं आ सकता,
बड़े चक्कर की बाते हैं मंजिल वह नहीं पा सकता।"

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इतने बहुमूल्य सुझाव आ रहे हैं और ट्रेजरी बैंच में कोई नोट नहीं कर रहा है। यह दुबारा कभी मिलेंगे इस तरीके से, नोट तो करिये यह बातें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें, माननीय सदस्य। पार्लियामेंटरी मिनिस्टर बैठे हैं उसके बाद क्या नोट की बात कर रहे हो।

एक माननीय सदस्य : ध्यान ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उनका इतना ध्यान है कि आपको पता ही नहीं है।

श्री देवीलाल बैरवा : आ रे मेरे सप्पमपाट, मैं तने चाटूं तू मने चाट, यह बहुमूल्य है?

श्री उपाध्यक्ष : बैठे, बैठे देवीलालजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह अभिभाषण पिछले वर्ष का है उसको और इसको यदि कम्पेरेटिवली देखे तो यह अभिभाषण में जो तीन शब्द थे हमारी सरकार के प्रिय शब्द जवाबदेह, संवेदनशील और पारदर्शी ये वैसे ही गायब हो गये, नये अभिभाषण में वह तीनों शब्द नहीं हैं। जैसे हमारे चरित्र में चार साल में फर्क आया है वैसे ही यह तीनों शब्द गायब हो गये हैं। पण्डित नेहरूजी के समय तीन शब्द हुआ करते थे "समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार" और आज कोई भी कांग्रेस का नेता राष्ट्रीय या प्रादेशिक या जिले का कोई भी समाजवादी अब नहीं कहता है कि समाजवाद लाएंगे क्योंकि अब इन कांग्रेसी नेताओं के लिए यह समाज बाद में और पहले मैं है। अब जब पहले मैं हो गया तो वह तीनों शब्द यहां भी गायब हो गये। न पारदर्शी रहा, न संवेदनशील रहा और न जवाबदेह रहा। लेकिन मैं कुछ कंक्रीट सुझाव आपको दूंगा। आपने अभिभाषण से कुछ दिन पूर्व दोनों योग्य उप मुख्य मंत्री बनाये हैं, मैं उनको योग्य कहूंगा, चौधरीजी, मेरे ब्यावर जन्म स्थान के, आप सुनें। दो उप मुख्य मंत्री बनाये, योग्य हैं लेकिन दो ही क्यों बनाये? आपको अभिभाषण तो जिताएगा नहीं, अभिभाषण की जो कलई है वह तो जनता के सामने पहले ही खुल गयी है तब जीतोगे क्या? दो उप मुख्य मंत्री बनाये हैं, एक बनाया है जाट, एक बनाया है बैरवा, खुशी की बात है। लेकिन जितने यहां कांग्रेस के विधायक हैं, उनमें आप बनाएं, तो आपने कसर क्यों रखी है? हर जाति से एक-एक बनायें। आप किसी बनिये में से उप मुख्य मंत्री बनाएं, आप किसी विश्नोई में से एक उप मुख्य मंत्री बनाएं। यदि

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बनाते हैं तो हमारे राजपूत उप मुख्य मंत्री बनाएं, हमारे खेतसिंहजी को बनाए या शक्तावत जी को बनाए, आप किसी गुर्जर में से बनाए, किसी मीणा में से बनाए, यहां बैठने वाले हमारे एक नायक विधायक हैं उनमें से बनायें। हमारे एक भाई सिख हैं उनमें से बनाए। अभी हमारे जैसे ओसवाल, कोई खण्डेलवाल, कोई अग्रवाल, कोई पल्लीवाल हों, उनमें से बनाए। आप बनाते हैं तो दिगम्बर और श्वेताम्बर में से किसी को बनाए। आप बनाते हैं हमारे खटीक भाई, हमारे धाकड़ भाई विधायक यहां बैठे हैं हमारे जिले के ही बैठे हैं खटीक भाई रमेशजी खींची, किसी को बनाए, आप बनाते हैं तो किसी पंजाबी को किसी सिन्धी विधायक को भी उप मुख्य मंत्री बनाए, आप किसी मुसलमान, गरासिया को, गौंडा को, भील को, लबाना को, एक-एक सब जातियों में से बनाए। मेरा यह सुझाव है, कितना बढ़िया सुझाव है। माननीय खेतसिंहजी कितना बढ़िया सुझाव है।

श्री रमेश खींची : शिड्यूलड कास्ट का बन गया उप मुख्य मंत्री...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक-एक उप मुख्य मंत्री बनायेंगे तो आपको वोट ज्यादा मिलेंगे यह मेरा सुझाव है। अब सकारात्मक सुझाव ज्ञानदेव आहूजा, माननीय सदस्य का वह भी आपको मंजूर नहीं हो तो आपकी इच्छा है।

डा. महेश जोशी : यह आपके अनुभव पर आधारित है क्योंकि आपने एक ही उप मुख्य मंत्री बनाया था, आप 33 रह गये। आप यही करना चाह रहे हो न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने आपको सुझाव दिया है। इतने सारे उप मुख्य मंत्री बनायें। हमारे कई वक्ता बोले हैं कि कांग्रेस आयी तो काल पड़ा, अशोक गहलोत आया तो अकाल पड़ा। देखिये राशि का मेल है, हमारे सदस्य भी कुछ ठीक से व्याख्या नहीं कर पाये। माननीय जोशीजी, आप सुन लें, आपके लिये है। उपाध्यक्ष महोदय, राशि का क्या मेल है।

डा. महेश जोशी : अटलजी की भी वही राशि है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सुनिये, सुनिये, वह राजथान के नहीं हैं।

डा. के. सी. चौधरी : दिल्ली में हो तो राशि बदल जाती है...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : राशि का ही हो तो राजस्थान भी देश का हिस्सा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अटलजी आ रहे हैं, अटलजी आ रहे हैं।

डा. महेश जोशी : राजस्थान भी देश का हिस्सा है।

डा. के. सी. चौधरी : अकाल भी पूरे देश में है....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अटलजी भी आ रहे हैं, अटल जी भी आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो, बोलने दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अटलजी आ रहे हैं राशियों में, राशियों का मेल है, पण्डितजी की कृपा से, इंदौरिया जी कृपा से, राम हुआ तो रावण हुआ, कृष्ण हुआ तो कंस हुआ, अटल हुआ तो इंदिरा हुई। वह अलग बात है कि दुर्भाग्य से माननीय इंदिराजी स्वर्गीय हो गयीं, अटल हुआ तो इंदिरा हुई, अटलजी का नाम भी आता है, कांग्रेस आयी तो काल हुआ, अशोक गहलोत आया अकाल हुआ, भाजपा आयी तो बादल आये, तीन सीटें क्या जीती तीन बार बरसात और अब 150 सीटें जीतेंगे तो 150 बार बरसात होगी। यह राशियों का मेल है और आप और हम राशियों को मानते हैं। पण्डित जी आप भी राशि को मानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय भी मानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में 40990 गांवों को अभावग्रस्त कहा है। अब अभावग्रस्त कहने के बाद व्यवस्था कैसी की है यह अकाल के दिन बोलेंगे। लेकिन यह बात तो तय है कि आज कांग्रेस के विधायक भी, मैं गया हूं जब अकाल राहत मंत्रीजी के पास में, उनसे बात करने, आठ-दस विधायक दनदनाते हुए आये, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि व्यक्तिगत उनके आफिस की थी लेकिन वह दनदनाते हुए आये कि हमारे यहां अकाल में श्रमिक कम लगाये हैं और श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है। इसके बारे में अकाल में और व्याख्या करके बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यहां आंगनबाड़ी केन्द्रों की बात आयी, आंगनबाड़ी केन्द्रों की बिल्डिंग बन रही है, केन्द्र से 90 परसेंट भेज दिया, एक लाख अड़तीस हजार उसमें से विधायक के पास मुख्य मंत्रीजी का पत्र आता है कि 13 हजार आप दें, अब हम विधायक कोटे से पैसा लगायें। कम्प्यूटर के लिए पत्र आता है कि आप पैसा दें। विधायक कोटे से पैसा दें। आपने तो 10 परसेंट और 25 परसेंट लगाने के लिए भी दुश्वार नहीं समझा। पेंशन बंद कर दी, आपने आंगनबाड़ी केन्द्रों की बिल्डिंग नहीं बनायी, आपने कम्प्यूटर लगाने में पक्षपात किया। जो कुछ हुआ, पोषाहार केन्द्रों का भी दुर्भाग्य, रो रहे हैं। आप जरा जाइये पोषाहार केन्द्र की हालत गांवों में क्या है, आप खुद विधायक हैं, सारी केन्द्र की मदद है, जितने भी यहां बैठे हैं,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

माननीय सदस्य, पोषाहार केन्द्रों की क्या हालत है।

बिजली की जो बातें करते हैं, वह तथ्य कोई नहीं लाया जो मैं लाया हूं। अभी बानसूर में चुनाव हुआ, वहां 17 मंत्री और 50 एम.एल.ए. कांग्रेस के सत्ता पक्ष में बैठे हुए गांव-गांव गये। कम से कम यह तो देखा कि दुःख दर्द क्या हैं, वैसे तो गांव में जाते नहीं हैं कांग्रेस के विधायक, सत्ता पक्ष के लोग, लेकिन गये और वहां पर ट्रांसफार्मर खराब हुआ, दूसरे दिन आ गया क्योंकि चुनाव था, खराब हो गया तीसरे दिन आ गया। लेकिन महीने-महीने, दो दो महीने आप लोगों के यहां भी ट्रांसफार्मर किसी के यहां नहीं पहुंचते यह सत्य है कि नहीं है? आप बता दें। कम से कम मैं अपने जिले की बता रहा हूं, मैं तो दादागिरी कहेंगे या हिम्मत कहेंगे या मेरा डर कहेंगे, जो भी हो, मैं वह नहीं कहता लेकिन अधिकारी मेरे प्रभाव से या डर से तीसरे, चौथे दिन पहुंचा देते हैं लेकिन कांग्रेस के विधायक यहां बैठे हैं वह +++ नजर आते हैं कि उनके डेढ़-दो महीने ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, एक बात बताऊं, डर आपका नहीं, आपकी मूछों का है। आपकी बड़ी कृपा होगी बीच-बीच में बाकी कांग्रेस के विधायकों को भी आप अपनी मूछें उधार दे दें तो उनका भी काम चलता रहे और ट्रांसफार्मर बजाय एक महीने के पांच-सात दिन में मिलने लग जाए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धन्यवाद। राजेन्द्र पारीकजी, मैं ऊर्जा मंत्रीजी से सिफारिश करूंगा कि आपको तीन दिन में मिल जाए। अभिभाषण पत्र में कहा गया है कि 132 के.वी. के 21 और 33 के.वी. के 100 बनाये गये। उनमें से 132 के लगाए अभी चार, यह आपके अभिभाषण की रिपोर्ट है, अभिभाषण में आपके जो शब्द हैं और 33 के 71, अब आप ऐसा क्या करिश्मा कर देंगे इन छह महीने के अन्दर, उसके बाद तो प्रोटोकाल और नियम चुनाव आयोग की घोषणा हो जायेगी, इन छह महीने में क्या कर देंगे आप? 21 में से 4 ही हुए अब और बकाया 17,132 के खोल देंगे, यह सम्भव नहीं है। सम्भव क्यों नहीं है, क्योंकि आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, 27 करोड़ का घाटा पांच बिजली कम्पनियों को हो चुका है और हम लोगों को वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देगा। हम याचिका लेकर, कटोरा लेकर...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साहब, अभी तो पांच मिनट हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट और हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग कटोरा ले करके गए वर्ल्ड बैंक के पास में, उसने अभी तक हमें पैसा नहीं दिया, वह कहते हैं कि रेट बढ़ाओ, रेट चुनाव के डर के कारण आप बढ़ा नहीं सकते, रेट तो बढ़ाने पड़ेंगे। यह तो वैसा ही है, एक चोर ने कर ली चोरी, नया चोर था और राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने कहा कि तुमने चोरी की? चोर सत्यवादी था, पहली बार चोरी की थी, उसने कहा कि चोरी की। चोरी की तो तुम्हें सजा मिलेगी, या तो 100 जूते या पांच सेर प्याज, तब सेर का जमाना था, किलो का नहीं था। अब चोर ने सोचा चोरी की सजा के 100 जूते पड़ेंगे तो सर के बाल उड़ जाएंगे। उसने कहा कि मुझे पांच सेर प्याज ही खिला दीजिए, जूते मत दीजिए, मैं पांच सेर प्याज खा लेता हूं। अब पांच सेर प्याज क्या दो-चार प्याज भी नहीं खाये तो उसे उल्टी आने लगी, पानी पिया, उससे पहले उसने कहा कि ठहरिये, महाराज साहब, मैं जूते खाऊंगा, फिर कहा प्याज खाऊंगा, फिर कहा जूते खाऊंगा, जूते-प्याज, प्याज-जूते, जूते-प्याज, हालत यह हो गई कि पांच सेर प्याज और 100 जूते में से उसे एक सजा मिलनी थी, दोनों सजा मिल गई।

अब आपको वर्ल्ड बैंक धमका रहा है, बैंक आपको कह रहा है कि आप रेट बढ़ाओ। अब आप रेट बढ़ाते हैं तो आपको जनता-किसान नहीं छोड़ते और रेट नहीं बढ़ाते हैं तो वर्ल्ड बैंक आपको पैसा नहीं दे।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, आप क्या खाना पसन्द करेंगे, आपने दो चॉइस दी है न?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये सड़कें नाबार्ड से बनीं, नाबार्ड ने पैसा दिया, पैसा कहां से आया? एशियन बैंक का पैसा कहां से आया, वर्ल्ड बैंक का पैसा कहां से मिला, आपकी गारंटी सेंटर गवर्नमेंट ने दी है, तब दिए हैं। अब सेंटर गवर्नमेंट को आप रोज पानी पी-पी कर गालियां दें, आपके मुख्य मंत्रीजी गालियां दें और आप गालियां दें। आप +++ बेवफा हो गए, कृतघ्न हो गए। अब सेनापति द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ने कई सेनापतियों को मारा लेकिन धन्यवाद, दुर्योधन कहता है कि नहीं धन्यवाद नहीं, नो धन्यवाद। धन्यवाद क्यों नहीं, क्योंकि आपने अर्जुन को क्यों नहीं मारा। जितना दिया, जितना केन्द्र ने दिया, जितना उसने आपको पैसा दिया, अनाज दिया, अजीत सिंहजी ने कह दिया 30 लाख टन, पहले 21 लाख टन था, अब आप कह रहे हैं कि 30 रुपये और 50 किलो, यह कौन दे रहा है? आप

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कह रहे हैं कि गेहूं आ रहा है, गेहूं कौन दे रहा है, अकाल राहत कार्यों में गेहूं कौन दे रहा है? सारे काम केन्द्र कर रहा है, केन्द्र का बरदहस्त आपके ऊपर है और बरदहस्त के बाद भी आप गालियां दे रहे हैं, ऐसे +++ कपूत कोई हो सकता है, सपूत तो नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इनको सड़कों के लिए या गेहूं के लिए धन्यवाद देना चाहिए। कृषि विपणन बोर्ड की बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि सिंचाई विभाग में अलवर जिले के लिए एक पैसा नहीं। पूर्व राजस्थान में यमुना का, भरतपुर का पता नहीं, वह आपकी सरकार नहीं रहेगी तब आएगा लेकिन इन छह महीने में तो हो नहीं सकता। सात महीने में हो नहीं सकता। पूर्वी राजस्थान के साथ अन्याय, हमारे माननीय आजाद साहब बैठे हैं। परसों मैंने कह दिया, +++ ये मुसलमान हैं इसलिए नहीं कहा, कहावत है कि +++ मैंने कहावत बोली थी, कहावतें तो मैंने और भी बोली हैं। इसलिए कहा कि आप कांग्रेस में चले गये, अब नहीं +++ पूर्वी राजस्थान के लिए, अब कुछ नहीं कहते पूर्वी राजस्थान के लिए, करौली के साथ अन्याय, भरतपुर के साथ अन्याय, धौलपुर के साथ अन्याय, अलवर के साथ अन्याय, दौसा के साथ अन्याय, भारी अन्याय पूर्वी राजस्थान के साथ, सिंचाई के लिए एक पैसा नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये लगे हैं मिशन बनाने। मिशन कहां से आया? मिशन शब्द आया है ईसाइयों से, मिशन शब्द लाए हैं क्रिश्चियन जो मिशनरीशिप से काम करते हैं, ऐसा कहा गया। बना दिया, राजीव गांधी पेयजल मिशन, बना दिया राजीव गांधी पर्यटन मिशन। हमारे यहां महाराणा प्रताप की भूमि, राजस्थान है अमर सिंह राठौड़ की भूमि, सुनिए राठौड़ साहब, माननीय खेत सिंहजी राठौड़, राजेन्द्र जी राठौड़ भी वहीं बैठे हैं। माननीय हमारे महाराणा प्रताप और पन्नाधाय की भूमि, इनकी भूमि को देखने दुनियाभर के पर्यटक हल्दी घाटी में वैसे ही आते हैं, जयपुर के सिटी पैलेस और हवामहल को देखने के लिए वैसे ही आते हैं। अब बना दिया, राजीव गांधी ठेला मिशन, राजीव गांधी रेहड़ी मिशन, राजीव गांधी सड़क मिशन, राजीव गांधी मैला मिशन, मिशन बनाने से पर्यटक नहीं आता, पर्यटक आते हैं भारत के तो सिटी पैलेस और हवामहल को देखने के लिए आते हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और हमारे पवित्र स्थान हैं हल्दी घाटी या भीलवाड़ा के पवित्र स्थान, जहां के माननीय उपाध्यक्षजी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हैं, ये तो पहले से ही प्रसिद्ध हैं वर्ल्ड में, यहां तो पहले से ही पर्यटक आते ही थे, आते ही रहेंगे। ये मिशनरी के...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवीलालजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक मिनट। माननीय उपाध्यक्षजी, यह परिवहन का जो दिया है अभिभाषण में, माननीय उप मुख्य मंत्री और परिवहन मंत्री नहीं हैं, 200 करोड़ रुपये परिवहन के कर्मचारियों का रोडवेज में बकाया है, क्या बैलेंस शीट है, काहे का सरप्लस दिखाते हो? काहे का बेनिफिट दिखाते हो, क्या ग्रोस और नेट प्रोफिट दिखाते हो? 200 करोड़ रुपया रोडवेज के कर्मचारियों का बकाया है, बकाया होने के बाद 600 बसें बेड़े में इस बार आएंगी, इसलिए मैं दूसरा लाया हूं, पिछले में भी 600 आएंगी। न तो 600 बसें पिछली बार आई और न ही 600 बसें इस बार आएंगी क्योंकि आप तो अनुबंधित, पूंजीपतियों की प्राइवेट बसों को आबाद कर रहे हैं और रोडवेज को बरबाद कर रहे हैं। अपनी आंखों के सामने रोडवेज निगम को बरबाद कर रहे हैं। आप क्या तरक्की करेंगे? आपने मजदूरों को दु:खी किया है, आपने कर्मचारियों को दु:खी किया है, आपने उद्योगपतियों को दु:खी किया है...

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : माननीय उपाध्यक्षजी...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बहुमूल्य सुझाव दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। अंकित न हो। आप कोआपरेट कीजिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप कोआपरेट नहीं करना चाहते। बिराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं। देवीलालजी, बोलो-बोलो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री देवीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महीने की 24 तारीख को जो अभिभाषण इस विधान सभा में महामहिम राज्यपालजी ने पढ़ा, उसकी मैं सराहना करता हूं, मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं। महामहिम राज्यपाल ने इस अभिभाषण में अकाल की बात बताई और पानी, शिक्षा, सड़क और चार साल के लेखे-जोखे, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो कार्य चार साल में किए उनका अभिभाषण में उन्होंने उल्लेख किया।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री देवीलाल बैरवा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन चार सालों में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए, मैं सत्य बात कह रहा हूं कि नौ साल में जनता पार्टी की जो सरकार रही, उसने जो काम नहीं किए वे चार साल में कांग्रेस पार्टी के हमारे मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी ने इस राजस्थान में काम किए। चाहे आप पानी का ले लें, चाहे सड़क का ले लें या बिजली का ले लें, चाहे गरीबों की शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम बनाए उनके बारे में मैं अलग-अलग निवेदन कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, काल, अकाल और महाकाल, ये तीन नाम हैं। मैंने भी मेरी उम्र में 25-30 काल-अकाल देखें हैं, लेकिन ऐसा भयंकर महाकाल तो इस बार ही है और देखा है। महाकाल के अन्दर भगवान नाराज हो जाता तो उसकी नौबत आती है। भगवान की नाराजगी और प्रकृति के प्रकोप से यह महाकाल पड़ा है।

पहला निवेदन है कि पानी के अभाव में सब जीव दुःखी हैं। महापुरुष भी कहे गये हैं कि ''पानी के सब रंग हुए, सब रंग पानी माय, किस रंग से पानी हुआ, वह दरशे नाहीं वाणी एक अमर पुरुष की रे भाई''। 84 लाख जीवों की योनि है, उनकी उत्पत्ति और जिंदगी पानी से है। पानी की कमी से चाहे पशुधन हो, चाहे पशु-पक्षी हो, चाहे दरख्त हो, चाहे मनुष्य हो, सभी दुःखी हैं। इस दुःख की घड़ी में चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, मेरा यह निवेदन है कि केन्द्र सरकार भी राज्यों से ही बनती है, तो उसका भी हर राज्य में मदद करने का कर्तव्य है। संविधान में है, इनके घोषणा-पत्र में है कि राज्य सरकार को भी केन्द्र सरकार मदद करे और दुःख की घड़ी में मदद करती रहे।

हमारे विरोधी दल के नेता बोल रहे थे कि केन्द्र ने जो मदद दी वह आपने खर्च नहीं की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भैरोंसिंहजी की जब सरकार थी तब केन्द्र ने यहां करोड़ों रुपये दिये थे और आपने 25-30 आदमी लगाये और अकाल राहत के नाम से जो रुपये लिये थे वह आज कागजों में है। यहां मजदूर लगे एक पंचायत में 25-30 जिसमें से भी पांच की जगह खाली रहती थी। आज गांव-गांव में कहीं भी चले जाइये मजदूर लगे हुए हैं। जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें यह काम कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि जितने मजदूर लगे हुए हैं वह थोड़े

(श्री देवीलाल बैरवा)

कम हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें मजदूर तो और बढ़ाने होंगे क्योंकि नहीं बढ़ाएंगे तो यह दुःख के दिन नहीं निकलेंगे।

दूसरा निवेदन है कि पानी के लिए सरकारी कुएं तो खुदे ही हैं पर काश्तकार के गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए जो खुदने की बात आपने उठाई उसमें कुछ कुएं शुरू हो गये और उनको बंद करा दिया। मेरा यह निवेदन है कि जहां पानी की सुविधा है वहां एक पंचायत में 2-2, 3-3 ऐसे काश्तकारों के कुएं खुदवाओ उसमें 30 परसेंट तो वह देंगे और 70 परसेंट आप दोगे और उन कुओं में पानी हो जायेगा तो टैंकर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक पंचायत में 2-3 टैंकर लगाने से एक पंचायत में पानी की व्यवस्था होती है और एक टैंकर पर एक हजार रुपये खर्च होता है। इन कुओं के खुदने से कम से कम पीढ़ियों तक पानी रहेगा। दादा खुदवा रहा है, तो पोतों तक के लिए पानी रहेगा। ऐसे कुवों को खुदवाओ जिससे अपने यहां पानी की सुविधा अच्छी रहे।

श्री उपाध्यक्ष : देवीलाल जी, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री देवीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, आप पानी की व्यवस्था बहुत कर रहे हो, चार साल में कुएं भी खुदवाए और गहरे भी करवाए, हैण्ड पम्प भी लगवाए पर दिनों-दिन पानी तो नीचे जा रहा है इससे कितने ही हैण्ड पम्प सूख गये, कितनों में ही पानी नहीं रहा। गर्मी के दिनों में यह समस्या बहुत भयंकर हो जाएगी। मेरा आप सबसे, मुख्य मंत्री जी से और मंत्रियों से निवेदन है कि कुछ कुएं और खुदवाने से आपको फायदा होगा और टेंकरों पर लगने वाले करोड़ों रुपये बच जाएंगे। टेंकरों की आज यह

(श्री देवीलाल बैरवा)

हालत है कि अभी हमारे शाहपुरा क्षेत्र में टेंकरों के टैण्डर हुए। पांच पंचायतों में एक टैण्डर हुआ तो उन्होंने आकर कहा कि पानी तो है ही नहीं कहां से भरे। मेरे को भी पूछा कि आपकी पंचायतों में पानी कहां-कहां से भरे। मैंने कहा कि एक-एक पंचायत में 50-60 कुएं हैं, देख लो। उन्होंने कहा कि एक कुए में आधा टेंकर भी पानी नहीं है। मैं इस टेंकर को लेकर तो फिर लूंगा लेकिन इस इंजन को लेकर कैसे फिरूंगा? इसलिए उनकी पानी की व्यवस्था नहीं हुई है, पानी की भयंकर समस्या है। पानी का इंतजाम तो आपको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा।

एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा वैसे तो सब लोग शिक्षा पर, सड़क पर बोल चुके हैं परन्तु काश्तकार की एक समस्या के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। फसल रोग से लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए या तो आप फसल का बीमा कर दो या उसका इंतजाम कर दो। अगर आप फसल का बीमा नहीं करोगे तो लोग खेती करना बिलकुल बंद कर देंगे। इस साल में कुछ बुआई की थी उसको जानवर खा गए। इसलिए एक तो आपको इन रोजड़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी नहीं तो आप हमारी फसल का बीमा कर दो फिर चाहे कोई खा जाए, चाहे जल जाए चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो फसल बीमा दे दो। किसी व्यक्ति या अपन लोगों की ही अगर एक महीने की तनखाह काट ली जाएं तो कितना दुःख होता है, वह किसान 6 महीने तक मेहनत करता है और उसकी फसल में अगर ओले पड़ जाएं या बरसात नहीं होने के कारण से सूख जाए तो उसको कितना दुःख होता होगा। इसलिए उसकी फसल का बीमा बहुत जरूरी है। इस बजट भाषण में भी वह बात नहीं आई है।

सड़क के बारे में मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों का काम नहीं किया है। इतने बड़े-बड़े खड्डे पड़ गये। रोज गाड़िया टकराती थीं। इधर गाड़ी करते तो इधर पलट जाती और उधर करते तो उधर पलट जाती। इस सरकार ने एक साल में कम से कम 60-60 किलोमीटर पेवर सड़कें दी हैं। 120 तो दो साल की दी है। तीन साल के अकाल में पहले तो उन पड़ी हुई को भरवाया और आज सड़कें ऐसी हो गई कि कम से कम एक किलोमीटर तक तो सब कुछ साफ दिखता है। सब डामर की पक्की सड़कें हो गई हैं। साइकल पर बैठ जाओ तो ऐसे लगता है जैसे मोटर साइकल पर बैठे हो।

(श्री देवीलाल बैरवा)

9 साल में इन्होंने सड़कें तैयार नहीं करवाई। यह मंदिर की बात कह रहे हैं, केन्द्र में इनकी सरकार है और राजस्थान में 9 साल तक इनकी सरकार रही तब मंदिर बनाते। पर मंदिर तो बनाना नहीं है केवल लोगों को भड़काना और लोगों का विरोध करवाना है और इस तरह चुनाव जीतना है। 9 साल से केन्द्र में इनकी सरकार है वह चाहे गठजोड़ की ही हो लेकिन है तो इनकी ही, प्रधानमंत्री तो इनके ही हैं। चाहे

(19.00 बजे)

कितनी भी जोड़तोड़ कर लो लेकिन ज्यादा सीटें नहीं होंगी। प्रधानमंत्री तो वही थे यदि वे बना सकते थे तो बनाते न मंदिर, किसने मना किया था, यहां भैरोंसिंहजी थे, वहां आपके प्रधानमंत्री थे, बनाते न किसने मना किया था। कुछ भी नहीं है लोगों को भड़काते हैं और यों ही असत्य बातें कहते हैं। मैं इस मंदिर के बारे में आप सब को निवेदन कर रहा हूं कि यह एक बार फिर खून खराबा कराएगा। यह मेरी मान्यता है कि यह एक बार फिर खून-खराबा कराएंगें। उन्होंने भाले ले रखे हैं और इनको एक थप्पड़ मार दो तो वह धोरे में जाकर गिर पड़ेंगे। थोड़ी-सी हिम्मत रखो, सद्भावना रखो, दूसरों को भी जीने दो और खुद भी जीओ, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : अब बहुत हो गया।

श्री देवीलाल बैरवा : बहुत हो गया? एक मेरा और निवेदन है कि चार साल हो गये इस विधान सभा को, चाहे पंचायत समिति की मीटिंग हो, चाहे जिला परिषद् की मीटिंग हो, चाहे कलक्टर साहब की मीटिंग हो, जब भारतीय जनता पार्टी का राज था तब मेरे क्षेत्र में पैमाइश करवाई थी। मैं इस विधान सभा में सत्य कहता हूं, असत्य नहीं कहता हूं, भगवान के यहां जगह नहीं मिलेगी, पैमाइश करवाई उसमें इतना अतिक्रमण किया, मैं कह रहा हूं कि आप इस बात को सच नहीं मानोगे पर मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि जो जमीन अलाट की और खातेदारी हुई उसको नाजायज करार दे दिया। जिस जमीन को खरीदा गया था, रजिस्टरी करवाई और उसका इन्द्राज करवाया और 8–10 साल हो गये और मालिक के नाम करवाई उसको नाजायज कर दिया। दूसरा निवेदन है कि कई जगह खातेदारी नम्बरों में परिवर्तन कर दिया गया जिससे 20 हजार आदमियों को परेशानी हो गई और उस कारण से भाई–भाइयों में लड़ाई हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो।

श्री देवीलाल बैरवा : उसके बारे में मैंने इस विधान सभा में प्रश्न पूछा था लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। यहां भी हाथ जोड़ रहा हूं, मैंने विधान

(श्री देवीलाल बैरवा)

सभा में भी उसका प्रश्न लगाया था उसकी मांग की थी, 11 पंचायतों में यह समस्या है, लोग परेशान हो रहे हैं, 136 का प्रकरण बनाकर यह मान लो लगभग 2100 के तो फैसले हुए हैं और मेरे अंदाज में 10-12 हजार के बाकी हैं। एक तो मेरे यहां पैमाइश का जो शुद्धिकरण है उसकी खातेदारी नहीं हुई। वह अभियान में भी नहीं हुआ, अभियान में इसलिए नहीं हुआ कि जमीन तो है लेकिन 1/2 में नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री देवीलाल बैरवा : उसके खाते में फर्क, नम्बरों में फर्क, तो एक तो हमारी यह समस्या कोई मिटाये। अब मैं एक बार और राज्यपाल महोदय ने जो भाषण पढ़ा उसके बारे में हमारे मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी ने चार साल तक सब ने मिलकर गरीबों की, सड़कों की, जितनी भी बिजली की जो सुविधा की उसके बारे में मैं हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद।

स्पष्टीकरण

शिक्षा सहयोगियों द्वारा की गयी आत्महत्या के कारण

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं से आने वाली सदस्या ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए बताया कि तीन शिक्षा सहयोगियों ने आत्महत्या कर ली है आर्थिक तंगी के कारण, मैं उसका खण्डन करता हूं। मुझे अभी शिक्षा सचिव ने तमाम जिला प्रशासन से, जिला कलक्टरों से बात करके यह बताया कि जालौर में मिश्रीमल गर्ग जो केसवाना गांव के थे उन्होंने पारिवारिक कारणों के कारण अपनी आत्महत्या की थी, वे जाते हुए पत्र छोड़कर गये हैं उसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है, पारिवारिक कारणों के कारण उन्होंने आत्महत्या की थी। इसी प्रकार औसियां में देवेन्द्र... (व्यवधान) आर्थिक तंगी कैसे हो सकती है, उनको बाकायदा तनखाह मिल रही है, सारा पेमेंट वगैरह मिल रहा था, कहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। ओसियां का जो देवेन्द्र है उन्होंने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या नहीं की और न ही आपके चौहटन के राजेन्द्र चौधरी ने आर्थिक तंगी के कारण कोई आत्महत्या नहीं की। इसलिए मैं इसका खण्डन करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलालजी गुर्जर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये तीनों पैराटीचर थे न?

डा. बी. डी. कल्ला : उन्होंने कोई आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या नहीं की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन्होंने आत्महत्या की है, आप 1200 रुपये देते हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ये क्या बात हुई, एक जज ने कर ली, एक थानेदार ने कर ली, ये क्या बात हुई? आत्म हत्या तो कोई भी कर सकता है, किसने की है, थानेदार ने की है, कोई भी आत्महत्या कर सकता है।

डा. बी. डी. कल्ला : मैं सारा अधिकारपूर्वक कह रहा हूं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई भी आत्महत्या कर सकता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसको आप इससे मत जोड़िये। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : वह पत्र में लिखकर गया है मिश्रीमल मेरे परिवार में पत्नी से नहीं बनती थी इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। उसको आप यहां पर ऐसे कहते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसको आप 1200 रुपये देते थे, वह 1200 रुपये में अपनी पत्नी का पेट नहीं भरता था इसलिए उसकी पत्नी नाराज थी...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : आपको पता ही नहीं है पूरी जानकारी...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका खण्डन करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका सब्जैक्ट ही नहीं है....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपको पूरी जानकारी नहीं है, मंत्री महोदय, सारी जानकारी आप दे दो न। आप तो केवल यह कह रहे हो....

डा. बी. डी. कल्ला : पूरी जानकारी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई लेना-देना नहीं है।

श्री सांवर लाल : आप पूरी जानकारी दीजिए। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : माननीय कटारिया जी जानते हैं ये शिक्षाकर्मियों को क्या देते थे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : वह पत्र सदन की मेज पर रखवा दीजिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के बाद हमें कंविंस होना है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को जो भी जिस चीज की भी जानकारी है उसको सदन की मेज पर रखवा दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये क्या मतलब है, टेबल कर दें।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के सर्वशिक्षा अभियान में पांच सौ रुपये देने की बात कही गई है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तथ्य जो लाये हैं, माननीय सुमित्रा सिंहजी लाई हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपके पास जो जानकारी है, सदन की टेबल पर रख दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको बोलने दें, उनका टाइम खतम हो रहा है। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : मैं ये सदन में कह रहा हूं। (व्यवधान) सारी जानकारी सदन में दे रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीया सदस्या सुमित्रा सिंह जी जो तथ्य लाई हैं, वे उपस्थित हों तब आप बोले। तथ्य तो वे लाई हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये कोई जरूरी नहीं है। (व्यवधान) ये क्या बात हुई? हाउस में सारे बैठते हैं, ये क्या बात हुई? (व्यवधान) आपको जानकारी दे दी, आप बता देना।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल जी गुर्जर। आप बोलें, बोलें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भाग ले रहा हूं। यह अभिभाषण दर्शाता है कि इससे राजस्थान की प्रगति नहीं हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने हाड़ौती की जनता के साथ में यह घोर अन्याय किया है, जानबूझकर वहां पर अकाल की स्थिति पैदा की है। कोटा के अन्दर गांधी सागर, रावतभाटा और प्रतापसागर तीन बांध हैं और उन तीनों बांधों में पानी भरा हुआ है, कुओं की भराव क्षमता 1248 फीट अभी थी। 1248 फीट पानी होते हुए भी किसानों और जनता के साथ अन्याय करके हाड़ौती को पानी नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1237 के ऊपर भी वहां की जनता को, हाड़ौती की जनता को, किसानों को पानी दिया है। वहां के तीन-तीन मंत्री होते हुए हाड़ौती की जनता रोती रही लेकिन वहां कोई नहीं था। वे चाहते थे कि हाड़ौती की जनता गरीब से गरीब होती जाए। जानबूझकर इन्होंने वहां अकाल की स्थिति पैदा की। इसमें धारीवाल साहब का भी मैन सहयोग रहा है। यह कभी गांवों को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते थे। मेरे हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में भी मराज बांध जो पूरा भरा हुआ था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चम्बल में आती है क्या?

श्री नाथूलाल गुर्जर : ताईवाली तो आती है, हाड़ौती की बात कर रहा हूं, मैं हिण्डौली की बात नहीं कर रहा। हिण्डौली पर भी आ रहा हूं। हिण्डौली के भी आप पग-पग से वाकिफ हो। उस पर भी आ रहा हूं, उसका जवाब दे देना। हिण्डौली विधान सभा के

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

अन्दर भीमराज बांध, गुढ़ा बांध भरड्या बांध, तीनों बांधों में पानी भरा हुआ था हिण्डौली की जनता को कांग्रेस राज ने जानबूझकर अकाल की तरफ धकेल दिया क्योंकि तीनों बांधों का पानी नहीं छोड़ा गया। आज वहां पर चारों तरफ किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, कुओं का वाटर लेवल नीचे चला गया। सारे हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। वहां की जल योजनाओं का यह हाल है कि आज धवलाना के अन्दर चार रोज से गांव में पानी नहीं मिल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि धवलाना हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में सबसे बड़ी बस्ती है लेकिन आज वहां पर चार रोज से पानी उपलब्ध नहीं है।

आज अकाल की स्थिति यह है कि पशुधन मर रहा है। राजस्थान सरकार ने अकाल में मजदूरी तो दे दी लेकिन उन पशुओं का क्या इंतजाम किया? आज हाड़ौती के अन्दर पशुधन रोड पर घूमता हुआ मिलेगा। इधर का डंडा इधर मारो, उनको कोई देखने वाला नहीं है। वहां के माननीय मंत्री महोदय इस बात से इंकार कर दें कि वहां का पशुधन बरबाद नहीं हो रहा है तो इसकी जांच करवा लें।

आज अकाल के नाम पर सदन में लम्बी-चौड़ी घोषणा की जाती है। बूंदी जिले के लिए मात्र 15 हजार लेबर सीलिंग है। हमारे प्रभारीमंत्री महोदय यहां बैठे हैं, हिण्डौली जो भयंकर अकाल की चपेट में है वहां पर टोटल पांच हजार लेबर सीलिंग है। आज गांव-गांव में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, एक गांव में 20 और 25 आदमियों को रोजगार दिया जा रहा है। गांव की बस्ती की 500-500 घरों की आबादी है उसमें 25 आदमियों का नम्बर कैसे आएगा? मस्टररोल फाड़ी जा रही हैं, सरपंच मनमानी कर रहा है, ग्राम सेवक गुंडागर्दी कर रहे हैं। नई जवान बहन-बेटियों को काम पर लगाते हैं और बुजुर्ग लोगों को एक तरफ कर देते हैं, उनको काम पर नहीं लगाया जा रहा है।

आज बिजली का मामला है। आज यहां पर मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार घोषणा कर रही है कि गांवों में छह घंटे बराबर बिजली दी जा रही है। मैं आरोप लगाता हूं कि हिण्डौली के अन्दर चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। डेढ़-डेढ़ महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं दिये जा रहे हैं। और तो और भ्रष्टाचार जो सारे राजस्थान में कहीं नहीं होगा वह हिण्डौली के अन्दर अभी मिल जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अकाल की स्थिति को देखते हुए जो पशु आहार

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

और खल-बांट के ऊपर चार प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि इस खल-बांटे को अकाल की स्थिति को देखते हुए माफ किया जाये।

आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार हास्पिटल हैं और चारों हास्पिटल में डाक्टर नहीं हैं। तीन-तीन मंत्रियों से बारबार निवेदन कर चुका। हिण्डौली में लेडी डाक्टर नहीं है, गोठड़ा में डाक्टर नहीं है, बरसौली में डाक्टर नहीं है। एक डाक्टर जो धवलाना में लग रहा है लेकिन वहां पर कम्पाउण्डर नहीं होने की वजह से वह डाक्टर भी बैठा रहता है, कोई काम नहीं हो रहा है। आज हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र से दरा का नया गांव के मिडल स्कूल में चार दिन से ताले लगे हुए हैं, कोई खोलने वाला नहीं है।

आज लम्बी-चौड़ी घोषणाएं शिक्षा के लिए कर रहे हैं, गांव के स्कूल बंद हैं, गांव में नर्सें नहीं हैं, पटवारी समय पर वहां नहीं रहते और ग्राम सेवक भ्रष्टाचार अनाप-शनाप कर रहे हैं, सरपंच मनमानी कर रहे हैं तो फिर सरकार क्या कर रही है? आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिण्डौली के अन्दर अकाल राहत की लेबर बढ़ाई जाए, सारे स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में अध्यापक लगाये जाएं, जहां पर डाक्टर नहीं हैं वहां पर डाक्टर लगाए जाएं तब तो मैं मानूंगा कि सरकार प्रगति की ओर है, नहीं तो तो, मैं मेरे इलाके की स्थिति देखकर, मेरे साथ में यह सौतेला व्यवहार कहीं इसलिए किया जा रहा हो कि उप चुनाव में वहां से कांग्रेस हार गई तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरी बातों को रख रहा हूं, इन पर ध्यान देंगे। जयभारत।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2003 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.14 बजे शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

परिशिष्ट "अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या–37 का विवरण)

(लाख रुपये में)

वर्ष	ओपनिंग बेलेंस	प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	क्लोजिंग बेलेंस
1	2	3	4	5	6
ए.आर.पी. सामान्य					
1998-1999	186.40	11941.63	12128.03	9985.24	2142.79
1999-2000	2142.79	12002.50	14145.29	8651.98	5493.31
2000-2001	5493.31	16361.00	21854.31	13958.47	7895.84
2001-2002	7895.84	14919.08	22814.92	16599.57	6215.35
2002-2003 (दिसम्बर 2002 तक)	6215.35	17625.30	23840.65	12481.41	11359.24
ए.आर.पी. मरुस्थल					
1998-1999	1031.63	4564.84	5596.47	4131.23	1465.24
1999-2000	1465.24	3651.87	5117.11	2443.41	2673.70
2000-2001	2673.70	4151.00	6824.70	5261.53	1563.17
2001-2002	1563.17	5794.65	7357.82	5206.63	2151.19
2002-2003 (दिसम्बर 2002 तक)	2151.19	4770.66	6921.85	5439.37	1482.48
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना					
2000-2001	0.00	2158.00	2158.00	1297.17	860.83
2001-2002	860.83	1620.00	2480.83	2373.26	107.57
2002-2003 (दिसम्बर 2002 तक)	107.57	2320.00	2427.57	1014.62	1412.95

1	2	3	4	5	6
त्वरित शहरी पेयजल आपूर्ति योजना					
1998-1999	144.76	324.81	469.57	168.26	301.31
1999-2000	301.31	0.00	301.31	17.87	283.44
2000-2001	283.44	306.74	590.18	161.43	428.75
2001-2002	428.75	539.73	968.48	371.33	597.15
2002-2003 (दिसम्बर 2002 तक)	597.15	465.35	1062.50	341.33	721.17
चूरू बिसाऊ योजना					
1998-1999	250.00	0.00	250.00	0.50	249.50
1999-2000	249.50	0.00	249.50	216.76	32.74
2000-2001	32.74	2000.00	2032.00	33.24	1999.50
2001-2002	1999.50	0.00	1999.50	151.41	1848.09
2002-2003 (दिसम्बर 2002 तक)	1848.09	0.00	1848.09	1740.44	107.65
राइजेप					
1998-1999	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
1999-2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-2003 (दिसम्बर 2002 तक)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य– राइजेप सेलेरी, कम्प्यूटराइजेशन मय ट्रेनिंग, डीफलोरीडेशन संयंत्र आदि					
1998-1999	751.98	345.43	1097.41	255.48	841.93
1999-2000	841.93	26.25	868.18	550.79	317.39
2000-2001	317.39	1292.52	1609.91	1260.05	349.86
2001-2002	349.86	55.64	405.50	102.42	303.08
2002-2003 (दिसम्बर 2002 तक)	303.03	42.70	345.78	50.23	295.55

परिशिष्ट "ब"

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये धन एवं खर्च का विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण) (राज्य मद)

वर्ष	संशोधित प्रावधान	व्यय
1998-1999	19475.00	19061.18
1999-2000	16300.00	15908.52
2000-2001	18476.01	10754.74
2001-2002	16322.83	13859.09
2002-2003 (दिसम्बर 2002 तक)	13304.30	7050.00

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (शहरी) (राज्य पद)

वर्ष	संशोधित प्रावधान		व्यय	
1998-1999	राज्य हिस्सा	18654.58	राज्य हिस्सा	19004.12
	ऋण हिस्सा	2600.00	ऋण प्राप्त	2600.00
	कुल	21254.58	कुल	21604.12
1999-2000	राज्य हिस्सा	11598.35	राज्य हिस्सा	5967.38
	ऋण हिस्सा	2200.00	ऋण प्राप्त	710.21
	कुल	13798.35	कुल	6677.59
2000-2001	राज्य हिस्सा	14538.29	राज्य हिस्सा	11505.79
	ऋण हिस्सा	2500.00	ऋण प्राप्त	321.67
	कुल	17038.29	कुल हिस्सा	11827.46
2001-2002	राज्य हिस्सा	7500.00	राज्य हिस्सा	7640.30
	ऋण हिस्सा	2500.00	ऋण प्राप्त	2551.78
	कुल	10000.00	कुल हिस्सा	10192.08
	राज्य हिस्सा	11277.00	राज्य हिस्सा	4313.63
2002-2003	ऋण हिस्सा	2000.00	ऋण प्राप्त	556.44
(दिसम्बर 2002 तक)	कुल	13277.00	कुल हिस्सा	4870.07

परिशिष्ट "स"

आपात काल में जिलेवार प्रावधान की गई राशि का विवरण

(प्रावधान लाख रुपये में)

क्रमांक	जिला	2001-2002		2002-2003	
		ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	206.23	0.00	145.00	138.15
2.	नागौर	395.34	21.60	380.00	22.57
3.	बीकानेर	142.97	175.00	440.00	0.00
4.	चूरू	915.00	321.90	240.00	0.00
5.	हनुमानगढ़	80.65	4.00	96.00	0.00
6.	गंगानगर	116.90	0.00	30.00	0.00
7.	अलवर	350.00	56.00	150.00	0.00
8.	भरतपुर	300.50	120.00	150.00	106.75
9.	दौसा	66.00	45.00	140.00	0.00
10.	धौलपुर	99.20	6.00	226.00	0.00
11.	जयपुर	232.50	1349.25	323.00	1019.41
12.	झुंझुनूं	328.33	0.00	150.00	0.00
13.	सीकर	344.22	57.00	185.00	2.73
14.	टोंक	315.79	105.28	188.00	135.10
15.	बाड़मेर	929.71	0.00	244.00	0.00
16.	जैसलमेर	329.94	0.00	96.00	0.00
17.	जालौर	297.00	1.00	198.00	0.00
18.	जोधपुर	802.37	33.34	291.00	72.66
19.	पाली	589.34	43.93	408.00	811.58

1	2	3	4	5	6
20.	सिरोही	283.00	51.00	175.00	30.22
21.	बूंदी	301.29	57.70	100.00	4.00
22.	बारां	86.40	21.79	190.00	4.93
23.	झालावाड़	212.91	144.04	165.00	38.29
24.	करौली	280.15	53.00	271.50	37.78
25.	सवाईमाधोपुर	207.60	44.30	108.00	44.64
26.	कोटा	250.95	155.01	120.00	387.11
27.	बांसवाड़ा	162.66	24.82	295.00	0.00
28.	भीलवाड़ा	295.03	310.72	190.00	205.55
29.	चित्तौड़गढ़	268.19	740.94	215.00	50.96
30.	डूंगरपुर	147.47	9.75	242.00	23.11
31.	राजसमंद	339.47	115.33	204.00	299.62
32.	उदयपुर	720.79	522.75	393.50	138.03
	योग	**10397.80**	**4590.45**	**6839.00**	**3574.09**
ग्रामीण क्षेत्र	हैण्ड पम्प मरम्मत खर्चा	1000.00			
	पशुओं के लिए खेळी का खर्चा	1000.00			
	जिला कलक्टर्स को आवश्यक कार्य हेतु आबंटित राशि	1600.00			
	पारस्परिक जल स्रोत पुनरुद्धार कार्यक्रम	2500.00			
	सकल योग	**16497.80**			

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

सीमावर्ती जिलों में होमगार्ड के पदों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

39. श्री अमीन खान (शिव) : क्या गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सीमावर्ती जिलों में होमगार्ड की भर्ती कब से शुरू हुई और अब तक कितने लोगों को भर्ती किया गया? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सीमावर्ती होमगार्ड में अल्पसंख्यकों को कितनी तादाद में लिया गया है? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीमावर्ती जिलों में भर्ती 1965 से शुरू हुई एवं अब तक 22,282 लोगों की भर्ती की गयी है। जिलेवार संख्या इस प्रकार से है :–

1.	बाड़मेर	4097
2.	बीकानेर	6823
3.	गंगानगर	7994
4.	जैसलमेर	3368

(2) सीमावर्ती होमगार्ड में अल्पसंख्यकों को 1016 की तादाद में लिया गया है। जिलेवार संख्या इस प्रकार से है :–

1.	बाड़मेर	161
2.	बीकानेर	714
3.	गंगानगर	62
4.	जैसलमेर	79

पंचायत समिति बस्सी व चाकसू (जयपुर) के प्रस्तावित अकाल राहत कार्य

40. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में भयंकर अकाल में क्षेत्रीय विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान कुल कितने अकाल राहत कार्यों के प्रस्ताव अब तक सरकार को प्राप्त हुए? सड़कों/तालाबों व अन्य कार्यों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्राप्त प्रस्तावों में से नाम मात्र के ही कार्य स्वीकृत किये गये? यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यों की संख्या एवं स्वीकृत कार्यों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैया लाल)

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ जनहित के कार्यों को जानबूझकर निरस्त किया गया? यदि हां, तो कौन-कौनसे कार्य किन-किन कारणों से निरस्त किये गये?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के बन्द/ निरस्त कार्यों को पुनः स्वीकृत एवं शेष उक्त पूर्व प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति जारी कर अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के क्षेत्रीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान कुल 477 अकाल राहत कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 243 सड़क, 197 तालाब तथा अन्य कार्य हैं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी नहीं। प्राप्त प्रस्तावों में से 264 अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-2)

(3) जी नहीं। राजस्व वाद एवं भूमि विवाद व प्रशासनिक दृष्टिकोण के कारण ही कार्य नियमानुसार निरस्त किये गये हैं। निरस्त किये गये कार्यों का कारण सहित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-3)

(4) सहायता कार्य जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा अनुमोदन किये जाते हैं। राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती, जब तक कोई गम्भीर शिकायतें नहीं हों।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा परिसर के बाहर अनियमित निर्माण पर व्यय

41. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान आवासन मण्डल अपनी गतिविधियों में उनके द्वारा घोषित आवासीय परिसरों या उनके द्वारा निर्मित वाणिज्यिक परिसरों के बाहर भी मण्डल की स्वयं की राशि व्यय कर सकता है? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति क्या है तथा जिस एक्ट के तहत मण्डल का निर्माण हुआ है उसमें क्या व्यवस्था है? सम्बन्धित एक्ट की धारा की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) मण्डल ने अपने परिसरों के बाहर विकास के नाम से अपनी राशि व्यय करना कब से शुरू किया तथा अब तक कितनी राशि उक्त पर व्यय की जा चुकी है? वर्षवार व शहरवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कार्य नियमानुसार है? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी नहीं। लेकिन राज्य सरकार जनहित में विकास कार्य करने हेतु निर्देशित कर सकती है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी ऐसे कार्य राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही किये है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) मण्डल ने उक्त श्रेणी के विकास कार्य वर्ष 2000-2001 (वित्तीय वर्ष) से करना प्रारम्भ किया तथा अभी तक उक्त कार्यों पर 902.16 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। जिनका वर्षवार, शहरवार विवरण निम्नप्रकार से है:–

(राशि लाखों में)

	वित्तीय वर्ष			
शहर का नाम	**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**	**कुल**
जयपुर	113.66	001.49	—	115.15
जोधपुर	209.83	258.95	287.46	756.24
कोटा	—	26.10	4.67	30.77
योग	**323.49**	**286.54**	**292.13**	**902.16**

(3) जी नहीं। राज्य सरकार जनहित में विकास कार्य करने हेतु आवासन मण्डल को निर्देशित कर सकती है इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल को जयपुर, जोधपुर एवं कोटा आदि शहरों में विकास कार्य करने हेतु निर्देशित किया है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर से हनुमानगढ़ डीलक्स बस सेवा का पुनः संचालन

42. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में एक डीलक्स बस जयपुर से हनुमानगढ़

(श्री आदराम मेघवाल)

वाया रावतसर चलती थी? यदि हां, तो कब से कब तक?

(2) क्या उक्त बस सेवा को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त बस सेवा को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह बस जनवरी, 1985 से 28.12.2002 तक संचालित रही।

(2) जी हां। अनार्थिक होने के कारण सेवा का संचालन बन्द कर दिया गया।

(3) जी नहीं। प्रश्न का उत्तर बिन्दु संख्या "2" में दिया जा चुका है।

सरस घी, मक्खन की पैकिंग सामग्री की निविदा में अनियमितता

43. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आर.सी.डी.एफ. जयपुर द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए सरस घी व मक्खन की पैकिंग सामग्री बनवाने हेतु मै. निशा एन्टरप्राइजेज को ठेका दिया? क्या उक्त फर्म की दरें अधिक थी व न्यूनतम दर वाले निविदादाता की उपेक्षा की गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेके में मै. निशा एंटरप्राइजेज की दर 1 लीटर के लिए 1.24 रुपये व 1/2 लीटर के लिए 1.02 प्रति डिब्बा थी? क्या उक्त दर वर्ष भर के लिए थी और दो माह पश्चात् ही आर.सी.डी.एफ. ने दरें बढ़ाकर 1.40 रुपये व 1.07 रुपये प्रति डिब्बा कर दी? क्या ठेके की शर्तों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। घी मोनोकार्टन की 1 लीटर एवं 1/2 लीटर की संयुक्त रूप से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। मैसर्स निशा एंटरप्राइजेज, जयपुर, की दरें प्राप्त दरों में, इस संयुक्त आइटम के लिए न्यूनतम थीं।

(2) निवेदित दरें फर्म द्वारा देय डिसकाउंट के पश्चात् यह नहीं थी।

जी हां। दरें निविदा दस्तावेज के अधीन संशोधनीय होने से बढ़ा कर 1 लीटर के लिए रुपये 1.28 प्रति नग व आधा लीटर के लिए रुपये 1.03 प्रति नग की गई। निविदा शर्तों में बढ़ी हुई

(राज्य मंत्री, डेयरी)

एक्साइज दर के अनुपात में दरें बढ़ाने का प्रावधान था। उपरोक्त कार्यवाही में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अत: कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विद्युत सुधार कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का उपयोग

44. श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विद्युत सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विद्युत कम्पनियों ने विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए करार अनुसार कितना ऋण वर्ष 1999-2000 से 2002-03 में लेना प्रस्तावित था तथा कुल कितना ऋण विद्युत कम्पनियों को मिला और कितना व्यय हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विद्युत मण्डल के विभाजन के पश्चात् विभिन्न विद्युत कम्पनियों का घाटा कम हुआ? यदि नहीं, तो बढ़ा घाटा कितना-कितना रहा? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में विद्युत की मांग व वितरण में कितना-कितना अन्तर है? उक्त अन्तर मिटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(4) राज्य सरकार किसानों को औसतन कितने घंटे विद्युत सप्लाई कर रही है?

उत्तर

(1) विश्व बैंक का 18 करोड़ डालर (लगभग 850 करोड़ रुपये) का ऋण दिनांक 12 मार्च, 2001 को प्रभावी हुआ तथा इस ऋण की समाप्ति 30 जून, 2005 को होगी। करार में वर्षवार ऋण का विभाजन नहीं है। इस ऋण का भुगतान पुनर्भरण पद्धति से किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार कम्पनियों द्वारा व्यय की गई राशि का पुनर्भरण विश्व बैंक द्वारा किया जाता रहा है। वर्षवार खर्चा व पुनर्भरण का ब्यौरा निम्नप्रकार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्राप्त ऋण राशि	व्यय
2001-02	70.0 (एडवांस)	38.01
2002-03 (जनवरी 2003 तक)	85.80	113.83
योग	**155.80**	**151.84**

(2) विद्युत मण्डल दिनांक 19.7.2000 के विभाजन के पश्चात् विभिन्न विद्युत कम्पनियों का घाटा पूर्व वर्षों से कम हुआ है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(ऊर्जा मंत्री)

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	घाटा
1999-2000 विद्युत मण्डल	1678.00
2000-2001 विद्युत मण्डल (1.4.2000 से 19.7.2000)	760.15
2000-2001 विद्युत कम्पनियां (20.7.2000 से 31.3.2001)	819.85
2001-2002 विद्युत कम्पनियां	1291.00

(3) वर्तमान में विद्युत की चरम मांग (नियंत्रित) एवं उपलब्धि में लगभग 6 प्रतिशत का अन्तर चल रहा है, मांग के मुकाबले उपलब्धि कम है। अन्तर को कम करने के लिए राज्य में स्वयं का उत्पादन बढ़ाने का कार्य द्रुत गति से चल रहा है।

(4) वर्तमान में राज्य में किसानों को औसतन 6 घंटे प्रतिदिन ब्लॉक में विद्युत सप्लाई दी जा रही है।

जिला झुंझुनूं में बजरी/पत्थर की रायल्टी के ठेके की बकाया राशि की वसूली

45. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुंझुनूं में वर्ष 2002-03 की अवधि के व्यक्तियों/समूहों को बजरी/पत्थर के रायल्टी के ठेके दिये गये हैं तथा कितनी-कितनी राशि उनसे वसूल होनी है?

(2) उक्त ठेके किन-किन स्थानों के लिए दिये गये हैं तथा कौन-कौन से पाइंट रायल्टी वसूल करने के निश्चित किये गये हैं?

(3) उक्त अवधि के लिए अधिक रायल्टी के ठेके किनको दिये गये हैं और फरवरी, 2003 के अन्त तक कितनी कितनी राशि उक्त में बकाया है?

(4) क्या पूर्व के वर्षों की भी कोई राशि उक्त ठेकेदारों में बकाया चली आ रही है? यदि हां, तो किस-किसके कितनी-कितनी?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं में वर्ष 2002-03 की अवधि में जिन व्यक्तियों/समूहों को खनिज, बजरी/पत्थर की रायल्टी के ठेके दिये गये उनका विवरण निम्नानुसार है :-

खनिज बजरी के ठेके

ठेकेदार का नाम	ठेका क्षेत्र
1	2
1. मै. अरावली एसोसियेट	ढासी, ठाठवाड़ी, दुदवा, नांगलिया, किशनपुरा, मुकन्दपुरा, दलोता आदि तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनूं।

(खनिज मंत्री)

1	2
2. मै. अरावली एसोसियेट	सिंघाना, मानोता, चिरानी, मानोती, मुदन, मुरादपुर, चुरीना, ढाणी, भालोद, काकरा, शिवपुरा, कुशपुरा आदि तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनूं।
3. श्री नरेश कुमार महाजन	बसई, मोडी, ईलासर, सिंहोर, जमालपुर, डाबला, सीमली, बिहारीपुर, मेहाड़ा आदि तहसील खेतड़ी/नीमकाथाना, जिला झुंझुनूं।
खनिज पत्थर के ठेके	
1. श्री राजेन्द्र सिंह	तहसील झुंझुनूं।
2. श्री राम सैनी	तहसील उदयपुरवाटी।
3. श्री पूरणमल जांगीड़	तहसील चिड़ावा।
4. श्री हजारीलाल गुर्जर	तहसील खेतड़ी/बुहाना।
5. श्री रामावतार यादव	तहसील झडाया, बुरकडा।

उक्त ठेकेदारों के विरुद्ध माह फरवरी, 2003 तक की किस्ते जमा हैं, अत: कोई राशि वसूली योग्य नहीं है।

(2) उक्त ठेके प्रश्न 1 के जवाब में अंकित स्थानों के दिये गये हैं। रायल्टी वसूलने के लिए तहसील झुंझुनूं के ग्राम मोडा पहाड़, खतेहपुरा काना पहड़, जय पहाड़ी, मरोत पहाड़ी, चौबारीमण्डी तहसील चिड़ावा में नारी पहाड़ी, बारी पहाड़ी, देवरोड़, पिलानी तहसील उदयपुरवाटी के ग्राम पलेवा, उदयपुरवाटी, टोडी आकावाली, गुढ़ा नेवरी, लीला की ढाणी, भोड़की, सिगनौर तहसील खेतड़ी-बुहाना में सिंघाना, गौरीर, रोजड़ा, पपुरना एवं झड़ाया- बुरकड़ा आदि तथा बजरी के ठेके की रायल्टी वसूलने के लिए ढासी ठाठवाड़ी, गौरीर, दुदवा, नांगलिया, किशनपुरा, मुकन्दपुरा, दलौता, सिंघाना, मानोता, चिरानी व काकड़ा, बसई, बिहारीपुर, मेहाडा आदि के साथ-साथ खनिज निकासी के रास्तों पर पाइंट लगाकर रायल्टी वसूली की जा रही है।

(3) उक्त अवधि से अधिक रायल्टी के ठेके तहसील झुंझुनूं के लिए श्री राजेन्द्र सिंह तहसील चिड़ावा के लिए श्री पूरणमल, तहसील उदयपुरवाटी के लिए श्री श्रीराम सैनी तहसील खेतड़ी-बुहाना के लिए श्री हजारी लाल गुर्जर को दिये गये हुये हैं। माह फरवरी, 2003 तक उक्त ठेकेदारों में कोई राशि बकाया नहीं है।

(4) उक्त ठेकेदारों के विरुद्ध पूर्व के वर्षों की कोई राशि बकाया नहीं है।

चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध मत्स्याखेट की जांच

46. श्री मदन दिलावर (अटरू) **: क्या** वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या उप-वन संरक्षक (वन्य जीव) कोटा द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध बजरी निकालने एवं अवैध मत्स्याखेट करने के आरोप में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 27 व 29 के अन्तर्गत जून माह में 9 ट्रकों को पकड़ा गया था? यदि हां, तो वह ट्रक मालिक कौन-कौन थे?

(2) क्या उक्त ट्रकों को छोड़ने हेतु कोटा शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा उपवन संरक्षक पर दबाव बनाया तथा नहीं माने तो उनका स्थानान्तरण कर दिया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उप वन संरक्षक कोटा द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2002 को पत्र क्रमांक 5564 शहर पुलिस अधीक्षक को लिखते हुए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, पुलिस उप महानिरीक्षक, कोटा, वन संरक्षक पूर्वीवृत्त कोटा एवं जिला कलक्टर, कोटा को प्रति भेज कर कार्यवाही की मांग की थी? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों के द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ट्रक मालिकों का नाम संलग्न परिशिष्ट 'क' पर दर्शाया गया है।

(2) तत्कालीन उप वन संरक्षक (वन्य जीव), कोटा द्वारा पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर को दिनांक 27 जुलाई, 2002 को लिखे गये पत्र में ट्रकों को छोड़ने हेतु श्री शिवकान्त नन्दवाना द्वारा दी गयी धमकी का उल्लेख किया है पुलिस विभाग, कोटा द्वारा छानबीन कराये जाने पर इस पत्र में अंकित तथ्य प्रमाणित होना नहीं पाया गया।

तत्कालीन उप वन संरक्षक (वन्य जीव), कोटा का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया।

(3) जी हां। उक्त पत्र के क्रम में पुलिस विभाग के द्वारा छानबीन उपरांत लिखे पत्र दिनांक 15.2.2003 की प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

दिनांक 13.6.2002 को राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत दर्ज वन अपराधों में जप्त किये गये ट्रक मालिकों के नाम का विवरण

क्र.सं.	नाम ट्रक मालिक
1.	श्री हरपाल त्यागी
2.	श्री चन्द्रपाल सिंह
3.	श्री खेमचन्द्र
4.	श्री राकेश शर्मा
5.	श्री नरेन्द्र कुमार
6.	श्री रमेश जायसवाल
7.	श्री धनराज
8.	श्री केसरी लाल
9.	श्री संजय वार्ष्णेय

परिशिष्ट "ख"

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक कोटा नगर, कोटा

क्रमांक : प.6(9)पार्ट–I/अ.शा./नगर/02/27 दिनांक : 15.2.2003

प्रेषिति,

उप वन संरक्षक,
वन्य जीव,
कोटा।

विषय : श्री शिवकान्त नन्दवाना पूर्व कालेज छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक: प.5( )तक./03/951 दिनांक 15.2.2003 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र क्रमांक: 5664 दिनांक 27.7.2002 से प्राप्त परिवाद श्री हरि सिंह उप वन संरक्षक, कोटा की जांच सर्वप्रथम थानाधिकारी थाना दादाबाड़ी से प्रारम्भ करवाई गई थी, तत्पश्चात् श्री हरिसिंह, वन संरक्षक, कोटा का परिवाद मुख्य मंत्री सतर्कता से रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिवाद की जांच वृत्ताधिकारी, वृत्त–प्रथम कोटा नगर से कराई गई। वृत्ताधिकारी ने दौराने जांच बयान परिवादी श्री हरिसिंह, अपरिवादी शिवकान्त नन्दवाना व श्री हरिसिंह, उप वन संरक्षक, कोटा के निजी सहायक हनीफ एवं कार्यालय सहायक श्री जगन्नाथ सौलंकी के लेखबद्ध कर अपने विवेचनात्मक जांच निष्कर्ष में श्री हरिसिंह, उप वन संरक्षक को श्री शिवकान्त नन्दवाना द्वारा धमकी न देना मानकर जप्त शुदा ट्रकों के बारे में शिष्टाचार से बात करना जानते हुये गवाहान के कथनों से परिवाद में वर्णित आरोपों की पुष्टि नहीं होना मानकर परिवाद में वर्णित आरोप अप्रमाणित बताये थे। जांच अधिकारी श्री हरिसिंह, उप वन संरक्षक द्वारा इस सम्बन्ध में किसी थाने पर भी रिपोर्ट करना नहीं बताया था।

प्रासंगिक पत्र से चाही गई सूचना प्रेषित है।

ह०/–
जिला पुलिस अधीक्षक,
कोटा नगर, कोटा

अकालग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को प्रदत्त अनुदान राशि

47. श्री अमराराम (धोद) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार ने अकाल की आशंका को देखते हुए खरीफ व रबी मौसम में पशुधन को बचाने के लिए कितने एकड़ हरे चारा की खेती तथा हरा चारा उगाने के लिए किन-किन जिलों में किसानों को प्रोत्साहित किया गया?

(2) राज्य में वर्तमान में अकाल प्रभावित क्षेत्रों में कितने पशु शिविर व गौशालाएं चल रही हैं तथा कितने पशुधन को चारे के रूप में सब्सिडी दी गई है?

(3) वर्तमान में कितने पशुचारा डिपो खोले गये हैं व कितने पशुचारा डिपों पर चारा उपलब्ध हैं तथा इस समय हरे व सूखे चारे के क्या भाव है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अब तक पशुपालक किसानों को चारा के रूप में कितनी सब्सिडी दी गई है?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने हरा व सूखा चारा लाने वाले पशुपालक किसानों को सब्सिडी नहीं दी है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) हरा चारा बोने के लिए राज्य के नौ जिलों चूरू/बीकानेर/जोधपुर/जैसलमेर/पाली/अजमेर/करौली/सवाईमाधोपुर एवं बाड़मेर में किसानों द्वारा गत वर्ष बोये गये क्षेत्रफल के अतिरिक्त क्षेत्र में चारे की बुआई करने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने की घोषणा की गई है तथा अतिरिक्त क्षेत्र में उत्पादित चारे के क्रय हेतु समर्थन मूल्य भी घोषित किया गया है। कोई भौतिक लक्ष्य सहायता विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(2) राज्य में वर्तमान में अकाल प्रभावित क्षेत्रों में 1531 पशु शिविर एवं 659 गौशालाओं के माध्यम से 7,15,647 पशुओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

(3) वर्तमान में कुल 4451 चारा डिपोज के माध्यम से पशु चारे का वितरण किया जा रहा है। सूखे चारे व हरे चारे के भाव संबंधी विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(4) पशुपालक किसानों को सीधे चारे के लिए सब्सिडी नहीं दी जाती बल्कि डिपो के माध्यम से वितरण किये जाने वाले चारे पर अनुदान दिया जाता है।

(5) जी हां।

परिशिष्ट "1"

जिलेवार सूखे चारे/हरे चारे के भावों का विवरण

(प्रति क्विंटल में)

क्र.सं. नाम जिला	सूखा चारा	हरा चारा
1. अजमेर	350	–
2. सवाईमाधोपुर	276	–
3. करौली	295-395	–
4. बीकानेर	305	100
5. चूरू	290-315	100
6. जोधपुर	300-381	212-280
7. बाड़मेर	289-307	143
8. जैसलमेर	450	150
9. पाली	350	140
10. भीलवाड़ा	350	120
11. नागौर	300-343	–
12. दौसा	360	–
13. डूंगरपुर	300	–
14. भरतपुर	300-390	–
15. झालावाड़	275	–
16. धौलपुर	383	–
17. अलवर	430	–
18. सिरोही	261-345	–
19. बारां	300	–
20. झुंझुनूं	376-400	–
21. टोंक	425	–
22. हनुमानगढ़	332	–
23. सीकर	295-360	–
24. जयपुर	405	–
25. राजसमन्द	335	290-325
26. जालौर	357	145

अलवर क्षेत्र में अनियमित रितंभरा होटल

48. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जयपुर मार्ग पर रितंभरा होटल राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र की मास्टर प्लान में ग्रीन बैल्ट में है?

(2) क्या यह भी सही है कि नगर विकास न्यास अलवर ने इसे ग्रीन बैल्ट में होने की वजह से तोड़ दिया था? यदि हां, तो इसका पुन: निर्माण कैसे और किसके आदेश से हुआ? आदेश की प्रति एवं तोड़ने के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री ने उक्त बाबत नगर विकास न्यास अलवर को कोई पत्र लिखा था? यदि हां, तो क्या? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) जी हां। अतिक्रमण निरोधक अधिकारी न्यास अलवर के निर्णय दिनांक 21.10.2000 के अनुसार न्यास अधिनियम की धारा 71 व 72 का उल्लंघन करने के कारण इसे तोड़ दिया गया। आदेश की प्रति संलग्न है। पुन: निर्माण के क्रम में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(4)न विवि/3/2000 दिनांक 9.1.2001 के अनुसार उप नगर नियोजक अलवर के पत्र क्रमांक ए.एल.आर./1828/अलवर दिनांक 1.12.2000 में अंकित शर्तों पर नियमन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(3) स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा न्यास एवं राज्य सरकार के रिकार्ड के अनुसार कोई पत्र जारी नहीं हुआ।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विद्युत मण्डल के विभाजन के उद्देश्य की पूर्ति

49. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल को पांच कम्पनियों में विभाजित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि ऊर्जा क्षेत्र आत्म निर्भर होगा? यदि हां, तो उक्त उद्देश्य की किस हद तक पूर्ति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा मई, 1999 में राजस्थान में विद्युत सुधार कार्यक्रम पर जारी नीति-पत्र के अनुसार सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित

(ऊर्जा मंत्री)

कीमत पर बेहतर गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध कराना, आन्तरिक स्रोतों द्वारा विद्युत तंत्र का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा कार्यशील विनियमित वातावरण का निर्माण करना जिससे निजी निवेश आकर्षित हो सके। विद्युत मण्डल को कम्पनियों में विभाजित करने के उपरान्त प्रत्येक कम्पनी अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। इस व्यवस्था से विद्युत कम्पनियों की कार्यकुशलता बढ़ी है। विद्युत कम्पनियों का राजस्व घाटा कम हुआ है, विद्युत हानियों में कमी आई है, विद्युत तंत्र का विस्तार हुआ है तथा विद्युत की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है।

जिला जालौर की लेटा पहाड़ियों पर अवैध खनन

50. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा जिला जालौर में वर्ष 2002 से जनवरी, 2003 तक कोई खाने (ग्रेनाइट पत्थर) आबंटित की गई है? यदि हां, तो उक्त जिले की प्रत्येक तहसील के आबंटियों की सूची मय नाम पता के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि तक जिन खान आवेदकों का प्रार्थना पत्र खनिज विभाग को प्राप्त हुआ उन सबको खानें आबंटित कर दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम लेटा तहसील जालौर के लेटा पहाड़ी पर गत आठ साल से अवैध ग्रेनाइट खनिज की खुदाई की जा रही है? यदि हां, तो उसको रोकने के लिए क्या कोई कार्यवाही नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि लेटा पहाड़ी की खानें आबंटन हेतु नियमानुसार आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र दिये, लेकिन उक्त आवेदकों को खान आबंटन अभी तक नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? उक्त प्रार्थना पत्रों का अभी तक निस्तारण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। जालौर जिले में 4 खनन पट्टे आबंटन किये हैं। आबंटियों की तहसीलवार मय नाम पते का विवरण निम्नानुसार है:-

(खनिज मंत्री)

क्र. सं.	एम.एल. संख्या	आवेदक का नाम पता	क्षेत्र/ तहसील	क्षेत्रफल	स्वीकृति दिनांक	अवधि पंजीयन दिनांक
1.	7/2001	श्री मदनसिंह पुत्र श्री पदमसिंह देवड़ा, देवड़ा हाउस, नानपुरा कालोनी, जालौर	धवला/ जालौर	1.00 हैक्टेयर	12.7.2002	2.8.2002 से 20 वर्ष (खातेदारी भूमि)
2.	138/1991	श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री पदमसिंह देवड़ा, देवड़ा हाउस, नानपुरा कालोनी, जालौर	धवला/ जालौर	1.00 हैक्टेयर	13.7.2002	2.8.2002 से 20 वर्ष
3.	251/1991	श्री रतन कुमार पुत्र श्री वेलचन्द गूलेछा, जिला जालौर	मायलवास/ जालौर	1.00 हैक्टेयर	6.8.2002	19.9.2002 से 20 वर्ष
4.	252/1991	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वेलचन्द गूलेछा, जिला जालौर	मायलवास/ जालौर	1.00 हैक्टेयर	6.8.2002	19.9.2002 से 20 वर्ष

(2) प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है व सर्वप्रथम उन आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है, जो नई नीति के पूर्व के किसी अन्य आवेदन पत्र से विरोधित नहीं है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि लेटा पहाड़ी पर गत आठ साल से अवैध ग्रेनाइट की खुदाई की जा रही है। इस क्षेत्र में अवैध खनन 2-3 वर्षों से कभी-कभी असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है, जिसे सूचना प्राप्त होने पर रुकवा दिया जाता है। रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(4) हां। लेटा पहाड़ी पर खनिज ग्रेनाइट के खनन पट्टे आबंटन करने हेतु आवेदकों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं, किन्तु आज तक कोई भी खनन पट्टा आबंटन नहीं किया गया है, क्योंकि एक ही क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट नीति के पूर्व

(खनिज मंत्री)

एवं बाद में अलग-अलग आवेदकों द्वारा आवेदन किया है सर्वप्रथम उन आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है, जो नीति के पूर्व के किसी आवेदन पत्र से विरोधित नहीं है। उसके बाद अन्य आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही की जावेगी।

(5) हां। लेटा पहाड़ी पर खनिज ग्रेनाइट नीति, 2002 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है व नियमानुसार आबंटन योग्य आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही की जावेगी।

लेटा पहाड़ी पर खनिज ग्रेनाइट के अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

दिनांक 24.4.2001	पंचानामा रतनाराम पुत्र श्री बंशीलाल के विरुद्ध बनाकर ट्रेक्टर आर.आर.ई. 465 ग्रेनाइट खण्ड से भरा हुआ मिलने पर कार्यवाही की गई, नोटिस 2001-2002/6 दिनांक 20.6.2001 को जारी कर 10 गुना रायल्टी राशि रुपये 10,000/- जर्ये रसीद संख्या 182364 द्वारा जमा करवाया गया। शेष 7400/- खनन पट्टाधारी रतनाराम की मांग कायम कर मांग शाखा द्वारा जमा करवाये गये।
20.5.2001	लेटा पहाड़ी पर अवैध खनन चैकिंग में रतनाराम पुत्र श्री बंशीलाल के विरुद्ध अनधिकृत खनन कर 36 टन खनिज ग्रेनाइट का निर्गमन का मौका पंचनामा 84 नग औजार, अन्य खनन में प्रयुक्त होने पर जब्त सरकार किये गये, नोटिस दिनांक 2001-2002/6 दिनांक 20.6.2001 को रुपये 17400/- का जारी किया।
4.9.2001	अनधिकृत खनन की लेटा पहाड़ी पर चेकिंग कर मौका/रिपोर्ट बनाई गई, मजदूर भाग छूटे, अवैध खनन में प्रयुक्त औजार 3 नग कब्जे में लिये गये।
11.10.2001	लेटा पहाड़ी से अनधिकृत खनन कर खनिज ग्रेनाइट निर्गमन मिलने पर ट्रेक्टर आर.आर.ई. 465 के जनकसिंह पुत्र मालमसिंह राजपूत निवासी धवला से 10 गुना रायल्टी राशि आर.आर.जे. 182259 से मात्रा 5 टन ग्रेनाइट खण्डा की राशि रुपये 2000/- वसूल की गई।

(खनिज मंत्री)

1.1.2002	लेटा पहाड़ी के दक्षिणी–पूर्वी ढलान पर अवैध खनन खनिज ग्रेनाइट का मौका पंचनामा खनन पट्टाधारी श्री रतनराम पुत्र श्री बंशीलाल के विरुद्ध बनाया गया, मौके से 2 नग प्रयुक्त औजार कब्जे में लिये गये, लेटा पहाड़ी के उत्तर–पश्चिमी ढलान में अनाधिकृत खननपट्टाधारी ओम कंवर पत्नी श्री हनुमान सिंह के विरुद्ध भी इसी पंचनामा में मामला बनाया गया, 10 गुना रायल्टी राशि जमा कराने का नोटिस क्र. 263 दिनांक 5.8.2002 को जारी किया गया। कार्यवाही कार्यालय स्तर पर चल रही है।
9.2.2002	लेटा पहाड़ी के दक्षिणी ढलान में अनधिकृत खनन कार्य मिलने पर अवैध खनन सवाल प्रयुक्त ट्रेक्टर ट्रोली मय ग्रेनाइट खण्डे की जब्ती की कार्यवाही में अवैध खननकर्त्ता जनकसिंह पुत्र श्री मूलसिंह राजपूत निवासी धवला के द्वारा चेका स्टाफ पर ट्रेक्टर ऊपर चढ़ा कर जान से मारने, खनिज चोरी करते की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट 37/2002 पुलिस थाना जालौर कोतवाली में धारा 353, 332 379 आई.पी.सी. में दर्ज करवाई गई।
17.9.2002	लेटा ग्रेनाइट पहाड़ी के दक्षिणी–पूर्वी ढलान पर अवैध खनन चेकिंग कर मौका पंचनामा कालू खां पुत्र श्री राजन खां मुसलमान निवासी धवला के विरुद्ध बनाकर प्रयुक्त औजार 7 नग कब्जे में लिये गये।
24.9.2002	लेटा ग्रेनाइट पहाड़ी की चेकिंग में उपस्थित मजदूर मोतबिरान की उपस्थिति में पंचनामा बना कर अवैध खननकर्ता कालू खां पुत्र श्री राजन खां के विरुद्ध अवैध खनन से निर्गमन की 10 गुणा रायल्टी की वसूली कार्यवाही में दिनांक 17.9.2002 एवं 24.9.2002 के कृत्य का नोटिस 2002/12 दिनांक 7.12.2002 को दिया गया, डाक से वापस लौटने पर खनिज रक्षक से तामिल कराया गया। बाद तामिल इस्तगासा दायर किया जावेगा।

(खनिज मंत्री)

14.12.2002	लेटा पहाड़ी पर अवैध खनन कार्य चेकिंग कर मौका पंचनामा बनाया गया, अनधिकृत खनन कार्य कर निर्गमन किये गये खनिज ग्रेनाइट खण्डा लगभग 100 टन मात्रा की 10 गुना रायल्टी राशि वसूली हेतु श्री रतनाराम पुत्र श्री बंशीलाल को नोटिस दिनांक 22.1.2000 को एवं 10.2.2003 को जारी किया गया।
5.2.2003	लेटा पहाड़ी पर अनधिकृत खनन कार्य की शिकायत का मौका पंचनामा पहाड़ी की उत्तरी-पश्चिमी ढलान में खननपट्टाधारी ओम कंवर पत्नी श्री हनुमान सिंह दक्षिणी-पूर्वी ढलान पर अवैध खनन कार्यकर्ता श्री कालू खां पुत्र श्री राजन खां, दक्षिण पश्चिम ढलान पर खननपट्टाधारी रतनाराम पुत्र श्री बंशीलाल के विरुद्ध बनाया गया, उक्त खनन कर निर्गमन की 10 गुना रायल्टी वसूली हेतु नोटिस दिनांक 15.2.2003 को जारी किया गया।
14.2.2003	खनिज अभियन्ता (सतर्कता), जोधपुर द्वारा सहायक खनिज अभियन्ता मय तकनीकी स्टाफ के लेटा पहाड़ी का आकस्मिक रूप अवैध खनन की शिकायत के सम्बन्ध में चेकिंग की गई, वक्त चेकिंग अनधिकृत खनन कार्य बंद मिला, मौका रिपोर्ट तैयार की गई, मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ताओं को निर्देश दिये गये कि अनधिकृत खनन होने पर कार्यालय सहायक खनिज अभियन्ता जालौर सूचित करे।

ह०/–
सहायक खनि अभियन्ता
जालौर

राज्य में बढ़ते अपराधों की रोकथाम

51. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या गत वर्ष में राज्य में अपराधों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त अपराधों में कितने अपराध ऐसे हैं जिनमें पुलिस कार्यवाही करने में नाकामयाब रही और कितने अपराधों में अदमसबूत में फाइनल रिपोर्ट दी गई?

(3) क्या महिला अत्याचारों में भी वृद्धि हुई है? उक्त अवधि में बलात्कार के कितने मुकदमें दर्ज हुये और कितनों में अपराधियों को सजा मिली है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्ष 2002 में 19,358 अभियोगों में पुलिस कार्यवाही करने में नाकामयाब रही। इनमें से 291 अपराधों में अदमसबूत में फाइनल रिपोर्ट दी गयी।

(3) जी नहीं। उक्त अवधि में बलात्कार के कुल 1051 प्रकरण पंजीबद्ध हुये जिनमें से कुल 612 प्रकरणों में चालान पेश न्यायालय किया जा चुका है।

जिला धौलपुर में कियोस्क आबंटन

52. श्री जसवंत सिंह (बाड़ी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला धौलपुर में मुख्य मंत्री रोजगार योजना के तहत कितने कियोस्कों का निर्माण किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कियोस्कों का निर्माण कब किया गया तथा उक्त निर्माण में कितनी राशि व्यय हुई? उक्त निर्माणाधीन कियोस्कों में कितने कियोस्कों को बेरोजगार व्यक्तियों को आबंटित किया गया और शेष अब कितने आबंटित करने हैं?

(3) अब उक्त कियोस्कों को कब तक आबंटित कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला धौलपुर की नगर पालिकाओं द्वारा मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत कियोस्कों का निर्माण नहीं करवाया जाकर मात्र 250 व्यक्तियों को कियोस्कों के लिए जगह आबंटित की गई है। विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में 160, बाड़ी में 40 व राजाखेड़ा में 50 व्यक्तियों को कियोस्क स्थल आबंटित किया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) भाग संख्या एक के उत्तर में इस भाग का उत्तर निहित है।

(3) कियोस्कों के लिए जगह आबंटित की जा चुकी है।

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के अकाल राहत कार्यों की जांच

53. श्रीमती यास्मीन अबरार (सवाई माधोपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में अब तक कितने एवं कौन-कौन से अकाल राहत कार्य इस वर्ष स्वीकृत हुए हैं? उक्त में कितना-कितना कार्य हुआ है?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में कई अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या उक्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में इस वर्ष अब तक स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है साथ ही कार्य की स्थिति का भी विवरण अंकित है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

माधव नगर, करतारपुरा, जयपुर के पार्कों का विकास

54. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माधव नगर, करतारपुरा जयपुर में पार्क के विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दो वर्ष पूर्व कुछ राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कितनी और उक्त अवधि के दौरान क्या-क्या कार्य करवाये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पार्क में ट्यूबवैल खुदवाने के लिए भी राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो क्या ट्यूबवैल खुद चुका है और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त कार्यों में लापरवाही बरतने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और दोषियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) अब उक्त पार्क का विकास कब तक करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राशि रुपये 2.37 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई जिसके अन्तर्गत चारदीवारी निर्माण करवाया गया तथा इसके पश्चात् जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत 1 लाख 6 हजार का प्रावधान

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

भ्रमण पथ के निर्माण हेतु था जो पूर्ण कराया जा चुका है।

(2) जी हां। राशि स्वीकृत की गयी थी। मौके पर गार्डन के लिए उपलब्ध अति सीमित जमीन के मध्य नजर ट्यूबवैल का खर्चा करना उपयुक्त नहीं समझा गया अतः ट्यूबवैल का निर्माण नहीं कराया गया।

(3) किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही नहीं बरती गयी है।

(4) ट्यूबवैल को छोड़कर स्वीकृत विकास कार्य कराए जा चुके हैं।

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में निजी बसों का अवैध संचालन

55. श्री करण सिंह यादव (बहरोड़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में निगम की कितनी बसें किस–किस रूट पर चलती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में निजी आपरेटरों को किन शर्तों पर कितने परमिट दिये हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों को परमिट नहीं दिये जाते हैं? यदि हां, तो बहरोड़ में उक्त वाहन किस आधार पर चलते हैं? क्या उक्त वाहन के परिवहन से सरकार को राजस्व का कोई नुकसान है?

(4) बहरोड़ कुण्ड रेवाड़ी मार्ग पर निगम की बसें क्यों नहीं चलती हैं?

उत्तर

(1) बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित निगम बसों की सूचना परिशिष्ट "1" में दे दी गयी है।

(2) बहरोड़ क्षेत्र में निजी बस आपरेटरों को 9 अन्तरराज्यीय मार्गों पर तथा 6 क्षेत्रीय मार्गों पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किए हुए हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बस आपरेटरों को कोई अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं किए गए हैं। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बस अनुज्ञापत्रधारियों को उनके अनुज्ञापत्र में अंकित निजी मार्गों पर अधिकतम 10 किलोमीटर की राष्ट्रीयकृत मार्ग पर संचालन की छूट इस शर्त के आधार पर दी जाती है कि वे राष्ट्रीयकृत मार्ग पर न तो सवारी बैठाएंगे और न ही सवारी उतारेंगे। अनुज्ञापत्र शर्तों का उल्लंघन करने पर निजी बस अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) बहरोड़, माण्डन, रेवाड़ी वाया कुण्ड कोई एक मार्ग नहीं है। इसमें माण्डन, रेवाड़ी वाया कुण्ड निजी बस आपरेटरों के लिए निर्धारित है। जिस पर 14 अनुज्ञापत्र जारी किए हुए हैं। तदनुसार निजी बसें संचालित भी हो रही हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या–53 की प्रति)

निगम/परिषद्/पालिकाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते एवं बोनस आदि राज्य सेवा के समान

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 121/मांगें/डीएलबी/89/34-270 दिनांक : 10.1.1989

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम 38 सन् 1959) की धारा 297 की उप धारा (1) व (2) के खण्ड (ब) सपठित राजस्थान नगरपालिका सेवा नियम, 1963 के नियम-32 एवं राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 के नियम 32 एवं राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ श्रेणी) सेवा नियम, 1964 के नियम-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भविष्य में वेतनमान, भत्तों एवं बोनस आदि राज्य सेवा के कर्मचारियों के समान यथासंशोधन प्रभावशील करती है।

आज्ञा से
ह०/-
(के. के. चौधरी)
शासन उप सचिव

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-57 की प्रति)

''प्रशासन शहरों के संग अभियान'' दिनांक 26.1.2002 से 28.2.2002 तक में कृषि भूमि रूपान्तरण हेतु भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा कराने वाले व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम आवेदक मय/पिता/पति/पत्नी नाम
1	2
1.	श्री दयाशंकर पिता मोहन लालजी चौबीसा
2.	श्री हरिचरण पिता कालू शंकरजी जोशी
3.	श्री पृथ्वीराज पिता माधु लालजी जारोली
4.	श्री रतनलाल पिता भानीरामजी लक्षकार
5.	श्री दिनेश चन्द्र पिता हरिप्रसादजी शर्मा
6.	श्री देवीलाल पिता रतन लालजी रैंगर
7.	श्री नारायण लाल पिता गौरीशंकरजी शर्मा
8.	श्री राधेश्याम पिता लालशंकरजी चौबीसा
9.	श्री बसन्त शर्मा पिता हरिप्रसादजी शर्मा
10.	श्री गिरजा शंकर पिता लक्ष्मणजी शर्मा
11.	श्रीमती प्रेमलता पत्नी पुष्कर लालजी जोशी
12.	श्री शांतिलाल पिता कन्हैया लालजी शर्मा
13.	श्री रघुनाथ लाल पिता मोहन लालजी लक्षकार
14.	श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी रामचन्द्रजी लक्षकार
15.	श्री नारायण लाल पिता पन्ना लालजी व्यास
16.	श्रीमती कमला बाई पत्नी भंवर लालजी तेली
17.	श्री हरिशचन्द्र पिता देवी लालजी रैंगर

1	2
18.	श्री नारायण सिंह पिता लाल सिंहजी झाला
19.	श्री ओमप्रकाश पिता हीरा लालजी व्यास
20.	श्री जगदीश चन्द्र पिता जमना लालजी शर्मा
21.	श्री जयवल्लभ पिता विष्णुजी शर्मा
22.	श्री मार्कण्ड पिता हरिप्रसादजी शर्मा
23.	श्री जगदीश चन्द्र पिता कालू शंकरजी शर्मा
24.	श्री मोहन लाल पिता रघुवीर सिंहजी बाबेल
25.	श्री सुरेश कुमार पिता रतन लालजी दक
26.	श्री दिनेश कुमार पिता माधु लालजी धींग
27.	श्री हाजी मुल्ला मोहम्मद हुसैन पिता हसन अलीजी बोहरा
28.	श्री लक्ष्मीलाल पिता मोती लालजी रैगर
29.	श्री नन्द लाल पिता धन्नाजी रैगर
30.	श्री धन्ना पिता भेराजी रैगर
31.	श्री सोहन लाल पिता भेरू लालजी रैगर
32.	श्री बद्री लाल पिता सवरामजी सुथार
33.	श्री मोहन लाल पिता भीमशंकरजी जोशी
34.	श्री धर्मनारायण पिता रामनाथजी शर्मा
35.	श्री हीरादास पिता धन्ना दासजी वैष्णव
36.	श्री दिनेश कुमार पिता नन्द किशोर चौबीसा
37.	श्री नक्षत्रमल पिता मोहल लालजी धींग
38.	श्री शांतिलाल पिता कन्हैया लालजी कंठालिया
39.	श्रीमती श्वेता पुत्री औंकार लालजी स्वर्णकार

1	2
40.	श्री पारसमल पिता लक्ष्मीलालजी जारोली
41.	श्री हरिसिंह पिता वरदीचन्दजी मोदी
42.	श्री मोहन लाल पिता भीमशंकरजी चौबीसा
43.	श्री भगवती प्रसाद पिता नन्द किशोरजी चौबीसा
44.	श्री मदन लाल पिता नन्द किशोरजी चौबीसा
45.	श्री सोहन लाल पिता माधव लालजी मेहता
46.	श्रीमती वर्षा देवी पत्नी उदय सिंहजी मेहता
47.	सुश्री हसिना रंगरेज पुत्री नियाज़ मोहम्मदजी
48.	श्री इब्राहिम खां, अय्यूब खां पिता मेहताब खांजी
49.	श्री मिठ्ठा लाल पिता चुन्नी लालजी चौधरी
50.	श्री सज्जन सिंह पिता मोहन सिंहजी राजपूत
51.	श्री भरत कुमार पिता विपिन चन्दजी जारोली
52.	श्री बंशी लाल पिता प्रतापजी कुम्हार
53.	श्री गौरी शंकर पिता लक्ष्मी लालजी चौबीसा
54.	श्री उदय सिंह पिता सोहन लालजी मेहता
55.	श्री विश्व बंधु पिता राजारामजी शर्मा
56.	श्री गौरी शंकर पिता हमेराजी मेघवाल
57.	श्री राजमल पिता तखतमलजी बाबेल

ह०/–

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका, कानोड़

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-69 की प्रति)

सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJ BIL/2000/1717 RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	पौष 6, शुक्रवार, शाके 1924–दिसम्बर 27, 2002 *Pausa 6, Friday, Saka 1924—December 27, 2002*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना सम्बन्धी विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचनाएं

जयपुर, दिसम्बर 23, 2002

संख्या प. 6 (52) नविवि/3/2002 : यत: राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थान पर जयपुर विकास प्राधिकरण को ग्राम बीड सरकारी, परसरामपुरा एवं झोटवाड़ा में प्रस्तावित सीकर रेलवे लाइन व सीकर हाइवे पर मुख्य सीवरेज लाइन व नाला एवं 100 फीट सड़क हेतु अर्थात जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा होने की सम्भावना है। अत: भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा 4(1) की अनुपालना में एतद्द्वारा समस्त हितधारियों के सूचनार्थ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाती है।

अत: अब भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार अपने अधीनस्थ अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर को निम्न सूची में वर्णित भूमि व भवन पर अपने कर्मचारियों सहित, यदि कोई हो तो निम्नलिखित कार्य हेतु अधिकृत करती है:-

1. उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि का सर्वेक्षण तथा तल मापन करने,
2. उसके अधीन भूमि को खोदने अथवा बोरिंग करने,

3. वे अन्य समस्त कार्य करने जो यह ज्ञात करने के लिए आवश्यक हो कि क्या भूमि ऐसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, अथवा

4. ऐसी भूमि की सीमा बनाने तथा उसमें या उस पर किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य यदि कोई हो कि रूपरेखा बनाने,

5. तल मापन अथवा सीमाओं अथवा किए जाने वाले कार्य की रेखाओं के निशान लगाने तथा खाइयां खोदने,

6. जहां अन्यथा सर्वेक्षण पूरा न हो सके या उसमें तल मापन न हो सके या सीमा अथवा रूपरेखा न बनाई जा सके तो किसी खड़ी फसल, किसी बाग या बाड़ अथवा जंगल को काटने अथवा हटाने :

परन्तु जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के परन्तुक में दिया गया है (जब तक उसके अभिधारक की सहमति न हो) कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार उसके प्रांगण अथवा किसी मकान से सम्बद्ध उद्यान में उसके अभिधारक को ऐसा करने की अपनी इच्छा का कम से कम 7 दिन का लिखित नोटिस दिये बिना प्रवेश नहीं करेगा।

राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 27, 2002

प्रस्तावित मुख्य सीवरेज लाइन व नाला एवं 100 फीट सड़क सीकर रेलवे लाइन व सीकर हाइवे से रेलवे लाइन तक अवाप्ति प्रस्ताव

क्र.सं.	ग्राम/तहसील	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल बीघा-बिस्वा	किस्म	अवाप्त क्षेत्रफल बीघा-बिस्वा
1	2	3	4	5	6	7
1.	बीड सरकारी, जयपुर	भवानी निकेतन शिक्षा समिति	7	73–04	गै.मु.	12–10
			8	140–16	गै.मु.	15–18
			9	62–12	गै.मु.	6–14
			14	41–18	गै.मु.	5–04
			15	19–00	गै.मु.	0–03
2.	परसरामपुरा, जयपुर	भवानी निकेतन शिक्षा समिति	1	21–02	गै.मु.	3–09
			3	12–02	गै.मु.	3–08
			4	14–10	गै.मु.	1–12
			6	3–10	गै.मु.	2–00

1	2	3	4	5	6	7
3.	झोटवाड़ा, जयपुर	भवानी निकेतन एजुकेशन एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर ना. संख्या 753 से	1068/1	8–13	गै.मु.	2–18
		भवानी निकेतन एजुकेशन एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर ना. संख्या 754 से स्थायी लीज स्वीकार	1068/2	25–14	गै.मु.	

जयपुर, दिसम्बर 23, 2002

संख्या प. 6(53) नविवि/3/2002 : यत: राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थान पर जयपुर विकास प्राधिकरण को ग्राम बस्सी सीतारामपुरा व बीड सरकारी में एन.एच. 11 सीकर रोड को चौमूं पुलिया से हरमाड़ा घाटी तक 6 लेन का किये जाने हेतु अर्थात जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा होने की सम्भावना है। अत: भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–1) की धारा 4(1) अनुपालना में एतद्द्वारा समस्त हितधारियों के सूचनार्थ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाती है।

अत: अब भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार अपने अधीनस्थ अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएं जयपुर को निम्न सूची में वर्णित भूमि व भवन पर अपने कर्मचारियों सहित, यदि कोई हो तो निम्नलिखित कार्य हेतु अधिकृत करती है:–

1. उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि का सर्वेक्षण तथा तल मापन करने,
2. उसके अधीन भूमि को खोदने अथवा बोरिंग करने,
3. वे अन्य समस्त कार्य करने जो वह ज्ञात करने के लिए आवश्यक हो कि क्या भूमि ऐसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है।

प्रपत्र-अ

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-78 की सूची)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर के क्षेत्रान्तर्गत जिलेवार बकाया सूची माह जनवरी, 2003 तक (रुपये लाख)

सं.	श्रेणी	जोधपुर	जालौर	जैसलमेर	बाड़मेर	पाली	सिरोही	बीकानेर	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	चूरू	लाडनूं (नागौर जिला)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	घरेलू	622.61	127.83	74.37	178.63	238.35	60.05	1011.13	465.74	761.04	1110.77	57.05	4707.57
	अघरेलू	313.78	56.62	36.70	108.69	121.63	32.85	379.85	97.51	250.33	242.74	14.05	1654.75
	रोड लाइट	2397.00	33.00	2.69	1.40	19.11	1.84	1024.55	4.80	27.94	222.80	97.77	3832.90
	कृषि (मीटर)	211.81	69.13	16.60	99.52	167.73	47.91	80.74	42.93	43.91	57.26	3.66	841.20
	कृषि (पलेट)	393.57	130.17	12.50	49.57	41.31	15.74	684.79	8.59	20.89	529.72	12.50	1899.35
	कृषि (नर्सरी)	10.97	4.76	1.51	4.55	13.79	3.08	71.23	0.44	1.04	32.47	0.12	143.96
	लघु उद्योग	181.58	55.60	11.46	42.65	73.41	38.32	167.51	81.52	119.28	169.97	11.30	952.60
	मध्यम उद्योग	181.69	26.45	8.33	24.48	44.10	37.68	65.23	25.67	67.01	53.97	—	534.61
	उच्च उद्योग	259.17	3.36	–0.52	2.28	36.61	–69.71	8.67	26.86	95.10	181.60	—	543.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	लघु उद्योग (जलदाय विभाग)	89.17	–8.13	6.76	53.65	18.50	3.10	109.16	6.71	4.39	13.24	60.02	356.57
	मध्यम उद्योग (जलदाय विभाग)	97.57	17.17	9.90	113.39	2.01	2.01	17.62	2.34	2.63	–2.26	1.25	261.62
	उच्च उद्योग (जलदाय विभाग)	32.83	—	18.26	84.79	33.02	—	–0.05	—	0.01	1.87	0.22	459.95
	मिक्स लोड	19.49	4.91	33.37	–22.33	6.81	1.56	29.39	1.83	13.00	5.05	0.27	93.36
	योग	**5100.24**	**520.87**	**231.93**	**741.27**	**816.38**	**172.42**	**3649.82**	**764.94**	**1406.57**	**2619.20**	**258.21**	**16281.85**

परिशिष्ट–7

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–79 का विवरण)

विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार तथा पांचों कम्पनियों से किये गये ऋण समझौतों की मुख्य शर्तें

1. परियोजना के तहत सामान, सलाहकार सेवाओं का क्रय बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना।
2. राजस्थान सरकार द्वारा ऋण राशि प्राप्त होने के 15 दिवस में कम्पनियों को उपलब्ध करा देना।
3. परियोजना से सम्बन्धित खर्च का सुव्यवस्थित लेखांकन, लेखों का अंकेक्षण स्वतंत्र अंकेक्षक द्वारा तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन को 6 महीने के अन्दर बैंक को प्रस्तुत करना।
4. राजस्थान सरकार व पांचों कम्पनियों द्वारा परियोजना को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना।
5. राजस्थान सरकार द्वारा पांचों कम्पनियों को वित्तीय पुनर्संरचना योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता नकद एवं समयबद्ध रूप से देना।
6. पांचों कम्पनियों द्वारा वित्तीय पुनर्संरचना योजना में वर्णित वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना।
7. राजस्थान सरकार द्वारा सुधार अधिनियम के तहत नियामक आयोग की कार्यवाही को प्रभावी बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना।
8. राजस्थान सरकार द्वारा अपने विभागों के विद्युत बकाया के लिए बजट प्रावधान रखना।
9. राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई, 2002 तक वितरण कम्पनियों की अंशपूंजी में निजी क्षेत्र की भागीदारी मान्य विनिवेश के कार्यक्रम के अन्तर्गत करना।
10. राजस्थान सरकार व पांचों कम्पनियों द्वारा परियोजना की सतत् मानिटरिंग एवं मूल्यांकन करना।
11. राजस्थान सरकार एवं पांचों कम्पनियों द्वारा वित्तीय प्रबन्ध तंत्र को मजबूत बनाना।
12. प्रसारण एवं वितरण कम्पनियों द्वारा नियामक आयोग द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार वार्षिक अथवा बहुवार्षिक पूर्ण राजस्व प्राप्ति हेतु विद्युत दर याचिका आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना।

परिशिष्ट–8

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–91 की सूची)

PROGRESSIVE COMPARATIVE PROFIT & LOSS

Up to January, 2003

April, 2002 to January, 2003

(Rs. in Lacs)

S.No.	Depot	Actual
1	2	3
1.	Ajaymeru	–51.61
2.	Ajmer	–5.84
3.	Anoopgarh	–68.62
4.	Baran	–172.80
5.	Bikaner	–261.07
6.	Bundi	–199.83
7.	GangaNagar	–152.17
8.	HanumanGarh	–0.08
9.	Jhalawar	–152.33
10.	Kota	–172.95
11.	Sardarsahar	–81.22
12.	Tonk	–113.34
13.	Alwar	–132.46
14.	Bharatpur	58.65

1	2	3
15.	Dausa	–108.54
16.	Delux	366.84
17.	Dholpur	17.58
18.	Hindaun	–97.60
19.	Jaipur	215.87
20.	Kotputli	–123.30
21.	Lohagarh	1.75
22.	Matsaya Nagar	–11.92
23.	Tijara	–29.34
24.	Jhalana Dungri	–265.67
25.	Sanganer	–154.04
26.	Vaishali Nagar	–141.60
27.	Vidhyadhar Nagar	–260.99
28.	Abu Road	19.27
29.	Banswara	1.54
30.	Barmer	–28.43
31.	Beawer	–171.63
32.	Bhilwara	–98.85
33.	Chittorgarh	–89.32

1	2	3
34.	Churu	0.43
35.	Dungarpur	–54.70
36.	Falna	–59.04
37.	Jalore	–47.72
38.	Jhunjhunu	–146.00
39.	Jhodhpur	–245.27
40.	Khetri	–161.50
41.	Nagaur	–178.76
42.	Pali	–65.74
43.	Phalodi	–65.10
44.	Revdar	–59.39
45.	Sikar	–119.42
46.	Sirohi	–35.83
47.	Sri Madhopur	–110.89
48.	Udaipur	–151.64
.	**Total**	**–3385.25**